सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

****

परिवहन आयुक्त, उत्तरांचल।

मैनुअल संख्या–5

खण्ड–2

कृत्यों के निर्वहन हेतु नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख।

उत्तर प्रदेश मोटरयान नियमावली, 1998।

*****

विषय-सूची

नियम

अध्याय - एक

प्रारम्भिक

पृष्ठ संख्या:-

1. संक्षिप्त नाम 1
2. परिभाषायें 1-3

अध्याय - दो

मोटर यानों के ड्राइवरों का अनुज्ञापन

3. अनुज्ञापन प्राधिकारी 3
4. चिकित्सा प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए देय फीस 3
5. अपील प्राधिकारी 3
6. अपीलों का संचालन और उनकी सुनवाई 3
7. चालन अनुज्ञप्तियों के राज्य रजिस्टर का अनुरक्षण 3
8. अनुज्ञप्तियों का खो जाना या नष्ट हो जाना-प्रक्रिया 4
9. विरूपित या फटी हुई अनुज्ञप्ति 4
10. अनुज्ञप्ति-फोटो का प्रतिस्थापन 5
11. अनुज्ञप्ति की दूसरी प्रति जारी किया जाना 5
12. परिवहन यान के ड्राइवर का बैज 5
13. बैज का अन्तरण नहीं किया जायेगा 5
14. परिवहन यान के ड्राइवर की वर्दी 6
15. कतिपय व्यक्तियों को चालन अनुज्ञप्ति या सक्षमता परीक्षा फीस से छूट 6
16. रोड रोलर के ड्राइवरों को चालन अनुज्ञप्ति से छूट 6
17. परिवहन यानों के ड्राइवरों के कर्तव्य, कृत्य और आचरण 6-7
18. निवास स्थान में परिवर्तन 7

अध्याय - तीन

मंजिली गाड़ियों के कण्डक्टरों का अनुज्ञापन

19. अनुज्ञापन प्राधिकारी 8
20. कण्डक्टर अनुज्ञप्ति दिये जाने के लिए न्यूनतम शैक्षिक अर्हता 8
21. कण्डक्टर अनुज्ञप्ति रखने से छूट के लिए शर्तें 8
22. कण्डक्टर अनुज्ञप्ति का दिया जाना 8
23. निवास-स्थान में परिवर्तन 9
24. कण्डक्टर अनुज्ञप्ति का नवीकरण 9
25. अपील प्राधिकारी 9
26. अपीलों का संचालन और उनकी सुनवाई 9
27. अनुज्ञप्ति खो जाने या नष्ट हो जाने पर प्रक्रिया 10
28. विरूपित या कटी-फटी अनुज्ञप्ति 10
29. अनुज्ञप्ति फोटोग्राफ का प्रतिस्थापन 10-11
30. अनुज्ञप्ति की दूसरी प्रति जारी करना 11
31. कण्डक्टर का बैज 11
32. बैज अन्तरित नहीं किया जायेगा 11
33. कण्डक्टर की वर्दी 12
34. मंजिली गाड़ी के कण्डक्टर के कर्तव्य, कृत्य और आचरण 12-14

नियम

अध्याय - चार

मोटर यानों का रजिस्ट्रीकरण

35. अपील प्राधिकारी .... -14-
36. अपीलों का संचालन और सुनवाई .... -14-
37. रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी .... -15-
38. परिवहन यानों पर पेन्ट की जाने वाली विशिष्टियां .... -15-
39. ठीक हालत में होने का प्रमाण-पत्र स्वीकृत और जारी करना .... 15-16.
40. अन्य समयों पर निरीक्षण .... -16-
41. अस्थायी रजिस्ट्रीकरण .... 16-17.
42. ठीक हालत में होने का कटा-फटा या विरूपित प्रमाण-पत्र .... -17-
43. ठीक हालत में होने का प्रमाण-पत्र का खो जाना या नष्ट हो जाना .... -17-
44. विलम्ब से दी गयी सूचना के लिए शमन फीस .... -17-
45. रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण-पत्र को निलम्बित करने के लिए सशक्त प्राधिकारी .... 17.
46. उत्तर प्रदेश के भीतर रजिस्टर न किये गये यानों के संबंध में सूचना .... 17-18.
47. ऐसे यानों को छूट जो विनिर्माताओं या व्यवहारियों के कब्जे में हो .... -18-
48. राज्य मोटर यान सम्बन्धी रजिस्टरों का रखा जाना .... -18-
49. रोड रोलरों आदि को छूट .... -18-
50. रजिस्ट्रीकरण फीस के भुगतान से छूट .... -18-
51. रजिस्ट्रीकरण का चिन्ह दिया जाना .... 18-19.
52. रजिस्ट्रीकरण की विशिष्टियां-प्रतियों की आपूर्ति .... -19-
53. चुराये गये या बरामद किये गये मोटर यानों के सम्बन्ध में सूचना .... -19-
54. रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र का प्रस्तुत किया जाना .... -19-

अध्याय - पांच

परिवहन यानों का नियंत्रण

55. राज्य परिवहन प्राधिकरण .... 19-20.
56. सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण .... 20-21.
57. परिवहन प्राधिकरणों द्वारा शक्तियों का प्रत्यायोजन राज्य का कोई सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण .... 21-22.
58. परिवहन प्राधिकरणों के कारबार का संचालन .... 22-23.
59. परिवहन प्राधिकरणों द्वारा दी जाने वाली रिपोर्ट .... -23-
60. परिवहन प्राधिकरण के विनिश्चय का प्रकाशन .... -23-
61. ठेका यात्रियों और प्राइवेट सेवा यानों की परमिटों के लिए आवेदन-पत्र और उसका निस्तारण .... 23-24.
62. परमिटों के आवेदन-पत्र .... -24-
63. आवेदन-पत्र की सुनवाई .... -24-
64. परमिट के लिए आवेदन-पत्र का प्रपत्र .... -24-
65. परमिट के लिए फीस और प्रपत्र .... 24-25.
66. नौ से अधिक व्यक्तियों को ले जाने के लिए अनुकूलित मोटर यानों के लिए परमिट .... -25-
67. परमिट की शर्तें .... -25-
68. मंजिली गाड़ियों के लिए परमिट की विशेष शर्तें .... 25-26.
69. ठेका गाड़ियां और माल वाहनों के लिए परमिट की विशेष शर्तें .... -26-
70. ठेका परमिट की अतिरिक्त शर्तें .... 26-27.
71. मुख्तारनामा के माध्यम से परिवहन यानों का प्रचालन .... -27-
72. परमिट पर रजिस्ट्रीकरण चिन्ह की प्रविष्टि .... -27-

विषय-सूची

नियम

73. परमिट—मंजूरी का प्रतिसंहरण .... --27.
74. अस्थायी परमिटपरमिट .... --28.
75. परमिट के विधिमान्यकरण के क्षेत्र का विस्तार .... --28.
76. पर्वतीय मार्ग पर परमिट की विधिमान्यता .... --28.
77. परमिटों की आवश्यकता से छूट .... 28-29.
78. मंजिली एवं ठेका गाड़ियों में माल ले जाने की शर्तें .... --29.
79. माल वाहनों में पशुओं को ले जाया जाना .... 29-30.
80. अनावश्यक परमिटों को रद्द किया जाना .... --30.
81. परमिटों का नवीकरण .... --30.
82. परमिट के प्रतिहस्ताक्षर का नवीकरण .... --30.
83. परमिट के प्रतिहस्ताक्षर के सम्बन्ध में नवीकरण का विधिमान्यकरण .... 30-31.
84. परमिटों द्वारा प्राधिकृत यान का प्रतिस्थापन .... --31.
85. परमिट पर प्रतिहस्ताक्षर के संबंध में प्रतिस्थापन आदेश का विधिमान्यकरण .... --31.
86. परमिट के रद्द होने, निलम्बित होने या समाप्त होने पर प्रक्रिया .... 31-32.
87. परमिट का अन्तरण .... --32.
88. खोयी, नष्ट हुई परमिटों के स्थान पर दूसरी प्रति का जारी किया जाना .... 32-33.
89. परमिट का प्रस्तुत किया जाना .... --33.
90. किसी मंजिली गाड़ी या ठेका गाड़ी में छोड़ी गयी सम्पत्ति को सुरक्षित अभिरक्षा में रखना और उसका निस्तारण .... --33.
91. राज्य या सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण के आदेश के विरूद्ध अपील .... 33-34.
92. अपील या पुनरीक्षण में किसी पक्षकार की मृत्यु हो जाने की दशा में प्रक्रिया .... 34-35.
93. प्रतियों की आपूर्ति .... --35.
94. अपीलों की प्रक्रिया .... --35.
95. पत्रावलियों का निरीक्षण .... --35.
96. कार्य के समय का अग्रिम में निर्धारण .... --35.
97. मंजिली गाड़ियों में यात्रियों का आचरण .... 35-37.
98. बस स्टैण्डों और मंजिली गाड़ियों में परिवाद पुस्तकों का अनुरक्षण .... --37.
99. बालकों और शिशुओं को सार्वजनिक सेवायान में ले जाया जाना .... --37.
100. शवों का ले जाया जाना .... --38.
101. माल वाहन में व्यक्तियों का ले जाया जाना .... --38.
102. माल वाहन द्वारा माल ले जाने का कर्तव्य .... --38.
103. रखे जाने वाले अभिलेख .... 38-39.
104. परमिट धारक के पते में परिवर्तन .... --39.
105. सार्वजनिक सेवा यान को क्षति पहुंचने या उसके असफल होने की सूचना .... --39.
106. मोटर यान में परिवर्तन .... 39-40.
107. परिवहन यान और उसकी अन्तर्वस्तु का निरीक्षण .... --40.
108. अन्य समयों पर निरीक्षण .... --40.
109. परमिट के बदले अस्थायी प्राधिकारी-पत्र .... --40.
110. कतिपय प्रकार की रंगाई या चिन्ह लगाने का प्रतिषेध .... --41.

माल वाहनों द्वारा ले जाये जा रहे माल के संग्रह, अग्रेषण और वितरण के कारबार में लगे अभिकर्ताओं का अनुज्ञापन

111. परिभाषायें .... --41.
112. अनुज्ञप्ति के अधीन के सिवाय अभिकर्ता के रूप में कार्य करने का प्रतिषेध .... --41.
113. अभिकर्ता अनुज्ञप्ति का दिया जाना .... 41-42.

नियम

114. शर्तों का अनुपालन करने के लिए प्रतिभूति 42

115. अभिकर्ता अनुज्ञप्ति का नवीकरण 42

116. अनुज्ञप्ति की दूसरी प्रति का जारी किया जाना 42

117. अभिकर्ता अनुज्ञप्ति के लिए शर्तें 42-43

118. अभिकरण की संविदा में उल्लिखित किये जाने वाली विशिष्टियां 43-44

119. प्रयोग किये जाने वाले परिसर 44

120. किसी अनुज्ञप्ति को निलम्बित या रद्द करना 44

121. अभिकर्ता अनुज्ञप्ति का प्रदर्शन 44-45

122. अपील 45

123. परिवहन प्राधिकरणों द्वारा प्रतियों की आपूर्ति के लिये फीस का उद्ग्रहण 45

सार्वजनिक सेवा यानों द्वारा यात्रा करने के लिये टिकटों की बिक्री के लिये अभिकर्ताओं का अनुज्ञापन और उनके आचरण का विनियमन

124. अनुज्ञप्ति का दिया जाना 45-46

125. फीस 46-49

अध्याय - छः

राज्य परिवहन उपक्रम के बारे में विशेष उपबन्ध प्रस्थापना में समाविष्ट की जाने वाली विशिष्टियां

126. स्कीम का प्रारूप 49

127. आपत्तियां दाखिल करने की रीति 49-50

128. आपत्तियों पर विचार और उनका निपटारा करने की रीति 50

129. अनुमोदित स्कीम का प्रकाशन 50

130. राज्य परिवहन उपक्रम की ओर से परमिट जारी करने के लिए आवेदन 50-51

131. परिवहन यानों में पाई गई वस्तुओं का निस्तारण 51

132. आदेश की तामील की रीति 51

133. कार्यवाही और निरीक्षण की प्रमाणित प्रतियों का जारी किया जाना 51-52

अध्याय - सात

मोटर यानों का निर्माण, उपस्कर एवं अनुरक्षण

134. सामान्य 52

135. स्थिरता 52

136. बैठने का स्थान 52

137. 52

138. गैंगवे 52-53

139. सीटों की क्षमता की सीमा 53

140. प्राथमिक उपचार पेटी 53

141. ड्राइवर के साथ संचार 53

142. आन्तरिक प्रकाश व्यवस्था 53

143. विद्युत प्रकाश का अनिवार्य होना 53

144. अतिरिक्त पहिया और औजार 53-54

145. ईंधन टंकियां 54

146. कार्बोरेटर 54

147. अत्यधिक ऊष्मा 54

148. ज्वलनशील फिटिंग 54

149. विद्युत तार 54

नियम

150. अग्नि शामक .... 54.
151. मडगार्ड .... 54.
152. खड़े होने का स्थान .... 54.
153. ड्राइवर की सीट .... 54-55.
154. दरवाजों की चौड़ाई .... 55.
155. ग्रेब रेल .... 55.
156. सीढ़ियां .... 55.
157. सामान का ले जाया जाना .... 55.
158. गद्दी .... 56.
159. ढांचे का आयाम और गार्ड रेल .... 56.
160. यात्रियों को मौसम से बचाना .... 56.
161. फ्लोर बोर्ड .... 56.
162. परिवहन यानों का रंगा जाना .... 56-57.
163. ध्वनि संकेत के प्रयोग पर प्रतिबन्ध .... 57.
164. खतरनाक प्रक्षेप .... 57.
165. आटो रिक्शा का निर्माण और उपस्कर .... 57-58.
166. गति .... 58.
167. मोटर यानों का निरीक्षण .... 58-59.
168. दर्पण .... 59.
169. मोटर साइकिलों और अशक्त गाड़ियों के साथ ट्रेलरों का निषेध .... 59.
170. कतिपय यानों के साथ ट्रेलर को जोड़ने का निषेध .... 59.
171. ट्रैक्टर से जुड़े ट्रेलर .... 59.
172. स्थानीय निर्मित ट्रेलर .... 59-60.
173. ट्रेलरों के परिचालक .... 61.
174. ट्रेलरों और उनको खींचने वाले यानों के लिए सुभेदक चिन्ह .... 61-62.
175. माल वाहन द्वारा ट्रेलर या अर्द्ध-ट्रेलर का खींचा जाना .... 62.

अध्याय - आठ
यातायात का नियंत्रण

176. प्रतियोगिता और प्रदर्शनी .... 62.
177. मुख्य सड़कों को अभिहित करना .... 62.
178. मोटर यान के प्रयोग और गति पर निबंधन .... 62.
179. यातायात चिन्हों का विनिर्माण .... 62-63.
180. सड़क पर परित्यक्त यान .... 63.
181. तौलने के यंत्रों का लगाया जाना और उनका उपयोग .... 63-64.
182. गतिमान यान को पकड़ने या उस पर चढ़ने पर प्रतिषेध .... 64.
183. फुटपाथ, साइकिल पथ और यातायात पृथक्करण .... 64.
184. खतरनाक पदार्थों को ले जाने पर प्रतिबन्ध .... 65.
185. ध्वनि संकेतों के प्रयोग पर प्रतिबन्ध .... 65.
186. सड़कों पर चिन्हों या विज्ञापनों के विनिर्माण या रखने पर प्रतिषेध .... 65.
187. यानों का रात्रि में चालन .... 65-66.
188. बिना गियर लगाये यान के चालन पर प्रतिबन्ध .... 66.
189. लकड़ी का चोक .... 66.
190. टायर .... 66.
191. यानों का निरीक्षण .... 66.

नियम

192. चढ़ने वाले यानों का अग्रताक्रम 67
193. कतिपय अनुज्ञाप्तियों का पर्वतीय सड़कों के लिए पृष्ठांकन 67
194. ट्रेलर 67
195. स्टैण्ड और विराम स्थल 67-68
196. पीछे की ओर यात्रा पर प्रतिबन्ध 68
197. जब यान विश्राम पर हो लैम्प का प्रयोग 68
198. चकाचौंध करने वाले प्रकाश पर प्रतिबन्ध 68
199. लैम्पों और रजिस्ट्रीकरण चिन्हों की दृश्यमानता 68
200. ओवर टेक करने वाले यानों आदि के बारे में सावधानी 69
201. सुरक्षा टोप का पहनना 69
202. अग्नि शमन यानों, एम्बुलेन्स आदि को छूट 69
203. किसी दुर्घटनाग्रस्त यान का निरीक्षण 69

अध्याय - नौ

दावा अधिकरण

204. प्रतिकर के लिये आवेदन 70
205. किसी आवेदक का परीक्षण 70
206. आवेदन का सरसरी तौर पर खारिज किया जाना 70
207. अन्तर्ग्रस्त पक्षकारों को नोटिस 70
208. पक्षकारों की उपस्थिति ओर उनका मौखिक परीक्षण 70
209. विवाद्यक विषय का तैयार किया जाना 70
210. साक्षियों को आहूत करना 70-71
211. विवाद्यकों का निर्धारण 71
212. साक्ष्य अभिलिखित करने की विधि 71
213. स्थानीय निरीक्षण 71
214. यान का निरीक्षण 71
215. परीक्षण करने की शक्ति 71
216. सुनवाई का स्थगन 71
217. अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित होना 71
218. जांच के दौरान व्यक्तियों का आमेलन 71
219. डायरी 71
220. निर्णय और प्रतिकर का अधिनिर्णय 71-72
221. कतिपय मामलों में सिविल प्रक्रिया संहिता का लागू होना 72
222. दावा अधिकरण के विनिश्चय के विरुद्ध अपीलों का प्रारूप और उनकी संख्या 72

अध्याय - दस

प्रकीर्ण

223. शास्ति वसूल करने के लिये प्राधिकारी 72
224. अधिनियम के अध्याय दो, तीन, चार और पांच और नियमों के अधीन कम फीस लेना 72
225. कतिपय दस्तावेजों के स्थान पर अस्थायी प्राधिकार 72-73
226. परिवहन विभाग के अधिकारियों के कर्तव्य, शक्तियां और कृत्य 73
227. परिवहन विभाग के अधिकारियों की शक्तियां 73-76
228. राज्य सरकार की निदेश देने की शक्ति 76

प्रथम अनुसूची 77

द्वितीय अनुसूची 78

प्रपत्र 79-141

क्रम-संख्या-235 (क-5)

रजि० नं० एल. डब्लू. /एन. पी. 890

लाइसेन्स नं० डब्लू० पी०-41

लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-4, खण्ड (क)

(सामान्य परिनियम नियम)

लखनऊ, सोमवार, 7 सितम्बर, 1998

भाद्रपद 16, 1920 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

परिवहन अनुभाग-4

संख्या 2207/30-4-98/67/89
लखनऊ, दिनांक 7 सितम्बर, 1998

अधिसूचना

सा० प० नि०-61

मोटर यान अधिनियम, 1988 (अधिनियम संख्या 59 सन् 1988) की धारा 28, 38, 65, 95, 96, 107, 111, 138, 176 और 213 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके और इस विषय पर विद्यमान समस्त नियमावलियों का अधिक्रमण करके राज्यपाल उक्त अधिनियम की धारा 212 की उपधारा (1) के अधीन यथा अपेक्षित उत्तर प्रदेश के सरकारी गजट दिनांक 22 अप्रैल, 1995 में प्रकाशित सरकारी अधिसूचना संख्या 659टी/30-4-67-89, दिनांक 21 मार्च, 1995 द्वारा पूर्व प्रकाशन के पश्चात् निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :—

उत्तर प्रदेश मोटर यान नियमावली, 1998

अध्याय-1

प्रारम्भिक

1—संक्षिप्त नाम—यह नियमावली "उत्तर प्रदेश मोटर यान नियमावली, 1998" कही जायगी।

2—परिभाषायें—विषय या प्रसंग में कोई बात प्रतिकूल न होने पर इस नियमावली में—

(एक) "अधिनियम" का तात्पर्य मोटर यान अधिनियम, 1988 (59 सन् 1988) से है,

(दो) "अपर परिवहन आयुक्त" का तात्पर्य राज्य सरकार द्वारा इस रूप में नियुक्त और तैनात अधिकारी से है।

(तीन) ''अनुमोदित अभिकर्ता'' का तात्पर्य मालिक द्वारा उसकी ओर से किसी कार्य या कार्यों को करने के लिये प्राधिकृत और या तो किसी मजिस्ट्रेट या नोटरी अधिनियम, 1952 के अधीन नियुक्त नोटरी पब्लिक की उपस्थिति में मालिक द्वारा निष्पादित किसी लिखत के माध्यम से नियुक्त किसी व्यक्ति से है और इसके अन्तर्गत उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई विधिक व्यवसायी भी सम्मिलित है,

(चार) "मोटर यान निरीक्षक" का तात्पर्य परिवहन आयुक्त द्वारा इस रूप में नियुक्त और किसी संभाग या उप संभाग के मुख्यालय पर सहायक सम्भागीय निरीक्षक के रूप में तैनात व्यक्ति से है।

(पांच) ''सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी'' का तात्पर्य ऐसे अधिकारी से है जो राज्य सरकार द्वारा इस रूप में नियुक्त हों और प्रत्येक सम्भाग या उप सम्भाग के मुख्यालय पर तैनात हो,

(छ) ''सहायक परिवहन आयुक्त'' का तात्पर्य राज्य सरकार द्वारा इस रूप में नियुक्त और लखनऊ में तैनात अधिकारी से है,

(सात) ''केन्द्रीय नियमावली'' का तात्पर्य ''केन्द्रीय मोटर यान नियमावली, 1989'' से है,

(आठ) "उप परिवहन आयुक्त" का तात्पर्य राज्य सरकार द्वारा इस रूप में नियुक्त और तैनात अधिकारी से है। उत्तर प्र

(नौ) ''उप परिवहन आयुक्त परिक्षेत्र'' का तात्पर्य राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक परिक्षेत्र के मुख्यालय पर इस रूप में नियुक्त और तैनात अधिकारी से है,

(दस) ''प्रपत्र एस० आर०'' का तात्पर्य इस नियमावली से संलग्न प्रपत्र से है,

(ग्यारह) ''माल कर अधिकारी'' का तात्पर्य परिवहन आयुक्त द्वारा प्रत्येक सम्भाग या उप सम्भाग के मुख्यालय पर इस रूप में नियुक्त और तैनात अधिकारी से है,

(बारह) ''माल कर अधीक्षक'' का तात्पर्य परिवहन आयुक्त द्वारा इस रूप में नियुक्त व्यक्ति से है,

(तेरह) ''पर्वतीय सड़क'' का तात्पर्य पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, चमोली, उत्तरकाशी और टेहरी गढ़वाल जिलों, देहरादून जिले की चकराता तहसील और नैनीताल और गढ़वाल जिलों के उन भागों, जो काठगोदाम के साथ टनकपुर से पूरब में सीधे उत्तर की तलहटी के आधार में पड़ता है, पश्चिम में रामनगर के भीतर की सड़कों और देहरादून शहर की नगरपालिका सीमा के आगे मंसूरी की ओर की सभी सड़कों से है,

(चौदह) ''अलचीला'' का तात्पर्य मोटर यान के टायर के सम्बन्ध में ऐसे टायर से है जो न तो ''वायवीय'' हो और न ही ''लचीला'' हो,

(पन्द्रह) ''यात्री'' का तात्पर्य किसी सार्वजनिक सेवायान में यात्रा कर रहे व्यक्ति से है, किन्तु इसके अन्तर्गत परिचालक, ड्राइवर या कन्डक्टर या सार्वजनिक सेवायान के परिचालक का कर्मचारी नहीं होगा जो सार्वजनिक सेवायान के सम्बन्ध में वास्तव में अपने कर्त्तव्यों के निर्वहन में यात्रा कर रहा हो,

(सोलह) ''यात्री कर अधिकारी'' का तात्पर्य परिवहन आयुक्त द्वारा प्रत्येक सम्भाग या उप-सम्भाग के मुख्यालय पर इस रूप में नियुक्त और तैनात अधिकारी से है,

(सत्रह) ''यात्री कर अधीक्षक'' का तात्पर्य परिवहन आयुक्त द्वारा इस रूप में नियुक्त व्यक्ति से है,

(अट्ठारह) ''वायवीय टायर'' का तात्पर्य ऐसे टायर से है जिसमें यांत्रिक दबाव द्वारा भरी गयी वायु हो,

(उन्नीस) ''सम्भाग'' का तात्पर्य किसी सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण की क्षेत्रीय अधिकारिता से है जैसा राज्य सरकार द्वारा धारा 68 की उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट है,

(बीस) "ज्येष्ठ मोटर यान निरीक्षक" का तात्पर्य परिवहन आयुक्त द्वारा इस रूप में नियुक्त और किसी संभाग के मुख्यालय पर संभागीय निरीक्षक के रूप में तैनात व्यक्ति से है। प्र प्रकाश

(इक्कीस) ''सम्भागीय परिवहन अधिकारी'' का तात्पर्य सरकार द्वारा परिवहन विभाग के अधीन प्रत्येक सम्भाग के मुख्यालय पर इस रूप में नियुक्त और तैनात अधिकारी से है,

(बाइस) किसी मोटरगाड़ी या ट्रेलर के सम्बन्ध में ''लचीला'' का तात्पर्य ऐसे टायर से है जो भारत-रबर का बना वायवीय प्रकार का न हो,

(तेईस) ''अनुसूची'' का तात्पर्य इस नियमावली से संलग्न अनुसूची से है,

(चौबीस) ''धारा'' का तात्पर्य अधिनियम की धारा से है,

(पच्चीस) ''राज्य सरकार'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार से है,

(छब्बीस) ''उप-सम्भाग'' का तात्पर्य किसी राजस्व जिले की क्षेत्रीय सीमा से है,

(सत्ताइस) ''परिवहन आयुक्त'' का तात्पर्य राज्य सरकार द्वारा इस रूप में नियुक्त अधिकारी से है,

(अट्ठाइस) ''परिक्षेत्र'' का तात्पर्य राज्य सरकार द्वारा यथा विनिर्दिष्ट उप परिवहन आयुक्त परिक्षेत्र की क्षेत्रीय अधि से है।

~~(अ) ''परिक्षेत्र'' का तात्पर्य राज्य सरकार द्वारा यथा विनिर्दिष्ट उप परिवहन आयुक्त परिक्षेत्र की क्षेत्रीय अधिकारिता से है।~~

इस अधिनियम और केन्द्रीय नियमावली में प्रयुक्त और इस नियमावली में अपरिभाषित शब्दों और पदों के वही अर्थ होंगे जो उनके लिये इस अधिनियम और केन्द्रीय नियमावली में दिये गये हैं।

अध्याय—दो

मोटर यानों के ड्राइवरों का अनुज्ञापन

3—अनुज्ञापन प्राधिकारी—सम्भगीय परिवहन अधिकारी या सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी या परिवहन विभाग का ऐसा सम्भागीय निरीक्षक या सहायक सम्भागीय निरीक्षक, जो सम्भागीय परिवहन अधिकारी या सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी द्वारा इस अध्याय के अधीन अनुज्ञापन प्राधिकारी के कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिये, प्राधिकृत किया गया हो, अनुज्ञापन प्राधिकारी होगा।

4—चिकित्सा प्रमाण-पत्र जारी करने के लिये देय फीस—धारा 8 की उपधारा (3) के अधीन चिकित्सा प्रमाण-पत्र जारी करने के लिये देय फीस दस रुपये होगी। यदि ऐसा प्रमाण-पत्र जारी करने के लिये कोई सम्यक् सशक्त डाक्टर किसी विशेषज्ञ से इस प्रयोजन के लिये राय की अपेक्षा करता है और ऐसा प्रमाण-पत्र जारी करने के लिये सशक्त किसी अन्य डाक्टर से राय लेता है तो ऐसे विशेषज्ञ की राय के लिये फीस ऐसे प्रत्येक विशेषज्ञ के लिये दस रुपये अतिरिक्त होगी।

5—अपील प्राधिकारी—धारा 9 की उपधारा (8), धारा 17 की उपधारा (2) और धारा 19 की उपधारा (3) के अधीन-अनुज्ञापन प्राधिकारी के आदेश के विरुद्ध अपील सुनने के लिये सशक्त अधिकारी, सम्बन्धित परिक्षेत्र का उप परिवहन आयुक्त परिक्षेत्र होगा।

6—अपीलों का संचालन और उनकी सुनवाई—(1) अधिनियम के अध्याय दो के अधीन अपील ज्ञापन के रूप में दो प्रतियों में प्रस्तुत की जायेगी, जिसकी एक प्रति पर वापस की जाने वाली पच्चीस रुपये के न्यायिकेतर स्टाम्पों में फीस होगी जिसमें अनुज्ञापन प्राधिकारी के आदेश पर, जिसके विरुद्ध अपील की गई हो, संक्षेप में आपत्ति के आधार दिये जायेंगे और उसके साथ उस आदेश की एक प्रमाणित प्रति होगी।

(2) जब अपील प्रस्तुत की जाय, तब उस प्राधिकारी को, जिसके आदेश के विरुद्ध अपील प्रस्तुत की जाय, को ऐसे प्रपत्र में, जैसा अपील प्राधिकारी निदेश दें, एक नोटिस जारी किया जायेगा।

(3) अपील प्राधिकारी पक्षकारों को सुनवाई का अवसर दिये जाने के पश्चात् और ऐसी अग्रतर जांच के पश्चात् यदि कोई हो, जैसी वह आवश्यक समझता हो, उस आदेश की जिससे अपील की गई है, पुष्टि कर सकता है, उसमें फेरफार कर सकता है या उसे अपास्त कर सकता है और तदनुसार आदेश देगा।

7—चालन अनुज्ञप्तियों के राज्य रजिस्टर का अनुरक्षण—(1) अनुज्ञापन प्राधिकारी प्रत्येक कलेण्डर वर्ष 7 अप्रैल, 7 जुलाई, 7 अक्तूबर और 7 जनवरी को या उससे पूर्व केन्द्रीय नियमावली के प्रपत्र संख्या 10 में तिमाही विवरण, जिसमें पूर्ववर्ती तीन मास की अवधि का ब्यौरा समाविष्ट होगा, राज्य के परिवहन विभाग के ऐसे अधिकारी को भेजेगा, जिसे सरकार के परिवहन विभाग के सचिव द्वारा इस निमित्त समय-समय पर नाम निर्दिष्ट किया जाय।

(2) उप नियम (1) के अधीन नाम-निर्दिष्ट अधिकारी चालन अनुज्ञप्तियों का राज्य रजिस्टर रखेगा और निदेशक, (परिवहन अनुसंधान), भूतल परिवहन मंत्रालय, नई दिल्ली को उस रजिस्टर की एक मुद्रित प्रति भेजेगा या ऐसे अन्य प्रपत्र में जैसा केन्द्र सरकार अपेक्षा करे, प्रति भेजेगा।

8—**अनुज्ञप्तियों का खो जाना या नष्ट हो जाना–प्रक्रिया**—(1) यदि किसी समय किसी चालक-अनुज्ञप्ति, उसके धारक द्वारा खो जाती है या नष्ट हो जाती है तो धारक तत्काल प्रपत्र एस० आर०-1 में लिखित रूप में तथ्यों को उस अनुज्ञापन प्राधिकारी को, जिसके द्वारा अनुज्ञप्ति को जारी या अन्तिम नवीनीकरण किया गया था, सूचित करेगा।

(2) उपर्युक्तानुसार सूचना प्राप्त होने पर अनुज्ञापन प्राधिकारी ऐसी जांच जैसी वह उचित समझे, करने के पश्चात् यदि उसका समाधान हो जाय कि दूसरी प्रति उचित तौर पर जारी की जा सकती है, अनुज्ञप्ति की दूसरी प्रति जारी करेगा और उसकी सूचना उस प्राधिकारी को भेजेगा जिसके द्वारा अनुज्ञप्ति जारी की गई थी या उसका अंतिम नवीकरण किया गया था।

(3) सन्देह होने की दशा में अनुज्ञापन प्राधिकारी आवेदक से एक शपथ-पत्र या एक घोषणा-पत्र दाखिल करने के लिये कह सकता है कि चालन अनुज्ञप्ति, जिसके सम्बन्ध में आवेदन किया गया है, वास्तव में खो गयी है और अधिनियम के अधीन विहित किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा परिबद्ध नहीं की गयी है और यदि आवेदक ऐसा करने में असमर्थ है, तो अनुज्ञापन प्राधिकारी अनुज्ञप्ति की दूसरी प्रति जारी करने से इनकार कर सकता है।

(4) जहां इस नियमावली के उपबन्धों के अधीन जारी किये अनुज्ञप्ति की दूसरी प्रति पर फोटो चिपकाया जाना अपेक्षित है वहां लाइसेंस का धारक अपनी हाल के फोटो की दो स्वच्छ प्रतियां अनुज्ञापन प्राधिकारी को देगा, जिसमें से एक अनुज्ञप्ति की दूसरी प्रति पर चिपका दी जायेगी, अन्य प्रति अनुज्ञप्ति की दूसरी प्रति जारी करने वाले प्राधिकारी द्वारा अभिलेख के लिये रख ली जायेगी,

(5) इस नियम के अधीन जारी की जाने वाली अनुज्ञप्ति की दूसरी प्रति के लिये फीस केन्द्रीय नियमावली के प्रपत्र 6 पर बीस रूपये और प्रपत्र 7 पर पैंतालीस रुपये होगी।

(6) जब अनुज्ञप्ति की दूसरी प्रति इस अभ्यावेदन पर जारी की जाय कि अनुज्ञप्ति खो गई है और बाद में धारक को मूल अनुज्ञप्ति प्राप्त हो जाय तब वह उस अनुज्ञापन प्राधिकारी को दे दी जायेगी जिसने अनुज्ञप्ति की दूसरी प्रति जारी की हो।

(7) अनुज्ञप्ति पाने वाला कोई अन्य व्यक्ति उसे अनुज्ञप्ति के धारक को देगा या उसे निकटतम पुलिस थाने में जमा करेगा।

9—**विरूपित या फटी हुई अनुज्ञप्ति**—(1) यदि किसी समय अनुज्ञापन प्राधिकारी को यह प्रतीत होता है कि किसी व्यक्ति द्वारा धृत चालन अनुज्ञप्ति किसी प्रकार से इतनी फट गयी है या विरूपित हो गयी है, कि उसकी युक्तियुक्त पठनीयता समाप्त हो गई है तो अनुज्ञापन प्राधिकारी अनुज्ञप्ति को परिबद्ध कर सकता है और उसकी दूसरी प्रति जारी कर सकता है।

(2) यदि उपर्युक्तानुसार परिबद्ध की गई अनुज्ञप्ति पर धारक का फोटो चिपकाया जान अपेक्षित हो, तब–

(एक) यदि परिबद्ध की गई अनुज्ञप्ति पर अनुज्ञापन प्राधिकारी की राय में संतोषप्रद और सुविधानुसार लाइसेंस की दूसरी प्रति के लिये अंतरणीय है तब लाइसेंस प्राधिकरी लाइसेंस की दूसरी प्रति के लिये फोटो को अन्तरित कर सकता है, चिपका सकता है और मुहर लगा सकता है,

(दो) यदि अनुज्ञापन प्राधिकारी की राय में उपनियम (1) के उपबन्धों के अधीन परिबद्ध की गई अनुज्ञप्ति पर चिपकाया गया फोटोग्राफ ऐसा नहीं है कि उसे अनुज्ञप्ति की दूसरी प्रति पर स्थानान्तरित किया जा सके, तब अनुज्ञप्ति का धारक अनुज्ञापन प्राधिकारी की मांग पर, अपने हाल के फोटोग्राफ की तीन स्वच्छ प्रतियां देगा जिसमें से एक को अनुज्ञप्ति की दूसरी प्रति पर चिपका दिया जायेगा और उस पर मुहर लगा दी जायेगी, एक प्रति उस प्राधिकारी को अग्रसारित की जायेगी जिसके द्वारा अनुज्ञप्ति जारी की गयी थी और शेष प्रति को अभिलेख के लिये रख लिया जयेगा।

(3) इस नियम के अधीन जारी की गयी अनुज्ञप्ति की दूसरी प्रति के लिये फीस केन्द्रीय नियमावली के प्रपत्र 6 पर बीस रुपये और प्रपत्र 7 पर पैंतालीस रुपये होगी।

10—अनुज्ञप्ति–फोटो का प्रतिस्थापन—(1) यदि किसी समय अनुज्ञापन प्राधिकारी को ऐसा प्रतीत होता है कि अनुज्ञप्ति पर चिपकाया गया फोटो स्पष्टतः धारक के सदृश नहीं रह ता है तो अनुज्ञापन प्राधिकारी धारक से अनुज्ञप्ति को तत्काल अभ्यर्पित करने और स्वयं की हाल के फोटो की तीन स्वच्छ प्रतियां प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकता है और धारक ऐसे समय के भीतर जैसा अनुज्ञापन प्राधिकारी विर्निदिष्ट करें, अनुज्ञापन प्राधिकारी के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होगा और तद्नुसार फोटो प्रतियों को प्रस्तुत करेगा।

(2) यदि धारक उपनियम (1) के अधीन अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा की गई किसी अपेक्षा का अनुपालन करने में असफल रहता है तो अनुज्ञप्ति की विधिमान्यता उक्त अवधि के अवसान से समाप्त हो जायेगी।

(3) उपनियम (1) में यथा उपबन्धित फोटो की प्रतियां प्राप्त होने पर, अनुज्ञापन प्राधिकारी अनुज्ञप्ति से पुरानी फोटो हटा देगा और उस पर नवीन फोटो की एक प्रति चिपकायेगा और उस पर मुहर लगायेगा और आवेदक को अनुज्ञप्ति वापस कर देगा और यदि वह ऐसा अनुज्ञापन प्राधिकारी नहीं है जिसके द्वारा अनुज्ञप्ति दी गई थी या उसका अन्तिम नवीकरण किया गया था, उस प्राधिकारी को फोटो को दूसरी प्रति अग्रसारित करेगा और शेष प्रति अभिलेख के लिये रख लेगा :

परन्तु यदि अनुज्ञप्ति का धारक ऐसा चाहता है तो अनुज्ञापन प्राधिकारी नवीन फोटो चिपकाई गई अनुज्ञप्ति की दूसरी प्रति जारी करेगा और मूल अनुज्ञप्ति को नष्ट कर देगा। ऐसे मामले में, यदि अनुज्ञापन प्राधिकारी ऐसा प्राधिकारी नहीं है जिसके द्वारा अनुज्ञप्ति जारी किया गया था या उसका अन्तिम नवीकरण किया गया था तो वह उस अनुज्ञापन प्राधिकारी को सूचित करेगा जिसने अनुज्ञप्ति जारी की थी या उसका अन्तिम नवीकरण किया था।

(4) जब किसी अनुज्ञप्ति पर नवीन फोटो चिपकाया जाता है तब फोटो के ऊपर चिपकाने के दिनांक को अंकित किया जायेगा।

(5) उपनियम (3) के परन्तुक के अधीन जारी किये गये अनुज्ञप्ति की दूसरी प्रति के लिये फीस केन्द्रीय नियमावली प्रपत्र 6 पर बीस रुपये और प्रपत्र 7 पर पैंतालीस रुपये होगी।

11—अनुज्ञप्ति की दूसरी प्रति जारी किया जाना—(1) जब नियम 8, 9 या 10 के अधीन अनुज्ञप्ति की दूसरी प्रति जारी की जाती है, तब उस पर स्पष्ट रूप से लाल स्याही से "दूसरी प्रति" चिन्हित किया जायेगा और अनुज्ञापन प्राधिकारी की मुहर के साथ दूसरी प्रति के जारी किये जाने का दिनांक चिन्हित किया जायेगा।

(2) यदि अनुज्ञापन प्राधिकारी जो अनुज्ञप्ति की दूसरी प्रति जारी करता है ऐसा प्राधिकारी नहीं है जिसके द्वारा अनुज्ञप्ति जारी की गई थी या उसका अन्तिम नवीकरण किया गया था, तो वह तथ्य से ऐसे प्राधिकारी को सूचित करेगा, जिसने अनुज्ञप्ति जारी की थी या उसका अन्तिम नवीकरण किया था।

12—परिवहन यान के ड्राइवर का बैज—(1) किसी परिवहन यान का ड्राइवर अपने सीने पर बायीं ओर ऐसे प्राधिकारी द्वारा, जिसके द्वारा परिवहन यान चालन का प्राधिकार स्वीकृत किया गया है, जारी किया गया धातु या प्लास्टिक का बैज प्रदर्शित करेगा। ऐसा बैज प्रपत्र एस० आर०—2 में होगा। ऐसे बैज पार जारी करने वाले प्राधिकारी की पहचान संख्या और नाम सहित शब्द "ड्राइवर" उत्कीर्ण किया जायेगा। पर

(2) परिवहन यान का ड्राइवर राज्य में किसी प्राधिकारी द्वारा जारी किये गये ऐसे एक से अधिक बैच धारण नहीं करेगा।

(3) उपर्युक्तानुसार बैज जारी करने के लिये फीस दस रुपये होगी। यदि बैज खो जाता है या नष्ट हो जाता है, तो बैज की दूसरी प्रति बीस रुपये का भुगतान करने पर ऐसे प्राधिकारी द्वारा जारी किया जायेगा, जिसके द्वारा उसे पूर्व में जारी किया गया था। बैज या बैज की दूसरी प्रति जारी करने वाले प्राधिकारी को उसे लौटाने पर ड्राइवर दस रुपये वापस पाने का हकदार होगा।

(4) यदि किसी समय ड्राइवर के लाइसेन्स पर प्राधिकार, जो उसे परिवहन गाड़ी चलाने का पात्र बनाता है, किसी प्राधिकारी द्वारा या किसी न्यायालय द्वारा निलम्बित या प्रतिसंहत कर दिया जाय या समय समाप्त होने पर विधिमान्य न रह जाय तो ड्राइवर उसे यथास्थिति ऐसे निलम्बन, प्रतिसंहरण या समाप्त होने के सात दिन के भीतर उस प्राधिकारी को, जिसके द्वारा बैज जारी किया गया था, अभ्यर्पित कर देगा।

13—बैज का अन्तरण नहीं किया जायेगा—(1) कोई ड्राइवर अपने बैज का किसी अन्य व्यक्ति को अन्तरण नहीं करेगा या उधार नहीं देगा।

(2) ड्राइवर के बैज को पाने वाला कोई व्यक्ति यदि वह उस व्यक्ति को वापस नहीं कर देता है, जिसे वह जानता है कि वही उसका धारक है, तत्काल उस प्राधिकारी को जिसके द्वारा वह जारी किया गया है या उस क्षेत्र के अनुज्ञप्ति प्राधिकारी को, जिसमें वह पाया गया हो, हस्तान्तरित कर देगा या निकटवर्ती पुलिस स्टेशन पर जमा कर देगा।

14—परिवहन यान के ड्राइवर की वर्दी—मोटर कैब से भिन्न परिवहन यान का ड्राइवर निम्नलिखित वर्दी पहनेगा—

(एक) खाकी बुश शर्ट या चार पाकेट फ्लैप के साथ कोट;

(दो) खाकी फुल पैन्ट; और

(तीन) खाकी टोपी या पगड़ी

15—कतिपय व्यक्तियों को चालन अनुज्ञप्ति या सक्षमता परीक्षा फीस से छूट—किसी ऐसे व्यक्ति से, जो ड्राइवर के रूप में सरकारी नियोजन में हो या सरकारी नियोजन में हो और ड्राइवर पद हेतु प्रशिक्षण के लिये चयनित किया हो, चालन अनुज्ञप्ति या सीखने वालों की अनुज्ञप्ति जारी करने या उसका नवीनीकरण करने या चालन हेतु सक्षमता परीक्षा की फीस नहीं ली जायेगी।

16—रोड रोलर के ड्राइवरों को चालन अनुज्ञप्ति से छूट—अधिनियम के अध्याय-दो में अन्तर्विष्ट कोई बात रोड रोलर के ड्राइवर पर लागू नहीं होगी।

17—परिवहन यानों के ड्राइवरों के कर्तव्य, कृत्य और आचरण:—

(1) परिवहन गाड़ी का ड्राइवर—

(एक) जहां तक अपने कर्तव्यों को ध्यान में रखते हुये युक्युिक्त रूप से सम्भव हो सके अधिनियम और तद्धीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों का सम्यक् अनुपालन करने के लिये उत्तरदायी होगा,

(दो) ड्यूटी पर रहते हुये धूम्रपान नहीं करेगा या नशे की स्थिति में या ऐसी सीमा तक औषधि के प्रभाव के अधीन जिससे वह गाड़ी के ऊपर उचित नियंत्रण रखने में असमर्थ हो जाय, गाड़ी नहीं चलायेगा,

(तीन) यात्रियों और आरक्षित यात्रियों के साथ-साथ नागरिक और सुव्यस्थित व्यवहार करेगा,

(चार) ड्यूटी पर रहते हुये साफ वर्दी पहनेगा,

(पांच) यान को जिसमें फर्नीचर और फिटिंग भी है, साफ सुथरा और स्वच्छ दशा में और युक्तियुक्त मरम्मत कराकर रखेगा,

(छः) सीमा शुल्क सिविल और शान्तिपूर्ण रीति से ही मांगेगा अन्यथा नहीं,

(सात) किसी अन्य यान पर चढ़ते हुये या चढ़ने की तैयारी करते हुये किसी व्यक्ति के साथ हस्तक्षेप नहीं करेगा,

(आठ) यान के रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र में विनिर्दिष्ट सीटिंग क्षमता और अनुज्ञा-पत्र की शर्तों में खड़ा होकर ले जाये जाने के लिये अनुज्ञात किसी अतिरिक्त संख्या से अधिक किसी व्यक्ति को परिवहन यान में ले जाने की अनुमति नहीं देगा,

(नौ) यान के रजिष्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र में विनिर्दिष्ट अनुज्ञात भार क्षमता से अधिक परिवहन यान में किसी सामान को ले जाने की अनुमति नहीं देगा,

(दस) उचित और पर्याप्त कारण के सिवाय वैध किराया देने वाले किसी व्यक्ति को ले जाने से या अपनी यान को मांगने पार भाड़े पर उठाने से इंकार नहीं करेगा,

(ग्यारह) जहां यात्रियों के अतिरिक्त माल ले जाया जाता हो वहां यह सुनिश्चित करने के लिये समस्त युक्तियुक्त पूर्वोपाय करेगा कि यात्रियों को माल की उपस्थिति के कारण संकट उत्पन्न न हो या अनुचित रूप से असुविध नहीं हो,

(बारह) उचित और पर्याप्त कारण के सिवाय ऐसे किसी व्यक्ति से, जिसने वैध किराये का भुगतान किया है, यात्रा की समाप्ति से पूर्व गाड़ी से उतरने की अपेक्षा नहीं करेगा,

(तेरह) किसी यात्रा पर अकारण इधर-उधर नहीं घूमेगा या अनावश्यक विलम्ब नहीं करेगा अपितु जितना जल्दी हो सके, गाड़ी से सम्बन्धित समय-सारिणी के अनुसार या जहां ऐसी समय-सारणी न हो, वहां समस्त युक्तियुक्त शीघ्रता के साथ अपने गन्तव्य स्थान की ओर बढ़ेगा,

(चौदह) यांत्रिक व्यवधान के कारण या ड्राइवर के नियंत्रण से परे अन्य कारण से किसी मंजिली गाड़ी के अपने गन्तव्य स्थान की ओर न बढ़ सकने की दशा में, किसी अन्य तद्सदृश गाड़ी में यात्रियों को गन्तव्य स्थान

को ले जाने का प्रबन्ध करेगा पर यदि गाड़ी की असफलता के पश्चात आधे घंटे की अवधि के भीतर ऐसे प्रबन्ध करने में असमर्थ हो, तब मांगने पर प्रत्येक यात्री को यात्रा, जिसके लिये यात्री ने किराया दिया है का समापन करने से सम्बन्धित किराये का एक उचित भाग वापस करेगा,

(पन्द्रह) किसी मंजिली गाड़ी की दशा में कोई वस्तु गाड़ी में नहीं रखवायेगा या ऐसी रीति से रखे जाने की अनुमति नहीं देगा जिससे यात्रियों को प्रवेश करने या बाहर निकलने में बाधा पड़े,

(सोलह) किसी यात्री या भाड़ेदार से माल की ढुलाई के लिये राज्य सरकार द्वारा माल समय-समय पर निर्धारित किराया या भाड़े से अधिक कोई किराया या भाड़ा न तो मांगेगा और न तो स्वीकार करेगा,

(सत्रह) यदि आवश्यक हो तो यान में चढ़ने या उससे उतरने में और अपने सामान को लादने और उतारने में यात्री की सहायता करेगा,

(अट्ठारह) किसी मंजिली गाड़ी की दशा में मंजिली गाड़ी में परिवाद पुस्तक ले जाने के लिये उत्तरदायी होगा,

(उन्नीस) ड्राइवर के सीट के लिये आरक्षित स्थान में किसी व्यक्ति को, पशु या वस्तु को न तो रखने देगा और न रखने की अनुमति देगा जिससे कि सड़क पृष्ठ रूप से दिखायी पड़ने में या यान के समुचित नियंत्रण रखने में रुकावट हो,

(बीस) यात्रियों को आकर्षित करने के लिये जोर की आवाज नहीं लगायेगा।

(इक्कीस) अधिनियम के अधीन बनाये गये और प्रवृत्त ऐसे किन्हीं नियम या विनियम के, जो कतिपय विनिर्दिष्ट स्थानों पर या उनके सिवाय यात्रियों को चढ़ने या उतरने से प्रतिषेध करते हैं, अधीन रहते हुये कण्डक्टर या किसी यात्री की जो यान से उतरना चाहता हो, मांग या सिगनल पर और तब तक यात्री बनने के लिये इच्छुक किसी व्यक्ति की मांग या सिगनल पर, जब तक कि यान में कोई जगह नहीं रह जाती, किसी सुरक्षित और सुविधाजनक स्थिति में पर्याप्त समयावधि के लिये आराम करने के लिये यान को लायेगा, स्थान

(बाईस) किसी ऐसे यान को यात्रियों या माल को संग्रह करने के प्रयोजनार्थ ऐसे सथान पर और ऐसी रीति से, जैसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित की जाय के सिवाय किसी सार्वजनिक स्थान में न खड़ा होने देगा और न इधर-उधर घूमने देगा और न ऐसा करने की उसे अनुमति देगा,

(तेईस) किसी अन्य परिवहन यान के ड्राइवर, कण्डक्टर या अन्य प्रभारी व्यक्ति को उसके कारबार के संव्यवहार करने से न तो सदोष रोकेगा और न रोकने की चेष्टा करेगा,

(चौबीस) ऐसे स्थान पर या उसके निकट जहां कोई अन्य सार्वजनिक सेवा यान उसी प्रयोजन के लिये विश्राम पर हो, किसी यात्री को चढ़ाने या उतारने के प्रयोजनों के लिये जब विश्राम करने के लिये अपनी गाड़ी को ला रहा हो तब वह गाड़ी को इस प्रकार नहीं चलायेगा कि अन्य गाड़ी के ड्राइवर या कण्डक्टर या किसी व्यक्ति, जो उस पर चढ़ रहा हो या चढ़ने की तैयारी कर रहा हो या उसे उतर रहा हो, खतरा, असुविधा या बाधा पहुंचे और अपनी गाड़ी को अन्य गाड़ी के सामने या उसके पीछे और सड़क या स्थान के बायें तरफ विश्राम करने के लिये लायेगा, उससे

(पच्चीस) अपनी गाड़ी को हर समय उपयुक्त और उचित दशा में रखने के लिये समस्त युक्तियुक्त सावधानी और तत्परता बरतेगा और जब गाड़ी या उसका कोई ब्रेक टायर या लैम्प त्रुटि पूर्ण दशा में हो जिससे किसी यात्री या अन्य व्यक्ति पर खतरे की सम्भावना हो या जब गाड़ी की टंकी में पर्याप्त ईंधन न हो जिससे कि वह मार्ग पर अपने पेट्रोल भरने वालो स्टेशन पर पहुंच न सके जानबूझ कर अपनी गाड़ी को नहीं चलायेगा, और

(छब्बीस) माल वाहन का ड्राइवर हिन्दी या अंग्रेजी में प्रपत्र एस० आर० 3 में एक अभिलेख रखेगा और उसका अनुरक्षण करेगा और नियम 227 के उपनियम (1) में उल्लिखित परिवहन विभाग के किसी अधिकारी द्वारा मांग किये जाने पर निरीक्षण के लिये उसे प्रस्तुत करेगा।

(2) मोटर टैक्सी का ड्राइवर उपनियम (1) में उल्लिखित कर्तव्यों के अलावा (एक) युक्तियुक्त कारण के अभाव में उस गन्तव्य स्थान के लिये निम्नतम दूरी वाले जल्दी से जल्दी पहुंचने वाले मार्ग से आगे बढ़ेगा जिसके लिये गाड़ी को किराये पर उठाया गया है, (दो) न तो अपनी टैक्सी को जब वह इस प्रयोजन के लिये नियत स्टैण्ड से भिन्न स्थान पर रुकने के लिये अलग कर दिया गया हो, अपनी गाड़ी को भाड़े पर उठाये जाने के लिये किसी लोक स्ट्रीट, सड़क या स्थान पर इस प्रयोजन के लिये इधर–उधर घुमने की अनुमति देगा।

(3) उपनियम (1) के खण्ड (एक) से (सोलह) में प्रगणित ड्राइवर के कर्तव्यों की सूची के हिन्दी पाठ की एक प्रति प्रत्येक परिवहन यान में किसी सुस्पस्ट स्थान पर लगाई जायेगी।

18—निवास स्थान में परिवर्तन—चालन अनुज्ञप्ति धारी, किसी अस्थायी अनुपस्थिति के मामले के सिवाय, जिसमें तीन मास से अधिक अवधि के लिये निवास स्थान का परिवर्तन अन्तर्ग्रस्त न हो, अनुज्ञप्ति में दिये गये अपने अस्थायी या स्थायी पते में किसी परिवर्तन की रिपोर्ट ऐसे अनुज्ञापन प्राधिकारी को करेगा जिसके द्वारा लाइसेन्स जारी किया गया था या अन्तिम बार नवीकरण किया गया था।

अध्याय–तीन

मंजिली गाड़ियों के कण्डक्टरों का अनुज्ञापन

19—अनुज्ञापन प्राधिकारी—अधिनियम के अध्याय-तीन के अधीन परिवहन विभाग का सम्भागीय परिवहन अधिकारी, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी या ऐसा सम्भागीय निरीक्षक या सहायक सम्भागीय निरीक्षक होगा जैसा कि सम्भागीय परिवहन अधिकारी या सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी द्वारा अनुज्ञापन प्राधिकारी के कर्तव्यों का सम्पादन करने के लिये प्राधिकृत किया गया हो।

20—कण्डक्टर अनुज्ञप्ति दिये जाने के लिए न्यूनतम शैक्षिक अर्हता—कण्डक्टर अनुज्ञप्ति दिये जाने के लिए न्यूनतम शैक्षिक अर्हता हाई स्कूल या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कोई समकक्ष परीक्षा होगी :

परन्तु यह नियम ऐसे व्यक्ति पर प्रवृत्त नहीं होगा जिसने इस नियमावली के प्रवृत्त होने के दिनांक के पूर्व कण्डक्टर अनुज्ञप्ति प्राप्त कर लिया हो।

21—कण्डक्टर अनुज्ञप्ति रखने से छूट के लिए शर्तें–(1) जहाँ किसी आपातकाल में परमिट धारक के लिए उसके मंजिली गाड़ी के लिए अनुज्ञप्ति प्राप्त कण्डक्टर की व्यवस्था करना कठिन हो जाय या जहाँ अनुज्ञप्ति प्राप्त कण्डक्टर जो ड्यूटी पर है अपने नियंत्रण से परे कारणों से अपने कर्तव्यों का सम्पादन नहीं कर सकता है, वहाँ किसी मंजिली गाड़ी का ड्राइवर एक मास से अनधिक अवधि के लिए बिना कण्डक्टर अनुज्ञप्ति के मंजिली गाड़ी के कण्डक्टर के रूप में कार्य कर सकता है।

(2) किसी मंजिली गाड़ी के ड्राइवर से भिन्न कोई व्यक्ति एक मास से अनधिक अवधि के लिए बिना कण्डक्टर अनुज्ञप्ति के कण्डक्टर के रूप में कार्य कर सकता है, यदि–

(एक) वह ऐसा करने के अपने अभिप्राय की सूचना प्रपत्र एस० आर०–4 में उस अनुज्ञापन प्राधिकारी को दे देता है जिसकी अधिकारिता के भीतर कण्डक्टर के रूप में कार्य करने का उसका इरादा हो,

(दो) वह कण्डक्टर अनुज्ञप्ति धारण करने के लिए अनर्ह नहीं है, और

(तीन) वह पूर्व आवसरों पर कुल एक मास से अधिक अवधि के लिए बिना अनुज्ञप्ति के कण्डक्टर के रूप में कार्य नहीं किया हो।

22—कण्डक्टर अनुज्ञप्ति का दिया जाना–(1) कोई व्यक्ति किासी मंजिली गाड़ी के कण्डक्टर के रूप में कार्य नहीं करेगा और कोई नियोजक किसी ऐसे व्यक्ति को इस प्रकार नियोजित नहीं करेगा जब तक कि ऐसा व्यक्ति प्रपत्र एस० आर०–5 में अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा दी गयी कण्डक्टर अनुज्ञप्ति का धारक न हो।

(2) जारी की गयी कण्डक्टर अनुज्ञप्ति जारी किये जाने या नवीनीकरण किये जाने के दिनांक से तीन वर्ष के लिए विधिमान्य रहेगा और सम्पूर्ण राज्य में प्रभावी होगा।

(3) ऐसे किसी अन्य राज्य द्वारा जिसके साथ इस बिन्दु पर पारस्परिक सहमति हुई हो जारी की गई कण्डक्टर अनुज्ञप्ति को इस नियमावली के अधीन विधिमान्य अनुज्ञप्ति समझी जायेगी।

(4) कण्डक्टर अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन-पत्र, प्रपत्र एस० आर०-6 में उस जिले के जिसमें आवेदक निवास करता हो, अनुज्ञापन प्राधिकारी को लिखित रूप में दिया जायेगा।

(5) कण्डक्टर अनुज्ञप्ति के लिए फीस ऐसी होगी, जैसी धारा 30 की उपधारा (5) में विनिर्दिष्ट है।

(6) धारा 30 की उपधारा (3) द्वारा यथा अपेक्षित चिकित्सा प्रमाण-पत्र प्रपत्र एस० आर०-7 में होगी।

23—निवास-स्थान में परिवर्तन—कण्डक्टर अनुज्ञप्तिधारी किसी अस्थायी अनुपस्थिति के मामले के सिवाय जिसमें तीन मास से अधिक अवधि के लिए निवास-स्थान में परिवर्तन अन्तर्ग्रस्त न हो अपने अस्थायी या स्थायी निवास-स्थान के किसी परिवर्तन की रिपोर्ट उस अनुज्ञापन प्राधिकारी को करेगा, जिसके द्वारा अनुज्ञप्ति स्वीकृत की गयी थी या अन्तिम बार उसे नवीकृत किया गया था।

24—कण्डक्टर अनुज्ञप्ति का नवीकरण—(1) कण्डक्टर अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन-पत्र प्रपत्र एस० आर०-8 में दिया जायेगा और इसके साथ कण्डक्टर अनुज्ञप्ति अपने हाल के पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ की तीन स्पष्ट प्रतियां, धारा 30 की उपधारा (3) द्वारा यथाअपेक्षित चिकित्सा प्रमाण-पत्र और धारा 30 की उपधारा (5) द्वारा यथा अपेक्षित फीस होगी और उस क्षेत्र के जिसमें वह साधारणतः निवास करता हो या कारबार करता हो, अधिकारितायुक्त अनुज्ञापन प्राधिकारी को सम्बोधित किया जायेगा।

(2) कण्डक्टर अनुज्ञप्ति को नवीकृत करने वाला अनुज्ञापन प्राधिकारी यदि अनुज्ञप्ति उस प्राधिकारी द्वारा जारी नहीं की गयी थी, प्रपत्र एस० आर०-9 में नवीकरण के तथ्य से उस अनुज्ञापन प्राधिकारी को सूचित करेगा, जिसके द्वारा अनुज्ञप्ति जारी की गयी थी या अन्तिम बार उसे नवीकृत किया गया था।

25—अपील प्राधिकारी—धारा 33 की उपधारा (2) के अधीन और धारा 34 की उपधारा (4) के अधीन अनुज्ञापन प्राधिकारी के आदेश के विरुद्ध अपीलों की सुनवाई करने के लिए सशक्त प्राधिकारी सम्बन्धित परिक्षेत्र का उप परिवहन आयुक्त परिक्षेत्र होगा।

26—अपीलों का संचालन और उनकी सुनवाई—(1) अधिनियम के अध्याय तीन के अधीन कोई अपील ज्ञापन के रूप में दो प्रति में प्रस्तुत की जा सकेगी, जिसकी एक प्रति एक न्यायिकेतर स्टाम्प में पच्चीस रुपये की अवापसी फीस होगी, जिसमें अनुज्ञापन प्राधिकारी के आदेश पर जिसकी अपील की गई हो। आपत्ति के संक्षिप्त आधार दिये जायेंगे और उसके साथ उस आदेश की एक प्रमाणित प्रति होगी।

(2) जब कोई अपील प्रस्तुत की जाय, तब उस प्राधिकारी को जिसके आदेश के विरुद्ध अपील प्रस्तुत की जाय ऐसे प्रस्तुत की जाय ऐसे प्रपत्र में जैसा अपील प्राधिकारी निदेश दे, नोटिस दी जायगी।

(3) अपील प्राधिकारी पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् और ऐसी अग्रेतर जांच के पश्चात् जैसी वह आवश्यक समझे, उस आदेश की जिससे अपील प्रस्तुत की जाय, पुष्टि करेगा, उसमें फेर-फार करेगा या उसे आपास्त करेगा और तद्नुसार आदेश देगा।

(4) सम्भागीय परिवहन प्राधिकारी या सहायक सम्भागीय परिवहन प्राधिकारी अपने स्वविवेक पर अधिनियम के अध्याय 3 के अधीन प्रस्तुत की गयी किसी अपील में हितबद्ध किसी व्यक्ति को अपील से सम्बन्धित किसी दस्तावेज की प्रतियां प्रत्येक दस्तावेज की एक प्रति की पांच रुपये फीस और स्टाम्प अधिनियम के अधीन देय स्टाम्प शुल्क का भुगतान करने पर दे सकेगा।

(5) परिक्षेत्र का उप परिवहन आयुक्त या सम्भागीय परिवहन अधिकारी या सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी अपील में हितबद्ध किसी व्यक्ति को प्रति घन्टे या उसके भाग के लिए दस रुपये की फीस और स्टाम्प अधिनियम के अधीन आवेदन-पत्र पर देय दो रुपये की न्यायालय फीस का भुगतान करने पर ऐसे अपीलों से सम्बन्धित पत्रावलियों का निरीक्षण करने की अनुमति दे सकेगा।

27—अनुज्ञप्ति खो जाने या नष्ट हो जाने पर प्रक्रिया—(1) यदि किसी समय अधिनियम के अध्याय-तीन के उपबन्ध के अधीन जारी की गयी अनुज्ञप्ति धारक द्वारा खो जाय या नष्ट हो जाय तो धारक प्रपत्र एस० आर०–10 में इसे अनुज्ञापन प्राधिकारी को, जिसके द्वारा अनुज्ञप्ति को जारी या अन्तिम नवीनीकरण किया गया था, तथ्यों की सूचना लिखित रूप में देगा।

(2) उपर्युक्तानुसार सूचना की प्राप्ति पर अनुज्ञापन प्राधिकारी ऐसी जांच करने के पश्चात् जैसी वह उचित समझे, यदि उसका समाधान हो जाय कि एक दूसरी प्रति यथोचित रूप से जारी की जा सकती है, दूसरी अनुज्ञप्ति जारी करेगा और उस प्राधिकारी को सूचना देगा, जिसके द्वारा अनुज्ञप्ति जारी की गयी थी या उसे अन्तिम बार नवीकृत किया गया था।

(3) संदेह की स्थिति में अनुज्ञापन प्राधिकारी आवेदक से ऐसा शपथ-पत्र या घोषणा-पत्र दाखिल करने के लिए कि अनुज्ञप्ति जिसके सम्बन्ध में आवेदन-पत्र दिया गया है, वास्तव में खो गयी है, और अधिनियम के अधीन विहित किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा जब्त नहीं की गयी है कह सकता है और यदि आवेदक ऐसा करने में असमर्थ हो तो अनुज्ञापन प्राधिकारी दूसरी अनुज्ञप्ति जारी करने से इन्कार कर सकता है।

(4) जहाँ इस नियमावली के उपबंधों के अधीन जारी की गयी दूसरी अनुज्ञप्ति पर चिपकाये जाने के लिए फोटोग्राफ अपेक्षित हो वहां अनुज्ञप्तिधारी अनुज्ञापन प्राधिकारी को अपने हाल के फोटोग्राफ की दो स्पष्ट प्रतियां देगा, जिनमें से एक द्वितीय अनुज्ञप्ति पर चिपकायी जायेगी, शेष अन्य प्रति दूसरी अनुज्ञप्ति जारी करने वाले प्राधिकारी द्वारा अभिलेख के लिए रख ली जायेगी।

(5) इस नियम के अधीन जारी की गयी दूसरी अनुज्ञप्ति के लिए फीस दस रुपये होगी।

(6) जब कोई दूसरी अनुज्ञप्ति इस अभ्यावेदन पर कि अनुज्ञप्ति खो गयी है जारी की गयी हो और बाद में धारक द्वारा मूल अनुज्ञप्ति पायी जाती है तब उसे उस अनुज्ञापन प्राधिकारी को दे दिया जायेगा जिसने दूसरी अनुज्ञप्ति जारी की थी।

(7) अनुज्ञप्ति पाने वाला कोई अन्य व्यक्ति उसे अनुज्ञप्तिधारी को दे देगा या उसे निकटतम पुलिस थाने पर जमा कर देगा।

28—विरूपित या कटी-फटी अनुज्ञप्ति—(1) यदि अनुज्ञापन प्राधिकारी को किसी समय यह प्रतीत हो कि किसी व्यक्ति द्वारा धृत अनुज्ञप्ति किसी तरह इस प्रकार कट-फट गई या विरूपित हो गयी है कि उसकी युक्तियुक्त सुपाठ्यतः समाप्त हो गई है तो अनुज्ञापन प्राधिकारी अनुज्ञप्ति को जब्त कर सकता है और दूसरी प्रति जारी कर सकता है,

(2) यदि उपर्युक्तानुसार जब्त की गई अनुज्ञप्ति पर धारक का फोटोग्राफ चिपकाया जाना अपेक्षित हो, तो–

[एक] यदि अनुज्ञापन प्राधिकारी की राय में जब्त की गयी अनुज्ञप्ति का फोटोग्राफ सन्तोषजनक हो और उसे दूसरी अनुज्ञप्ति पर सुविधापूर्वक अन्तरिक किया जा सकता हो तो अनुज्ञापन प्राधिकारी दूसरी अनुज्ञप्ति पर फोटोग्राफ को इस प्रकार अन्तरित कर सकता है, चिपका सकता है और उस पर मोहर लगा सकता है, या

[दो] यदि अनुज्ञापन प्राधिकारी की राय में उप नियम (1) के उपबन्धों के अधीन जब्त की गयी अनुज्ञप्ति पर चिपकाया हुआ फोटोग्राफ ऐसा नहीं है कि उसे दूसरी अनुज्ञप्ति पर अन्तरित किया जा सके तो अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा मांग किये जाने पर अनुज्ञप्तिधारी हाल के अपने पासपोर्ट साईज फोटोग्राफ की तीन स्पष्ट प्रतियां प्रस्तुत करेगा जिसमें से एक प्रति दूसरी अनुज्ञप्ति पर चिपकायी जायेगी और उस पर मोहर लगायी जायेगी, एक प्रति उस प्राधिकारी को भेजी जायेगी जिसके द्वारा अनुज्ञप्ति जारी की गयी थी और शेष प्रति दूसरी अनुज्ञप्ति जारी करने वाले प्राधिकारी द्वारा अभिलेख के लिए रख ली जायेगी।

(3) इस नियम के अधीन जारी की गई दूसरी अनुज्ञप्ति के लिए फीस दस रुपया होगी।

29—अनुज्ञप्ति फोटोग्राफ का प्रतिस्थापन—(1) यदि किसी समय अनुज्ञापन प्राधिकारी को यह प्रतीत हो कि अनुज्ञप्ति पर चिपकाया हुआ फोटोग्राफ की धारक से स्पष्ट समानता नहीं रह गई है, तो अनुज्ञापन प्राधिकारी धारक से अनुज्ञप्ति की तुरन्त अभ्यर्पित करने और हाल के अपने पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ की तीन स्पष्ट प्रतियां देने की अपेक्षा कर

सकता है और धारक ऐसे समय के भीतर जैसा अनुज्ञापन प्राधिकारी विनिर्दिष्ट करे, अनुज्ञापन प्राधिकारी के समक्ष स्वयं उपस्थित होगा और तद्नुसार फोटोग्राफ प्रस्तुत करेगा।

(2) यदि धारक अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा उप नियम (1) के अधीन अध्यपेक्षा का अनुपालन करने में विफल रहता है तो अनुज्ञप्ति उक्त अवधि की समाप्ति से विधिमान्य नहीं रह जायेगी।

(3) उपनियम (1) में यथा उपबन्धित फोटोग्राफ की प्रतियां प्राप्त होने पर अनुज्ञापन प्राधिकारी अनुज्ञप्ति से पुराना फोटोग्राफ हटा देगा और नये फोटोग्राफ की एक प्रति उक्त पर चिपकायेगा और मोहर लगा देगा और अनुज्ञप्ति को आवेदक को लौटा देगा और यदि वह ऐसा अनुज्ञापन प्राधिकारी नहीं है जिसके द्वारा लाइसेन्स जारी किया गया था या अन्तिम बार नवीकृत किया गया था तो वह फोटोग्राफ की द्वितीय प्रति उस प्राधिकारी को भेजेगा और उसकी शेष प्रति अपने अभिलेख के लिए रख लेगा:

परन्तु यदि अनुज्ञप्तिधारी ऐसा चाहता है तो अनुज्ञापन प्राधिकारी उस पर चिपकाये गये नये फोटोग्राफ के साथ दूसरी अनुज्ञप्ति जारी करेगा और मूल अनुज्ञप्ति नष्ट कर देगा। ऐसे मामले में यदि अनुज्ञापन प्राधिकारी ऐसा प्राधिकारी नहीं है जिसके द्वारा अनुज्ञप्ति जारी की गयी थी तो वह मूल अनुज्ञापन प्राधिकारी को सूचित करेगा।

(4) उपनियम (3) के परन्तुक के अधीन जारी की गयी दूसरी अनुज्ञप्ति के लिए फीस दस रुपये होगी।

30—अनुज्ञप्ति की दूसरी प्रति जारी करना—जब नियम 27, 28 या 29 के अधीन दूसरी अनुज्ञप्ति जारी की जाय तब उस पर लाल स्याही में स्पष्ट रूप से 'दूसरी प्रति'' चिन्हित किया जायेगा और उस पर अनुज्ञापन प्राधिकारी की मुहर सहित दूसरी प्रति के जारी करने का दिनांक चिन्हित होगा।

(2) यदि अनुज्ञापन प्राधिकारी जो द्वितीय प्रति जारी करता है, ऐसा प्राधिकारी नहीं है जिसके द्वारा अनुज्ञप्ति जारी की गई थी तो वह उस प्राधिकारी को इस तथ्य की सूचना देगा।

31—कण्डक्टर का बैज—(1)–मंजिली गाड़ी का कण्डक्टर अपने सीने के बांयी ओर उस प्राधिकारी द्वारा जिसके द्वारा कण्डक्टर की अनुज्ञप्ति दी गयी हो, जारी किया गया धातु या प्लास्टिक का बैज संप्रदर्शित करेगा। ऐसा बैज प्रपत्र एस० आर०–11 में होगा। ऐसे बैज पर पहचान संख्या के साथ शब्द ''कण्डक्टर'' और अनुज्ञापन प्राधिकारी का नाम उत्कीर्ण होगा। अन्य राज्य द्वारा जिसके साथ इस बिन्दु पर परस्पर सहमति हुई हो जारी किये गये बैज को संप्रदर्शित करने वाले मंजिली गाड़ी के कण्डक्टर को इस नियम के अधीन जारी किया गया बैज संप्रदर्शित करने वाला समझा जायेगा।

(2) कोई कण्डक्टर राज्य में किसी प्राधिकारी द्वारा किया गया ऐसा एक से अधिक बैज धारण नहीं करेगा।

(3) उपर्युक्तानुसार किसी बैज के जारी करने के लिए फीस दस रुपये होगी। यदि बैज खो जाय या नष्ट हो जाय तो दूसरा बैज बीस रुपया देने पर उस प्राधिकारी द्वारा दिया जायेगा जिसने उसे पहले जारी किया था बैज या द्वितीय बैज के जारी करने वाले प्राधिकारी को वापस करने पर कण्डक्टर दस रुपये की वापसी का हकदार होगा।

(4) यदि किसी समय कण्डक्टर अनुज्ञप्ति सक्षम प्राधिकारी द्वारा या किसी न्यायालय द्वारा निलम्बित या रद्द कर दिया जाय या समय बीत जाने के कारण विधिमान्य न रह जाय तो कण्डक्टर ऐसे निलम्बन, रद्दकरण या अवसान के सात दिन के भीतर उस प्राधिकारी को जिसके द्वारा वह जारी किया गया था बैज अभ्यर्पित कर देगा।

32—बैज अन्तरित नहीं किया जायेगा—(1) कोई कण्डक्टर अपना बैज किसी अन्य व्यक्ति को उधार नहीं देगा और न अन्तरित करेगा।

(2) कण्डक्टर का बैज पाने वाला कोई व्यक्ति जब तक कि वह उसे उस व्यक्ति को वापस न करे जिसकी वह धारक के रूप में जानता है, उसे उस प्राधिकारी को जिसके द्वारा वह जारी किया गया था या उस क्षेत्र के अनुज्ञापन प्राधिकारी को भेजेगा, जहाँ वह पाया गया था या उसे निकटतम पुलिस थाने पर जमा करेगा।

33—**कण्डक्टर की वर्दी**—मंजिली गाड़ी का कण्डक्टर निम्नलिखित वर्दी पहनेगा :-

(एक) चार पाकेट क्लैप वाला स्लेटी बुशर्ट या कोट,

(दो) स्लेटी पतलून, और

(तीन) स्लेटी टोपी या पगड़ी।

34—**मंजिली गाड़ी के कण्डक्टर के कर्तव्य, कृत्य और आचरण –**

(1) मंजिली गाड़ी का कण्डक्टर–

[एक] अपने कर्तव्यों को ध्यान में रखते हुए जहां तक युक्तियुक्त रूप से सम्भव हो अधिनियम और तद्धीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों के सम्यक् अनुपालन के लिए उत्तरदायी होगा,

[दो] जब ड्यूटी पर ही धूम्रपान नहीं करेगा या गाड़ी का संचालन नशे की हालत में या ऐसी सीमा तक किसी औषधि के प्रभाव के अधीन रहकर जिससे कि स्वयं पर समुचित नियंत्रण रखना असम्भव हो जाय, नहीं करेगा,

[तीन] यात्रियों या जाने का इरादा रखने वाले यात्रियों के साथ नागरिक और अनुशासित रीति से व्यवहार करेगा,

[चार] ड्यूटी पर स्वच्छ वर्दी पहनेगा,

[पांच] गाड़ी को साफ सुथरी और स्वच्छ रखेगा,

[छः] नागरिक और शान्ति रीति के सिवाय सीमा शुल्क नहीं मांगेगा,

[सात] किसी अन्य गाड़ी में चढ़ने वाले या चढ़ने की तैयारी करने वाले व्यक्तियों के साथ हस्तक्षेप नहीं करेगा,

[आठ] गाड़ी के रजिस्ट्रीकरण के प्रमाण-पत्र में विनिर्दिष्ट बैठने की क्षमता से अधिक किसी मंजिली गाड़ी में ले जाये जाने के लिए किसी व्यक्ति को और किसी अतिरिक्त संख्या को जिसे अनुज्ञा-पत्र के निर्बन्धनों के अधीन खड़ा होकर ले जाने की अनुज्ञा दी गयी है जैसा कि गाड़ी के रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र में विनिर्दिष्ट है, अनुमति नहीं देगा,

[नौ] मंजिली गाड़ी में गाड़ी के रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र में विनिर्दिष्ट अनुज्ञात भार क्षमता से अधिक किसी माल को ले जाने की अनुमति नहीं देगा,

[दस] उचित और पर्याप्त कारणों के सिवाय, विधिक किराया देने वाले किसी व्यक्ति को ले जाने से या अपनी गाड़ी की मांग किये जाने पर किराये पर उठाने से इन्कार नहीं करेगा,

[ग्यारह] जहां गाड़ी में यात्रियों के अतिरिक्त माल ले जाया जाय वहां यह सुनिश्चित करने के लिए पूर्वोपाय करेगा कि माल की उपस्थिति के कारण यात्रियों को कोई खतरा या अनुचित असुविधा न हो,

[बारह] उचित और पर्याप्त कारणों के सिवाय, ऐसे किसी व्यक्ति से जिसने विधिक किराये का भुगतान कर दिया हो उसकी यात्रा की समाप्ति के पूर्व गाड़ी से उतरने की अपेक्षा नहीं करेगा,

[तेरह] इधर-उधर नहीं घूमेगा और न किसी यात्रा में अनुचित विलम्ब करेगा किन्तु अपने गन्तव्य की ओर उतनी निकटता से जितनी गाड़ी से सम्बन्धित समय-सारणी के अनुसार हो सके या जहां ऐसी कोई समय-सारणी न हो, वहां समस्त युक्तियुक्त शीघ्रता से बढ़ेगा,

[चौदह] यांत्रिक खराबी या ड्राइवर या कण्डक्टर के नियंत्रण से परे अन्य कारण से उसके गन्तव्य स्थान की ओर न बढ़ने में असमर्थ हो जाने पर यात्रियों को किसी अन्य तत्सदृश गाड़ी में ले जाने का प्रबन्ध करेगा या यदि गाड़ी की असफलता के पश्चात् आधे घंटे की अवधि के भीतर ऐसा प्रबन्ध करने में असमर्थ हो तो मांग किये जाने पर प्रत्येक यात्री को असमाप्त यात्रा, जिसके लिए यात्री ने किराये का भुगतान कर दिया है, सम्बन्धित किराये के समुचित भाग को वापस करेगा,

[पन्द्रह] गाड़ी में ऐसी रीति से जिससे यात्रियों को प्रवेश करने या बाहर निकलने में रुकावट पैदा हो, किसी चीज को नहीं रखवायेगा या रखे जाने की अनुमति नहीं देगा,

[सोलह] माल की ढुलाई के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा किराये या भाड़े से भिन्न किसी यात्री या भाड़े पर लेने वाले से कोई किराया या भाड़ा नहीं मांगेगा और न उसे स्वीकार करेगा,

[सत्रह] जहां आवश्यक हो यात्रियों को गाड़ी में प्रवेश करने या उसे छोड़ने और उनके सामान को चढ़ाने या उतारने में सहायता करेगा। माल चढ़ाते समय कण्डक्टर ऊपर जायेगा और यात्री या उसका अभिकर्ता अपने सामान को जिसे गाड़ी के शीर्ष पर कण्डक्टर द्वारा समुचित रूप से रखा जायेगा, ऊपर उठायेगा, उतारते समय कण्डक्टर यात्री या उसके अभिकर्ता के लिए सामान नीचे करेगा जो जमीन पर खड़े होकर उसको उससे ले लेगा,

[अट्ठारह] ड्राइवर द्वारा कर्मी रहित रेलवे क्रासिंग पर गाड़ी को रोके जाने के पश्चात् वहां उतरेगा और यह सुनिश्चित करने के पश्चात् कि कोई रेलगाड़ी (ट्रेन) या अन्य रेलगाड़ी (वेहिकिल) रेलवे ट्रैक पर नहीं आ रही है, ड्राइवर को उसे पार करने के लिये संकेत देगा,

[उन्नीस] यात्री गाड़ी में परिवाद पुस्तक ले जाने के लिए उत्तरदायी होगा;

[बीस] ड्राइवर के सीट के लिए आरक्षित स्थान में किसी व्यक्ति, पशु या चीज को न रखवायेगा और न वहां उनके होने की अनुमति देगा जिसके कारण गाड़ी के समुचित नियंत्रण के लिए सड़क की स्पष्ट दृष्टि रखने में उसको रुकावट हो,

[इक्कीस] ऐसे किसी प्रवृत्त नियम या विनियम के अधीन रहते हुए जो यात्रियों को कतिपय विनिर्दिष्ट स्थान पर या उसके सिवाय चढ़ाने या उतारने से निषेध करता हो, गाड़ी से उतरने की इच्छा करने वाले किसी यात्री की दशा में और जब तक गाड़ी में स्थान का अभाव न हो, यात्री बनने के लिए इच्छुक किसी व्यक्ति की मांग या संकेत पर पर्याप्त समयावधि तक विश्राम करने के लिए गाड़ी को लाने के लिए ड्राइवर को संकेत देगा,

[बाईस] किसी ऐसी गाड़ी को सक्षम प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित स्थान और रीति को छोड़कर किसी सार्वजनिक स्थान पर यात्रियों को एकत्र करने के प्रयोजनार्थ न तो खड़ा करायेगा और न इधर-उधर घुमायेगा और न उसको ऐसा करने की अनुमति देगा,

[तेईस] ड्राइवर, कण्डक्टर या किसी अन्य सार्वजनिक सेवायान के प्रभारी व्यक्ति को अपने कारबार के साथ एक साव्यवहार में सदोष न तो रोकेगा और न रोकने का प्रयास करेगा,

[चौबीस] जब तक गाड़ी की अधिकतम यात्री क्षमता पूरी नहीं हो जाती किसी यात्री द्वारा विधिक किराये के भुगतान पर शीघ्र टिकट जारी करेगा,

[पच्चीस] किसी यात्रा के पूर्ण होने पर किसी यात्रा द्वारा छूट गयी किसी वस्तु के लिए गाड़ी में युक्तियुक्त तलाशी करेगा और इस प्रकार पायी गयी किसी वस्तु को अपनी अभिरक्षा में लेगा और प्रथम युक्तियुक्त अवसर पर अधिक से अधिक 24 घण्टे के भीतर उसे गाड़ी के अनुज्ञा पत्रधारी के किसी कार्यालय या स्टेशन पर किसी उत्तरदायी व्यक्ति को या किसी पुलिस थाने पर किसी प्राधिकारी को सौंप देगा और उसी तरह किसी अन्य व्यक्ति द्वारा इस प्रकार पायी गयी किसी वस्तु को अपनी अभिरक्षा में लेगा और उसका निस्तारण करेगा,

[छब्बीस] ड्राइवर की सहायता करेगा और पीछे से आने वाली अन्य मोटर यानों पर दृष्टि रखेगा और ड्राइवर को उनके पहुंचने का संकेत देगा,

[सत्ताईस] जब यह ड्यूटी पर हो यान का प्रयोग अविधिमान्य या अनैतिक प्रयोजनों के लिए किये जाने की अनुमति नहीं देगा,

[अट्ठाइस] जब इंजन गति में हो ईंधन की टंकी में कोई ईंधन उड़ेलने की अनुज्ञा नहीं देगा,

[उन्तीस] यान के दुर्घटनाग्रस्त हो जाने पर घायल व्यक्तियों की सहायता करने का और निकटतम पुलिस थाने को तुरन्त सूचना देने का युक्तियुक्त प्रयास करेगा,

[तीस] शिशुओं, विकलांगों, गर्भवती महिलाओं, वृद्धवय यात्रियों और गोद में बच्चा लिये हुये महिलाओं को गाड़ी में चढ़ने या उससे उतरने में सहायता करेगा,

[इक्तीस] जब ड्राइवर यान को पीछे कर रहा हो तब यान से उतर जायेगा और यान के ट्रैक में अन्य मोटर गाड़ियों या किसी अन्य बाधा पर दृष्टि रखेगा और ड्राइवर को प्रभावी संकेत देगा,

[बत्तीस] यान में किसी विस्फोटक या खतरनाक ज्वलनशील पदार्थों को ले जाने की अनुमति नहीं देगा

[तैंतीस] सामान गलत जगह ले जाए जाने या उसके खो जाने को रोकने के लिए सभी युक्तियुक्त एहतियात बरतेगा,

[चौंतीस] किसी ऐसे व्यक्ति को, जिसे यह जानता हो या उसे विश्वास करने का कारण हो कि वह संक्रामक या सांसर्गिक रोग से पीड़ित है यान में प्रविष्ट नहीं होने देगा या प्रवेश करने की अनुमति नहीं देगा,

[पैंतीस] किसी यात्री को आकर्षित करने के लिए जोर की आवाज नहीं लगायेगा।

(2) उपर्युक्त उपनियम (1) के खण्ड [एक से पैंतीस] में प्रमाणित कण्डक्टर कर्तव्यों की सूची के हिन्दी रूपान्तर की एक प्रति प्रत्येक मंजिली गाड़ी में किसी सुस्पष्ट स्थान पर लगायी जायेगी।

अध्याय-चार

मोटर यानों का रजिस्ट्रीकरण

35—अपील प्राधिकारी— (1) धारा 57 के अधीन अपीलों की सुनवाई के लिए प्राधिकारी सम्बन्धित परिक्षेत्र का उप परिवहन आयुक्त परिक्षेत्र होगा।

(2) परिवहन आयुक्त या परिवहन आयुक्त द्वारा इस निमित्त सशक्त अपर परिवहन आयुक्त किसी पक्षकार के आवेदन पर किसी अपील को एक अपील प्राधिकारी से दूसरे अपील प्राधिकारी को स्थानान्तरित कर सकता है।

36—अपीलों का संचालन और सुनवाई—(1) धारा 57 के अधीन अपील ज्ञापन के रूप में दो प्रति में प्रस्तुत की जायेगी, जिसमें से एक प्रति पर न्यायिकेतर स्टाम्पों के रूप में पच्चीस रुपये की फीस होगी, जिसमें रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी के अपीलित आदेश के प्रति आपत्ति के आधार दिये जायेंगे और उसके साथ उस आदेश की एक प्रमाणित प्रति होगी।

(2) जब कोई अपील प्रस्तुत की जाय, तब रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी को ऐसे प्रपत्र में जैसा अपील प्राधिकारी निदेश दे, एक नोटिस दी जायेगी।

(3) अपील प्राधिकारी पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् और ऐसे अग्रतर जांच यदि कोई हो, के पश्चात् जैसी वह उचित समझे रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी के आदेश की पुष्टि कर सकता है, उसमें फेरफार कर सकता है या उसको अपास्त कर सकता है।

(4) अधिनियम के उपबन्धों के अधीन अपील प्रस्तुत करने वाला कोई व्यक्ति ऐसे किसी आदेश के सम्बन्ध में जिसके विरुद्ध उसने अपील प्रस्तुत किया है, रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी के पास दाखिल किये गये किसी दस्तावेज की प्रति प्रत्येक ऐसे दस्तावेज के सम्बन्ध में पांच रुपये की फीस का भुगतान करने पर प्राप्त करने का हकदार होगा।

(5) उपनियम (4) के उपबन्धों के अधीन रहते हुये, अपील प्राधिकारी या रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी, स्वविवेकानुसार, अधिनियम के अध्याय चार के अधीन प्रस्तुत किसी अपील में हितबद्ध किसी व्यक्ति को अपील से सम्बन्धित किसी दस्तावेज की प्रतियां प्रत्येक दस्तावेज की एक प्रति के लिये पांच रुपये का भुगतान करने पर दे सकता है।

(6) अपील प्राधिकारी या रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी अपील में हितबद्ध किसी व्यक्ति को प्रति घंटा या उसके भाग के लिये दस रुपये का भुगतान करने पर ऐसी अपील से सम्बन्धित पत्रावली का निरीक्षण करने की अनुमति दे सकता है।

37—रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी—(1) रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी सम्भागीय परिवहन अधिकारी या सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी या परिवहन विभाग का ऐसा सम्भागीय निरीक्षक या सहायक सम्भागीय निरीक्षक होगा जैसा सम्भागीय परिवहन अधिकारी या सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी द्वारा अधिनियम और तद्धीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों के अधीन रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी के कर्तव्यों का सम्पादन करने के लिये प्राधिकृत किया जाय।

(2) विशेष रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी—राज्य सरकार सरकारी गजट में अधिसूचित आदेश द्वारा नये मोटर यानों के निर्माण या विक्रय में लगे हुये व्यक्तियों में से किसी को ऐसे नये मोटर यानों के सम्बन्ध में जो बेची गयी हो और मोटर योनों के निर्माण या विक्रय में लगी फर्मों द्वारा नियुक्त कर दी गयी हों और शीघ्र रजिस्ट्रीकरण पर फर्म की परिसर के बाहर किसी स्थान पर जा रही है रजिस्ट्रीकरण का अस्थायी प्रमाण-पत्र और अस्थायी चिन्ह जारी करने के लिये धारा 42 की उपधारा (1) के अधीन विहित प्राधिकारी के रूप में कार्य करने के लिये विशेष रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी नियुक्त कर सकती है।

38—परिवहन यानों पर पेन्ट की जाने वाली विशिष्टियां :—(1) मोटर टैक्सी से भिन्न किसी परिवहन यान के सम्बन्ध में निम्नलिखित विशिष्टियां ऐसे यान के बांयी ओर प्रदर्शित की जायेंगी :–

(एक) रजिस्ट्रीकृत स्वामी का नाम और पता ....

(दो) यान की लदान रहित भार ...... किलोग्राम/यू०एल०डब्ल्यू० से सूचित,

(तीन) यान का सकल यान भार ...... किलोग्राम/जी०बी०डब्ल्यू० द्वारा सूचित,

(चार) यात्रियों की संख्या जिनके लिये स्थान की व्यवस्था है ...... यात्रियों से सूचित,

(पांच) रजिस्ट्रीकृत अग्र धुरी भार ...... किलोग्राम/एफ०ए०डब्ल्यू० से सूचित,

(छः) प्रत्येक मध्यवर्ती धुरी यदि कोई हो का रजिस्ट्रीकृत धुरी भार ...... किलोग्राम/एम०ए०डब्ल्यू० से सूचित,

(सात) टायरों की संख्या, प्रकार और आकार :—

(1) अग्र धुरी ...... संख्या से सूचित,

(2) पिछली धुरी ...... संख्या से सूचित,

(3) मध्यवर्ती धुरी ...... संख्या से सूचित,

(आठ) अधिकतम गति जिस पर यान को सम्बद्ध ट्रेलर के बिना चलाया जा सकता है......

परन्तु यह कि रजिस्ट्रीकृत स्वामी का नाम और पता ऐसे यान के दाहिनी ओर भी प्रदर्शित किया जायेगा।

(2) उप नियम (1) में विनिर्दिष्ट विशिष्टियाँ देवनागरी लिपि में हिन्दी या अंग्रेजी में अन्तर्राष्ट्रीय अंकों के साथ दी जायेगी, प्रत्येक को मिली मीटर ऊँची होगी, सादे सतह पर या यान से चिप्रकाये गये प्लेट पर स्पष्टतः पेंन्ट की गई होगी।

(3) इसके अतिरिक्त उन मार्गों की विशिष्टियाँ जिस पर मंजिली गाड़ी चलने के लिये प्राधिकृत हो अनुज्ञापन संख्या और उसकी विधि मान्यता स्पष्ट रूप से हिन्दी में देवनागरी लिपि में संप्रदर्शित की जायेगी, छत के स्तर पर गाड़ी के सामने लगाये गये किसी पट्ट या प्लेट पर सफेद भूमि पर काले से कम से कम दस मिली मीटर ऊँचा करेक्टर होंगे।

(4) धारा 60 के अधीन रजिस्ट्रीकृत यानों को उपनियम (1) के खण्ड (एक), (चार) और (आठ) में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों को सम्प्रदर्शित करने की आवश्यता नहीं होगी।

39—ठीक हालत में होने का प्रमाण-पत्र स्वीकृत और जारी करना:—(1) धारा 56 के प्रयोजनार्थ, विहित प्राधिकारी रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी होगा। ठीक हालत में होने का प्रमाण-पत्र जारी करने के लिये आवेदन-पत्र प्रपत्र एस० आर० 12 में रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी या ऐसे प्राधिकृत परीक्षण केन्द्र को जिसके कार्यक्षेत्र में यान रखा जाता हो या जिसके कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत उस मार्ग या क्षेत्र का जिस पर यान से सम्बन्धित परमिट का विस्तार हो, प्रमुख भाग भी है, किया जायेगा।

(2) रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी या प्राधिकृत परीक्षण केन्द्र जिसके द्वारा ठीक हालत में होने का प्रमाण-पत्र जारी किया गया था उस पर यान के अगले निरीक्षण के लिए दिनांक पृष्ठांकित कर सकता है और तद्नुसार स्वामी यान को निरीक्षण के लिए प्रस्तुत करायेगा।

(3) यदि उप नियम (2) में यथा व्यवस्थित प्रमाण-पत्र पृष्ठांकित नहीं किया गया है तो स्वामी प्रमाण-पत्र की समाप्ति के कम से कम एक माह के भीतर प्रपत्र एस० आर० 13 में आवेदन-पत्र देगा और ऐसे दिनांक को और ऐसे समय और स्थान पर जैसा रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी तत्पश्चात् युक्तियुक्त नोटिस पर नियत करे, यान को निरीक्षण के लिए प्रस्तुत करायेगा।

(4) यदि स्वामी उप नियम (2) के अधीन नियत दिनांक को या उप नियम (3) के अधीन नियत दिनांक समय और स्थान पर यान को प्रस्तुत करने में विफल रहता है तो वह सेन्ट्रल रूल्स के नियम 81 के सारणी के क्रम-संख्या 11 पर विनिर्दिष्ट फीस की धनराशि और उसके बराबर अतिरिक्त धनराशि का भुगतान करने का दायी होगा।

(5) किसी यान के सम्बन्ध में ठीक हालत में होने का प्रमाण-पत्र एक से अधिक नहीं होगा।

(6) यदि कोई यान ठीक हालत में होने का प्रमाण-पत्र की समाप्ति के पश्चात् यांत्रिक खराबी या अन्य कारण से ऐसे रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी के जिसके द्वारा ठीक हालत में होने का प्रमाण-पत्र जारी किया जाना हो, कार्य क्षेत्र के बाहर हो तो रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी किसी शास्ति के, जिसके लिए स्वामी या ड्राइवर दायी होता, प्रतिकूल होते हुए भी यदि उसकी राय में यान प्रयोग के लिए ठीक हालत में है, प्रपत्र एस० आर० 14 में पृष्ठांकन द्वारा और ऐसी शर्तों के, जैसी वह विनिर्दिष्ट करे, अधीन रहते हुए ऐसे समय के लिए उसका प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत कर सकता है जैसा ऐसे रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी के, जिसके द्वारा ठीक हालत में होने का प्रमाण-पत्र जारी किया जाना हो, क्षेत्र में लौटने के लिए यान के लिए युक्तियुक्त रूप से आवश्यक हो और यान को ऐसे पृष्ठांकन के अनुसार ऐसे क्षेत्र में चलाकर ले जाया जायेगा, किन्तु उस क्षेत्र को लौटने के पश्चात् उसका तब तक उपयोग नहीं किया जायेगा जब तक ठीक हालत में होने का प्रमा पत्र जारी नहीं कर दिया जाता है:

> परन्तु यह कि इस उप नियम के अधीन कोई प्राधिकृत परीक्षण केन्द्र, जो ऐसे अधिकारिता क्षेत्र के, जिसमें स्वामी ठीक हालत में होने का प्रमाण-पत्र प्राप्त करता, बाहर स्थित हो, किसी यान को ऐसा प्राधिकार जारी नहीं करेगा।

(7) यदि कोई यान किसी समय इतना क्षतिग्रस्त हो जाय कि वह साधारण प्रयोग के लिए अनुपयुक्त हो जाय और किसी रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी की राय में मरम्मत के किसी स्थान पर घटायी गई गति पर निरापद रूप से ले जायी जा सकती हो और यदि रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी का यह समाधान हो जाय कि यह आवश्यक है कि यान को इस प्रकार चलाया जाय, तो कोई रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी प्रपत्र एस० आर० 15 में पृष्ठांकन द्वारा उस समय को, जिसके भीतर और ऐसी शर्तों के, जिसके अन्तर्गत गति की सीमा भी है, अधीन यान की मरम्मत के प्रयोजनार्थ किसी विनिर्दिष्ट गन्तव्य स्थान पर चलाया जा सकता है, विनिर्दिष्ट कर सकता है।

(8) जहां धारा 56 की उपधारा (4) के अधीन कोई विहित प्राधिकारी ठीक हालत में होने का प्रमाण-पत्र रद्द करता है तो—

(क) यान के स्वामी या अन्य प्रभारी व्यक्ति को ऐसे रद्द करने के कारणों को लिखित रूप में देगा,

(ख) उक्त स्वामी या व्यक्ति को प्रपत्र एस० आर० 16 में मोटर यान के निराकरण के लिये समय विनिर्दिष्ट करते हुए एक अस्थायी प्राधिकार और शर्तें जिनके अधीन यान को मरम्मत के प्रयोजन के लिए विनिर्दिष्ट गंतव्य स्थान को चलाया जा सकता है, जारी करेगा।

40—अन्य समयों पर निरीक्षण—रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी अपना समाधान करने के लिए कि अधिनियम के अध्याय सात और आठ के उपबन्धों का पालन किया जा रहा है, किसी समय किसी मोटर यान के स्वामी या प्रभारी व्यक्ति से उक्त यान को अपने समक्ष या इस प्रयोजन के लिए उसके द्वारा नियुक्त प्राधिकारी के समक्ष ऐसे समय और स्थान पर जैसा वह सामान्य या विशेष आदेश द्वारा निदेश दे, प्रस्तुत करने का निदेश दे सकता है और ऐसे किसी मोटर यान का स्वामी या प्रभारी व्यक्ति ऐसे निदेश का पालन करेगा और रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी या उसके द्वारा नियुक्त किसी अधिकारी को उक्त यान का निरीक्षण करने के लिए पूर्ण सुविधाओं की अनुमति देगा।

41—अस्थायी रजिस्ट्रीकरण—(1) अधिनियम की धारा 43 और इस नियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए कोई रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी या विशेष रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी रजिस्ट्रीकरण का अस्थायी प्रमाण-पत्र जारी कर सकता है।

(2) अस्थायी रजिस्ट्रीकरण के लिए प्रपत्र एस० आर० 17 में आवेदन-पत्र जिसमें स्पष्ट रूप से "अस्थायी" चिन्हांकित किया जायेगा, सम्बन्धित प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।

(3) रजिस्ट्रीकरण का अस्थायी प्रमाण-पत्र प्रपत्र एस० आर० 18 में जारी किया जायेगा।

(4) रजिस्ट्रीकरण का अस्थायी प्रमाण-पत्र देने वाला प्राधिकारी समस्त मामलों में प्रपत्र एस० आर० 18 की एक प्रति ऐसे रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी को अग्रसारित करेगा जिसके क्षेत्र में गाड़ी साधारण रूप से रखी जायेगी:

> परन्तु यह कि जहां रजिस्ट्रीकरण का अस्थायी प्रमाण-पत्र किसी विशेष रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी द्वारा दिया जाय, वहां प्रपत्र एस० आर० 17 की एक प्रति उस प्राधिकारी द्वारा उस रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी को भी अग्रसारित की जायेगी जिसके क्षेत्र में उसका मोटर यानों के निर्माण या विक्रय का स्थान हो:

परन्तु यह और कि विशेष रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी का अस्थायी रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र जारी करने के प्रयोजनार्थ रखे गये अभिलेख राज्य के परिवहन विभाग के किसी अधिकारी द्वारा, जो सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी की श्रेणी से निम्न न हो, सभी युक्तियुक्त समय निरीक्षण के लिए सुलभ रहेंगे।

(5) अस्थायी रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र जारी करने वाला प्राधिकारी यान की अस्थायी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह देगा।

(6) उप नियम (5) के अधीन दिया जाने वाला अस्थायी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह में प्रथम अनुसूची में रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी को आवंटित वर्ण, उसके बाद आवंटित संख्या और अक्षर "टी" होंगे।

42—ठीक हालत में होने का कटा-फटा या विरूपित प्रमाण-पत्र—यदि किसी समय रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी को यह प्रतीत हो कि उसके द्वारा या प्राधिकृत परीक्षण केन्द्र द्वारा जारी किया गया ठीक हालत में होने का प्रमाण-पत्र इस प्रकार कट-फट गया है या विरूपित हो गया है कि उसकी युक्तियुक्त पठनीयता समाप्त हो गई है तो वह ऐसे प्रमाण-पत्र को जब्त कर सकता है और प्रमाण-पत्र से आच्छादित यान के स्वामी को यह निदेश देगा कि वह ठीक हालत में होने का प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए आवेदन करें।

43—ठीक हालत में होने का प्रमाण-पत्र का खो जाना या नष्ट हो जाना—(1) यदि किसी समय ठीक हालत में होने का प्रमाण-पत्र खो जाय या नष्ट हो जाय तो स्वामी तुरन्त ऐसे रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी को जिसके द्वारा या प्राधिकृत परीक्षण केन्द्र को जिसके द्वारा ठीक हालत में होने का प्रमाण-पत्र जारी किया गया था, ठीक हालत में होने का दूसरा प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए तथ्य की लिखित सूचना देगा। ऐसा आवेदन-पत्र प्राप्त होने पर यथास्थिति रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी या प्राधिकृत परीक्षण केन्द्र ऐसी जांच के पश्चात् जैसी वह उचित समझें, ठीक हालत में होने का दूसरा प्रमाण-पत्र जारी कर सकता है।

(2) ठीक हालत में होने का दूसरा प्रमाण-पत्र के लिए आवेदन-पत्र के साथ पचास रुपये की फीस होगी।

44—विलम्ब से दी गई सूचना के लिये शमन फीस—किसी कार्यवाही के बदले, जो धारा 41 की उपधारा (13) के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए या रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण के लिए या धारा 47 की उपधारा (7) के अधीन नया रजिस्ट्रीकरण चिन्ह देने के लिये या धारा 49 की उपधारा (4) के अधीन नया पता अभिलिखित कराने के लिए या धारा 50 की उपधारा (5) के अधीन यान के स्वामित्व का अन्तरण अभिलिखित कराने के लिए आवेदन-पत्र के प्रस्तुतीकरण में विलम्ब के लिए की जाय, प्रत्येक सप्ताह या उसके भाग के लिए प्रशमन फीस निम्नलिखित होगी –

(1) अशक्त गाड़ी के सम्बन्ध में एक रुपया।

(2) मोटर साइकिल के सम्बन्ध में पांच रुपया।

(3) परिवहन यान से भिन्न किसी मोटर यान के सम्बन्ध में अशक्त गाड़ी या मोटर साइकिल को छोड़कर पच्चीस रुपया।

(4) परिवहन गाड़ी के सम्बन्ध में पचास रुपया :

परन्तु यह कि शमन फीस की धनराशि किसी भी दशा में सौ रुपये से अधिक नहीं होगी।

45—रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण-पत्र को निलम्बित करने के लिए सशक्त प्राधिकारी—रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी या परिवहन विभाग का कोई अधिकारी जो उप परिवहन आयुक्त (परिक्षेत्र) को छोड़कर यात्री/माल कर अधिकारी की श्रेणी से निम्न न हो, धारा 53 के अधीन किसी मोटर यान के रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र को निलम्बित कर सकता है।

46—उत्तर प्रदेश के भीतर रजिस्टर न किये गये यानों के सम्बन्ध में सूचना—(1) धारा 47 की उपधारा (4) के अधीन अपेक्षाओं के अतिरिक्त जब कोई मोटर यान जो उत्तर प्रदेश में रजिस्टर्ड न हो, तीस दिन से अधिक अवधि के लिए राज्य के भीतर रखा गया हो, तब यान का स्वामी या अन्य प्रभारी व्यक्ति यान के रजिस्ट्रीकरण के प्रमाण-पत्र के साथ उस क्षेत्र के जिसमें मोटर यान रिपोर्ट करने के समय हो, रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी को निम्नलिखित की सूचना देगा —

(एक) अपना नाम और स्थायी पता और तत्समय का अपना पता,

(दो) यान का रजिस्ट्रीकरण चिन्ह,

(तीन) यान का मेक और ब्यौरा, और

(चार) परिवहन यान की दशा में उत्तर प्रदेश के भीतर उस प्राधिकारी का नाम जिसके द्वारा परमिट जारी की गयी हो या प्रतिहस्ताक्षर किया गया हो :

परन्तु यह है कि उत्तर प्रदेश में विधिमान्यता रखने वाली परमिट से आच्छादित परिवहन यान की दशा में, इस उपनियम के अधीन प्रथम अवसर पर रिपोर्ट करना जब रिपोर्ट अपेक्षित (ड्यू) हो, आवश्यक होगा।

(2) उपनियम (1) के अधीन सूचना की प्राप्ति पर रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी ऐसा सत्यापन करने के पश्चात् जैसा वह उचित समझें, यान के रजिस्ट्रीकरण की विशिष्टियां ऐसे रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी को सूचित करेगा जिसके द्वारा यान को पिछली बार रजिस्ट्रीकृत किया गया था।

(3) इस नियम की कोई बात धारा 60 के अधीन रजिस्टर किये गये मोटर यान पर या नियम 47 के उपबन्धों के अधीन रजिस्ट्रीकरण से छूट प्राप्त मोटर यान पर लागू नहीं होगी।

47—ऐसे यानों को छूट जो विनिर्माताओं या व्यवहारियों के कब्जे में हो—किसी ऐसे मोटर यान पर जो मोटर यानों के किसी व्यवहारी के, उसके कारबार के दौरान, कब्जे में हो, धारा 39 तब तक लागू नहीं होगी जब तक कि वह किसी ऐसे रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी द्वारा जिसके क्षेत्र के भीतर व्यवहारी का अपना कारबार हो, दिये गये व्यापार प्रमाण-पत्र के प्राधिकार के अधीन प्रयोग में लाया जाय, और उसका प्रयोग केन्द्रीय नियमावली के नियम 41 में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिये किया जाय।

48—राज्य मोटर यान सम्बन्धी रजिस्टरों का रखा जाना— (1) रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी ऐसे प्रपत्र में जैसा केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित किया जाय, राज्य मोटर यान सम्बन्धी रजिस्टर रखेगा।

(2) यह रजिस्टर या तो जिल्दबन्द पुस्तक के रूप में या कम्प्यूटर डिस्क या टेप पर हो सकता है।

(3) जैसे ही यान रजिस्ट्रीकृत हो जाय, आवश्यक प्रविष्टियां लेकर उन्हें राज्य मोटर यान से सम्बन्धित रजिस्टर में दर्ज किया जायेगा।

(4) राज्य मोटर यान सम्बन्धी रजिस्टर यान के वर्ग के अनुसार रखा जायेगा अर्थात् परिवहन या गैर परिवहन और यदि सभी प्रकार के यानों का रजिस्ट्रीकरण भारी संख्या में हो तो यानों के विस्तृत वर्गीकरण के अनुसार अर्थात् दुपहिया, कार मालवाहन, ट्रैक्टर आदि के अनुसार, जैसा रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी द्वारा विनिश्चित किया जाय।

49—रोड रोलरों आदि को छूट—सभी रोड रोलर, ग्रेडर और अन्य यानों को जो सड़क बनाने और उसकी सफाई करने के लिए अनन्य रूप से बनाये गये हैं, अधिनियम के अध्याय चार और तद्धीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों से छूट होगी।

50—रजिस्ट्रीकरण फीस के भुगतान से छूट—निम्नलिखित विवरणों के मोटर यानों के रजिस्ट्रीकरण के लिए कोई फीस नहीं ली जायगी–

(एक) कृषि प्रयोजनों के लिए अनन्य रूप से प्रयोग किये जाने वाले ट्रैक्टर, ट्रेलर① और लोकोमोटिव,

(दो) पूर्त संस्थाओं के स्वामित्वाधीन और केवल बीमारों या घायलों के परिवहन के लिए अनन्य रूप से प्रयोग किये जाने वाले मोटर एंबुलेन्स,

(तीन) ऐसे मोटर यान जो सरकार के स्वामित्वाधीन हो या तत्समय सरकार की सेवा में हो।

51—रजिस्ट्रीकरण चिन्ह का दिया जाना—(1) रजिस्ट्रीकरण की संख्या उसी क्रम में दी जायगी जिस क्रम में आवेदन-पत्र प्राप्त होंगे।

(2) मोटर यानों को एक बार दी गयी कोई संख्या किसी अन्य मोटर यान को नहीं दी जायगी और न ही किसी रद्द की गयी मोटर यान रजिस्ट्रीकरण की संख्या किसी अन्य मोटर यान को दी जायगी।

① Added vide notification No 870/30-4-2001-20(131)-2000 dt. 5.3.2001

(3) कोई व्यक्ति उस मोटर यान से, जिसे इस नियमावली के अधीन संख्या दी गयी है, भिन्न किसी यान पर रजिस्ट्रीकृत संख्या को प्रदर्शित या उसका प्रयोग नहीं करेगा।

52—रजिस्ट्रीकरण की विशिष्टियां-प्रतियों की आपूर्ति— (1) कोई रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी स्वविवेकानुसार, अपने द्वारा रखे गये अभिलेख में रजिस्ट्रीकृत किसी मोटर यान की विशिष्टियों की एक प्रति ऐसे किसी व्यक्ति को दे सकता है जो उसके लिए आवेदन करता है और दस रुपये का न्यायिकेतर स्टाम्प देता है।

(2) उपनियम (1) के अधीन आवेदन-पत्र उस रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी को सम्बोधित किया जायगा जिसकी अधिकारिता में मोटर यान रजिस्ट्रीकृत किया गया हो और उस पर न्यायालय फीस अधिनियम के अधीन देय न्यायालय फीस दी गई हो।

53—चुराये गये या बरामद किये गये मोटर यानों के सम्बन्ध में सूचना—(1) राज्य पुलिस महानिदेशक, राज्य परिवहन प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश को प्रत्येक मास के पन्द्रहवें दिन या उसके पूर्व पूर्ववर्ती कलेण्डर मास की अवधि को आच्छादित करते हुए एक मासिक विवरणी देगा जिसमें ऐसे मोटर यानों के जिनकी चोरी हुई हो और चोरी हुए ऐसे यान के जिन्हें सम्पूर्ण राज्य से बरामद किया गया हो जिसकी पुलिस को जानकारी हो, सम्बन्ध में सूचना होगी।

(2) उपनियम (1) के अधीन अपेक्षित मासिक विवरणी प्रपत्र एस० आर० 19 में होगी और तीन प्रतियों में होगी।

(3) उपनियम (1) के अधीन विवरणी प्राप्त होने पर, राज्य परिवहन प्राधिकरण समस्त रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारियों को प्रपत्र एस० आर० 19 की प्रतियां भेजेगा।

(4) राज्य परिवहन प्राधिकरण का सचिव और प्रत्येक रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी भी यथास्थिति, उपनियम (2) या उपनियम (3) के अधीन प्राप्त सूचना के आधार पर चोरी हुए और बरामद किये गये मोटर यानों का एक रजिस्टर रखेगा।

54—रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र का प्रस्तुत किया जाना—जब किसी रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी या परिवहन विभाग के किसी अधिकारी, जो कर अधिकारी से अनिम्न श्रेणी का न हो या पुलिस अधिकारी जो सब-इन्सपेक्टर से निम्न श्रेणी का न हो, ऐसा करने की अपेक्षा की जाय तब ऐसे मोटरयान का जिसके सम्बन्ध में रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र जारी किया गया हो, राज्य के भीतर या राज्य के बाहर स्वामी या स्वामी की अनुपस्थिति में उसका ड्राइवर प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेगा।

अध्याय—पांच
परिवहन यानों का नियंत्रण

55—राज्य परिवहन प्राधिकरण—(1) राज्य परिवहन प्राधिकरण की किसी बैठक के लिए गणपूर्ति निम्नलिखित से होगी—

(एक) प्राधिकरण में केवल एक सदस्य होने की दशा में–एक,

(दो) प्राधिकरण में दो या तीन सदस्य होने की दशा में–दो,

(तीन) प्राधिकरण में चार या पांच सदस्य होने की दशा में–तीन।

(2) पुनः बुलाई गई बैठक के लिये जो गणपूर्ति के अभाव में स्थगित हो गयी हो, गणपूर्ति आवश्यक नहीं होगी।

(3) अध्यक्ष यदि किसी बैठक में उपस्थित होने में असमर्थ हो, तो बैठक में अध्यक्ष के रूप में कार्य करने के लिये किसी व्यक्ति को नाम-निर्दिष्ट करेगा।

(4) अध्यक्ष या उपनियम (3) के अधीन नाम-निर्दिष्ट कार्यवाहक अध्यक्ष दूसरा या निर्णायक मत देगा।

(5) राज्य परिवहन प्राधिकरण ऐसे समय पर और ऐसे स्थानों पर जैसा अध्यक्ष नियत करे, बैठक करेगा :

परन्तु यह कि प्राधिकरण जनवरी से मार्च, अप्रैल से जून, जुलाई से सितम्बर और अक्तूबर से दिसम्बर की प्रत्येक तीन मास की अवधि में कम से कम एक बार बैठक करेगा।

(6) सदस्यों को राज्य परिवहन प्राधिकरण की किसी बैठक की सूचना देने की अवधि दस दिन से कम नहीं होगी:

परन्तु यह कि जहां अध्यक्ष की राय में, राज्य परिवहन प्राधिकरण की आपात बैठक आवश्यक हो, वहां सदस्यों को नोटिस देने की अवधि चौबीस घन्टे से कम नहीं होगी।

(7) परिवहन विभाग के किसी अधिकारी को जो उप परिवहन आयुक्त से अनिम्न श्रेणी का हो, राज्य सरकार द्वारा राज्य परिवहन प्राधिकरण के सचिव के रूप में नियुक्त किया जायेगा।

(8) राज्य सरकार किसी भी समय—

(एक) बिना कोई कारण बताये सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा राज्य परिवहन प्राधिकरण के किसी नाम-निर्दिष्ट सरकारी या गैर सरकारी सदस्य का कार्यकाल समाप्त कर सकती है,

(दो) धारा 68 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, प्राधिकरण के संरचना में फेरफार कर सकती है और परिणामस्वरूप सरकारी या गैर सरकारी सदस्यों की संख्या घटा या बढ़ा सकती है।

(9) उप-नियम (8) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, राज्य परिवहन प्राधिकरण का कोई नाम-निर्दिष्ट सदस्य (पदेन सदस्य से भिन्न) दो वर्ष की अवधि के लिए और उसके पश्चात् जब तक उसका उत्तराधिकारी नाम-निर्दिष्ट न कर दिया जाय, पद धारण करेगा :

परन्तु यह कि जब कोई ऐसा सदस्य मर जाय या हटा दिया जाय या उसका कार्यकाल समाप्त कर दिया जाय, या वह पद रिक्त कर दे जब उसका उत्तराधिकारी उस सदस्य की जिसका स्थान वह लेता है, पदावधि के शेष भाग के लिए और उसके पश्चात् जब तक उसका उत्तराधिकारी नाम-निर्दिष्ट न किया जाय, पद धारण करेगा :

परन्तु यह और कि ऐसा प्रत्येक सदस्य जिसकी पदावधि समाप्त हो गई हो, पुनः नाम-निर्देशन के लिए पात्र होगा।

56—सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण—(1) सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण की बैठक की गणपूर्ति निम्नलिखित से होगी—

(एक) प्राधिकरण में केवल एक सदस्य होने की दशा में-एक, या

(दो) प्राधिकरण में दो या तीन सदस्य होने की दशा में-दो।

(2) किसी पुनः बुलाई गई बैठक के लिए जो गणपूर्ति के अभाव में स्थगित हो गई हो, गणपूर्ति आवश्यक नहीं होगी।

(3) अध्यक्ष यदि किसी बैठक में उपस्थित होने में असमर्थ हों, बैठक में अध्यक्ष के रूप में कार्य करने के लिए किसी सदस्य को नाम-निर्दिष्ट करेगा।

(4) अध्यक्ष या उपनियम (3) के अधीन नाम-निर्दिष्ट कार्यवाहक अध्यक्ष दूसरा या निर्णायक मत देगा।

(5) सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण ऐसे समयों पर और ऐसे स्थानों पर, बैठक करेगा जैसा अध्यक्ष नियत करे :

परन्तु यह कि जब तक राज्य परिवहन प्राधिकरण अन्यथा निदेश न दे प्राधिकरण दो मास में एक बार से कम बैठक नहीं करेगा।

(6) सदस्यों को सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण की किसी बैठक की सूचना देने की अवधि दस दिन से कम नहीं होगी :

परन्तु यह कि जहां अध्यक्ष की राय में, सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण की आपात बैठक आवश्यक हो वहां सदस्यों को नोटिस देने की अवधि 24 घन्टे से कम नहीं होगी।

(7) सम्बन्धित सम्भाग का सम्भागीय परिवहन अधिकारी, सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण का पदेन सचिव होगा।

(8) राज्य सरकार किसी समय—

(एक) बिना कोई कारण बताये सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण के किसी नाम-निर्दिष्ट सदस्य का कार्यकाल समाप्त कर सकती है,

(दो) धारा 68 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, प्राधिकरण के संरचना में फेरफार कर सकती है और परिणामस्वरूप सरकारी या गैर सरकारी सदस्यों की संख्या घटा या बढ़ा सकती है।

(9) उपनियम (8) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण का कोई नाम-निर्दिष्ट सदस्य (पदेन सदस्य से भिन्न) दो वर्ष की अवधि तक और उसके पश्चात जब तक उसका उत्तराधिकारी नाम-निर्दिष्ट न कर दिया जाय, पद धारण करेगा।

57—परिवहन प्राधिकरणों द्वारा शक्तियों का प्रत्यायोजन राज्य का कोई सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण—अपनी कार्यवाहियों में अभिलिखित सामान्य या विशेष संकल्प द्वारा और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जैसी संकल्प में विनिर्दिष्ट की जाय, निम्न प्रकार से प्रत्यायोजित कर सकता है—

(एक) अपने सचिव को और राज्य परिवहन प्राधिकरण की दशा में, सहायक परिवहन आयुक्त (प्रशासन) को और किसी सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण की दशा में सम्बन्धित सम्भाग के सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी को [① मंजिली गाड़ी] ठेका गाड़ी, प्राइवेट सेवा यान या माल वाहनों की परमिट को स्वीकृत करने, इन्कार करने, नवीकरण करने या अन्तरित करने की शक्ति,

(दो) अपने सचिव को और राज्य परिवहन प्राधिकरण की दशा में, सहायक परिवहन आयुक्त (प्रशासन) को और किसी सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण की दशा में, सम्बन्धित सम्भाग के किसी सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी को धारा 87 और धारा 88 की उपधारा (2) के अधीन अस्थायी और विशेष परमिटों की स्वीकृति से सम्बन्धित अपनी समस्त या कोई शक्ति,

(तीन) अपने सम्भाग के भीतर किसी जिला मजिस्ट्रेट या अपर जिला मजिस्ट्रेट को धारा 87 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) के अधीन अस्थायी परमिटों की स्वीकृति से सम्बन्धित अपनी समस्त या कोई शक्ति,

(चार) अपने सचिव को, और राज्य परिवहन प्राधिकरण की दशा में सहायक परिवहन आयुक्त (प्रशासन) को और सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण की दशा में सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी को धारा 88 के अधीन अन्तर्राज्यीय मार्गों पर चलने वाले परिवहन यानों के संबन्ध में परमिटों को प्रतिहस्ताक्षरित करने या प्रतिहस्ताक्षरित करने से इन्कार करने की शक्ति,

(पांच) अपने सचिव को, और राज्य परिवहन प्राधिकरण की दशा में, सहायक परिवहन आयुक्त (प्रशासन) को और सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण की दशा में सम्बन्धित सम्भाग के किसी सम्भागीय परिवहन अधिकारी को नियम 82 और 83 के अधीन यानों का प्रतिस्थापन स्वीकृत करने या प्रतिस्थापन स्वीकृत करने से इंकार करने से सम्बन्धित अपनी समस्त या कोई शक्ति,

(छः) अपने सचिव को और राज्य परिवहन प्राधिकरण की दशा में सहायक परिवहन आयुक्त (प्रशासन) को और सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण की दशा में सम्बन्धित सम्भाग के किसी सहायक परिवहन अधिकारी को नियम 86 के अधीन दूसरा अनुज्ञा-पत्र जारी करने की शक्ति,

(सात) अध्यक्ष को धारा 86 की उपधारा (5) के अधीन कार्यवाही करने की शक्ति,

(आठ) अपने सम्भाग के भीतर सचिव को अनुज्ञा-पत्रों को निलम्बित करने और धारा 86 की उपधारा (4) के अधीन यथा उपबन्धित कार्यवाही करने की शक्ति,

(नौ) अपने सचिव को, और राज्य परिवहन प्राधिकरण की दशा में, सहायक परिवहन आयुक्त (प्रशासन) को और सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण की दशा में सम्बन्धित सम्भाग के किसी सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी को अधिसूचित मार्ग या अधिसूचित क्षेत्र के सम्बन्ध में राज्य परिवहन उपक्रम के आवेदन-पत्र पर अनुज्ञा-पत्र जारी करने की शक्ति,

① अधिसूचना संख्या 2559/30-4-2000-67/89 टी.सी. दि. 4.10.2000 द्वारा जोड़ा गया

(दस) अपने सचिव को और राज्य परिवहन प्राधिकरण की दशा में, सहायक परिवहन आयुक्त (प्रशासन) को और सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण की दशा में सम्बन्धित सम्भाग के किसी सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी को धारा 88 की उपधारा (12) के अधीन माल वाहनों के लिए राष्ट्रीय परमिट स्वीकृत करने, नवीकरण करने, या इन्कार करने की शक्ति,

परन्तु यह कि सचिव यथास्थिति, राज्य परिवहन प्राधिकरण या सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण के समक्ष व्यक्ति जिसे इस नियम के अधीन शक्ति प्रत्यायोजित की गयी है, के द्वारा की गई कार्यवाहियों के सम्बन्ध में लिखित सामयिक रिपोर्ट देगा।

58—परिवहन प्राधिकरणों के कारबार का संचालन—(1) परिवहन प्राधिकरण का कारबार नियमों के अनुसार उसके अध्यक्ष के निदेश के अधीन संचालित किया जायेगा।

(2) अधिनियम और इस नियमावली के उपबन्धों और राज्य सरकार के अनुमोदन के अधीन रहते हुए किसी राज्य या सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण को अपने कारबार के संचालन को विनियमित करने के लिए उपविधियां बनाने की शक्ति होगी।

(3) सचिव अध्यक्ष के अनुमोदन से, किसी बैठक में विचार करने के लिए कार्यसूची के मदों को अन्तिम रूप देगा, कार्यसूची के प्रत्येक मद का विस्तृत नोट तैयार करेगा और प्राधिकरण के प्रत्येक सदस्य को कार्यसूची की एक प्रति ऐसी बैठक के कम से कम पांच दिन पूर्व देगा :

परन्तु यह कि किसी आपात बैठक की दशा में, कार्यसूची बैठक के प्रारम्भ होने के ठीक पूर्व उपस्थित सदस्यों को दी जा सकती है।

(4) साधारणतया, समस्त मामलों का विनिश्चय किसी नियमित बैठक में उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के, जिसके अन्तर्गत अध्यक्ष भी हैं, बहुमत के आधार पर किया जायगा। मतों की बराबरी की दशा में अध्यक्ष को दूसरा या निर्णायक मत देने की शक्ति का प्रयोग करने का अधिकार होगा। यदि अध्यक्ष का यह विचार हो कि किसी मामले में प्राधिकरण द्वारा अत्यावश्यक विनिश्चय की आवश्यकता है और प्राधिकरण की बैठक सुविधापूर्वक बुलाई नहीं जा सकती है और ऐसा मामला परिचलन द्वारा प्राधिकरण के सदस्यों की राय प्राप्त करके समुचित रूप से विनिश्चित किया जा सकता है तो वह मामलों में परिचलन द्वारा ऐसी राय आमंत्रित कर सकता है।

(5) उप नियम (4) के अधीन अंगीकृत प्रक्रिया की दशा में, सचिव, प्राधिकरण के प्रत्येक सदस्य को मामले की ऐसी विशिष्टियां भेजेगा, जैसा सदस्य को किसी विनिश्चिय पर पहुंचने में समर्थ होने के लिए युक्तियुक्त रूप से आवश्यक हो और वह दिनांक विनिर्दिष्ट करेगा जब तक प्राधिकरण के कार्यालय में सदस्यों का मत प्राप्त हो जाना है। उपर्युक्तानुसार सदस्यों का मत प्राप्त होने पर सचिव पत्रादि अध्यक्ष के समक्ष रखेगा जो प्राप्त मतों और अध्यक्ष द्वारा दिये गये मत या मतों के अनुसार यथास्थिति, आवेदन-पत्र के प्रपत्र या अन्य दस्तावेज पर पृष्ठांकन-द्वारा विनिश्चय अभिलिखित करेगा। डाले गये मतों का अभिलेख सचिव द्वारा रखा जायगा और प्राधिकरण के किसी सदस्य के सिवाय किसी व्यक्ति द्वारा निरीक्षण के लिए उपलब्ध नहीं होगा। कोई विनिश्चय उस दिनांक के पूर्व जब तक सदस्यों का मत प्राधिकरण के कार्यालय में पहुंचना अपेक्षित है, परिचलन के माध्यम से नहीं किया जायेगा, प्राधिकरण के एक तिहाई से कम सदस्य सचिव को लिखित नोटिस द्वारा यह मांग नहीं कर सकते हैं कि मामले को प्राधिकरण की बैठक में निर्दिष्ट किया जाय।

(6) अध्यक्ष के दूसरे या निर्णायक मत को छोड़कर परिचलन द्वारा किये जाने वाले किसी विनिश्चय के लिए आवश्यक मतों की संख्या गणापूर्ति के लिए आवश्यक संख्या से कम नहीं होगी।

(7) यथास्थिति, राज्य या सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण परमिट के लिए किसी आवेदक को अपने समक्ष उपस्थित होने के लिए बुला सकता है और तब तक परमिट देने से इन्कार कर सकता है जब तक आवेदक या तो स्वयं या अपने द्वारा प्राधिकृत किसी अभिकर्ता के माध्यम से इस प्रकार उपस्थित न हो जाय या जब तक आवेदक ने ऐसी सूचना न दी हो जैसी आवेदन-पत्र के सम्बन्ध में प्राधिकरण द्वारा युक्तियुक्त रूप से अपेक्षित हो।

(8) इस नियम में दी गयी कोई बात किसी राज्य या सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण को परिचलन के माध्यम से ऐसे किसी विषय का, जो किसी बैठक में विचार किया गया हो या सुनवाई का विषय हो और जिस पर विनिश्चय आरक्षित किया गया हो, विनिश्चय करने से नहीं रोकेगी।

(9) जब किसी विषय का विनिश्चय राज्य या सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण की बैठक में उपस्थित सदस्यों के मतों द्वारा किया जाय, तब प्राधिकरण के सदस्य से भिन्न कोई व्यक्ति उपस्थित होने के लिए हकदार नहीं होगा और किसी भी ओर से डाले गये मतों की संख्या के अभिलेख के सिवा मतों का कोई अभिलेख नहीं रखा जायगा, परन्तु जब किसी विषय का विनिश्चय अध्यक्ष के दूसरे या निर्णायक मत का प्रयोग करके किया जाय, तब तथ्य को अभिलिखित किया जायेगा।

(10) यथास्थिति, राज्य या सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण का सचिव समुचित रूप से जिल्दबन्द कार्यवृत पुस्तक रखेगा जिसमें अध्यक्ष के हस्ताक्षर के अधीन बैठक का कार्यवृत्त चिपकाया जायगा। कार्यवृत्त पुस्तक अध्यक्ष को, जब भी उसके द्वारा अपेक्षा की जाय, उपलब्ध कराया जायगा।

(11) जब राज्य सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण द्वारा परिवहन यानों के लिए कोई परमिट जारी की जाय तब वह संबंधित सम्भागीय परिवहन अधिकारी, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) और सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन) को, जिनकी अधिकारिता में यान के संचालन के लिए प्राधिकृत किया गया हो, निम्नलिखित विशिष्टियों की संसूचना देगा :-

[एक] उस व्यक्ति का पूरा नाम और पता जिसको परमिट जारी की गयी हो;

[दो] परमिट की संख्या;

[तीन] अवधि जिसके लिए परमिट जारी की गयी हो;

[चार] मार्ग, जिस पर या क्षेत्र जिसमें यान का योग किया जायेगा;

[पांच] जारी करने वाले प्राधिकारी का पदनाम;

[छः] परमिट से आच्छादित यान या यानों की रजिस्ट्रीकृत संख्या;

[सात] यात्रियों की अधिकतम संख्या या अधिकतम भार।

(12) जब धारा 82 के उपबन्धों के अधीन कोई परमिट एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को अन्तरित की जाय या धारा 83 के अधीन जब किसी परमिट के धारक को समान प्रकार और क्षमता के दूसरे यान द्वारा यान को प्रतिस्थापित करने की अनुमति दी गयी हो या जब धारा 86 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अधीन किसी परमिट को रद्द या निलम्बित किया जाय तब तथ्य की सूचना उपनियम (11) में उल्लिखित प्राधिकारियों को दी जायगी।

59—परिवहन प्राधिकरणों द्वारा दी जाने वाली रिपोर्ट—(1) प्रत्येक संभागीय परिवहन प्राधिकरण का सचिव राज्य परिवहन प्राधिकरण को प्रत्येक वर्ष 7 अप्रैल, 7 जुलाई, 7 अक्टूबर और 7 जनवरी को या उससे पूर्व तिमाही सूचना, जिसमें प्राप्त हुए परमिटों, स्वीकृत हुए, नामंजूर हुए, स्थगित हुए आवेदन पत्रों की संख्या हो, के सम्बन्ध में पूर्ववर्ती तीन कलेन्डर मास का विस्तृत ब्यौरा समाविष्ट हो, देगा।

(2) सचिव, राज्य परिवहन प्राधिकरण उप नियम (1) के अधीन सूचना प्राप्त होने पर समेकित सूचना राज्य परिवहन प्राधिकरण की सूचना के साथ उप-नियम (1) में उल्लिखित प्रत्येक कलेन्डर के तिमाही के उत्तरवर्ती मास के 15वें दिन को या उसके पूर्व राज्य सरकार को देगा।

60—परिवहन प्राधिकरण के विनिश्चय का प्रकाशन—प्रत्येक संभागीय परिवहन प्राधिकरण और राज्य परिवहन प्राधिकरण के प्रत्येक विनिश्चय को यथास्थिति सम्बन्धित संभागीय परिवहन प्राधिकरण या राज्य परिवहन प्राधिकरण के सचिव द्वारा सम्बन्धित व्यक्तियों की सूचना के लिये सूचना पट्ट पर प्रकाशित किया जायेगा।

61—ठेका गाड़ियों और प्राइवेट सेवा यानों की परमिटों के लिए आवेदन-पत्र और उसका निस्तारण—राज्य परिवहन प्राधिकरण या सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण अपने कारबार का इस प्रकार प्रबन्ध करेगा कि ठेका

गाड़ियों और प्राइवेट सेवा यानों को परमिट के लिए आवेदन-पत्रों को साधारणतया प्राधिकरण के कार्यालय में उनकी प्राप्ति के दिनांक से एक मास के भीतर निस्तारित कर दिया जाय।

✓ **62—परमिटों के लिए आवेदन-पत्र**—परमिट के लिए कोई आवेदन-पत्र, यथास्थिति, राज्य परिवहन प्राधिकरण या सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण के सचिव के कार्यालय में रखे गये रजिस्टर में उसी क्रम में प्रविष्ट किया जायेगा, जिसमें वे प्राप्त किये जायें। इस रजिस्टर का नियमित निरीक्षण अध्यक्ष, राज्य परिवहन प्राधिकरण, सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण या उसके द्वारा इस प्रयोजन के लिए तैनात किये गये ज्येष्ठ अधिकारी द्वारा किया जायगा। परमिटों के लिए उपलब्ध मार्गों को कार्यालय नोटिस बोर्ड पर या स्थानीय समाचार-पत्रों के माध्यम से अधिसूचित किया जायेगा। परमिट के लिए आवेदन-पत्र विशिष्टतः बस के स्वामित्व और आवेदक की सामान्य ख्याति या चरित्र के बारे में उल्लेख होगा। प्राधिकरण द्वारा ऐसे समस्त आवेदन पत्रों पर विचार किया जायेगा और विधि के अनुसार निस्तारित किया जायेगा।

(अ) परमिट के आवेदन-पत्र निस्तारित करते समय संबंधित परिवहन प्राधिकरण द्वारा निजी क्षेत्र के परिवहन में उदारीकरण के उद्देश्य को ध्यान में रखा जायगा।

✓ **63—आवेदन-पत्र की सुनवाई**—(1) जब राज्य या किसी सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण की बैठक में परमिट के लिए किसी आवेदन-पत्र पर विचार किया जाय और आवेदक अपने आवेदन-पत्र के समर्थन में सुनवाई किये जाने के लिए इच्छुक हो या उसे नियम 58 के उपनियम (7) के उपबन्धों के अधीन उपस्थित होने के लिए बुलाया गया हो तब या तो वह स्वयं उपस्थित होकर अपने मामले का संचालन कर सकता है या किसी अनुमोदित अभिकर्ता द्वारा उसका प्रतिनिधित्व करा सकता है :

परन्तु यह कि स्थायी मंजिली गाड़ी की परमिट के लिये किसी आवेदन-पत्र पर यदि वह अधिसूचित मार्ग या अधिसूचित क्षेत्र या उसके किसी भाग के लिये हो, ऐसे मार्ग या क्षेत्र की अनुमोदित स्कीम में यथा उपबंधित के सिवाय विचार नहीं किया जायेगा।

(2) यथास्थिति, राज्य परिवहन प्राधिकरण या सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण आवेदक से इस निमित्त एक घोषणा या शपथ-पत्र दाखिल करने को कह सकता है कि यान के सम्बन्ध में कोई अन्य परमिट विद्यमान नहीं है।

(3) परमिट के लिए आवेदन पत्र पर विचार करते समय राज्य या संभागीय परिवहन प्राधिकरण, सड़क परिवहन क्षेत्र में प्राइवेट सेक्टर प्रचालन के लिए उदारीकरण नीति को ध्यान में रखेगा।

64—परमिट के लिये आवेदन-पत्र का प्रपत्र—परिवहन यान के सम्बन्ध में परमिट के लिये प्रत्येक आवेदन-पत्र निम्नलिखित प्रपत्रों में से किसी एक में होगा, अर्थात् :—

(एक) मंजिली गाड़ी के सम्बन्ध में, प्रपत्र एस० आर० 20 में;

(दो) ठेका गाड़ी के सम्बन्ध में, प्रपत्र एस० आर० 21 में;

(तीन) माल वाहन के सम्बन्ध में, प्रपत्र एस० आर० 22 में;

(चार) प्राइवेट सेवा यान के सम्बन्ध में, प्रपत्र एस० आर० 23 में;

(पांच) अस्थायी परमिट के संबंध में, प्रपत्र एस० आर० 24 में;

(छः) विशेष परमिट के संबंध में, प्रपत्र एस० आर० 25 में।

65—परमिट के लिये फीस और प्रपत्र—(1) प्रत्येक परमिट निम्नलिखित में से किसी एक प्रपत्र में होगा, अर्थात् :—

(एक) मंजिली गाड़ी के सम्बन्ध में, प्रपत्र एस० आर० 26 में;

(दो) ठेका गाड़ी के सम्बन्ध में, प्रपत्र एस० आर० 27 में;

(तीन) माल वाहन के सम्बन्ध में, प्रपत्र एस० आर० 28 में;

(चार) प्राइवेट सेवा यान के सम्बन्ध में, प्रपत्र एस० आर० 29 में;

(पांच) अस्थायी परमिट के संबंध में, प्रपत्र एस० आर० 30 में;

(छः) विशेष परमिट के संबंध में, प्रपत्र एस० आर० 31 में

(2) जहां परमिट एक से अधिक यान का हो, वहां उसकी एक प्रति परमिट द्वारा प्राधिकृत प्रत्येक यान के सम्बन्ध में जारी की जायेगी और ऐसी प्रत्येक प्रति में परमिट की संख्या के साथ-साथ परमिट की संख्या के पश्चात् कोष्ठक में अलग-अलग क्रम संख्या होगी। प्रत्येक ऐसी प्रति पर ऐसे प्राधिकारी का, जिसके द्वारा परमिट जारी की जाय और ऐसे प्राधिकारी का जिसके द्वारा परमिट को प्रतिहस्ताक्षरित किया जाय, हस्ताक्षर होगा और उसकी मोहर लगायी जायगी।

(3) किसी परमिट का धारक, यथास्थिति परमिट की सुसंगत प्रति या अस्थायी परमिट को शीशागर या अन्य उपयुक्त कन्टेनर में ले जाने की व्यवस्था करायेगा जो कि यान के आन्तरिक भाग में इस प्रकार से ले जाया जायेगा या चिपकाया जायेगा जिससे कि वह किसी प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा किसी समय निरीक्षण के लिए स्वच्छ और पठनीय दशा में उपलब्ध हो सके।

(4) परमिट दिये जाने के लिये फीस ऐसी होगी जैसी नियम 125 के अधीन विनिर्दिष्ट की जाय।

66—**नौ से अधिक व्यक्तियों को ले जाने के लिये अनुकूलित मोटर यानों के लिये परमिट**—धारा 66 की उपधारा (3) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, उक्त धारा की उपधारा (1) के उपबन्ध ड्राइवर को छोड़कर नौ से अधिक व्यक्तियों को ले जाने के लिये अनुकूलित मोटर यानों पर लागू होंगे।

67—**परमिट की शर्तें**—परिवहन प्राधिकरण अपने द्वारा स्वीकृत प्रत्येक परमिट के साथ निम्नलिखित शर्तें लगायेगा :—

(एक) ऐसे परमिट से आच्छादित यान का प्रयोग किसी भी दशा में किसी सार्वजनिक स्थान में उस अवधि के दौरान नहीं किया जायेगा जिसमें उससे सम्बन्धित रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र, टोकन संयुक्त प्रान्त मोटर गाड़ी कराधान अधिनियम, 1935 और तद्धीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों के अनुसार अभ्यर्पित किया जाय या अभ्यर्पित कर दिया गया हो या निलम्बित या रद्द कर दिया गया हो;

(दो) ऐसे परमिट से आच्छादित यान का प्रयोग किसी भी दशा में किसी सार्वजनिक स्थान में नहीं किया जायेगा जब तक कि राज्य सरकार द्वारा उद्गृहीत और उसके सम्बन्ध में देय करों का सम्यक् भुगतान न कर दिया गया हो, और यदि यथास्थिति संयुक्त प्रान्त मोटर गाड़ी कराधान अधिनियम, 1935, उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (यात्रीकर) अधिनियम, 1962 या उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (मालकर) अधिनियम, 1964 में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर ऐसे कर का सम्यक् भुगतान नहीं किया जाता है, तो यह उप धारणा की जायेगी कि परमिट के धारक ने साशय ऐसे करके भुगतान का अपवंचन किया है;

(तीन) धारा 82 की उपधारा (2) में किये गये उपबन्धों को छोड़कर परिवहन प्राधिकरण, जिसने परमिट दी हो, की अनुज्ञा के सिवाय परमिट किसी अन्य व्यक्ति को अन्तरित नहीं की जायेगी;

(चार) यान का प्रयोग परमिट में विनिर्दिष्ट क्षेत्र में या मार्ग पर या मार्गों पर किया जायेगा;

(पांच) व्यक्तियों की अधिकतम संख्या या सामान का अधिकतम भार जो परमिट से आच्छादित यान में ले जाया जायेगा रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र में दी गयी संख्या या भार से अधिक नहीं होगा;

(छः) केवल ऐसे विज्ञापन विषय, जो सीधे परमिट धारक के कारोबार से सम्बन्धित हो जिसके अग्रसर करने में परमिट प्राप्त किया जाय और जो किसी भी प्रकार यान की पहचान को परिवर्तित नहीं करता, गाड़ी पर बोनट, फ्रन्ट स्क्रीन, विण्ड स्क्रीन और डैश बोर्ड के किसी भाग के सिवाय प्रदर्शित किया जा सकता है:

परन्तु यह कि विज्ञापन का कोई विषय यान के ऊपर रंगे हुए, खुदे हुये या जुड़े हुये किसी सारवान विवरण को न तो आच्छादित करेगा और न उसके 20 सेन्टीमीटर के कम की दूरी पर होगा।

(सात) परमिट को परमिट धारक द्वारा ऐसी रीति से ले जाया जायेगा कि वह किसी भी समय प्राधिकृत व्यक्ति के निरीक्षण के लिए तुरन्त उपलब्ध हो सके।

68—**मंजिली गाड़ियों के लिये परमिट की विशेष शर्तें**—परिवहन प्राधिकरण किसी मंजिली गाड़ी के लिये निम्नलिखित में से एक से अधिक शर्तें लगा सकता है :—

(एक) परमिट धारक या उसके द्वारा सम्यक् रूप से प्राधिकृत कोई अन्य व्यक्ति या ड्राइवर या कन्डक्टर या परमिट के धारक नियोजन में वेतनधारी लिपिक से भिन्न कोई व्यक्ति यान का प्रचालन नहीं करेगा;

(दो) यान प्रत्येक मात्रा में उस पूरे मार्ग को आच्छादित करेगी जिसके लिये परमिट दिया गया हो;

(तीन) ड्राइवरों और कन्डक्टरों की ड्यूटी सूचियों की प्रतियां गाड़ी पर और मार्ग पर विनिर्दिष्ट स्टैण्डों और हाल्टों पर प्रदर्शित की जायेंगी;

(चार) यान पर ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुये जैसी विनिर्दिष्ट की जाय और ऐसी दरों पर जैसी डाक प्राधिकारियों के परामर्श से परिवहन प्राधिकरण द्वारा निर्धारित की जाय, डाक से ले जायी जायेगी;

(पांच) [क] किसी मंजिली गाड़ी में यात्रियों का सामान 20 किलोग्राम प्रति यात्री तक सिवाय कुमायूं और गढ़वाल सम्भागों के जहां यह 25 किलोग्राम तक होगा, सभी सम्भागों में निःशुल्क ले जाया जायेगा।

[ख] निम्नलिखित को यात्री का सामान समझा जायेगा और मंजिली गाड़ी के छत-पर निःशुल्क ले जाया जायेगा :—

सन्दूक में हैण्ड हारमोनियम, नान फोल्डिंग चरखा, छोटे पिंजड़े में पालतु चिड़ियां (ये बस के भीतर ले जायी जा सकती हैं यदि यात्रियों को कोई असुविधा उत्पन्न न हो), हाथ सिलाई मशीन, पोर्टेबिल ग्रामोंफोन पोर्टेबिल टाइपराइटर, रेडियो (समुचित रूप से पैक किया गया हो जब तक कि वह सीट के नीचे नहीं ले जाया जा सकता) ड्राई 6 बोल्ट बैटरी;

[ग] निम्नलिखित पर पृथक-पृथक प्रभार लिया जायेगा जैसे 18 किलोग्राम वाली बच्चों की ट्राईसाइकिल, फोल्डिंग कैम्प काट, फोल्डिंग मेज या फोल्डिंग कुर्सी जिसका वजन 18 किलोग्राम से अधिक हों;

[घ] निम्नलिखित पर पृथक-पृथक प्रभार लिया जायगा, जैसे 37 किलोग्राम बाईसिकिल नान फोल्डिंग कुर्सियां, चाय की मेज जो, छोटी ऑलमारियां या रैक, शैय्या के लिये जो सुविधापूर्वक बस पर ले जायी जा सकती है और जिसका वजन 37 किलोग्राम से अधिक न हो.

[ङ] निम्नलिखित वस्तुओं के लिये कोई प्रभार नहीं लिया जायेगा :–

बशर्ते वे उन यात्रियों द्वारा जिनकी वस्तुयें हों, दखल की गई सीट के नीचे ले जायी जा सकती हों–फोल्डिंग चरखा, बन्द टिन में घी, थर्मस, फ्लास्क, छोटा टिफिन कैरियर या छोटा टिफिन केस, स्टिक और छाता, चाइना टी सेट, छः टम्बुलर और ग्लास, जग का एक सेट, छोटी अटैची केस, पुस्तक, फल या खाने की वस्तुओं, टेबुल पंखा (पैक किया हुआ) और टाइपराइटर (स्टैन्डर्ड जो पैक किया गया हो) परन्तु एक यात्री केवल अपनी सीट के नीचे एक ऐसा बन्डल ले जा सकता है।

(छः) जब लोक व्यवस्था, लोक सुरक्षा के हित में या आपातकाल में, ऐसे परिवहन प्राधिकरण जिसके द्वारा परमिट जारी की जाय, परमिट धारक को किसी मंजिली गाड़ी को ऐसे मार्ग पर या परमिट विनिर्दिष्ट से भिन्न क्षेत्र में प्रयोग करने के लिये निदेश जारी करता है, तब परमिट धारक मंजिली गाड़ी को ऐसे मार्गों पर या ऐसे क्षेत्र में और ऐसी अवधि के दौरान और ऐसे समय पर, जैसा निदेश में विनिर्दिष्ट किया जाय, प्रयोग करेगा।

69—**ठेका गाड़ियों और माल वाहनों के लिये परमिट की विशेष शर्तें**–परिवहन प्राधिकरण किसी ठेका गाड़ी परमिट या माल वाहन परमिट में यह शर्त लगा सकता है कि यान को परमिट धारक या उसके द्वारा सम्यक् रूप से प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति या ड्राइवर या कन्डक्टर या परमिट धारक के नियोजन में वेतनभोगी लिपिक से भिन्न कोई व्यक्ति नहीं चलायेगा।

70—**ठेका परमिट की अतिरिक्त शर्तें**–मोटर टैक्सी से भिन्न प्रत्येक ठेका गाड़ी की अतिरिक्त शर्तें निम्नलिखित होंगी :–

(एक) परमिट धारक प्रत्येक फेरे के सम्बन्ध में यान में यात्रा करने वाले यात्रियों की एक सूची तीन प्रतियों में निम्नलिखित प्रपत्र में तैयार करायेगा :–

यात्रियों की सूची

मोटर यान की संख्या .... दिनांक ....

प्रस्थान का समय .... से ....तक।

क्रम-संख्या	यात्रियों का नाम	पिता/पति का नाम	आयु	पता
1	2	3	4	5

(दो) सूची की एक प्रति अभिलेख के लिये रजिस्टर्ड पावती डाक द्वारा ऐसे प्राधिकरण को भेजी जायगी जिसने परमिट जारी किया हो। दूसरी प्रति यान में ले जायी जायगी और अधिनियम के द्वारा या अधीन दस्तावेजों को प्रस्तुत करने की मांग करने के लिये प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा मांग करने पर प्रस्तुत की जायेगी, तृतीय प्रति परमिट धारक द्वारा परिरक्षित की जायेगी ;

(तीन) परमिट धारक या उसका प्राधिकृत अभिकर्ता भाड़े के लिये प्राप्त भुगतान के सम्बन्ध में भाड़ेदार को एक रसीद जारी करेगा और उसका प्रतिपर्ण अपने पास उपलब्ध रखेगा और अधिनियम के द्वारा या अधीन दस्तावेजों की मांग करने के लिये प्राधिकृत अधिकारियों को मांग करने पर प्रस्तुत की जायगी ;

(चार) परमिट धारक दिन-प्रतिदिन की वार्षिक लाग-बुक रखेगा जिसमें परमिट धारक के नाम और पते को, और यान के रजिस्ट्रीकरण चिन्ह के चालन अनुज्ञप्ति के विवरणों सहित ड्राइवर के नाम और पते को और प्रस्थान और पहुंचने के समय सहित यात्रा के प्रारम्भ और गन्तव्य बिन्दुओं को और भाड़ेदार के नाम और पते को इंगित किया जायगा ;

(पांच) परमिट धारक, परिवहन प्राधिकरण, जिसने परमिट दी हो, को उपर्युक्त शर्त (चार) में विनिर्दिष्ट लाग-बुक का उद्धरण त्रैमासिक भेजेगा। उक्त लाग-बुक तीन वर्ष की अवधि के लिये परिरक्षित की जायेगी और जब कभी अपेक्षा की जायेगी उक्त अवधि के दौरान निरीक्षण के लिये उक्त अधिकारी को उपलब्ध करायी जायेगी :

परन्तु इस नियम की कोई बात किसी विवाह पार्टी को ले जाने के लिये किराये पर लिये गये किसी ठेका गाड़ी पर लागू नहीं होगी।

71—**मुख्तारनामा के माध्यम से परिवहन यानों का प्रचालन**—(1) मुख्तारनामा के माध्यम से किसी परिवहन यान का प्रचलन ऐसे परमिट धारक के मामले के सिवाय अनुज्ञेय नहीं होगा जो—

(एक) अविवाहिता महिला हो या यदि विवाहित हो तो उसका पति से विवाह विच्छेद या प्रथक्करण हो गया हो या विधवा हो;

(दो) अल्पवयस्क हो जिसके पिता की मृत्यु हो गयी हो,

(तीन) पागल या जड़बुद्धि हो;

(चार) ऐसा व्यक्ति हो जो अन्धेपन या अन्य शारीरिक शिथिलता के कारण परिवहन यान का प्रचालन का प्रबन्ध करने में असमर्थ हो ;

(पांच) किसी मान्यता प्राप्त संस्था में अध्ययन कर रहा हो और उसकी आयु 25 वर्ष से अधिक न हो;

(छः) भारतीय संघ के सैनिक, नाविक या वायु सेवा में हो;

(सात) निरोध या कारावास में हो।

(2) किसी परिवहन यान का मुख्तारनामा के अधिकार के अधीन प्रचालन तब तक नहीं किया जायगा जब तक कि मुख्तारनामा रजिस्ट्रीकृत न हो और उसकी एक प्रति सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण के कार्यालय में प्रस्तुत न कर दी गई हो, इस शर्त का अनुपालन करने में विफलता अनुज्ञा-पत्र के रद्दकरण के लिये विधिमान्य आधार पर बन जायेगी।

72—**परमिट पर रजिस्ट्रीकरण चिन्ह की प्रविष्टि**—अस्थायी परमिट के मामले के सिवाय, जहां यान के रजिस्ट्रीकरण चिन्ह की प्रविष्टि किसी परमिट पर किया जाना हो और आवेदन-पत्र के दिनांक को सम्यक् रूप से रजिस्ट्रीकृत यान आवेदक के कब्जे में न हो, वहां वह परिवहन प्राधिकरण द्वारा आवेदन-पत्र की स्वीकृति के दिनांक से एक मास के भीतर या ऐसी दीर्घ अवधि के लिये, जैसी प्राधिकरण विनिर्दिष्ट करे, यान का रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र इस प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत करेगा जिससे कि परमिट में विशिष्टियों या रजिस्ट्रीकरण चिन्ह की प्रविष्टि की जा सके।

73—कोई परमिट तब तक जारी नहीं की जायेगी जब तक कि परमिट से सम्बन्धित यान के रजिस्ट्रीकरण की प्रविष्टि उसमें न कर दी गयी हो। यदि कोई आवेदक नियम 72 के अधीन अनुमत समय के भीतर बिना युक्तियुक्त कारण के रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने में विफल रहता है तो परिवहन प्राधिकरण परमिट देने की स्वीकृति का प्रति संहरण कर सकता है।

74—अस्थायी परमिट—(1) यदि राज्य या सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण ऐसा चाहता है तो संयुक्त प्रान्त मोटर गाड़ी कराधान अधिनियम, 1935 और तद्धीन बनाये गये नियमों के अधीन करके भुगतान से सम्बन्धित ऐसी शर्तों के, जैसी वह उचित समझें, अधीन रहते हुये किसी व्यक्ति को, चाहे वह उसके अधीन प्रयोग किये जाने वाले यान का रजिस्ट्रीकृत स्वामी हो या न हो, अस्थायी परमिट स्वीकृत की जा सकती है।

(2) जब अस्थायी परमिट के लिये आवेदन-पत्र देने के समय आवेदक के कब्जे में यान नहीं है या उसने यान को किराये पर लेने की संविदा नहीं की है या अन्यथा राज्य या सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण का समाधान कर देता है कि वह समुचित और पर्याप्त कारणों से परमिट के अधीन प्रयोग किये जाने वाले यान का रजिस्ट्रीकरण चिन्ह विनिर्दिष्ट करने में असमर्थ है तब यथास्थिति, राज्य या सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण, यदि उसका समाधान हो जाय कि अन्यथा असम्यक् असुविधा हो जायेगी, उसमें रजिस्ट्रीकरण चिन्ह दिये बिना ही अस्थायी परमिट जारी कर सकता है और यदि वह उचित समझे तो परमिट की शर्त के रूप में अस्थायी परमिट के प्राधिकार के अधीन प्रथम यात्रा के प्रारम्भ के 24 घण्टे के भीतर या ऐसी दीर्घ अवधि के भीतर जैसी प्राधिकरण विनिर्दिष्ट करे, रजिस्ट्रीकरण चिन्ह की विशिष्टियां प्राधिकरण को प्रस्तुत करने की आवेदक से अपेक्षा कर सकता है।

(3) अस्थायी परमिट की किसी बात से यह नहीं समझा जायेगा कि किसी ऐसे यान के प्रयोग को प्राधिकृत कर दिया गया है जो सम्यक् रजिस्ट्रीकृत नहीं है, या जिसके सम्बन्ध में ठीक हालत में होने का कोई विधिमान्य प्रमाण-पत्र नहीं है या जो अधिनियम या तद्धीन बनाये गये नियमों के किन्हीं प्राविधानों का अन्यथा उल्लंघन करता है।

(4) अस्थायी परमिट की स्वीकृति के लिये फीस ऐसी होगी जैसी नियम 125 के अधीन विनिर्दिष्ट की जाय।

75—परमिट के विधिमान्यकरण के क्षेत्र का विस्तार—(1) धारा 88 के उपबन्धों के अधीन रहते हुये, कोई सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण, जिसने किसी मंजिली गाड़ी या ठेका गाड़ी के सम्बन्ध में परमिट जारी किया हो (जिसे आगे मूल परिवहन प्राधिकरण कहा गया है) राज्य के भीतर किसी अन्य सम्भाग में परमिट के प्रभाव का विस्तार कर सकता है और उसे सम्भाग के सम्बन्ध में परमिट में शर्त लगा सकता है और विभिन्न सम्भागों में परमिट की शर्तों में फेर-फार कर सकता है, परन्तु यह कि यह यान जिसका परमिट है, सामान्यतया मूल परिवहन प्राधिकरण के सम्भाग के भीतर और निम्नलिखित उपनियमों के उपबन्धों के अधीन रखी जाय।

(2) मूल परिवहन प्राधिकरण किसी अन्य सम्भागीय प्राधिकरण द्वारा अंगीकृत किसी सामान्य या विशेष संकल्प के अनुसार ऐसी परमिट जारी कर सकता है जिसकी किसी अन्य सम्भाग में विधिमान्यता हो और इस प्रकार जारी की गई किसी परमिट का अन्य प्राधिकरण के सम्भाग में तत्समान प्रभाव होगा मानो वह उस अन्य प्राधिकरण द्वारा जारी की गयी हो।

(3) उप नियम (2) के उपबन्धों के अधीन रहते हुये कोई मूल परिवहन प्राधिकरण मोटर टैक्सी से भिन्न ठेका गाड़ी की परमिट, जिसका प्रभाव किसी अन्य सम्भाग या सम्भागों में होगा, जारी कर सकता है यदि वह परमिट में यह शर्त लगाता है कि यान का प्रयोग केवल मूल परिवहन प्राधिकरण के क्षेत्र के बाहर मूल परिवहन प्राधिकरण के क्षेत्र से प्रारम्भ होकर और क्षेत्र में समाप्त होने वाली किसी यात्रा के लिये संविदा के अधीन किया जायेगा।

(4) इस नियम की किसी बात का प्रभाव किसी परमिट के धारक की परमिट के प्रतिहस्ताक्षर के लिये किसी सम्भागीय प्राधिकारी को आवेदन करने के अधिकार पर नहीं पड़ेगा।

(5) प्रतिहस्ताक्षर के लिये फीस ऐसी होगी जैसी नियम 125 के अधीन विनिर्दिष्ट हो।

76—पर्वतीय मार्गों पर परमिट की विधि मान्यता—धारा 69 के उपबन्धों के अधीन रहते हुये, एक पर्वतीय संभाग का सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण पर्वतीय मार्गों के लिये परमिट जिसके अन्तर्गत अस्थाई परमिट भी है, स्वीकृत कर सकेगा जो राज्य के भीतर अन्य पर्वतीय संभाग के या सम्बन्धित अन्य सम्भागों में से प्रत्येक सम्भाग के सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण के प्रतिहस्ताक्षर के बिना विधिमान्य होगा और ऐसे परमिट के जारी किये जाने से सम्बन्धित कार्यवाहियों की प्रतियां यथाशक्य शीघ्र भेजेगा।

77—परमिटों की आवश्यकता से छूट—निम्नलिखित के लिये अनन्य रूप से प्रयोग किये जाने वाले किसी परिवहन यान के लिये धारा 66 की उपधारा (1) के अधीन परमिट अपेक्षित नहीं होगी :–

(एक) राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त मान्यता प्राप्त किसी संगठन द्वारा अस्पृश्यता हटाये जाने और अनुसूचित जाति कल्याण कार्य,

(दो) खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग द्वारा संगठित खादी एवं ग्राम उद्योगों से सम्बन्धित विकास कार्यक्रम के सम्बन्ध में,

(तीन) इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड द्वारा निर्मित अत्यन्त सोफिस्टिकेटेड कम्पोनेन्ट्स के प्रदर्शन के लिये इलेक्ट्रानिक्स प्रदर्शन गाड़ी के सम्बन्ध में या,

(चार) राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त मान्यता प्राप्त किसी संगठन द्वारा स्त्री एवं बाल कल्याण कार्य के सम्बन्ध में।

78—मंजिली एवं ठेका गाड़ियों में माल ले जाने की शर्तें— निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुये मंजिली और ठेका गाड़ियों में माल ले जाया जा सकता है:—

(एक) किसी डबल-डेकड मंजिली गाड़ी के शीर्ष डेक पर कोई माल नहीं ले जाया जायेगा;

(दो) किसी मंजिली गाड़ी या ठेका गाड़ी में किसी समय कोई ऐसा माल, जिससे यान के आन्तरिक भाग के दूषित या अस्वच्छ होने की संभावना हो, नहीं ले जाया जायेगा;

(तीन) परिवहन प्राधिकरण द्वारा प्रतिषिद्ध माल किसी मंजिली गाड़ी या ठेका गाड़ी में नहीं ले जाया जायेगा;

(चार) कोई ऐसा माल नहीं ले जाया जायेगा जिसके ले जाये जाने से परिवहन प्राधिकरण द्वारा आरोपित शर्तों का उल्लंघन होता हो;

(पांच) किसी मंजिली गाड़ी का प्रयोग माल ले जाये जाने के लिये नहीं किया जायगा, जिससे कि लोक सुविधा को रुकावट उत्पन्न हो जाय या उसके द्वारा यात्री परिवहन के लिये मांग की पूर्ति न हो सके;

(छः) ठेका गाड़ी में विशेष अवसरों पर विशेष कारणों से और परमिट में विनिर्दिष्ट निबन्धनों और शर्तों के अधीन के सिवाय कोई माल नहीं ले जाया जायेगा;

(सात) किसी मंजिली गाड़ी या ठेका गाड़ी में कोई माल तब तक नहीं ले जाया जायेगा जब तक कि वह ऐसी प्रकृति का और इस प्रकार पैक किया गया न हो कि यान में ले जाने पर वह किसी यात्री के लिये कोई खतरा, असुविधा या कष्ट उत्पन्न करे और परमिट में विनिर्दिष्ट सीटों की संख्या यात्रियों के उपयोग के लिये खाली रखने और इस नियमावली के अधीन अपेक्षित यान के प्रवेश और निकास मार्ग में कोई अड़चन पैदा करें;

(आठ) किसी मंजिली या ठेका गाड़ी में कोई ऐसा माल नहीं ले जाया जायेगा जिसका भार, यान में ले जाये जाने वाले यात्रियों के निजी सामान के भार और यान में ले जाने के लिये अनुज्ञात यात्रियों की संख्या में दो (ड्राइवर और कन्डक्टर) को जोड़कर प्राप्त संख्या को 59 से गुणा करके किलोग्राम में गणना करके निकाले गये भार को मिलाकर, यान के सकल यान भार में से लदान रहित भार को घटाकर निकाले गये भार के अन्तर से अधिक हो।

79—माल वाहनों में पशुओं को ले जाया जाना—(1) कोई मवेशी किसी माल वाहन में किसी सार्वजनिक स्थान पर तब तक नहीं ले जाया जायेगा जब तक कि:—

(एक) बकरी, भेड़, हिरण या सुअर की दशा में यान में, ऐसे मवेशियों के लिये प्रति अदद 60 सेन्टीमीटर × 60 सेन्टीमीटर फर्श के न्यूनतम स्थान की व्यवस्था न हो;

(दो) किसी अन्य मवेशी की दशा में—

(क) प्रति अदद मवेशी के लिये 210 सेन्टीमीटर × 90 सेन्टीमीटर फर्श के न्यूनतम स्थान और ऐसे मवेशी के बच्चों के लिये जिनका दूध छुड़ा दिया गया हो, ऐसा फर्श स्थान के आधे की व्यवस्था यान में न हो;

(ख) यान का लोड बाडी मजबूत लकड़ी के तख्तों या लोहे की चादरों से निर्मित होने के साथ-साथ यान के फर्श से चारों ओर पीछे से मापी गयी न्यूनतम ऊंचाई 152 सेन्टीमीटर न हो;

(ग) यान के बंगलों से बंधी हुई रस्सियों से मवेशी समुचित रूप से सुरक्षित न हो;

स्पष्टीकरण—इस नियम के प्रयोजनार्थ मवेशी के अन्तर्गत बकरी, भेड़, भैंस, बैल, हिरन, घोड़ा, टट्टू, खच्चर, गधा, सुअर, इनकी माता (फिमेल्स) या उनके बच्चे भी सम्मिलित हैं।

(2) सरकस, मोनागरी या अजायबघर से सम्बन्धित या उसके लिये आशायित किसी पशु को किसी माल वाहन में किसी सार्वजनिक स्थान पर तब तक नहीं ले जाया जायेगा, जब तक कि—

(एक) जंगली या भयानक पशु की दशा में पशु को सुरक्षित रूप से रखने के लिये पर्याप्त मजबूती का एक उपयुक्त पिंजड़ा या तो प्रयोग की गयी गाड़ी के लोड बाडी से पृथक हो या उसका अभिन्न भाग हो, की व्यवस्था न की गयी हो, और

(दो) प्रत्येक पशु के लिये युक्तियुक्त फर्श स्थान की व्यवस्था गाड़ी में न हो।

(3) उप नियम (1) के अधीन कोई मवेशी या उपनियम (2) के अधीन कोई पशु ले जाते समय कोई माल वाहन 25 कि० मी० प्रति घंटा से अधिक गति से नहीं चलाया जायेगा।

80—अनावश्यक परमिटों को रद्द किया जाना—जब कोई परमिट प्रथम आवेदन-पत्र पर किसी विशिष्ट यान या यानों की सेवा के सम्बन्ध में एक सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत किया गया हो, और यह प्रतीत हो कि परमिट,—

(क) उस यान के सम्बन्ध में, या

(ख) यानों की सेवा के सम्बध में, स्वीकृत किया गया है, जो आवेदन-पत्र के समय परमिट धारक के कब्जे में जितने यान हैं उससे अधिक संख्या में यान के प्रयोग की अपेक्षा करती हो, किसी अन्य सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण द्वारा भी स्वीकृत किया गया है तब सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण जिसके द्वारा कोई एक परमिट जारी की गयी थी दूसरे प्राधिकरण से परामर्श करके तुरन्त ऐसी रीति से जैसी वह उचित समझे, परमिट को रद्द या उपान्तरित कर सकता है।

81—परमिटों का नवीकरण—(1) परमिट का नवीकरण करने वाला राज्य अथवा सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण धारक को परमिट प्रस्तुत करने के लिये कहेगा और प्रस्तुत करने पर नवीकरण पृष्ठांकित करेगा और तदुपरान्त उसे धारक को वापस कर देगा।

(2) परमिट के नवीकरण की फीस वही होगी जैसा नियम 125 के अधीन विनिर्दिष्ट है।

82—परमिट के प्रतिहस्ताक्षर का नवीकरण—(1) नियम 83 के उपबन्धों के अधीन रहते हुये, किसी परमिट पर प्रतिहस्ताक्षर के नवीकरण के लिये आवेदन-पत्र लिखित रूप में सम्बन्धित सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण को ऐसे प्रतिहस्ताक्षर की समाप्ति के कम से कम पन्द्रह दिन पूर्व दिया जायेगा।

(2) यदि किसी परमिट के प्रतिहस्ताक्षर के नवीकरण के लिये आवेदन-पत्र के समय परमिट जो ऐसे प्राधिकरण द्वारा जिसके द्वारा वह जारी किया गया था, नवीकरण के अधीन हो, उपलब्ध न हो तो आवेदन-पत्र में यह तथ्य उल्लिखित किया जायगा और परमिट की संख्या और दिनांक, ऐसे प्राधिकरण का नाम जिसके द्वारा वह स्वीकृत किया गया था, उसकी समाप्ति का दिनांक और नवीकृत किये जाने वाले प्रतिहस्ताक्षर की संख्या और दिनांक भी उल्लिखित किया जायगा।

(3) प्रतिहस्ताक्षर का नवीकरण स्वीकृत करने वाला राज्य अथवा सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण धारक से परमिट को यदि वह प्रस्तुत न किया गया हो प्रस्तुत करने के लिये कहेगा और इस प्रकार प्रतिहस्ताक्षर की विधिमान्यता को पृष्ठांकित करेगा कि वह परमिट की विधिमान्यता के समकालिक हो जाय और उसे धारक को वापस करेगा।

(4) प्रतिहस्ताक्षर या प्रतिहस्ताक्षर के नवीकरण के लिये फीस वही होगी जैसी नियम 125 के अधीन विनिर्दिष्ट है।

83—परमिट के प्रतिहस्ताक्षर के सम्बन्ध में नवीकरण का विधिमान्यकरण—(1) ऐसा प्राधिकारी जिसके द्वारा कोई परमिट नवीकृत किया जाय, जब तक ऐसा प्राधिकारी जिसके द्वारा परमिट पर प्रतिहस्ताक्षर किया गया हो (परमिट की समाप्ति के दिनांक के पूर्व समाप्त न किये जाने पर), सामान्य या विशेष आदेश द्वारा अन्यथा निदेश न दिया गया हो, उसी तरह परमिट के प्रतिहस्ताक्षर के नवीकरण को पृष्ठांकित कर सकता है (समुचित प्रपत्र में दी गयी रीति से) और ऐसी दशा में, ऐसे प्राधिकारी को नवीकरण की सूचना देगा।

(2) जब तक कोई परमिट जैसा उप नियम (1) में उपबन्धित हैं पृष्ठांकित न किया गया हो या जब तक प्रतिहस्ताक्षर की विधिमान्यता की अवधि प्रतिहस्ताक्षर करने वाले प्राधिकारी द्वारा पृष्ठांकित न कर दी गयी हो, तब तक उसमें उल्लिखित समाप्ति के दिनांक के बाद प्रतिहस्ताक्षर का कोई प्रभाव नहीं होगा।

(3) परमिट नवीकरण करते समय, परिवहन प्राधिकारी यान की वर्तमान यांत्रिक स्थिति और ऐसे यान के पूर्ववर्ती पांच वर्षों के दुर्घटनाओं के अभिलेख को ध्यान में रखेगा।

(4) यान का यांत्रिक निरीक्षण मोटरयान का तकनीकी ज्ञान रखने वाले व्यक्तियों की समिति द्वारा किया जायगा जिसमें कम से कम एक सदस्य परिवहन प्राधिकरण द्वारा नाम निर्दिष्ट राजपत्रित सरकारी सेवक होगा।

84—परमिटों द्वारा प्राधिकृत यान का प्रतिस्थापन—(1) यदि परमिट का धारक किसी समय परमिट के अन्तर्गत आने वाले किसी यान को दूसरे से प्रतिस्थापित करना चाहता है तो वह नियम 125 के अधीन या विनिर्दिष्ट फीस के साथ प्रपत्र एस० आर० 32 में ऐसे परिवहन प्राधिकरण को जिसके द्वारा परमिट जारी की गयी थी, कारण उल्लिखित करते हुये कि क्यों प्रतिस्थापन वांछित है आवेदन करेगा और,

(एक) यदि नया यान उसके कब्जे में हो, तो उसका रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र अग्रसारित करेगा, या

(दो) यदि नया यान उसके कब्जे में नहीं है, तो कोई सारवान विशिष्ट उल्लिखित करेगा जिसके लिये नया यान पुराने से भिन्न हो।

(2) उप नियम (1) के अधीन आवेदन-पत्र प्राप्त होने पर सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण स्वविवेकानुसार आवेदन-पत्र को अस्वीकार कर सकता है:—

(एक) यदि उसने आवेदन-पत्र के पूर्व धारा 71 की उपधारा (3) या धारा 74 की उपधारा (3) की अपेक्षाओं के अनुसार अपने आशय की युक्तियुक्त नोटिस दी हो, या

(दो) यदि प्रस्तावित नया यान पुराने यान से सारवान भिन्नता रखता हो।

(तीन) यदि परमिट धारक ने परमिट के उपबन्धों का उल्लंघन किया हो या ऐसे मामलों के सिवाय जहां कोई जब्त यानि सीधे क्रय किये गये किसी यान से प्रतिस्थापित किया गया हो, किसी अवक्रय करार के उपबन्ध के अधीन पुराने यान के कब्जे से वंचित कर दिया गया हो।

(3) यदि सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण इस नियम के अधीन यान के प्रतिस्थापन के लिए आवेदन-पत्र स्वीकृत करे तो वह परमिट धारक को परमिट और नये यान के रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र यदि उसे पहले न दिया गया हो प्रस्तुत करने के लिए कहेगा और अपनी मुहर और हस्ताक्षर के अधीन तद्नुसार परमिट को ठीक करेगा और उसे धारक को वापस कर देगा।

85—परमिट पर प्रतिहस्ताक्षर के सम्बन्ध में प्रतिस्थापन आदेश का विधिमान्यकरण—(1) नियम 82 के अधीन किसी यान के प्रतिस्थापन के लिए अनुज्ञा देने वाला प्राधिकारी, जब तक ऐसा प्राधिकारी जिसके द्वारा परमिट पर प्रतिहस्ताक्षर किया गया था ने सामान्य या विशेष संकल्प द्वारा अन्यथा निदेश न दिया हो, परमिट में की गयी शुद्धता को सम्बन्धित प्राधिकारी का नाम बढ़ाते हुये शब्द "..............................के लिए भी विधिमान्य" के साथ पृष्ठांकित करेगा और प्रतिस्थापन का तथ्य और विशिष्टियां ऐसे प्राधिकारी को सूचित करेगा।

(2) जब तक परमिट को उप नियम (1) में यथा उपबन्धित पृष्ठांकित न कर दिया गया हो या जब तक परिवर्तन को प्रतिहस्ताक्षर करने वाला प्राधिकारी द्वारा पृष्ठांकन द्वारा अनुमोदित न कर दिया गया हो, किसी परमिट पर प्रतिहस्ताक्षर किसी नये यान के सम्बन्ध में विधिमान्य नहीं होगा।

86—परमिट के रद्द होने, निलम्बित होने या समाप्त होने पर प्रक्रिया—(1) परमिट धारक किसी समय परमिट को ऐसे परिवहन प्राधिकरण को जिसके द्वारा वह स्वीकृत किया गया था अभ्यर्पित कर सकेगा और परिवहन प्राधिकरण तुरन्त इस प्रकार अभ्यर्पित परमिट को रद्द कर देगा।

(2) जब कोई परिवहन प्राधिकरण किसी परमिट को निलम्बित या रद्द करता है, तब—

(एक) धारक परिवहन प्राधिकरण की लिखित मांग की प्राप्ति के सात दिन के भीतर परमिट अभ्यर्पित कर देगा,

(दो) परमिट को निलम्बित या रद्द करने वाला प्राधिकारी उन प्राधिकारियों को सूचना भेजेगा जिनके द्वारा परमिट को प्रतिहस्ताक्षरित किया गया है और जिसके क्षेत्र में नियम 75 के अधीन विधिमान्यता का विस्तार किया गया है।

(3) किसी परमिट की समय व्यतीत हो जाने के कारण समाप्ति के चौदह दिन के भीतर परमिट धारक परमिट को उस परिवहन प्राधिकरण को देगा जिसके द्वारा वह जारी की गयी थी और किसी ऐसी परमिट को प्राप्त करने वाला परिवहन प्राधिकरण उस प्राधिकरण को या उन प्राधिकरणों को जिनके द्वारा वह प्रतिहस्ताक्षरित की गयी थी और अन्य प्राधिकारी को जिसके क्षेत्र में नियम 75 के अधीन उसकी विधिमान्यता का विस्तार किया गया हो तथ्य की सूचना देगा।

(4) परमिट धारक यदि ऐसा अपेक्षित हो, परिवहन प्राधिकरण को निलम्बन आदेश की प्राप्ति के 24 घंटे के भीतर उस स्थान की सूचना देगा जहां वह यान जिसके सम्बन्ध में आदेश पारित किया गया हो, निलम्बन की अवधि के दौरान रखी जायेगी। धारा 192 की उपधारा (2) और धारा 192-क की उप धारा (2) के उपबन्धों के अधीन ऐसा धारक परिवहन प्राधिकरण की पूर्व अनुज्ञा के बिना इस प्रकार सूचित स्थान से यान को नहीं हटायेगा।

87—परमिट का अन्तरण–(1) जब परमिट का धारक 82 के अधीन परमिट को किसी अन्य व्यक्ति को अन्तरित करना चाहता है, तब वह तथा वह व्यक्ति जिसको वह अन्तरित करना चाहता है प्रपत्र एस० आर०-33 में ऐसे परिवहन प्राधिकरण को जिसके द्वारा परमिट जारी की गयी थी, प्रस्तावित अंतरण का कारण देते हुए संयुक्त आवेदन-पत्र देगा।

(2) उप-नियम (1) के अधीन आवेदन-पत्र की प्राप्ति पर परिवहन प्राधिकरण परमिट के धारक और अन्य पक्षकार से उनके बीच हस्तान्तरित किये जाने वाले या हस्तान्तरित किये गये किसी भी नियम, भुगतान या अन्य प्रतिफल और ऐसे किसी भी नियम, भुगतान या अन्य प्रतिफल की धनराशि और प्रकृति का लिखित कथन करने की अपेक्षा कर सकता है।

(3) ऐसे किसी अन्य शास्ति पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, जिसके लिए पक्षकार भागी हो सकते हैं, इस नियम के अधीन किसी आवेदन-पत्र पर आदेशित परमिट का कोई अन्तरण परिवहन प्राधिकरण द्वारा रद्द किया जा सकता है यदि उसे यह विश्वास करने का कारण हो कि आवेदन-पत्र में या उपनियम (2) के अधीन दिये गये तथ्य मनगढ़न्त हैं किन्तु ऐसा कोई आदेश तब तक पारित नहीं किया जायेगा जब तक पक्षकारों को सुनवाई का अवसर न दिया गया हो,

(4) परिवहन प्राधिकरण आवेदन-पत्र के दोनों पक्षकारों को अपने सामने उपस्थित होने के लिए बुला सकता है और यदि वह उचित समझे, आवेदन-पत्र पर ऐसे कार्यवाही कर सकता है मानों वह परमिट के लिए आवेदन-पत्र था।

(5) (एक) यदि परिवहन प्राधिकरण का समाधान हो जाय कि परमिट का अन्तरण समुचित रूप से किया जा सकता है तो वह परमिट धारक को आदेश की प्राप्ति के सात दिन के भीतर परमिट को अभ्यर्पित करने के लिए लिखित रूप में कहेगा और इसी तरह उस व्यक्ति को जिसको अनुज्ञा-पत्र अन्तरित किया जाना हो नियम 125 के अधीन यथा विनिर्दिष्ट फीस जमा करने के लिए कहेगा।

(दो) परमिट और अपेक्षित फीस की प्राप्ति पर, परिवहन प्राधिकरण उस पर धारक की विशिष्टियां रद्द कर देगा और अन्तरिती की विशिष्टयां पृष्ठांकित करेगा और अन्तरिती को परमिट वापस कर देगा।

(तीन) उपर्युक्तानुसार परमिट को अन्तरित करने वाला परिवहन प्राधिकरण यदि ऐसे अन्य प्राधिकारी जिसके द्वारा परमिट पर प्रतिहस्ताक्षर किया गया है, सामान्य या विशेष आदेश द्वारा अन्यथा अपेक्षा न की गयी हो, तो उस प्राधिकारी का जिसके द्वारा परमिट पर प्रतिहस्ताक्षर किया गया हो नाम अन्तःस्थापित करते हुए शब्द "....................के लिए परमिट का विधिमान्य अन्तरण" परमिट पर पृष्ठांकित कर सकता है।

(चार) जब तक कि परमिट को खण्ड (तीन) के उपबन्धों के अनुसार पृष्ठांकित न कर दिया गया हो या परमिट को प्रतिहस्ताक्षरित करने वाले प्राधिकारी द्वारा पृष्ठांकित परमिट को अनुमोदित न कर दिया गया हो अन्तरण के दिनांक के पश्चात् प्रतिहस्ताक्षर का कोई प्रभाव नहीं होगा।

88—खोयी, नष्ट हुई परमिटों के स्थान पर दूसरी प्रति का जारी किया जाना—(1) जब कोई परमिट खो गयी हो या नष्ट हो गयी हो, तब धारक तुरन्त तथ्य की सूचना उस परिवहन प्राधिकरण को जिसके द्वारा परमिट जारी की गयी थी, देगा और दूसरी प्रति जारी करने के लिए नियम 125 के अधीन यथा विनिर्दिष्ट फीस जमा करेगा।

परन्तु यह कि उप नियम (4) के अधीन जारी की गई परमिट की दशा में, कोई फीस प्रभार्य नहीं होगी यदि मूल परमिट पिछले पांच वर्ष के पूर्व जारी की गयी थी।

(2) परिवहन प्राधिकरण उप नियम (1) के अधीन आवेदन-पत्र की प्राप्ति पर, आवेदक से ऐसा शपथ-पत्र या घोषणा पत्र दाखिल करने के लिए कह सकता है कि परमिट जिसके सम्बन्ध में आवेदन-पत्र दिया गया है वास्तव में खो गयी

है या नष्ट हो गयी है और उसे अधिनियम के अधीन विहित सक्षम प्राधिकारी द्वारा जब्त नहीं किया गया है और अपना समाधान करने के पश्चात कि यह इस प्रकार खो गयी है या नष्ट हो गयी है, दूसरी प्रति जारी कर सकता है और उस सीमा तक जिस तक वह तथ्यों का सत्यापन करने में समर्थ है उस पर अन्य प्राधिकरण द्वारा किसी प्रति-हस्ताक्षर की प्रमाणित प्रति को उस प्राधिकरण को तथ्य से सूचित करते हुए पृष्ठांकित कर सकता है।

(3) इस नियम के अधीन जारी की गई दूसरी परमिट पर स्पष्ट रूप से लाल स्याही से "दूसरी प्रति" चिन्हित होगा और इस नियम के अधीन किसी परमिट पर किसी अन्य प्राधिकरण द्वारा किये गये किसी प्रतिहस्ताक्षर की प्रमाणित प्रति विधिमान्य होगी मानों वह प्रतिहस्ताक्षर हो।

(4) जब कोई परमिट गन्दी हो गयी हो, फट गयी हो या अन्यथा इस प्रकार विरूपित हो गयी हो कि परिवहन प्राधिकरण की राय में वह अपठनीय हो, तब उसका धारक परिवहन प्राधिकरण को परमिट अभ्यर्पित कर देगा और इस नियम के अनुसार दूसरी परमिट जारी करने के लिए आवेदन करेगा।

(5) कोई परमिट जो किसी व्यक्ति द्वारा पायी जाती है, उस व्यक्ति द्वारा निकटतम पुलिस थाने पर या धारक को या उस परिवहन प्राधिकरण को जिसके द्वारा वह जारी की गयी थी परिदत्त कर दी जायेगी और यदि धारक उस परमिट को जिसके सम्बन्ध में दूसरी प्रति जारी की गयी है पाता है, प्राप्त करता है तो वह मूल को उस परिवहन प्राधिकरण को जिसके द्वारा वह जारी की गयी थी, वापस कर देगा।

89—परमिट का प्रस्तुत किया जाना—परमिट सदैव यान में ले जायी जायेगी और किसी युक्तियुक्त समय पर नियम 227 के उप नियम (1) में विनिर्दिष्ट परिवहन विभाग के किन्हीं अधिकारियों द्वारा मांग पर प्रस्तुत की जायेगी और ऐसा अधिकारी यान का निरीक्षण करने के प्रयोजनार्थ किसी परिवहन यान में प्रवेश कर सकता है।

90—किसी मंजिली गाड़ी या ठेका गाड़ी में छोड़ी गयी सम्पत्ति को सुरक्षित अभिरक्षा में रखना और उसका निस्तारण—(1) जहां कोई परमिट धारक या उनका कर्मचारी यान में छोड़ी गयी किसी वस्तु को प्राप्त करता है, वहां वह उस वस्तु को सात दिन की अवधि के लिये रखेगा और यदि उस अवधि के दौरान वस्तु का दावा प्रस्तुत नहीं किया जाता है, तो उसे निकटतम पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी को दे देगा,—

परन्तु यह कि यदि वस्तु नाशवान प्रकृति की हो तो उसे सात दिन की समाप्ति के पूर्व भी निटकतम पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी को दिया जा सकता है।

(2) जहां पूर्ववर्ती उप नियम में उल्लिखित अवधि के दौरान,—

(एक) वस्तु का दावा एक से अनधिक व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत किया जाय, वहां परमिट धारक ऐसी जांच करने के पश्चात् जैसी वह उचित समझे, और यदि आवश्यक हो दावेदार से क्षतिपूर्ति करार लेने के पश्चात् दावेदार को वस्तु दे सकता है, और

(दो) वस्तु का दावा दो या अधिक व्यक्तियों द्वारा प्रस्तुत किया जाय, तब परमिट धारक उसे निकटतम पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी को दे सकता है।

91—राज्य या सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण के आदेश के विरुद्ध अपील—

(1) धारा 89 की उपधारा (1) के खण्ड (क), (ख), (ग), (घ), (ङ), (च) और (छ), में व्यपहृत मामलों के सम्बन्ध में राज्य परिवहन प्राधिकरण या सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण के आदेश के विरुद्ध अपील का विनिश्चय करने वाला प्राधिकारी धारा 89 की उपधारा (2) के अधीन गठित राज्य परिवहन अपील अधिकरण होगा।

(2) उप नियम (1) में निर्दिष्ट किसी आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति आदेश की प्राप्ति के दिनांक से तीस दिन के भीतर उक्त अधिकरण के अध्यक्ष को ज्ञापन के रूप में अपील कर सकता है। ज्ञापन में संक्षिप्त रूप में और भिन्न शीर्षकों के अधीन अपील किए गये आदेश के प्रति आपत्ति के आधार दिये जायेंगे। ज्ञापन के साथ आवश्यक संख्या में लिफाफों और रजिस्टर्ड डाक द्वारा राज्य और संभागीय परिवहन प्राधिकरणों से भिन्न प्रतिवादियों पर नोटिसों की तामीली करने के लिए आवश्यक डाक स्टाम्पों के साथ उसकी उतनी प्रतियां होंगी जितने प्रतिवादी हैं और उसके साथ अपील किए गये आदेश की एक प्रमाणित प्रति भी होगी।

274

(3) (एक) अपील अपीलार्थी द्वारा स्वयं या इस निमित्त सम्यक् रूप से प्राधिकृत किसी अभिकर्त्ता या अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत की जा सकती है और उस पर बहस किया जा सकता है। परिवहन प्राधिकरण से भिन्न प्रतिवादी के ओर से, अपील कर स्वयं प्रतिवादी द्वारा या किसी अभिकर्त्ता द्वारा या इस निमित सम्यक् रूप से प्राधिकृत अधिवक्ता द्वारा बहस किया जा सकता है।

(दो) परिवहन प्राधिकरण की ओर से, उप परिवहन आयुक्त (अधिकरण) या परिवहन विभाग का कोई अधिकारी, या इस निमित्त परिवहन आयुक्त द्वारा सम्यक रुप से प्राधिकृत कोई अभिकर्त्ता या अधिवक्ता अपील पर बहस कर सकता है और सामान्यतया अपील अधिकरण के समक्ष उपस्थित हो सकता है, कार्य कर सकता है और अभिवचन कर सकता है।

(4) उप नियम (1), (2) और (3) के अनुसार कोई अपील प्राप्त होने पर अधिकरण सम्बन्धित परिवहन प्राधिकरण, अन्य प्रतिवादियों, यदि कोई हो, और अपीलार्थी को कम से कम तीस दिन की नोटिस देते हुए अपील की सुनवाई के लिए कार्यालय समय के भीतर कोई दिनांक निर्धारित कर सकता है और इस दशा में अपीलार्थी को नियम 125 के अधीन यथा विनिर्दिष्ट फीस जमा करने का आदेश देगा।

(5) सुनवाई के दिनांक की नोटिस रजिस्टर्ड डाक द्वारा अपीलार्थी और परिवहन प्राधिकरण से भिन्न प्रतिवादी को अपील के ज्ञापन में दिये गये पते पर या किसी अन्य पते पर जो उनके द्वारा इस प्रयोजन के लिए प्रस्तुत किया जाय, दी जायेगी। परिवहन प्राधिकरण को नोटिस उप परिवहन आयुक्त (अधिकरण) के माध्यम से या ऐसे अन्य व्यक्ति के माध्यम से जिसे अपील अधिकरण के समक्ष अपील पर बहस करने के लिए नियुक्त किया जाय, दी जायेगी।

(6) अपील अधिकरण चूक करने पर या अपीलकर्ता द्वारा अपील के खारिज होने के आदेश की जानकारी के दिनांक से पन्द्रह दिन के भीतर प्रस्तुत किये गये किसी आवेदन-पत्र पर अभियोजन के अभाव में खारिज की गयी किसी अपील को पर्याप्त कारणों से फिर से चालू कर सकता है।

(7) सुनवाई के दिनांक की सूचना प्राप्त होने पर 14 दिन के भीतर अपीलार्थी अधिकरण को उन दस्तावेजों की प्रतियां प्रस्तुत करेगा जिन पर अपीलार्थी निर्भर होने का प्रस्ताव करता है। प्रतिवादी को अपीलार्थी द्वारा दस्तावेज प्रस्तुत करने के एक सप्ताह के भीतर उन कागजातों को प्रस्तुत करने का अधिकार होगा जिन पर वह निर्भर करता है।

(8) राज्य परिवहन प्राधिकरण या सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण का सचिव, उप नियम (2) के अधीन की गयी अपील के सम्बन्ध में किसी दस्तावेज की प्रतियां, नियम 125 के अधीन यथा विनिर्दिष्ट फीस के भुगतान पर, दे सकता है।

(9) राज्य परिवहन प्राधिकरण या सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण का सचिव ऐसी अपील से सम्बन्धित पत्रावली का निरीक्षण करने की, अपील में हितबद्ध किसी व्यक्ति को नियम 125 के अधीन यथा विनिर्दिष्ट फीस का भुगतान करने पर अनुमति दे सकता है।

✓**92— अपील या पुनरीक्षण में किसी पक्षकार की मृत्यु हो जाने की दशा में प्रक्रिया**–(1) जहा अपीलार्थियों या पुनरीक्षणकर्ताओं में से एक की मृत्यु हो जाय और शेष अपीलार्थियों या पुनरीक्षणकर्ताओं द्वारा मामले को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है, या जहां एकमात्र अपीलार्थी या पुनरीक्षणकर्ता की मृत्यु हो जाय, वहां अधिकरण विधिक प्रतिनिधि को उपस्थित हो सकने और पक्षकार होने के लिए आवेदन कर सकने के लिए मामले की अग्रेतर सुनवाई को स्थगित कर देगा। यदि विधिक प्रतिनिधि अपीलकर्ता या पुनरीक्षणकर्ता की मृत्यु के दिनांक से 90 दिन के भीतर ऐसा करने में विफल रहता है तो अपील या पुनरीक्षण पूर्ण रूप से या जहां तक यथास्थिति, मत अपीलार्थी या पुनरीक्षणकर्ता सम्बन्धित हो, समाप्त हो जायगा।

(2) जहां अपील या पुनरीक्षण लम्बित रहने के दौरान किसी प्रतिवादी की मृत्यु हो जाय और जब तब उसका विधिक प्रतिनिधि अभिलेख पर न लाया जाय, मामला आगे नहीं बढ़ सकता हो, वहां अधिकरण प्रतिवादी की मृत्यु के दिनांक से 90 दिन के भीतर इस निमित्त दिये गये आवेदन-पत्र पर मृत प्रतिवादी के विधिक प्रतिनिधि को पक्षकार बनायेगा और मामले पर आगे कार्यवाही करेगा। यदि ऐसे समय के भीतर इस निमित कोई आवेदन-पत्र न दिया जाय तो मृत प्रतिवादी के सम्बन्ध में अपील या पुनरीक्षण समाप्त हो जायगा।

(3) उप नियम (1) या (2) में किसी बात के होते हुए भी, सुनवाई के समाप्ति और आदेश पारित होने के बीच किसी पक्षकार की मृत्यु होने के कारण अपील या पुनरीक्षण का उपशमन नहीं होगा और ऐसे मामले में आदेश मृत्यु के होते हुए भी, पारित किया जायगा। ऐसे आदेश का वही बल और प्रभाव होगा मानों वह मृत्यु होने के पूर्व पारित किया गया था।

(4) यदि किसी अपील या पुनरीक्षण में यह प्रश्न उठता हो कि कोई व्यक्ति मृत अपीलार्थी या पुनरीक्षणकर्ता या प्रतिवादी का विधिक प्रतिनिधि है या नहीं, तो ऐसे प्रश्न का अवधारण अधिकरण द्वारा सरसरी तौर से साक्ष्य लेने के पश्चात् या अन्यथा, जैसा आवश्यक समझा जाय, किया जा सकता है।

(5) अपीलार्थी या पुनरीक्षणकर्ता या किसी मृत अपीलार्थी या पुनरीक्षणकर्ता या विधिक प्रतिनिधि होने का दावा करने वाला कोई व्यक्ति उपशमन को अपास्त करने के आदेश हेतु आवेदन कर सकता है और यदि यह साबित हो जाय कि वह किसी पर्याप्त कारण से अपील या पुनरीक्षण को जारी रखने से रोका गया था, तो अधिकरण उपशमन को अपास्त करेगा और अपील या पुनरीक्षण पर आगे कार्यवाही करेगा।

93—प्रतियों की आपूर्ति–(1) अधिकरण अपील में हितबद्ध किसी व्यक्ति को न्यायालय फीस लेबिल जिस पर शब्द "केवल प्रतियों के लिये" मुद्रित हो, के रुप में नियम 125 में विनिर्दिष्ट फीस और उत्तर प्रदेश में जिसकी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में समय-समय पर संशोधित भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1889 (अधिनियम संख्या 2 सन् 1889) की अनुसूची 1-ख के अनुच्छेद 24 के अधीन देय स्टाम्प शुल्क, यह उत्तर प्रदेश में उसकी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में समय-समय पर यथासंशोधित न्यायालय फीस अधिनियम, 1870 (अधिनियम संख्या 7 सन् 1870) की अनुसूची 1 के अनुच्छेद 6 से 9 के अधीन देय न्यायालय फीस का भुगतान करने पर अपील से सम्बन्धित किसी दस्तावेज की प्रतियां दे सकता है।

(2) आदेश की प्रतियां परिवहन प्राधिकरणों को, जिन्होंने प्रतिवादी के रूप में मुकदमा किया हो, निःशुल्क दी जायेगी।

94—अपीलों की प्रक्रिया–नियम 91 के उप नियम (1) के अधीन किसी अपील की सुनवाई करने के लिए राज्य सरकार द्वारा अधिकरण की नियुक्ति की दशा में, या नियम 91 के उप नियम (4) से अधीन सुनवाई के लिए अपील प्राधिकारी द्वारा समय नियत करने की दशा में अपीलार्थी सुनवाई होने की सूचना प्राप्त होने के चौदह दिन के भीतर यथास्थिति अधिकरण को या अपील प्राधिकारी को उन दस्तावेजों की एक सूची तथा दो प्रतियों में ऐसे दस्तावेजों की प्रतियां जिन पर वह निर्भर होने का प्रस्ताव करता है, अग्रसारित करेगा और नियत दिनांक को और पश्चात्वर्ती सुनवाई पर या तो स्वयं या अनुमोदित अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित हो सकता है।

95—पत्रावलियों का निरीक्षण–देय न्यायालय फीस के अतिरिक्त नियम 125 के अधीन किसी एक घन्टे या उसके भाग के लिए विनिर्दिष्ट फीस के भुगतान पर किसी पत्रावली के निरीक्षण की अनुमति दी जायेगी।

96—कार्य के समय का अग्रिम में निर्धारण–इस नियम में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी किसी परिवहन यान के ड्राइवर के नियोजक से उक्त प्राधिकारी के संतोषानुसार ऐसी समय सारिणी, अनुसूची या विनियम, जो अग्रिम में उनके द्वारा नियोजित ड्राइवर से कार्य का समय निर्धारित करने के लिए आवश्यक हो, बनाने की अपेक्षा कर सकता है और ऐसे प्राधिकारी द्वारा उपर्युक्तानुसार किसी समय सारिणी, अनुसूची विनियम का अनुमोदन करने पर वह धारा 91 की उपधारा (3) और (4) के प्रयोजनों के लिए निर्धारित कार्य के समय का अभिलेख होगा।

प्राधिकारी :–ऐसे परिवहन यानों के, जो निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए या उनके सम्बन्ध में प्रयोग की जाती है–

कोई सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण–(एक) पांच से अन्यून मंजिली गाड़ियों की सेवा के लिए,

(दो) केवल सम्भाग के भीतर एक या दो परमिटों के अधीन एक परमिट धारक द्वारा चलाये गये माल वाहन के कारबार के लिए।

राज्य परिवहन प्राधिकरण–किसी मंजिली गाड़ी या परमिट जो उसी परमिट धारक द्वारा यथास्थिति पांच से अन्यून मंजिली गाड़ियों या माल वाहनों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करती हो।

97—मंजिली गाड़ियों में यात्रियों का आचरण–(1) कोई व्यक्ति किसी मंजिली गाड़ी में जब वह गति में हो, प्रवेश नहीं करेगा, न उसे छोड़ेगा, न उसमें प्रवेश करने या उसे छोड़ने की चेष्टा करेगा।

(2) कोई व्यक्ति प्रवेश या निकास के प्रयोजन के लिए प्राविधानित मार्ग द्वार के सिवाय किसी मंजिली गाड़ी में न तो प्रवेश करेगा और न उससे उतरेगा।

(3) कोई व्यक्ति किसी मंजिली गाड़ी में तब तक प्रवेश नहीं करेगा जब तक कि उससे उतरने वाले समस्त यात्रियों को उतरने का अवसर न देगा।

(4) कोई व्यक्ति जानबूझकर या इरादे से इस नियमावली के अधीन विहित यात्री क्षमता की सीमा के अनुसार अधिकतम संख्या में यात्रियों को ले रही मंजिली गाड़ी में प्रवेश नहीं करेगा।

(5) कोई यात्री या कोई अन्य व्यक्ति ड्राइवर के प्लेटफार्म पर नहीं चढ़ेगा न उससे बातचीत करेगा, और न उसको बाधा पहुंचायेगा या अन्यथा मंजिली गाड़ी के ड्राइवर का जब वह गाड़ी चला रहा हो ध्यान दूसरी ओर हटायेगा।

(6) कोई यात्री परमिट धारक के किसी कर्मचारी को मंजिली गाड़ी में उसके कर्तव्य के निष्पादन में बाधा नहीं पहुंचायेगा।

(7) कोई यात्री मंजिली गाड़ी के किसी सीट पर अपना पांव नहीं रखेगा।

(8) वास्तविक यात्री या इच्छुक यात्री के सिवाय कोई व्यक्ति जो परमिट धारक द्वारा इस निमित्त सम्यक रूप से प्राधिकृत व्यक्ति न हो, मंजिली गाड़ी पर नहीं चढ़ेगा और कोई यात्री किसी मंजिली गाड़ी के किसी बाहरी भाग की ओर नहीं लटकेगा।

(9) कोई व्यक्ति किसी मंजिली गाड़ी में नहीं चढ़ेगा जब तक कि वह पास धारण नहीं करता हो या यात्रा के लिए जिसे वह करना चाहता हो किराये का भुगतान करके टिकट न प्राप्त कर लिया हो।

(10) कोई टिकट केवल उस यात्रा के लिए और उस मंजिली गाड़ी के लिए जिसके लिए वह जारी किया गया हो, विधि मान्य होगा।

(11) कोई यात्री किसी मंजिली गाड़ी में ऐसे गंतव्य स्थान के, जिसके लिए उसने ऐसे किराये का जो उसे यात्रा करने के लिए हकदार बनाता हो, भुगतान किया हो, कंडक्टर को सूचना दिए बिना और अतिरिक्त यात्रा के लिए विधिक किराया दिये बिना आगे यात्रा नहीं करेगा। प्रत्येक यात्री जब ऐसा अपेक्षित हो उस बस से जिसमें यह यात्रा कर रहा हो मार्ग के उस टर्मिनल पर जिसके लिए वह टिकट लिया हो, उतर जायेगा।

(12) यदि किसी मंजिली गाड़ी में कोई यात्री किसी समय—

(एक) उच्छ्रृंखल व्यवहार करता हो, या

(दो) ऐसा व्यवहार करता है जिससे स्त्री यात्री को क्षोभ हो, या

(तीन) गाली-गलौज करता हो, या

(चार) किसी अन्य यात्री का उत्पीड़न करे, या

(पांच) साथी यात्री के आपत्ति करने के बावजूद या गाड़ी में ईंधन भरे जाते समय धूम्रपान करे, या

(छः) थूकता हो, या

(सात) ड्राइवर या कण्डक्टर को उसके कर्तव्यों के निष्पादन में बाधा पहुंचाता हो, या

(आठ) किराये का भुगतान करने से इन्कार करता हो या उसका भुगतान करने में असमर्थ हो, या

(नौ) किसी प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा मांगने पर टिकट दिखाने से इन्कार करता हो, या

(दस) जब उसने अपने टिकट को इस प्रकार परिवर्तित या विरूपित कर दिया हो जिससे कि उसकी संख्या या उसका कोई भी भाग अपठनीय हो जाय, फिर से किराया देने से इन्कार करता हो, या

(ग्यारह) किसी विशिष्ट यात्रा के लिए विधिमान्य टिकट से भिन्न किसी टिकट का, या ऐसे टिकट का जिसका किसी अन्य यात्री द्वारा पहले ही प्रयोग किया जा चुका हो, प्रयोग करे या प्रयोग करने का प्रयास करे या किसी अन्य यात्रा पर हो, या

(बारह) एक से अधिक सीट को दखल करता हो या किसी अन्य सीट को या तो स्वयं के लिए या किसी अन्य यात्री के लिए रोक रखता हो, या रोके रखने का प्रयास करता हो, या

(तेरह) ऐसा कपड़ा पहने है या उसके कब्जे में है जिससे किसी अन्य यात्री के ड्रेस या कपड़े के गन्दा होने या क्षति होने की सम्भावना हो या जो किसी अन्य कारण से अन्य यात्री के लिए घृणोत्पादक हो, या

(चौदह) ऐसे आकार या प्रकार का सामान रखता हो जिससे किसी अन्य यात्री को बाधा, कष्ट या असुविधा होने की सम्भावना हो, या

(पन्द्रह) ऐसा कोई पदार्थ या वस्तु ले जाता हो जिससे किसी अन्य यात्री को कष्ट पहुंचने या असुविधा होने या घृणा उत्पन्न होने की सम्भावना हो, या

(सोलह) विधिपूर्ण प्रति हेतु बिना स्त्रियों के लिए पूर्ण रूप से आरक्षित किसी सीट का दखल करता हो, या

(सत्रह) जानबूझ कर मंजिली गाड़ी के भीतर या बाहर किसी संधारण (फिटिंग्स) को नष्ट करता, क्षति पहुंचाता हो या हटाता हो या मंजिली गाड़ी के किसी लाइट या किसी भाग या उसके उपस्कर में हस्तक्षेप करता हो, या

(अट्ठारह) बिना विधिपूर्ण प्रतिहेतु के मंजिली गाड़ी के किसी सिग्नल को बजाता है या हस्तक्षेप करता है, या

(उन्नीस) उसका किसी सांसर्गिक या संक्रामक रोग से पीड़ित होने का युक्तियुक्त सन्देह किया जाता हो, या

(बीस) अधिनियम के अधीन कोई अपराध करता हो या उसके करने को दुष्प्रेरित करता हो।

नियम 227 के उप नियम (1) में विनिर्दिष्ट परिवहन विभाग का कोई अधिकारी या ड्राइवर या कण्डक्टर ऐसे यात्री से गाड़ी से तुरन्त उतरने की अपेक्षा कर सकता है और गाड़ी को तब तक रोक सकेगा और उसे खड़ा रख सकेगा, जब तक कि यात्री उतर न जाय। ऐसा यात्री ऐसे किसी किराये की वापसी का हकदार नहीं होगा जिसका उसने भुगतान कर दिया हो और ऐसा अपेक्षा का तुरन्त पालन करने में विफल रहने वाले किसी यात्री को जबरदस्ती कण्डक्टर या ड्राइवर द्वारा हटाया जा सकेगा और वह धारा 177 के अधीन किसी दण्डनीय अपराध का दोषी होगा।

(13) ऐसा यात्री जिस पर इस नियम के किन्हीं उपबन्धों का उल्लंघन करने का सन्देह हो, नियम 227 के उप नियम (1) में विनिर्दिष्ट परिवहन विभाग के किसी अधिकारी या ड्राइवर या कण्डक्टर द्वारा मांग किये जाने पर अपना सही नाम और पता ऐसे अधिकारी, ड्राइवर या कण्डक्टर को देगा।

(14) उप नियम (9) और (10) और उप नियम (12) के खण्ड (एक), (दो), (पांच), (सात), (आठ), और (बीस) में हिन्दी पाठ में वर्णित यात्रियों के कर्तव्यों की सूची की एक प्रति प्रत्येक यात्री गाड़ी में किसी सुस्पष्ट स्थान पर ले जायी जायेगी।

98—बस स्टैण्डों और मंजिली-गाड़ियों में परवाद पुस्तकों का अनुरक्षण—(1) प्रपत्र संख्या एस० आर० 34 में परिवाद पुस्तक जिसके पृष्ठ क्रम से संख्यांकित हो, तीन प्रतियों में प्रत्येक बस स्टैण्ड पर और प्रत्येक मंजिली गाड़ी में भी रखा जायेगा जिससे मंजिली गाड़ी सेवा के सम्बन्ध में यात्री कोई वैध परिवाद अभिलिखित कर सके, परिवाद अभिलिखित करने वाला कोई यात्री परिवाद अभिलिखित करने के तुरन्त पश्चात् परिवाद की एक प्रति लेने का हकदार होगा।

किसी मंजिली गाड़ी का ड्राइवर और कण्डक्टर यात्रा प्रारम्भ करने के पूर्व यह सुनिश्चित करेगा कि मंजिली गाड़ी में परिवाद पुस्तक रखी है।

(2) ऐसा परिवाद स्पष्ट रूप से और बोधगम्य रीति से लिखा जायेगा और परिवादी स्पष्ट रूप से और पठनीय रूप से परिवाद पुस्तक में अपना पूरा नाम, पता, समय और दिनांक जब परिवाद लिखा जाय, भी अभिलिखित करेगा।

(3) यथास्थिति, मंजिली गाड़ी सेवा का ड्राइवर या मंजिली गाड़ी का परमिट धारक परिवाद पुस्तक में अभिलिखित प्रत्येक परिवाद को देखेगा। यथासम्भव परिवाद के कारण को दूर करेगा और परिवाद की एक प्रति के साथ उस परिवहन प्राधिकरण को जिसने परमिट दिया हो परिवाद के सम्बन्ध में उसके द्वारा की गयी कार्यवाही का उल्लेख करते हुए रिपोर्ट करेगा। रिपोर्ट की एक प्रति यथास्थिति मंजिली गाड़ी सेवा के प्रचालक या मंजिली गाड़ी के परमिट धारक द्वारा परिवादी को अग्रसारित की जायेगी।

(4) परिवाद पुस्तक मंजिली गाड़ी में और बस स्टैण्ड पर इस प्रकार सुरक्षित रूप से रखी जायेगी कि हटाये जाने के जोखिम के विरुद्ध पर्याप्त सुरक्षा हो सके और परिवाद अभिलिखित करने के इच्छुक किसी यात्री को या नियम 227 के उप नियम (1) में उल्लिखित परिवहन विभाग के किसी अधिकारी को हर समय उपलब्ध कराया जायेगा।

99—बालकों और शिशुओं को सार्वजनिक सेवा यान में ले जाया जाना—ऐसे व्यक्तियों की जिन्हें किसी सार्वजनिक सेवा यान में ले जाया जा सके संख्या के सम्बन्ध में—

(एक) बारह वर्ष से अनधिक आयु वाले बच्चे को आधा समझा जायेगा, और

(दो) पांच वर्ष से अनधिक आयु वाले बच्चे को छोड़ दिया जायेगा।

100—शवों का ले जाया जाना—किसी परिवहन यान का कोई ड्राइवर, कण्डक्टर या प्रभारी ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों से, जिनके द्वारा शव को ले जाने के प्रयोजन के लिए यान को प्रकट रूप से किराये पर लिया गया हो, भिन्न किसी व्यक्ति को ऐसे यान में जब ऐसा यान किसी यात्री को ले जाने के लिए किराये पर चल रही हो शव को रखने या ले जाने की अनुज्ञा नहीं देगा।

101—माल वाहन में व्यक्तियों का ले जाया जाना—(1) किसी यान, जो राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार की ओर से या सेना या पुलिस को ले जाये जाने के लिए प्रयोग की जा रही हो या किसी मंजिली गाड़ी जिसमें यत्रियों के अतिरिक्त माल ले जाया जा रहा हो, के मामले को छोड़कर किसी माल वाहन में, यान के स्वामी या किराये पर लेने वाले व्यक्ति या स्वामी के या किराये पर लेने वाले के किसी वास्तविक कर्मचारी से भिन्न कोई व्यक्ति इस नियम के अनुसार के सिवाय, कोई व्यक्ति नहीं ले जाया जायेगा;

परन्तु यह कि राज्य सरकार विशेष या सामान्य आदेश द्वारा ऐसी किसी सहकारी समिति या सहकारी समतियों के वर्ग को जिसके पास कोई माल वाहन हो या जिसने उसे किराये पर लिया हो ऐसे माल वाहन में जब इसका प्रयोग समिति के कार्य के दौरान समिति के माल को ले जाने के लिए किया जाय अपने प्राधिकार के अधीन अपने किन्हीं सदस्य को ले जाने के लिए अनुज्ञा दे सकती है।

परन्तु यह और कि राज्य सरकार विशेष या सामान्य आदेश द्वारा यह निर्धारित कर सकती है कि वाहन के स्वामी या उसे किराये पर लेने वाले का प्रमाणिक कर्मचारी यथास्थिति, उसके स्वामी या किरायेदार से लिखित प्राधिकार के अधीन के सिवाय ऐसे माल वाहन में यात्रा नहीं करेगा।

(2) किसी माल वाहन के कैब में उस संख्या से अधिक जिसके लिए प्रत्येक व्यक्ति के बैठने के लिए सैंतीस सेन्टीमीटर माप के स्थान की दर से बैठने का स्थान है, जिसमें ड्राइवर का सुरक्षित स्थान सम्मिलित नहीं है, कोई व्यक्ति नहीं ले लाया जायेगा और किसी माल वाहन में ड्राइवर के अतिरिक्त कुल मिलाकर छह से अधिक व्यक्तियों को नहीं ले जाया जायेगा;

(3) किसी व्यक्ति को माल के ऊपर बैठाकर या अन्यथा ऐसी रीति से नहीं ले जाया जायेगा कि ऐसे व्यक्ति का वाहन से गिरने का खतरा हो और किसी भी स्थिति में भी, किसी व्यक्ति को माल वाहन में ऐसी रीति से नहीं ले जाया जाएगा कि उसके शरीर का कोई अंग जब वह बैठा हो उस सतह से जिस पर यान खड़ा होता है 3.5 मीटर से अधिक की ऊंचाई पर हो;

(4) उप नियम (2) के प्राविधानों के होते हुए भी परिवहन प्राधिकरण किसी माल वाहन के लिए स्वीकृत परमिट की शर्त के रूप में शर्त विनिर्दिष्ट कर सकता है, जिसके अधीन रहते हुए यान में व्यक्तियों को अधिक संख्या में ले जाया जा सकता है। परन्तु यह कि ऐसी संख्या वर्ग मीटर में मापे गये यान के फर्श को सात से भाग देने पर प्राप्त भजनफल से अधिक नहीं होगी;

(5) इस नियम के किसी बात से यह नहीं समझा जायेगा कि वह किसी यान पर किसी व्यक्ति को किराए या पारिश्रमिक के लिए ले जाने के लिए प्राधिकृत करता है जब तक कि यान के सम्बन्ध में कोई परमिट, जो ऐसे प्रयोजन के लिए यान के प्रयोग को प्राधिकृत करती हो, प्रवृत्त न हो और ऐसी परमिट के प्राविधानों के अनुसार नहीं हो;

(6) इस नियम के उपबन्ध धारा 60 के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी यान पर लागू नहीं होंगे।

102—माल वाहन द्वारा माल ले जाने का कर्तव्य—युक्तियुक्त और विधि-संगत प्रति हेतु के सिवाय कोई माल वाहन किसी व्यक्ति के, जो धारा 67 के अधीन निर्धारित अधिकतम भाड़ा देता है, माल को ले जाने से इन्कार नहीं करेगा।

103—रखे जाने वाले अभिलेख—(1) परिवहन प्राधिकरण सामान्य या विशिष्ट आदेश द्वारा किसी परिवहन यान के स्वामी से यह अपेक्षा कर सकता है कि वह कारबार के स्थान पर या यान पर यान दोनों स्थानों पर अभिलेख रखें और यान के सम्बन्ध में ऐसे प्रपत्र में जैसा प्राधिकरण विनिश्चत करे विवरण प्रस्तुत करे ऐसे अभिलेख और विवरण में निम्नलिखित के सम्बन्ध में यान के दैनिक प्रयोग की विशिष्टियां, सम्मिलित होंगी—

[एक] ड्राइवर, कण्डक्टर और अन्य परिचरों के, यदि कोई हों, नाम और लाइसेन्स,

[दो] मार्ग जिस पर या क्षेत्र जिसके भीतर यान का प्रयोग किया गया था,

-279-

[तीन] यात्रा किए गए किलोमीटरों की संख्या;

[चार] किसी यात्रा का प्रारम्भ और समापन का और यात्रा के दौरान किसी विराम का समय जब चालक ने विश्राम किया;

[पांच] विनिर्दिष्ट स्थानों के बीच ले जाये गये माल का भार और माल की प्रकृति;

[छः] मन्जिली गाड़ी में माल ले जाने की दशा में, फेरों की संख्या और मील दूरी जब केवल माल ले जाया गया या यात्रियों के अतिरिक्त माल ले जाया गया और इस स्थिति में, यात्रियों के लिए उपलबध सीटों की संख्या।

(2) कोई स्वामी या अन्य व्यक्ति किसी परिवहन यान को किसी व्यक्ति से न तो चलवायेगा और न उसे चलाने की अनुज्ञा देगा जब तक कि ऐसे स्वामी या अन्य व्यक्ति के कब्जे में चालन अनुज्ञप्ति में दिया गया ड्राइवर का नाम और पता, अनुज्ञप्ति संख्या और प्राधिकारी जिसके द्वारा वह जारी किया गया है, का लिखित अभिलेख न हो।

(3) इस नियम के अधीन रखे जाने वाले अपेक्षित अभिलेखों को किसी रजिस्ट्रीकृत प्राधिकारी द्वारा या किसी पुलिस अधिकारी द्वारा, जो उप निरीक्षक से निम्न श्रेणी का हो, निरीक्षण के लिए मांगे जाने पर प्रस्तुत किया जाएगा।

104—परमिट-धारक के पते में परिवर्तन–(1) यदि किसी परमिट का धारक परमिट में दिये गये पते पर यथास्थिति निवास करना छोड़ दे या उसके कारबार का स्थान न रह जाय तो वह नया पता सूचित करते हुए चौदह दिन के भीतर ऐसे परिवहन प्राधिकारण को, जिसके द्वारा परमिट जारी की गयी थी, परमिट भेजेगा;

(2) उप-नियम (1) के अधीन सूचना प्राप्त होने पर, सम्बन्धित परिवहन प्राधिकरण ऐसी जांच करने के पश्चात् जिसे वह ठीक समझे, परमिट में नये पते की प्रविष्टि करेगा और उस सम्भाग के प्राधिकरण को, जिसमें प्रतिहस्ताक्षर के आधार पर या अन्यथा परमिट विधिमान्य है विशिष्टयों की सूचना देगा।

105—सार्वजनिक सेवा यान को क्षति पहुंचने या उसके असफल होने की सूचना–(1) किसी विशिष्ट यान के सम्बन्ध में रजिस्ट्रीकरण चिह्न के संदर्भ में किसी मंजिली या ठेका गाड़ी के परमिट का धारक ऐसे यान के या उसके किसी भाग के क्षतिग्रस्त हो जाने का, असफल हो जाने की ऐसी प्राकृति की घटना के जिससे यान परमिट की शर्तों के अनुसार सात दिन से अधिक अवधि के लिए प्रयोग के लिए अनुपयुक्त हो जाय, घटित होने के सात दिन के भीतर उस परिवहन प्राधिकरण को जिसके द्वारा परमिट जारी की गयी थी लिखित सूचना देगा।

(2) किसी मंजिली गाड़ी की सेवा के सम्बन्ध में किसी परमिट का धारक परमिट के प्राधिकारी के अधीन उसके द्वारा प्रयोग किये जाने वाले किसी यान के असफल हो जाने या उसको क्षति पहुंचने की ऐसी प्रकृति की घटना के, जो धारक को परमिट के किन्हीं उपबन्धों या शर्तों के अनुपालन करने से सात दिन से अधिक अवधि के लिए रोकती हो, घटित होने के सात दिन के भीतर उप परिवहन प्राधिकरण को जिसके द्वारा परमिट जारी की गयी थी लिखित सूचना देगा।

(3) पूर्ववर्ती उपनियमों के अधीन रिपोर्ट प्राप्त होने पर, ऐसा परिवहन प्राधिकरण, जिसके द्वारा परमिट जारी की गयी थी, नियम 84 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए:–

(एक) ऐसी अवधि के भीतर, जो ऐसी घटना के दिनांक से दो मास से अधिक न हो, जैसा प्राधिकरण विनिर्दिष्ट करे, परमिट के धारक को या तो यान को ठीक कराने या उसे प्रतिस्थापित करने का निदेश देगा;

(दो) यदि यान को क्षति या उसकी असफलता ऐसी है कि उक्त प्राधिकरण की राय में इसे घटना के दिनांक से दो महीने भर की अवधि के भीतर ठीक नहीं किया जा सकता तो वह परमिट के धारक को निदेश दे सकता है कि वह प्रतिस्थानी यान की व्यवस्था करे और जब परमिट का धारक ऐसे निदेशों का पालन करने में विफल रहे तो वह तद्नुसार परमिट को निलम्बित या रद्द या उसमें फेरफार कर सकता है।

(4) उप नियम (3) के अधीन परमिट को निलम्बित करने, रद्द करने या उसमें फेरफार करने का निदेश देने वाला, परिवहन प्राधिकरण इस तथ्य की सूचना किसी अन्य सम्भाग, जिसमें प्रतिहस्ताक्षर के आधार पर या अन्य प्रकार से परमिट विधिमान्य, को भेजेगा।

106—मोटर यान में परिवर्तन–(1) धारा 52 के अधीन रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी को रिपोर्ट करते समय किसी परिवहन यान का स्वामी या यदि स्वामी नहीं हो तो परमिट धारक उस परिवहन प्राधिकरण को जिसके द्वारा यान के सम्बन्ध

२८०

में परमिट स्वीकृत की गयी थी, या किसी मंजिली गाड़ी की सेवा के संबंध में किसी परमिट की दशा में उस परिवहन प्राधिकरण को जिसके द्वारा परमिट जिसके अधीन यान का प्रयोग किया जा रहा है स्वीकृत की गयी थी, रिपोर्ट के साथ नियम 125 के अधीन विनिर्दिष्ट फीस सहित उसकी एक प्रति भी अग्रसारित करेगा।

(2) उप नियम (1) के अधीन रिपोर्ट प्राप्त होने पर वह परिवहन प्राधिकरण जिसके द्वारा परमिट जारी की गयी थी, यदि परिवर्तन ऐसा हो जिससे परमिट के उपबन्धों या शर्तों का उल्लंघन होता हो :–

[एक] तद्नुसार परमिट में फेरफार कर सकता है, या

[दो] ऐसी अवधि के भीतर जैसा प्राधिकरण विनिर्दिष्ट करे परमिट धारक से प्रतिस्थानी यान की व्यवस्था करने की अपेक्षा कर सकता है और यदि धारक ऐसी अपेक्षा का अनुपालन करने में विफल रहे तो परमिट को रद्द या निलम्बित कर सकता है।

(3) परमिट में फेरफार करने वाला, उसको निलम्बित करने वाला या उसे रद्द करने वाला या परमिट से आच्छादित यान को प्रतिस्थापित कराने वाला परिवहन प्राधिकरण अन्य सम्भाग के, जिसमें, प्रतिहस्ताक्षर के आधार पर या अन्य प्रकार से परमिट विधिमान्य है, परिवहन प्राधिकरण को विशिष्टियां सूचित करेगा।

107—परिवहन यान और उसकी अन्तर्वस्तु का निरीक्षण–कोई रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी या नियम 227 के उप नियम (1) में विनिर्दिष्ट परिवहन विभाग का कोई प्राधिकारी या उप निरीक्षक से अनिम्न श्रेणी का कोई पुलिस अधिकारी किसी भी समय जब यान सार्वजनिक स्थान पर हो यान के ड्राइवर को यान को रोकने के लिए और ऐसे समय तक जो प्राधिकारी या अधिकारी के लिए यथास्थिति यान के अन्तर्वस्तुओं का या यान के यात्रियों की संख्या का युक्तियुक्त परीक्षण करने में समर्थ होने के लिए आवश्यक हो जिससे उसका स्वयं का समाधान हो जाय कि अधिनियम और इस नियम के उपबन्धों का और यान से सम्बन्धित परमिट के उपबन्धों और शर्तों का अनुपालन हो रहा है, उसे विश्राम पर रखने के लिए अपेक्षा कर सकता है।

108—अन्य समयों पर निरीक्षण–रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी, अपना समाधान करने के लिए कि अधिनियम के अध्याय आठ के उपबन्धों और उसके बनाये गये नियमों का अनुपालन हो रहा है, किसी भी समय किसी सार्वजनिक सेवा यान के स्वामी या प्रभारी व्यक्ति से उक्त यान को अपने समक्ष या इस प्रयोजन के लिए उसके द्वारा नियुक्त प्राधिकारी के समक्ष ऐसे समय और स्थान पर प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकता है जैसा वह साधारण या विशेष आदेश द्वारा निदेश दे, और किसी ऐसे सार्वजनिक सेवा यान का स्वामी या प्रभारी व्यक्ति रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी या उसके द्वारा नियुक्त किसी अधिकारी को उक्त यान के निरीक्षण के लिए पूर्ण सुविधा देगा और इस प्रयोजन के लिए अपने परिसर तक पहुंचने की अनुज्ञा देगा।

109—परमिट के बदले अस्थायी प्राधिकारी-पत्र–(1) जहां किसी परमिट का धारक परिवहन प्राधिकरण को परमिट को नवीकरण या प्रतिहस्ताक्षर के लिए या किसी अन्य प्रयोजन के लिए किसी पुलिस अधिकारी या किसी न्यायालय या अन्य सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत करे और ऐसा अधिकारी, न्यायालय या प्राधिकारी परमिट रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र या ठीक हालत में होने का प्रमाण-पत्र या चालन–अनुज्ञप्ति या कण्डक्टर अनुज्ञप्ति (जिसे आगे इस नियम में दस्तावेज कहा गया है) उसके धारक से किसी प्रयोजन के लिए अस्थायी रूप से अपने कब्जे में ले लेता है, तो यथास्थिति ऐसा परिवहन प्राधिकरण या पुलिस अधिकारी या न्यायालय या अन्य सक्षम प्राधिकारी परमिट धारक को तुरन्त दस्तावेज के लिए रसीद देगा और प्रपत्र एस० आर० 35 में ऐसी अवधि के दौरान यान को चलाने के लिए अस्थायी प्राधिकारी पत्र देगा जो उक्त अस्थायी प्राधिकारी पत्र में विनिर्दिष्ट होगी और उक्त अवधि के भीतर मांगने पर अस्थायी प्राधिकार पत्र का प्रस्तुतीकरण दस्तावेजों का प्रस्तुतीकरण समझा जाएगा :

परन्तु यह कि जब तक कि दस्तावेज वापस नहीं कर दिये जाते हैं ऐसा प्राधिकारी जिसके द्वारा अस्थायी प्राधिकार पत्र दिया गया था ऐसी अवधि तक जब तक अस्थायी प्राधिकार पत्र विधिमान्य रहेगा विस्तार करेगा किन्तु ऐसा विस्तार दस्तावेजों की विधिमान्यता की अवधि से अधिक नहीं होगा।

(2) जब तक उप नियम (1) में निर्दिष्ट दस्तावेज उसके धारक को वापस नहीं कर दिये जाते हैं यथास्थिति उप नियम (1) में निर्दिष्ट अस्थायी प्राधिकार पत्र में यथा विनिर्दिष्ट या ऐसे उपनियम के परन्तुक के अधीन यथा विस्तारित अवधि के पश्चात् सम्बन्धित यान का प्रचालन नहीं किया जायेगा।

(3) ऐसे अस्थायी प्राधिकार पत्र के सम्बन्ध में कोई फीस देय नहीं होगी।

110—कतिमय प्रकार की रंगाई या चिन्ह लगाने का प्रतिषेध—(1) कोई परिवहन यान जब वह भारतीय डाक और तार विभाग के द्वारा या के साथ किसी संविदा के अधीन नियमित रूप से प्रयोग की जाती हो पोस्टल लाल रंग से रंगी होगी।

(2) उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के यानों को क्रीम और नीले रंग के संयोजन से रंगा जायगा और उन पर सफेद या क्रीम रंग का शिरोवेष्टन होगा।

(3) उत्तर प्रदेश पुलिस के यानों को नीले और लाल रंग के संयोजन से या गहरे खाकी रंग में रंगा जाएगा।

(4) पर्यटन यानों और राष्ट्रीय परमिट से आच्छादित किसी यान के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित या उप नियम (1), (2) और (3) में विहित उक्त रंगों या रंगों के संयोजनों में से किसी रंग में राज्य में प्रचालित किसी अन्य परिवहन यान को नहीं रंगा जायेगा।

माल वाहनों द्वारा ले जाये जा रहे माल के संग्रह, अग्रेषण और वितरण के कारबार में लगे अभिकर्ताओं का अनुज्ञापन

111—परिभाषायें—जब तक सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो नियम 112 से 119 में :–

(क) "अभिकर्ता" का तात्पर्य किसी ऐसे व्यक्ति से है जो इस रूप में माल वाहनों द्वारा ले जाये जा रहे माल के संग्रहण, अग्रेषण या वितरण के कारबार में प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः लगा हो ;

(ख) "अभिकर्ता अनुज्ञप्ति" का तात्पर्य नियम 113 के अधीन किसी अभिकर्ता को प्रमुख स्थापन के लिए स्वीकृत अनुज्ञप्ति से है और इसके अन्तर्गत किसी अतिरिक्त स्थापन के लिए ऐसे अभिकर्ता की स्वीकृत अनुपूरक अनुज्ञप्ति भी सम्मिलित है।

(ग) "अनुज्ञापन प्राधिकारी" का तात्पर्य ऐसे सम्भाग के, जिसमें आवेदक का यथास्थिति अपने कारबार का प्रमुख स्थान हो या कारबार करने का इरादा रखता हो, सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण से है।

112—अनुज्ञप्ति के अधीन के सिवाय अभिकर्ता के रूप में कार्य करने का प्रतिषेध—कोई भी व्यक्ति जब तक कि वह ऐसी विधिमान्य अनुज्ञप्ति का धारक नहीं है, जो उसे अभिकर्ता के कारबार को ऐसे स्थान पर या स्थानों पर जिन्हें अनुज्ञप्ति में विनिर्दिष्ट किया गया हो, चलाने के लिए प्राधिकृत करती हो, अभिकर्ता के रूप में कार्य नहीं करेगा।

113—अभिकर्ता अनुज्ञप्ति का दिया जाना—(1) कोई व्यक्ति, जो अभिकर्ता अनुज्ञप्ति प्राप्त करना चाहता है, प्रपत्र एस० आर० 36 में अनुज्ञापन प्राधिकारी को आवेदन करेगा।

(2) आवेदन के साथ नियम 125 के अधीन यथा विनिर्दिष्ट फीस होगी।

(3) इस नियम के अधीन दिये गये आवेदन पर विचार करते समय अनुज्ञापन प्राधिकारी अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित का सम्यक् ध्यान रखेगा :–

(क) ऐसे माल वाहनों की, जो आवेदक के या तो स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन हो, संख्या।

(ख) माल के भण्डारण के लिए आवेदक के कब्जाधीन स्थान-सुविधा की उपयुक्तता।

(ग) क्षेत्र में सामान्य यातायात को बाधा पहुंचाये बिना माल को लादते और उतारते समय माल वाहनों को खड़ा करने के लिए आवेदक द्वारा उपलब्ध करायी गयी सुविधायें।

(घ) आवेदक के वित्तीय स्रोत और कारबार को दक्षतापूर्वक चलाने के लिए उसकी योग्यता।

(4) यदि आवेदन-पत्र को नामूंजर करने के लिए कोई विधिमान्य आधार न हो तो अनुज्ञापन प्राधिकारी ऐसे स्थान या स्थानों का जहां कारबार चलाया जा सकता हो, विनिर्दिष्ट करते हुए यथास्थिति प्रपत्र एस० आर० 37 या एस० आर० 38 में अनुज्ञप्ति देगा या किसी शाखा कार्यालय के लिए अनुपूरक अनुज्ञप्ति देगा :

परन्तु यह कि जब तक आवेदक को सुनवाई का अवसर न दे दिया जाय और इंकार करने के कारणों को अभिलिखित न कर दिया जाय और उसे उसकी लिखित सूचना न दे दी जाय, अनुज्ञापन प्राधिकारी अनुज्ञप्ति या शाखा कार्यालय के लिए अनुपूरक अनुज्ञप्ति देने से इंकार नहीं करेगा।

(5) स्थापन या शाखा कार्यालय का अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा सम्यक प्रमाणित विवरण यथा नगरपालिका भवन संख्या, निकटतम सड़क, उप गली, डाक वितरण जिला और आस-पास के अन्य पहचान चिन्ह अनुज्ञप्ति के साथ संलग्न किया जायेगा।

(6) जारी होने के दिनांक से पांच वर्ष की अवधि के लिए अनुज्ञप्ति विधिमान्य होगी। उस दिनांक का ध्यान दिये बिना जब अनुपूरक अनुज्ञप्ति दी गयी हो, अनुपूरक अनुज्ञप्ति के अवसान का दिनांक वही होगा, जो मूल अनुज्ञप्ति के अवसान का दिनांक होगा।

(7) अनुज्ञप्ति अन्तरणी नहीं होगी।

114—शर्तों का अनुपालन करने के लिए प्रतिभूति—(1) नियम 119 में निर्दिष्ट अनुज्ञप्ति की शर्तों का समुचित अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए आवेदक अनुज्ञप्ति के दिये जाने के समय केवल दस हजार रुपये की प्रतिभूति या तो नकद या अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किसी सरकारी प्रतिभूति के रूप में जमा करेगा।

(2) नियम 120 के उपबन्धों के अधीन रहते हुये अनुज्ञप्तिधारी को अनुज्ञप्ति के अवसान पर या उसके द्वारा कारबार बन्द करने पर, जो भी पहले हो, प्रतिभूति वापस की जाएगी।

115—अभिकर्ता अनुज्ञप्ति का नवीकरण—(1) अनुज्ञप्ति को उसके अवसान के दिनांक से कम से कम 30 दिन पहले अनुज्ञापन प्राधिकारी को प्रपत्र एस० आर० 39 में दिये गये आवेदन-पत्र पर नवीकृत किया जा सकता है।

ऐसे आवेदन-पत्र के साथ मूल और अनुपूरक अनुज्ञप्ति, यदि कोई हो, और नियम 125 के अधीन यथा विनिर्दिष्ट फीस होगी।

(2) अनुज्ञापन प्राधिकारी अनुज्ञप्ति दिये जाने के लिये लागू विचारों के अधीन रहते हुये, अनुज्ञप्ति का या तो नवीकरण कर सकता है या लाइसेन्स को नवीकृत करने से इन्कार कर सकता है।

(3) अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञप्ति का नवीकरण उस पर नवीकरण का पृष्ठांकन करके किया जाएगा।

(4) नियम 113 और 114 के उपबन्ध आवश्यक परिवर्तनों सहित अनुज्ञप्ति के नवीकरण पर भी लागू होंगे।

116—अनुज्ञप्ति की दूसरी प्रति का जारी किया जाना—यदि किसी समय किसी अभिकर्ता की अनुज्ञप्ति खो जाए, नष्ट हो जाय या कट-फट जाय या अन्यथा विरूपित हो जाय जिससे वह अपठनीय हो जाय, तो अभिकर्ता लाइसेन्स की दूसरी प्रति दिये जाने के लिये अनुज्ञापन प्राधिकारी को तत्काल आवेदन करेगा। आवेदन के साथ नियम 124 के अधीन यथा विनिर्दिष्ट फीस होगी। ऐसे आवेदन-पत्र के प्राप्त होने पर प्राधिकारी आवेदक से शपथ-पत्र या घोषणा दाखिल करने को कह सकता है कि अनुज्ञप्ति वास्तव में खो गयी है या नष्ट हो गयी है और अपना समाधान करने के पश्चात् कि इस प्रकार वह खो गयी है या नष्ट हो गयी है, अनुज्ञप्ति की दूसरी प्रति जारी कर सकता है, जिस पर लाल स्याही में "दूसरी प्रति" की स्पष्ट मुहर लगी होगी। जहां अभिकर्ता अनुज्ञप्ति की दूसरी प्रति ऐसे अभ्यावेदन पर स्वीकृत की गई हो कि मूल रूप में स्वीकृत अनुज्ञप्ति खो गयी है या नष्ट हो गयी है और बाद में मूल अनुज्ञप्ति मिल जाती है तो मूल अनुज्ञप्ति को अनुज्ञापन प्राधिकारी को अभ्यर्पित कर दिया जाएगा।

117—अभिकर्ता अनुज्ञप्ति के लिये शर्तें—कोई अभिकर्ता अनुज्ञप्ति निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी, अर्थात्—

(एक) कि अनुज्ञप्तिधारी नियम 119 के उपबन्धों के अधीन रहते हुये, माल को उतारने और चढ़ाने के लिये स्थानों की व्यवस्था करेगा।

(दो) कि अनुज्ञप्तिधारी भेजे जाने और वितरण किये जाने के लिये एकत्रित किये गये माल के भण्डारण के लिये समुचित प्रबन्ध करने के लिये उत्तरदायी होगा।

(तीन) कि अनुज्ञप्तिधारी—

(क) परेषिती को माल की समुचित सुपुर्दगी के लिये उत्तरदायी होगा;

(ख) जब माल उसके नियंत्रण या कब्जे में हो, तब माल को होने वाली किसी हानि या क्षति के लिये परेषिती को क्षतिपूर्ति करने के लिये दायी होगा;

(ग) माल को वास्तव में प्राप्त किये बिना माल परिवहन रसीद नहीं देगा;

(घ) परेषिती से माल परिवहन रसीद या यदि रसीद खो गयी हो या मिल न रही हो तो माल को आच्छादित करने वाले क्षतिपूर्ति बन्ध-पत्र वस्तुतः प्राप्त किये बिना परेषिती को माल परिदत्त नहीं करेगा।

(चार) कि अनुज्ञप्तिधारी यह सुनिश्चित करेगा कि जब तक कि माल उसके नियंत्रण या कब्जे में हो, उसे कोई हानि या क्षति न पहुंचे।

(पांच) कि अनुज्ञप्तिधारी अपने नियंत्रणाधीन यानों का और माल के संग्रहण, प्रेषण और परिदान का उचित अभिलेख रखेगा जो सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण या इस निमित्त उस प्राधिकरण द्वारा सम्यक् प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा निरीक्षण के लिये खुला रहेगा और प्रत्येक वर्ष 31 मार्च तक पूर्ववर्ती कलेण्डर वर्ष के सम्बन्ध में प्रपत्र एस० आर० 40 में अनुज्ञापन प्राधिकारी को विवरणी प्रस्तुत करेगा।

(छः) कि अनुज्ञप्तिधारी प्रचालक को परेषकों या परेषितियों से प्राप्त किये जाने वाले भाड़े का सही अंक देगा।

(सात) कि अनुज्ञप्तिधारी अपने द्वारा लिये गये कमीशन का उचित लेखा रखेगा और प्रतिवर्ष अर्हित लेखा परीक्षक से उसकी लेखा परीक्षा करायेगा।

(आठ) कि अनुज्ञप्तिधारी यह सुनिश्चित करेगा कि उसके नियंत्रणाधीन माल वाहनों के पास उन मार्गों के लिये विधिमान्य अनुज्ञा-पत्र है जिन पर यानों का प्रचलन करना पड़ता है।

(नौ) कि अनुज्ञप्तिधारी अच्छी दशा में एक तोलनयंत्र रखेगा जिससे एक समय में 226 किलोग्राम से कम न तौला जा सके।

(दस) कि अनुज्ञप्तिधारी उसी क्रम में अपने उपभोक्ताओं की सेवा करेगा जिस क्रम में वे उसके पास आये हों :

परन्तु यह कि शीघ्र नष्ट होने वाले ऐसे माल के, जिसे राज्य सरकार द्वारा शासकीय गजट में अधिसूचित किया जाय, सम्बन्ध में ग्राहकों को अन्य ग्राहकों पर प्राथमिकता दी जायगी और उन्हें उसी क्रम में सेवा दी जायगी जिस क्रम में वे अनुज्ञप्तिधारी के पास आये हों।

(ग्यारह) अनुज्ञप्तिधारी परिचालकों को उपलब्ध माल उसी क्रम में देगा जिस क्रम में वे उसके पास आये हों, और एक रजिस्टर रखेगा जिसमें उपलब्ध माल और प्रतीक्षा करने वाले परिचालकों का विवरण कालानुक्रम में अभिलिखित किये जायेंगे।

(बारह) कि अनुज्ञप्तिधारी ऐसी अन्य शर्तों का अनुपालन करेगा जो अनुज्ञापन प्राधिकारी अनुज्ञप्ति में विनिर्दिष्ट करें।

118—अभिकरण की संविदा में उल्लिखित किये जाने वाली विशिष्टियां—माल के संग्रहण, प्रेषण और वितरण के प्रयोजन के लिये अनुज्ञप्तिधारी द्वारा किये गये सभी संविदायें लिखित रूप में होंगी और उनमें निम्नलिखित विशिष्टियां होंगी :

(एक) परेषक और परेषिती का नाम और पता,

(दो) पारेषण का विवरण और भार,

(तीन) गन्तव्य स्थान और प्रस्थान के स्थान से उसकी दूरी, किलोमीटर में,

(चार) प्रति टन प्रति किलोमीटर भाड़ा और सम्पूर्ण पारेषण के लिये भाड़ा,

(पांच) माल दुलाई अनुदेश उदाहरण के लिये दिनांक जिस तक और स्थान जहां माल परेषिती को परिदत्त किया जाना हो;

(छः) भुगतान की सहमत शर्तें;

(सात) स्वामी और ड्राइवर का नाम, यान रजिस्ट्रीकरण संख्या और कमीशन की धनराशि।

119—प्रयोग किये जाने वाले परिसर–(1) अनुज्ञापन प्राधिकारी स्थानीय प्राधिकारी और पुलिस स्टेशन के प्रभारी के जिसकी सम्बन्धित क्षेत्र पर अधिकारिता हो, परामर्श से माल के संग्रहण और उसके उतारने और चढ़ाने के लिये प्रयोग किये जाने वाले किसी परिसर को, जो किसी अनुज्ञप्तिधारी या अभिकर्ता अनुज्ञप्ति के लिये किसी आवेदक के स्वामित्व में या कब्जे में हो, परिसर के स्थान की उपयुक्तता, स्वच्छता की दशा में, संग्रहण की क्षमता और मालवाहनों आदि को खड़ा करने के लिये उपलब्ध स्थान पर विचार करते हुये, या तो अनुमोदित कर सकता है या अनुमोदित करने से इन्कार कर सकता है।

(2) उपनियम (1) के अधीन कोई अनुमोदन निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन होगा, अर्थात् –

(एक) कि परिसर हर समय स्वच्छ दशा में और अच्छी मरम्मत की हुई दशा में रखा जायेगा;

(दो) कि परिसर का प्रबन्ध सुन्दर एवं व्यवस्थित ढंग से किया जायगा;

(तीन) अनुज्ञप्तिधारी यह सुनिश्चित करने के लिये सभी सावधानी बरतेगा कि किसी यान के परिसर में प्रवेश करते या परिसर छोड़ने या उसके खड़ा करने के सम्बन्ध में मोटर यान अधिनियम, 1988 और तद्धीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों को भंग नहीं किया जाता है।

(3) जहां अनुज्ञापन प्राधिकारी उपनियम (1) के अधीन किसी परिसर को अनुमोदित करने से इनकार करता है वहां वह ऐसे इनकार करने के कारणों को लिखित रूप में अभिलिखित करेगा।

120—किसी अनुज्ञप्ति को निलम्बित या रद्द करना—(1) किसी अन्य कार्यवाही पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, जो अनुज्ञप्तिधारी के विरुद्ध की जाय, अनुज्ञापन प्राधिकारी यदि उसके विचार में उन शर्तों में से, जिनके अधीन अनुज्ञप्ति दी गयी है या नियम 109 के अधीन किसी परिसर को अनुमोदित किया गया हो, किसी का उल्लंघन किया गया हो, लिखित आदेश द्वारा नियम 114 के अधीन जमा सम्पूर्ण प्रतिभूति को या उसके भाग को समपहृत कर सकता है या अभिकर्ता की अनुज्ञप्ति को रद्द कर सकता है या उसे ऐसी अवधि के लिये रद्द कर सकता है जैसी वह उचित समझे।

(2) इस नियम के अधीन प्रतिभूति को समपहृत करने या अनुज्ञप्ति को रदद् या निलम्बित करने का कोई आदेश करने से पहले अनुज्ञापन प्राधिकारी अनुज्ञप्तिधारी को सुनवाई का अवसर देगा और ऐसे समपहरण, या निलम्बन या रद्द करने के कारणों को अभिलिखित करेगा।

(3) जहां इस नियम के अधीन कोई अनुज्ञप्ति रद्द या निलम्बित की जाने वाली हो और अनुज्ञापन प्राधिकारी का यह विचार हो कि मामले की परिस्थितियों पर विचार करते हुये, लाइसेंस को रद्द या निलम्बित करना आवश्यक या समीचीन नहीं होगा यदि अनुज्ञप्तिधारी एक निश्चित धनराशि का भुगतान करने के लिये राजी हो तो उप नियम (1) में किसी बात के होते हुये भी, अनुज्ञापन प्राधिकारी, यथास्थिति, अनुज्ञप्ति को रद्द करने या निलम्बित करने के बजाय अनुज्ञप्तिधारी से सहमत धनराशि वसूल कर सकता है।

(4) जहां नियम 114 के अधीन जमा प्रतिभूति पूर्णतः या अंशतः समपहृत कर ली गयी है, वहां अनुज्ञप्तिधारी आदेश के दिनांक से पन्द्रह दिन के भीतर इस प्रकार समपहृत धनराशि को जमा करेगा जिससे प्रतिभूति की पूर्ण राशि पूरी हो जाय, ऐसा करने में विफल होने पर अनुज्ञप्ति धनराशि के जमा कर दिये जाने तक निलम्बित रहेगी।

(5) उप नियम (4) में किसी बात के होते हुये भी, अनुज्ञापन प्राधिकारी, यदि उसका समाधान हो जाय कि अनुज्ञप्तिधारी युक्तियुक्त कारणों से पूर्ववर्ती उपनियम में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर धनराशि जमा नहीं कर सका, तो धनराशि को जमा करने की अवधि बढ़ा सकता है।

121—अभिकर्ता अनुज्ञप्ति का प्रदर्शन—(1) संग्रहण अभिकर्ता अपने साथ अपनी अभिकर्ता अनुज्ञप्ति रखेगा और मांग करने पर उसे इस नियमावली के नियम 227 के उपनियम (1) में उल्लिखित परिवहन विभाग के किसी अधिकारी या वर्दी में किसी पुलिस अधिकारी के, जो उप निरीक्षक से निम्न श्रेणी का न हो, प्रस्तुत करेगा।

(2) अग्रेषण अभिकर्ता नियम 119 के अधीन अनुमोदित परिसर में प्रमुख स्थान पर अभिकर्ता अनुज्ञप्ति को प्रदर्शित करेगा और उसे इस नियमावली के नियम 227 के उपनियम (1) में उल्लिखित परिवहन विभाग के किसी अधिकारी को या वर्दी में किसी पुलिस अधिकारी को जो उप निरीक्षक की श्रेणी से निम्न न हो, निरीक्षण के लिये उपलब्ध कराया जायगा।

(3) संग्रहण और अग्रेषण अभिकर्ता अपने पास अभिकर्ता अनुज्ञप्ति रखेगा और मांग करने पर उसे नियम 227 के उपनियम (1) में उल्लिखित परिवहन विभाग के किसी अधिकारी को या वर्दी में किसी पुलिस अधिकारी को, जो उप निरीक्षक की श्रेणी से निम्न न हो, प्रस्तुत करेगा और नियम 119 के अधीन अनुमोदित परिसर में प्रमुख स्थान पर अभिकर्ता अनुज्ञप्ति की सत्य प्रतिलिपि भी प्रदर्शित करायेगा।

122—अपील—(1) नियम 113 के उपनियम (3), नियम 115 के उपनियम (2), नियम 119 के उपनियम (3) या नियम 120 के उपनियम (1) के अधीन दिये किसी आदेश से क्षुब्ध कोई व्यक्ति मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 89 के अधीन गठित राज्य परिवहन अपील अधिकरण को अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश की प्राप्ति के दिनांक से 30 दिन के भीतर अपील कर सकता है:

परन्तु यह कि अपील के ज्ञापन-पत्र के साथ नियम 125 के अधीन यथाविनिर्दिष्ट फीस होगी।

(2) अपील का ज्ञापन दो प्रतियों में प्रस्तुत किया जायेगा जिसमें आपत्ति का आधार स्पष्ट रूप में दिया हो और उसके साथ उस आदेश की प्रमाणित प्रति जिसके विरुद्ध अपील की गई है, होगी।

123—परिवहन प्राधिकरणों द्वारा प्रतियों की आपूर्ति के लिये फीस का उद्ग्रहण—किसी आदेश की प्रतिलिपि जिससे नियम 122 के अधीन अपील की जा सकती हो या किसी दस्तावेज की प्रतिलिपि किसी पक्षकार को उसके द्वारा इस निमित्त आवेदन करने पर नियम 125 के अधीन यथा विनिर्दिष्ट फीस और उत्तर प्रदेश में उसकी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में, यथा संशोधित भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 के अधीन देय स्टाम्प शुल्क का भुगतान करने पर, दी जा सकती है।

सार्वजनिक सेवा यानों द्वारा यात्रा करने के लिये टिकटों की बिक्री के लिये अभिकर्ताओं का अनुज्ञापन और उनके आचरण का विनियमन

124—अनुज्ञप्ति का दिया जाना—(1) किराये पर दिये जाने वाले या भाड़े के लिये प्रचालित किये जाने वाले सार्वजनिक सेवा यानों का प्रत्येक स्वामी उनकी ओर से ऐसे अभिकर्ता के, जो ऐसे यान द्वारा यात्रा करने के लिये यात्रियों की टिकट का विक्रय करने में लगे हुये हैं, नाम और पते सम्बन्धित सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण को संसूचित करेगा।

(2) कोई व्यक्ति ऐसे सार्वजनिक सेवा यान के स्वामी के अभिकर्ता के रूप में कार्य नहीं करेगा और कोई स्वामी किसी व्यक्ति को, जब तक कि वह संबंधित सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण से प्रपत्र एस० आर०–41 में अभिकर्ता का लाइसेन्स प्राप्त न कर लें, इस प्रकार नियोजित नहीं करेगा।

स्पष्टीकरण—किसी यान में यात्रा करने के लिये किसी व्यक्ति को प्रेरित करना, उससे याचना करना या किसी व्यक्ति को प्रेरित करने का प्रयास करना इस उप-नियम के प्रयोजनों के लिये ऐसे यानों में यात्रा करने हेतु टिकटों की बिक्री के लिये अभिकर्ता का कार्य समझा जायेगा।

(3) किसी अभिकर्ता की अनुज्ञप्ति जारी होने या नवीकरण के दिनांक से तीन वर्ष की अवधि के लिये विधिमान्य होगी और केवल उसी सम्भाग में प्रभावी होगी, जिसमें वह जारी या नवीकृत की गयी हो।

(4) अट्ठारह वर्ष की आयु से कम का कोई व्यक्ति अभिकर्ता अनुज्ञप्ति का धारक नहीं होगा।

(5) किसी अभिकर्ता अनुज्ञप्ति के लिये आवेदन-पत्र लिखित रूप में प्रपत्र एस० आर०–42 में उस सम्भाग के सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण को दिया जायेगा जिसमें आवेदक रहता हो और उसके साथ आवेदक के हाल के छायाचित्र की दो सुस्पष्ट प्रतियां और नियम 125 के अधीन विनिर्दिष्ट फीस होगी।

(6) अभिकर्ता अनुज्ञप्ति देने या उसका नवीकरण करने या उसकी दूसरी प्रति जारी करने के लिये नियम 125 के अधीन यथा विनिर्दिष्ट फीस होगी।

(7) अभिकर्ता अनुज्ञप्ति के नवीकरण के लिये नियम 125 के अधीन यथा विनिर्दिष्ट फीस और अनुज्ञप्ति के साथ लिखित रूप में आवेदन-पत्र उस सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण को सम्बोधित किया जायेगा जिसके द्वारा अभिकर्ता अनुज्ञप्ति निर्गत की गयी थी।

(8) सम्भागीय परिवहन प्राधिकारी अभिलिखित किये जाने वाले कारणों से अभिकर्ता अनुज्ञप्ति को जारी करने या उसका नवीकरण करने से इनकार कर सकता है या ऐसी शर्तों पर अनुज्ञप्ति दे सकता है जिन्हें वह आरोपित करना उचित समझे।

(9) [एक] सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण, अभिलिखित किये जाने वाले कारणों से अभिकर्ता अनुज्ञप्ति को निलम्बित रद्द या प्रतिसंहरित कर सकता है।

[दो] अभिकर्ता अनुज्ञप्ति के निलम्बित रद्द या प्रतिसंहरित होने पर या उसकी नवीकरण करने से इनकार करने पर, उसे तुरन्त उस सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण को अभ्यर्पित किया जायेगा जिसने अनुज्ञप्ति जारी की थी।

(10) कोई अभिकर्ता, परिवहन विभाग के किसी अधिकारी के मांगने पर, जो सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी की श्रेणी से निम्न न हो, अपनी अभिकर्ता अनुज्ञप्ति निरीक्षण के लिये प्रस्तुत करेगा।

(11) सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण आदेश द्वारा अभिकर्ता द्वारा पहनी जाने वाली वर्दी को विनिर्दिष्ट कर सकता है।

(12) कोई भी व्यक्ति एक सम्भाग में प्रभावी एक से अधिक अभिकर्ता अनुज्ञप्ति नहीं रखेगा।

(13) अभिकर्ता जब वह कार्य पर होगा अपने वक्ष पर बांयी ओर सहज दृष्य स्थान पर, अंग्रेजी या हिन्दी में श्वेत सतह पर काले बड़े अक्षरों में लिये हुये अपने नेम प्लेट के साथ नियम 125 के अधीन यथाविहित फीस का भुगतान करने पर सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण द्वारा प्रपत्र एस० आर०–43 में यथा विहित बैज धारण करेगा। कोई अभिकर्ता किसी अन्य व्यक्ति को बैज उधार नहीं देगा या उसमें सहभागी नहीं बनायेगा और वह इसे उसकी अनुज्ञप्ति निलम्बित, रद्द कर दी जाने या उसे नवीकृत न किये जाने की दशा में सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण को अभ्यर्पित करेगा। यदि बैज नष्ट हो जाय या खो जाय, तो उक्त नियम के अधीन यथा विनिर्दिष्ट फीस के भुगतान पर उस प्राधिकारी द्वारा बैज जारी किया जायेगा जिसने उसे जारी किया था।

125—फीस—इस अध्याय के उपबन्धों के अधीन ऐसी फीस प्रभारित की जायेगी जैसी कि नीचे सारणी में विनिर्दिष्ट की गयी है:

सारणी

क्रम-संख्या	प्रयोजन	धनराशि	नियम
1	2	3	4
		रु०	
1	परमिट देने, उसका नवीकरण करने और उसे प्रतिहस्ताक्षरित करने के लिये –		63, 75, 81
	(क) अस्थायी परमिट से भिन्न परमिट की –		
	[एक] मंजिली गाड़ी के लिये	6,000.00	
	[दो] माल वाहन के लिये	5,000.00	
	[तीन] मोटर टैक्सी, बड़ी टैक्सी से भिन्न ठेका गाड़ी के लिए।	10,000.00	
	[चार] प्राइवेट सेवा यान के लिये	3,000.00	
	[पांच] बड़ी टैक्सी के लिये –		
	(क) एक संभाग के लिये	1,500.00	
	(ख) सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश के लिये	3,000.00	

287.

सारणी

क्रम-संख्या	प्रयोजन	धनराशि	नियम
1	2	3	4
		रु०	
1	परमिट देने, उसका नवीकरण करने और उसे प्रतिहस्ताक्षरित करने के लिये—		75,81,82
	(क) अस्थायी परमिट से भिन्न परमिट की—		
	(एक) मंजिली गाड़ी के लिये	4,800.00	
	(दो) माल वाहन के लिये	4,800.00	
	(तीन) मोटर टैक्सी, बड़ी टैक्सी से भिन्न ठेका गाड़ी के लिए	6,000.00	
	(चार) प्राइवेट सेवा यान के लिये	3,000.00	
	(पांच) बड़ी टैक्सी के लिये—		
	(क) एक संभाग के लिये	1,500.00	
	(ख) सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश के लिये	3,000.00	
	(छः) मोटर टैक्सी के लिये—		
	(क) एक संभाग के लिए	750.00	
	(ख) सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश के लिये	1,500.00	
	(ग) उत्तर प्रदेश सहित तीन संलग्न राज्यों के लिये	1,500.00	
	(घ) सम्पूर्ण भारत के लिए	2,500.00	
	(ख) अस्थायी परमिट की—		74,75
	(एक) प्रथम तीन दिनों के लिये	300.00	
	(दो) तीन दिन के पश्चात् सप्ताह के अन्त तक	300.00	
	(तीन) प्रत्येक अतिरिक्त सप्ताह के लिये	300.00	
2	परमिट के अधीन किसी यान के बदले जाने के लिये आवेदन फीस	180.00	84
3	परमिट के अन्तरण के लिये—		87
	(एक) मंजिली गाड़ी के लिये	6,000.00	
	(दो) मोटर टैक्सी, बड़ी टैक्सी से भिन्न ठेका गाड़ी के लिए	6,000.00	
	(तीन) माल वाहन की	500.00	
	(चार) बड़ी टैक्सी की	200.00	
	(पांच) मोटर टैक्सी की	200.00	
	(छः) परन्तु यह कि परमिट धारक की मृत्यु की दशा में उसके विधिक उत्तराधिकारी को परमिट के अन्तरण के लिये फीस		खण्ड (1) से (5) तक में विनिर्दिष्ट फीस की आधी होगी।

उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 29 दिसम्बर, 1998

... कोर्ट फीस स्टाम्प के रूप में 10.00 रु० प्रति दस्तावेज प्रति नकल।

क्रम-संख्या	प्रयोजन	धनराशि	नियम
1	2	3	4
		रु०	
4	परमिट की दूसरी प्रति जारी करने के लिये	100.00	88
5	राज्य या सम्भागी परिवहन प्राधिकरण के आदेश के विरुद्ध अपील के लिये		91
	(एक) आटो रिक्शा परमिट के सम्बन्ध में	500.00	
	(दो) परिवहन यान के सम्बन्ध में	1,000.00	
5क	राज्य परिवहन अपील प्राधिकरण के समक्ष प्रार्थना से युक्त किसी प्रकीर्ण आवेदन प्रस्तुत करने के लिये	कोर्ट फीस स्टाम्प के रूप में 10.00 रु०	91
6	प्रतियां देने के लिये	देय स्टाम्प शुल्क के अतिरिक्त कोर्ट फीस स्टाम्प के रूप में 10.00 रु० प्रति दस्तावेज प्रति नकल।	91,93
7	पत्रावलियों के निरीक्षण के लिये	देय न्यायालय फीस के अतिरिक्त 10.00 रु० प्रति घंटा।	95
8	परमिट में मोटर यान के बदले जाने की प्रविष्टि के लिये	50.00	106
9	अभिकर्ता अनुज्ञप्ति दिये जाने या उसके नवीकरण के लिये—	..	113,115, 116
	(एक) प्रमुख स्थापन की अनुज्ञप्ति दिये जाने के लिये	1,000	
	(दो) प्रत्येक अतिरिक्त स्थापन हेतु अनुपूरक अनुज्ञप्ति दिये जाने के लिये	750.00	
	(तीन) अभिकर्ता अनुज्ञप्ति के नवीकरण के लिये यदि आवेदन समय के भीतर दिया जाता है—		
	(क) प्रमुख स्थापन के लिये अनुज्ञप्ति के सम्बन्ध में	1,000.00	
	(ख) प्रत्येक अतिरिक्त स्थापन के लिये पूरक अनुज्ञप्ति के सम्बन्ध में	750.00	
	(चार) अभिकर्ता अनुज्ञप्ति के नवीकरण के लिये यदि आवेदन समय के भीतर न हो—		
	(क) प्रमुख स्थापन के लिये अनुज्ञप्ति के सम्बन्ध में	1,200.00	
	(ख) प्रत्येक अतिरिक्त स्थापन के लिये पूरक अनुज्ञप्ति के सम्बन्ध में	800.00	
	(पांच) अभिकर्ता अनुज्ञप्ति की दूसरी प्रति जारी करने के लिये—		
	(क) प्रमुख स्थापन के लिये अनुज्ञप्ति के सम्बन्ध में	100.00	
	(ख) प्रत्येक अतिरिक्त स्थापन के लिये अनुपूरक अनुज्ञप्ति के सम्बन्ध में	75.00	
10	अनुज्ञापन प्राधिकारी के आदेश के विरुद्ध अपील के लिये	200.00	122
11	किसी दस्तावेज की प्रति के लिये	देय स्टाम्प शुल्क के अतिरिक्त 5.00 रुपया प्रति नकल	123
12	(क) टिकटों की बिक्री के लिए अभिकर्ता अनुज्ञप्ति दिये जाने या उसका नवीकरण किए जाने के लिए आवेदन	100.00	124

उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 29 दिसम्बर, 1998

289

क्रम-संख्या	प्रयोजन	धनराशि	नियम
1	2	3	4
	(ख) सार्वजनिक सेवायान द्वारा यात्रा के लिए टिकटों की बिक्री के लिए अभिकर्ता अनुज्ञप्ति दिए जाने या उसका नवीकरण किए जाने आदि के लिए–	रु0	124
	(एक) अनुज्ञप्ति दिये जाने के लिए	200.00	
	(दो) अनुज्ञप्ति का नवीकरण किये जाने के लिए	200.00	
	(तीन) अनुज्ञप्ति की दूसरी प्रति जारी करने के लिए	50.00	
	(ग) (एक) बैज जारी करने के लिये	100.00	
	(दो) बैज की दूसरी प्रति जारी करने के लिए	200.00	
	(ग) (एक) बैज जारी करने के लिये	100.00	
	(दो) बैज की दूसरी प्रति जारी करने के लिए	200.00	

अध्याय-छः

राज्य परिवहन उपक्रम के बारे में विशेष उपबन्ध प्रस्थापना में समाविष्ट की जाने वाली विशिष्टियां

126—स्कीम का प्रारूप–धारा—99 के अधीन तैयार की गई किसी स्कीम से सम्बन्धित प्रत्येक प्रस्थापना को यथा संभव प्रारूप एस० आर०–44 में राज्य सरकार द्वारा प्रकाशित किया जायेगा।

127—आपत्तियां दाखिल करने की रीति—(1) धारा 100 की उपधारा (1) के अधीन आपत्तियां तीन प्रतियों में, ज्ञापन के रूप में दाखिल की जायेगी जिसमें प्रस्थापना पर आपत्तियों का संक्षिप्त आधार दिया जायेगा।

(2) आपत्तियों का ज्ञापन सचिव, परिवहन विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ को सम्बोधित किया जायेगा।

(3) आपत्तियों के ज्ञापन में निम्नलिखित सूचनाएं भी होंगी :–

(क) आपत्तिकर्ता का, जिस पर इस नियमावली के अधीन सूचनाओं और आदेशों की तामील की जानी हो, पूरा नाम और पता;

(ख) क्या ऐसा व्यक्ति अधिनियम के उपबन्धों के अधीन जारी परमिट का धारक है या नहीं;

(ग) ऐसी परमिट या परमिटों में विनिर्दिष्ट मांग या मार्गों या क्षेत्र या क्षेत्रों का विवरण मार्ग;

(घ) क्या आपत्तिकर्ता अपनी आपत्तियों के समर्थन में सुनवाई चाहता है, यदि ऐसा है तो क्या वह स्वयं या अपने प्रतिनिधि के माध्यम से उपस्थित होगा;

(4) आपत्तिकर्त्ता यदि ऐसी इच्छा करे, आपत्तियों के समर्थन में, आपत्ति के ज्ञापन के साथ शपथ-पत्र के रूप में साक्ष्य भी प्रस्तुत कर सकता है।

128—आपत्तियों पर विचार और उनका निपटारा करने की रीति—(1) इस प्रकार प्राप्त आपत्तियों पर विचार और उनका निपटारा राज्य सरकार के ऐसे अधिकारी द्वारा किया जायेगा जिसे राज्यपाल द्वारा संविधान के अनुच्छेद 154 के खण्ड (1) के अधीन या संविधान के अनुच्छेद 166 के खण्ड (3) के अनुसरण में बनाई गई नियमावली के अधीन इस निमित्त प्राधिकृत किया जाय।

(2) ऐसा अधिकारी ऐसे आपत्तिकर्ताओं जो सुने जाने के इच्छुक हो और राज्य परिवहन उपक्रम को नोटिस जारी करेगा जिसमें उन्हें स्वयं या सम्यक् रूप से प्राधिकृत अभिकर्ता या वकील के माध्यम से उपस्थित होने को कहेगा और आपत्तियों की सुनवाई और राज्य परिवहन उपक्रम के प्रस्तुतीकरण के लिये दिनांक, समय और स्थान नियत करेगा।

(3) उप नियम (2) के अधीन नोटिसों की तामीली :–

(एक) सुनवायी के लिये नियत दिनांक से कम से कम दस दिन पूर्व ऐसी प्रस्थापना से आच्छादित होने वाले प्रस्तावित क्षेत्र या मार्ग में परिचालित क्षेत्रीय भाषा के कम से कम एक समाचार-पत्र में साधारण नोटिस, जिसमें सुनवाई के लिये नियत दिनांक, समय और स्थान दिया जायेगा, प्रकाशित करके,

(दो) डाक प्रमाण-पत्र के अधीन आपत्तियों के ज्ञापन में दिखाये गये पते पर आपत्तिकर्ता को और राज्य परिवहन उपक्रम को डाक द्वारा सूचना भेजकर,

परन्तु यह कि जहां यथा उपर्युक्त साधारण नोटिस प्रकाशित की गयी हो। वहां खण्ड (दो) में किसी बात के होते हुए भी वह समझा जायेगा कि उसकी सम्यक् तामीली आपत्तिकर्ता और राज्य परिवहन उपक्रम पर हो गयी है।

(4) कोई भी आपत्तिकर्ता सुनवाई के लिए हकदार नहीं होगा जब तक कि इस नियमावली के उपबन्धों के अनुसार आपत्तियां नहीं की गई हों।

(5) (क) ऐसा अधिकारी, यदि सुनवाई के किसी प्रक्रम पर पर्याप्त कारण दिखाया जाता है तो वह पक्षकारों को या उनमें से किसी को समय दे सकता है और सुनवाई समय-समय पर स्थगित कर सकता है।

(ख) प्रत्येक मामले में ऐसा अधिकारी आपत्तियों की अग्रतर सुनवाई के लिए दिनांक नियत करेगा और ऐसे आदेश दे सकेगा जिसे वह स्थगन से उत्पन्न खर्चे के सम्बन्ध में उचित समझे :

परन्तु यह कि ऐसा अधिकारी उपनियम (2) के अधीन नोटिस के प्रकाशन के निर्गम के दिनांक से छः मास की अवधि के भीतर आपत्ति को निस्तारित कर देगा।

(6) किसी साक्ष्य को प्रस्तुत करने का खर्च उसे प्रस्तुत करने वाले पक्षकार के द्वारा वहन किया जायगा।

(7) ऐसे पक्षकारों की, जो उपस्थित हों, सुनवायी के पश्चात् ऐसा अधिकारी निर्णय देगा जिसमें जैसा वह उचित समझे, प्रस्थापना को अनुमोदित या उपान्तरित करेगा।

129—अनुमोदित स्कीम का प्रकाशन—धारा 100 की उपधारा (3) के परन्तुक के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, ऐसे अधिकारी द्वारा अनुमोदित या उपान्तरित स्कीम को यथा समय सरकारी गजट में प्रपत्र संख्या एस० आर० 45 में प्रकाशित किया जायेगा और ऐसे क्षेत्र या मार्ग में जिसे अनुमोदित स्कीम से आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है, परिचालित क्षेत्रीय भाषा के कम से कम एक समाचार-पत्र में प्रकाशित किया जायेगा।

130—राज्य परिवहन उपक्रम की ओर से परमिट जारी करने के लिए आवेदन—(1) राज्य परिवहन उपक्रम या उसके द्वारा सम्यक् प्राधिकृत कोई अधिकारी किसी अनुमोदित स्कीम के अनुसरण में अधिसूचित मार्ग या अधिसूचित क्षेत्र के सम्बन्ध में मंजिली गाड़ी परमिट या किसी माल वाहन परमिट या ठेका गाड़ी परमिट के लिए प्रपत्र एस० आर०—46 में, 200 रुपये की फीस के साथ यदि आवेदन राज्य परिवहन प्राधिकरण को दिया जाय या 100 रुपये की फीस के साथ यदि आवेदन सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण को दिया जाय, आवेदन कर सकता है।

(2) उप नियम (1) के अधीन आवेदन प्राप्त होने पर यथास्थिति राज्य परिवहन प्राधिकरण का सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण अधिसूचित मार्ग या अधिसूचित क्षेत्र के लिए राज्य परिवहन उपक्रम को अनुज्ञा-पत्र जारी करेगा।

(3) जैसा ऊपर कहा गया है प्रत्येक परमिट प्रपत्र एस० आर०—47 में जारी की जायेगी।

(4) परमिट के किसी भाग के विकृत होने की दशा में उसकी दूसरी प्रति यथास्थिति राज्य परिवहन प्राधिकरण या संभागीय परिवहन प्राधिकरण द्वारा भाग "क" के लिये एक सौ रुपये या भाग "ख" के लिए चालीस रुपये की फीस का भुगतान करने पर जारी की जायेगी।

131—**परिवहन यानों में पाई गई वस्तुओं का निस्तारण**—(1) जहां राज्य परिवहन उपक्रम द्वारा चलाये जा रहे किसी परिवहन यान में कोई वस्तु पाई जाय और उसका दावा उसके स्वामी या पारेषिती द्वारा न किया जाय तो उसे राज्य परिवहन उपक्रम द्वारा सार्वजनिक नीलामी द्वारा यान के गन्तव्य बस स्टेशन पर पहुंचने के, नाशवान वस्तु की दशा में चौबीस घंटे के भीतर और अनाशवान वस्तु की दशा में साठ दिन के भीतर, बेचा जा सकता है।

(2) अनाशवान वस्तु की बिक्री के मामले में उस क्षेत्र में, जिसमें उक्त गन्तव्य बस स्टेशन स्थित हो, परिचालित क्षेत्रीय भाषा के कम से कम एक समाचार-पत्र में साधारण नोटिस द्वारा नीलामी के लिए नियत दिनांक के कम से कम दस दिन पूर्व सार्वजनिक नीलामी का प्रचार किया जायेगा।

(3) नाशवान वस्तु के मामले में, राज्य परिवहन उपक्रम उस वस्तु का परिस्थिति की अपेक्षानुसार किसी भी समय निस्तारण कर सकता है लेकिन ऐसी वस्तु की बिक्री करने से पहले सार्वजनिक नीलामी के दिनांक और समय की घोषणा से उक्त बस स्टेशन के परिसर के भीतर लाउड स्पीकर से की जायेगी।

132—**आदेश की तामील की रीति**—(1) यथास्थिति, राज्य परिवहन प्राधिकरण या सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण किसी परमिट के निबन्धनों को रद्द करने या उनको उपान्तरित करने वाले प्रत्येक आदेश को गजट में प्रकाशित करायेगा।

(2) यथास्थिति, राज्य परिवहन प्राधिकरण या सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण ऐसे आदेश को उस परमिट धारक पर जो उससे सम्बन्धित है, उसकी प्रति रजिस्टर्ड डाक द्वारा भेजकर या परमिट धारक को व्यक्तिगत रूप से देकर तामील करायेगा। यदि ऐसा आदेश उपर्युक्त रीति से तामील न किया जा सकता हो तो उसे उसके परिवार के किसी वयस्क सदस्य को, जो उसके साथ रहता हो, देकर या उसके निवास या उसके कारबार के स्थान पर किसी सहजदृश्य स्थान पर चिपकाकर या ऐसी किसी अन्य रीति से जिसे, यथास्थिति, राज्य परिवहन प्राधिकरण या सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण उचित समझे, तामील किया जा सकता है।

133—**कार्यवाही और निरीक्षण की प्रमाणित प्रतियों का जारी किया जाना**—(1) नियम 128 के उप नियम (1) में निर्दिष्ट अधिकारी के समक्ष कार्यवाही की प्रमाणित प्रतियां, जिसमें सुनवाई के समय दाखिल किए गए दस्तावेज और अभिलिखित किए गए कथन भी, यदि कोई हो, सम्मिलित है, राज्य सरकार के परिवहन विभाग के अनुभाग अधिकारी के हस्ताक्षर से जारी की जायेगी।

(2) साधारण आवेदन की दशा में न्यूनतम दो रुपया 50 पैसा प्रति नकल और अत्यावश्यक आवेदन की दशा में न्यूनतम पांच रुपया प्रति नकल के अधीन रहते हुये नकल देने के लिए प्रभार निम्नलिखित होगा—

(एक) साधारण प्रतियों के लिए प्रत्येक तीन सौ शब्द या उसके भाग के लिए पचास पैसा,

(दो) अत्यावश्यक प्रतियों के लिए प्रत्येक तीन सौ शब्द या उसके भाग के लिए एक रुपया।

(3) नकल का प्रभार न्यायिकेतर (नान–जुडिशियल) स्टाम्प के रूप में देय होगा।

(4) अत्यावश्यक प्रति, यथासाध्य, उसके लिए आवेदन की प्राप्ति के अड़तालिस घन्टे के भीतर दी जायेगी।

(5) अधिनियम की धारा 100 की उपधारा (1) के अधीन दाखिल आपत्तियों की सुनवाई की कार्यवाही से सम्बन्धित दस्तावेजों के निरीक्षण की अनुमति दस रुपये के भुगतान पर दी जाएगी जो न्यायालय फीस स्टाम्प के रूप में देय होगी।

(6) निरीक्षण की अनुमति केवल सम्बन्धित आपत्तिकर्ता या उसके सम्यक् प्राधिकृत अभिकर्ता एवं राज्य परिवहन उपक्रम को भी दी जायेगी।

अध्याय–सात

मोटर यानों का निर्माण, उपस्कर एवं अनुरक्षण

134—सामान्य—प्रत्येक सार्वजनिक सेवा यान और उसके समस्त भागों को जिसमें रंगाई कार्य और वार्निश भी सम्मिलित है, दरवाजों, खिड़कियों, सीटों, छतों, कमानियों, पहियों, कुशल लाइनिंग पेनल्स और समस्त फर्नीचरों और अपार्टमेन्ट्स को स्वच्छ और अच्छी दशा में रखा जायेगा और उसका इंजन और मशीनें और समस्त कार्य करने वाले भागों को विश्वसनीय चालू हालत में रखा जायेगा।

135—स्थिरता—(1) दो मंजिला सार्वजनिक सेवा यान की स्थिरता के सम्बन्ध में यदि बैठने की व्यवस्था के अनुसार ड्राइवर और कन्डक्टर के सहित तथा प्रथम तल (दूसरी मंजिल) पर भी बैठने की व्यवस्था के अनुसार पूरी सीटें यात्रियों से भरी हों, जिसमें प्रति सवारी भार 60 किग्रा० रखा जाय, यदि धरातल को जिस पर यान स्थिर खड़ी है, इस प्रकार किसी ओर झुकाया जाय कि भूतल के केन्द्र बिन्दु से 28 डिग्री तक यान पलटने की अवस्था नहीं प्राप्त करेगी।

(2) मोटर टैक्सी से भिन्न एक मंजिला सार्वजनिक सेवा यान या एक मंजिली ट्राली बस की स्थिरता के सम्बन्ध में भार के किसी भी परिस्थिति में मय व्यक्तिगत सामान के प्रति यात्री 65 किग्रा० रखा जाय और यान रजिस्ट्रीकृत क्षमतानुसार पूरी सावरियों से युक्त हो तो यदि उस धरातल को किसी भी ओर झुकाया जाय जिस पर कि यान स्थिर है धरातल के केन्द्र बिन्दु से 35 डिग्री तक वाहन पलटने की अवस्था नहीं प्राप्त करेगा।

(3) स्थिरता के परीक्षण के प्रयोजनों के लिए किसी स्टाप की, जिसका प्रयोग यान के पहिये के अगल-बगल फिसलने से रोकने के लिये किया जाता है, ऊंचाई, ऐसी धरातल के जिस पर यान झुकने से पहले खड़ा हो और रिम के उस हिस्से या उस पहिये के जो इस नियम की अपेक्षा के अनुसार पहिये पर पड़ने वाले भार के फलस्वरूप ऐसी धरातल के सबसे नजदीक हो, बीच की दूरी के दो तिहाई से अधिक नहीं होगी।

136—बैठने का स्थान—(1) मोटर टैक्सी और पर्यटन यान से भिन्न प्रत्येक सार्वजनिक सेवा यान में प्रत्येक यात्री के लिए युक्तियुक्त आराम-दायक कुशल सीट की जो सीधी रेखा में और प्रत्येक सीट के सामने से समकोण में नापने पर 38×38 सेन्टीमीटर से कम की नहीं होगी व्यवस्था होगी, और

(एक) जब सीटों को यान के किनारे रखा जाय तो एक ओर की सीटों की पीठ दूसरी सीट की पीठ से कम से कम 1.40 मीटर की दूरी पर होगी,

(दो) जब सीटों को यान के आर-पार लगाया जाय और सबका मुख एक दिशा में हो तो हर स्थान पर सीटों के पीठ के बीच में 70 सेन्टीमीटर से कम का स्थान नहीं होगा, और

(तीन) जब सीटों को यान के आर-पार लगाया जाय और आपस में आमने-सामने हो, तो हर स्थान पर आमने-सामने वाली सीटों की पीठ के मध्य में 1.30 मीटर से कम की दूरी नहीं होगी।

(2) सभी सीटों की पीठ की ऊंचाई सीट के तल से 50 सेन्टीमीटर होगी।

137—नियम 135 में किसी बात के होते हुए भी रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी ऐसी शर्तों को विनिर्दिष्ट कर रकता है जिनके अध्यधीन रहते हुए खड़े यात्रियों की सीमित संख्या को वाहन में ले जाए जाने की अनुमति दी जा सकती है।

138—गैंगवे—(1) मोटर टैक्सी से भिन्न प्रत्येक सार्वजनिक सेवा यान के प्रत्येक कक्ष में, जिसमें प्रवेश आगे से या पीछे से हो, यान के आगे से पीछे तक एक गैंगवे होगा, और

(एक) जहां सीटों को यान के किनारों के साथ लगाया गया हो वहां सीटों के सामने से उनके बीच मापा गया कम से कम 61 सेन्टीमीटर का स्पष्ट स्थान गैंगवे के रूप में होगा।

(दो) जहां सीटों को यान के आर-पार रखा गया हो वहां पास की सीटों के किसी भाग या उनके अवलम्बनों के बीच गैंगवे के रूप में कम से कम 31 सेन्टीमीटर का स्पष्ट स्थान होगा,

(तीन) जहां या तो पीछे या पीछे के निकट एक दरवाजा और यान के किनारे की पूरी लम्बाई में एक सीट के साथ यान के ढांचे की पूरी चौड़ाई में आर-पार सीट नहीं लगी हों वहां सीटों के बीच मापे गये गैंगवे के रूप में कम से कम 46 सेन्टीमीटर का स्पष्ट स्थान होगा।

(2) जहां प्रत्येक सीट के लिये पृथक दरवाजों के साथ यान में उसके ढांचे के पूरी चौड़ाई में आर पार सीटें हों वहां आगे से पीछे तक गैंगवे अपेक्षित नहीं होगा।

139—सीटों की क्षमता की सीमा—इस नियमावली में किसी बात के होते हुए भी किसी मोटर टैक्सी या किसी पर्यटक यान से भिन्न कोई सार्वजनिक सेवा यान यात्रियों की ऐसी किसी संख्या के लिए रजिस्ट्रीकृत नहीं किया जायेगा जो यान के एकल यान भार और लदान रहित भार के बीच के किलोग्राम में अन्तर में से नब्बे किलोग्राम घटाने और फलांक को एक मंजिला यान की दशा में 150 से और दो मंजिले यान की दशा में 130 से भाग देने पर प्राप्त संख्या से अधिक हो या यात्रियों की ऐसी संख्या के लिए जब यान सामान्य रीति से लादा गया हो तो किसी धुरी का धुरी भार उस धुरी के रजिस्ट्रीकृत भार से अधिक हो जाय।

140—प्राथमिक उपचार पेटी—नगरपालिका और नगर निगम के क्षेत्र में मोटर टैक्सी से भिन्न प्रत्येक सार्वजनिक सेवा यान में राज्य परिवहन प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित डिजायन का पूर्ण उपस्कर युक्त प्राथमिक उपचार पेटी ले जायी जावेगी जिसके साथ उक्त प्राधिकरण द्वारा जारी किये गये प्राथमिक उपचार सामग्री के उपयोग के लिए निर्देश होंगे।

141—ड्राइवर के साथ संचार—यात्रियों के प्रयोगार्थ प्रत्येक मोटर यान में, जिसमें ड्राइवर की सीट को किसी ऐसे स्थिर विभाजन द्वारा किसी यात्री कक्ष से पृथक किया गया हो, जो आसानी से नहीं खोला जा सकता हो, ऐसे कक्ष के यात्रियों और कण्डक्टर को ड्राइवर को यान रोकने के लिए संकेत देने के लिए दक्ष साधन की व्यवस्था होगी।

142—आन्तरिक प्रकाश व्यवस्था—मोटर, टैक्सी या पर्यटन यान से भिन्न प्रत्येक सार्वजनिक सेवा यान में, जिसमें स्थायी छत हो, घुमाव को सम्मिलित करते हुए यात्रियों के कक्ष या कक्षों में युक्तियुक्त प्रदीपक देने के लिए एक या अधिक विद्युत प्रकाश होंगे, किन्तु ऐसा प्रकाश या ऐसे प्रकाश ऐसी शक्ति के होंगे या इस प्रकार प्रतिक्षादित होंगे, जिससे ड्राइवर के सामने की दृष्टि का ह्रास न हो सके।

143—विद्युत प्रकाश का अनिवार्य होना—किसी भी सार्वजनिक सेवा यान में बिजली के प्रकाश से भिन्न किसी प्रकाश की व्यवस्था नहीं की जायेगी।

144—अतिरिक्त पहिया और औजार—(1) नगरपालिका और कैन्टोनमेन्ट क्षेत्रों के सम्बन्ध में सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण द्वारा अन्यथा विनिर्दिष्ट के सिवाय प्रत्येक सार्वजनिक सेवा यान हर समय कम से कम एक अतिरिक्त पहिया या न्यूमेटिक टायर लगा हुआ रिम जो हवा भरकर अच्छी और ठोस हालत में तैयार हो, इस प्रकार से सुसज्जित होगा कि उसे आसानी से निकाला जा सके और यान के रोड पहियों में से किसी एक में लगाया जा सके।

(2) उप नियम (1) किसी ऐसी यात्रा के पूर्ण होने के दौरान जिसके दौरान अतिरिक्त पहिया या रिम और टायर को प्रयोग में लाना आवश्यक हो गया हो सार्वजनिक सेवा यान पर लागू नहीं होगा।

(3) प्रत्येक सार्वजनिक सेवा यान में हर समय सुदृढ़ जैक, हवा भरने का पम्प और पहिया या रिम और टायर को बदलने के लिए आवश्यक औजार होंगे और पन्चर की मरम्मत करने के लिए आवश्यक उपस्कर होंगे, सामने के लैम्प के लिए एक अतिरिक्त बल्ब, एक बल्ब पीछे के लैम्प के लिए और टायरों के लिए प्रयुक्त करने की स्थिति में एक अतिरिक्त आन्तरिक ट्यूब रखा जायेगा।

(4) जहां सार्वजनिक सेवा यान के अगले पहिए पिछले पहियों से आकार में भिन्न हो, वहां दो पृथक रिमों पर हवा भरे हुये टायर अच्छी दशा में या पहियों को रखा जायेगा, जिसमें एक अगले पहिये के आकार का और दूसरा पिछले पहिए के आकार का होगा।

(5) जहां कहीं भी मार्ग की प्रकृति के कारण सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण ऐसा निदेश दे, पहिया या रिमों पर चढ़ाये गये हवा भरे हुए अतिरिक्त पृथक टायर रखे जायेंगे।

145—ईंधन टंकियां—(1) किसी सार्वजनिक सेवा यान में एक मंजिला यान की दशा में किसी प्रवेश या निकास के साठ सेन्टीमीटर के भीतर या दो मंजिला यान की दशा में निचले मंजिल पर कोई ईंधन टंकी नहीं रखी जायेगी।

(2) प्रत्येक सार्वजनिक सेवा यान के ईंधन टंकी को इस प्रकार रखा जाएगा कि उससे कोई रिसाव किसी काष्ठकर्म पर न गिरे या ऐसी जगह संग्रहीत न हो, जहां उस पर आसानी से आग न लग सकती हो। सक्रिया के साधन को बन्द करने की स्थिति यान के बाहर स्पष्ट रूप से चिन्हित की जायेगी। सभी ईंधन टंकियों को भरने की व्यवस्था यान के बाहर से होगी और बन्द करने वाला ढक्कन इस आकार का बनाया जायेगा कि उसे सुरक्षापूर्वक स्थिर किया जा सके।

146—कार्बोरेटर—प्रत्येक सार्वजनिक सेवा यान में कार्बोरेटर और उससे जुड़े उपकरण को इस प्रकार रखा और बन्द किया जायेगा कि ईंधन का रिसाव फिटिंग के किसी भाग पर न हो, जहां से यह प्रज्वलित हो सके या किसी पात्र में न गिरे जहां वह संग्रहीत हो सके।

147—अत्यधिक ऊष्मा—मोटर जैनरेटर या एग्जास्ट पाइप और उसके जोड़ों को ऊष्मा से बचाने के लिए प्रभावी साधन अपनाये जाएंगे जिससे यान के किसी भाग पर बुरा प्रभाव न पड़े या यात्रियों को असुविधा न हो।

148—ज्वलनशील फिटिंग—कोई भी सेलोल्यूड या अन्य अति ज्वलनशील पदार्थ किसी सार्वजनिक सेवा यान के अन्दर या बाहर विद्युत बैटरियों और संग्राहकों में, के सिवाय प्रयोग नहीं किया जायेगा।

149—विद्युत तार—सभी विद्युत तारों, सीसों में पर्याप्त विद्युत रोधक लगाया जायेगा।

150—अग्नि शामक—मोटर टैक्सी से भिन्न प्रत्येक सार्वजनिक सेवा यान में इस प्रकार के और इस क्षमता के एक या अधिक अग्नि शामक जैसा राज्य परिवहन प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाय, रखे जायेंगे और ऐसे अग्नि शामकों को हर समय चालू हालत में रखा जायेगा।

151—मडगार्ड—ट्रैक्टर टेलर को छोड़कर प्रत्येक मोटर यान में, जब तक कि मोटर यान के ढांचे द्वारा पर्याप्त सुरक्षा प्रदत्त न हो, पहियों के घूमने से फेंके गये कीचड़ और पानी को जहां तक व्यवहार्य हो रोकने के लिए मडगार्ड या तत्समान अन्य फिटिंग्स की व्यवस्था की जायेगी।

152—खड़े होने का स्थान—मोटर टैक्सी से भिन्न प्रत्येक सार्वजनिक सेवा यान में निम्नलिखित सामान्य ऊंचाई या खड़े होने के स्थान, जो यान के केन्द्र में फ्लोर बोर्ड या बटन्स से छत के निचले आलम्बन तक नापी जायेगी, होगा—

(एक) एक मंजिला यान की दशा में 1.75 मीटर से कम और 2 मीटर से अधिक नहीं होगा, या

(दो) दो मंजिला यान की दशा में सम्बन्धित रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी खड़े होने का स्थान निश्चित करेंगे :

परन्तु यह कि उपर्युक्त मापों को रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी किसी ऐसे सार्वजनिक सेवा यान के सम्बन्ध में, जो केवल किसी विशेष नगरपालिका या कैन्टोनमेन्ट क्षेत्र और उनके चारों और चलायी जाती हो, परिवर्तन कर सकता है।

153—ड्राइवर की सीट—(क) प्रत्येक सार्वजनिक सेवा यान में ड्राइवर की सीट के लिए इतना स्थान आरक्षित होगा जिससे वह यान पर पूर्ण और निर्बाध नियंत्रण रख सके और विशिष्टत :—

(एक) सीट का वह भाग जिस पर ड्राइवर की पीठ टिकती है, स्टेयरिंग व्हील के निकटतम बिन्दु से 35 सेन्टीमीटर से कम नहीं होगा,

(दो) यान के आर-पार चौड़ाई 70 सेन्टीमीटर से कम नहीं होगी और स्टेयरिंग कालम के केन्द्र के बायीं ओर उसका विस्तार किसी भी दशा में 25 सेन्टीमीटर से कम नहीं होगा ताकि किसी गियर लीवर, ब्रेक लीवर या अन्य युक्ति जिस पर बारम्बार ड्राइवर की पहुंच आवश्यक है के केन्द्र से होती हुई यान के धुरी के समानान्तर खींची गयी कोई रेखा ड्राइवर की सीट के लिये आरक्षित चौड़ाई के भीतर 6.5 सेन्टीमीटर से कम दूरी पर नहीं पड़ेगी।

(तीन) किसी मोटर, टैक्सी या किसी पर्यटन यान से भिन्न किसी सार्वजनिक सेवा यान की दशा में ऊपर खण्ड (दो) के अनुसार आरक्षित स्थान को बायें हाथ की ओर अन्तिम भाग और सीट के सामने के हिस्से को यान के फर्श के ऊपर किसी कठोर लकड़ी के या अन्य उचित विभाजन से जो कम से कम सीट से ऊपर 31 सेन्टीमीटर ऊंचा होगा घेर दिया जायेगा :

परन्तु यह कि इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा सशक्त कोई प्राधिकारी इस नियम के उपबन्धों को शिथिल करने के आदेश दे सकता है।

(ख) उप नियम (क) के खण्ड (दो) में विनिर्दिष्ट स्थान के भीतर 10 सैन्टीमीटर से अनधिक चौड़ाई का ड्राइवर के लिए हत्था की व्यवस्था की जा सकती है।

(ग) किसी भी सार्वजनिक सेवा यान का निर्माण इस प्रकार नहीं किया जायेगा कि कोई भी व्यक्ति ड्राइवर के दाएं हाथ की तरफ बैठ सके या कोई सामान ले जाया जा सके।

(घ) प्रत्येक सार्वजनिक सेवा यान का इस प्रकार निर्माण किया जायेगा कि ढांचे के सामने स्तम्भ के सिवाय ड्राइवर को सामने और दाएं हाथ से 90 अंश के कोण से स्पष्ट दिखाई दे। ढांचे का सामने का स्तम्भ इस प्रकार निर्मित किया जाएगा कि ड्राइवर की दृष्टि को कम से कम बाधित करे।

154—दरवाजों की चौड़ाई—मीटर, टैक्सी या पर्यटन यान से भिन्न सार्वजनिक सेवा यान का प्रत्येक प्रवेश और निकास द्वार कम से कम 55 से०मी० चौड़ा और पर्याप्त ऊंचाई का होगा।

155—ग्रेव रेल—मोटर, टैक्सी या पर्यटन यान से भिन्न किसी सार्वजनिक सेवा यान के प्रत्येक प्रवेश या निकास द्वार में यात्रियों को यान में चढ़ने या उससे उतरने में सहायता के लिये एक ग्रेव रेल लगाया जायेगा।

156—सीढ़ियां—(क) मोटर, टैक्सी या पर्यटन यान से भिन्न प्रत्येक सार्वजनिक सेवा यान में आपात निकास से भिन्न किसी प्रवेश या निकास द्वार की सबसे नीचे की सीढ़ी के पायदान का सिरा जब यान खाली हो भू-तल से 45 सेन्टीमीटर से अधिक या 25 सेन्टीमीटर से कम नहीं होगा। सभी सीढ़ियां ऐसी बनाई जायेंगी कि उसके पायदान में फिसलन न हो। लगाई गई सीढ़ियों की चौड़ाई 25 सेन्टीमीटर से कम नहीं होगी और किसी भी प्रकार यान के ढांचे से बाहर न निकली हों जब तक कि उन्हें फ्रन्ट विंग द्वारा (या अन्यथा) इस प्रकार सुरक्षित न कर दिया जाय कि उनसे पैदल चलने वालों को चोट लगने की संभावना न हो।

(ख) दो मंजिला यान की दशा में—

(एक) नीचे की मंजिल से ऊपर की मंजिल को ले जाने वाली सभी सीढ़ियों के खड़पट घिरे होंगे और ऊपर पहुंचने के फलक पर कोई असुरक्षित छिद्र नहीं होगा,

(दो) नीचे की मंजिल से ऊपर की मंजिल को ले जाने वाली सभी सीढ़ियों में ऐसे पायदान लगाये जायेंगे जिनमें फिसलन न हो,

(तीन) सबसे ऊंची सीढ़ी के खड़पट के निकटतम बिन्दु से, सीढ़ी के ऊपरी सिरे के फलक के सम्मुख किसी ग्रेव रेल को जो सीट के पृष्ठ भाग से 8 सेन्टीमीटर से अधिक का प्रक्षेण नहीं करती हो गुजरने वाली उर्ध्वगामी रेखा तक की क्षितिज दूरी 65 सेन्टीमीटर से कम नहीं होगी।

(चार) किसी बाहरी सीढ़ी का बाहरी फलक इस प्रकार निर्मित किया जायेगा या कोई पट्टी इस प्रकार लगायी जायेगी कि वह चढ़ने और उतरने वाले व्यक्तियों के बचाव का कार्य करे। बाहरी सीढ़ी के प्रत्येक पायदान के सामने के ऊपर गार्ड रेल की ऊंचाई एक मीटर से कम नहीं होगी।

157—सामान का ले जाया जाना—प्रत्येक सार्वजनिक सेवा यान में युक्तियुक्त मात्रा में सामान ले जाने के लिए पर्याप्त साधन की व्यवस्था की जाएगी और पर्याप्त संख्या में जंजीर, पट्टे या ऐसे सामान को सुरक्षित करने के अन्य साधन होंगे। यान की छत पर कोई सामान तब तक नहीं ले जाया जाएगा जब तक कि रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित प्रकार का गार्ड रेल न लगा हो और भीगे मौसम में सामान की सुरक्षा के लिए उचित जलरोधी आवरण की व्यवस्था न हो। आवरण को सुरक्षापूर्वक बांधा जाएगा जिससे फड़फड़ाहट न हो।

158—गद्दी—जहां किसी सार्वजनिक सेवा यान की सीटों पर अचल या चल गद्दी लगी हो, तो गद्दी को उचित सामग्री से भरा जाएगा और अच्छी गुणवत्ता के चमड़े या कपड़े से या अन्य उचित सामग्री से, जो साफ सुथरी दशा में रखी जा सके, ढका जायेगा।

159—ढांचे का आयाम और गार्ड रेल—(1) किसी मोटर, टैक्सी या किसी पर्यटन यान से भिन्न प्रत्येक सार्वजनिक सेवा यान का निर्माण इस प्रकार किया जायेगा कि उसके ढांचे के आयाम और गार्ड रेल निम्नलिखित विनिर्दिष्टियों के अनुरूप हो :–

(एक) घिरे हुए ढांचे के साथ एक मंजिला यान की दशा में–

(क) यथा स्थिति फर्श से ढांचे के किनारों की ऊंचाई या खिड़कियों के नीचले हिस्से तक की ऊंचाई 70 सेन्टीमीटर से कम नहीं होगी।

(ख) यदि यथास्थिति ढांचे के किनारों की या खिड़की के निचले हिस्से की ऊंचाई किसी सीट की अधिकतम ऊंचाई के ऊपर 45 सेन्टीमीटर से कम हो तो बगल से गुजरने वाले यानों द्वारा बैठे हुये यात्रियों की बाहों की दबने या चोट लगने से रोकने के लिये गार्ड रेल की या अन्यथा व्यवस्था की जायेगी या बगल की खिड़कियों या रोशनदानों को नीचे लाये जाने की सीमा इतनी हो सकती है कि जब उनको नीचे लाया जाय तो उनका ऊपरी किनारा किसी सीट के अधिकतम ऊंचाई के ऊपर 45 सेन्टीमीटर से कम नहीं होगा।

(दो) किनारों पर खुले एक मंजिला यान की दशा में यान के दाहिने हाथ की ओर ड्राइवर से भिन्न किसी व्यक्ति को उस ओर से यान पर चढ़ने और उससे उतरने से रोकने के लिये गार्ड रेल की व्यवस्था की जायेगी।

(तीन) अनावृत ऊपरी मंजिल वाले दो मंजिला यान की दशा में ऊपरी मंजिल में साइड और एण्ड रेलों की व्यवस्था की जायेगी जिसका ऊपरी सिरा डेक बोर्डों से या फर्श पर लगी लकड़ी की पट्टियों से किनारों पर कम से कम 90 सेन्टीमीटर होगा और सीट के अधिकतम ऊंचे भाग से 46 सेन्टीमीटर होगा और सामने के और पीछे की रेलों का ऊपरी सिरा डेक बोर्डों या फर्श पर लगी लकड़ी की पट्टियों के ऊपर कम से कम एक मीटर होगा और मंजिल के कक्ष को अनुगमन करेगा।

(2) इस नियम के प्रयोजनों के लिये सीट के पीठ को सीट का कोई भाग नहीं समझा जायेगा।

160—यात्रियों को मौसम से बचाना—(1) प्रत्येक सार्वजनिक सेवा यान को या तो स्थिर और जलरोधी छत सहित निर्मित किया जायेगा या जलरोधी हुड से, जिसे अपेक्षानुसार ऊपर या नीचे किया जा सकता है लैस होगा।

(2) अनावृत ऊपरी मंजिल से युक्त किसी दो मंजिला यान के मामले को छोड़कर प्रत्येक सार्वजनिक सेवा यान में उचित खिड़कियां, रोशनदानों या पर्दों जो यान में पर्याप्त संवातन की व्यवस्था को रोके बिना हर समय यात्रियों को मौसम से बचाने के लिये सक्षम हो। जब पर्दे कपड़े से बने हों तो वे सम्पूर्ण रूप से यान से सुरक्षित रूप से हर समय बंधे रहेंगे।

(3) जब शीशे की खिड़कियां या रोशनदान प्रयुक्त हों तो उसमें उन्हें खड़खड़ाने से बचाने के लिये प्रभावी साधनों की व्यवस्था होगी।

161—फ्लोर बोर्ड—(1) प्रत्येक सार्वजनिक सेवा यान का फ्लोर बोर्ड मजबूत होगा और उसकी बन्द फिटिंग की जायेगी ताकि वह धूल और हवा के झोकों को रोक सके।

(2) फ्लोर बोर्ड में किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं अपितु केवल नाली के प्रयोजन के लिये ही छिद्र बनाया जायेगा।

162— परिवहन यानों का रंगा जाना—(1) नियम 110 और उप नियम (2) के अध्यधीन रहते हुए चार पहियों का कोई मोटर यान यथा जीप और कमान्ड कार जो मूलरूप से सेना की रही हो, निम्नलिखित रंगों में से किसी रंग से रंगी जायेगी :–

(क) सफेद

(ख) काला

(ग) हरा

(2) प्रत्येक मोटर टैक्सी काले रंग में पीले हुड के साथ रंगी जायगी और कोई अन्य मोटर कार इस रंग संयोजन में नहीं रंगी जायेगी :

परन्तु यह कि यह उप नियम पर्यटन मोटर टैक्सी और विदेशी मेक की मोटर टैक्सी पर जिसकी अश्व शक्ति चौबीस या अधिक हो, लागू नहीं होगा।

(3) सेना के किसी मोटर यान से भिन्न किसी मोटर यान का प्रयोग किसी सार्वजनिक स्थान पर नहीं किया जायेगा जब तक कि उसे सेना के मोटर यानों के लिये सामान्यता प्रयुक्त रंग से भिन्न रंग में न रंगा गया हो।

स्पष्टीकरण—इस नियम के प्रयोजनों के लिये पर्यटन मोटर टैक्सी का तात्पर्य किसी ऐसी मोटर टैक्सी से है, जिसे विदेशी पर्यटकों की मात्र सवारी के लिये राज्य परिवहन प्राधिकरण द्वारा ठेका गाड़ी परमिट जारी की गयी हो।

163—ध्वनि संकेत के प्रयोग पर प्रतिबन्ध—(1) किसी मोटर यान का कोई ड्राइवर हार्न या श्रवण चेतावनी देने के लिये अन्य युक्ति, जिससे मोटर यान सुसज्जित हो, को अनावश्यक या लगातार या ऐसी सीमा से बाहर जो सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिये युक्तियुक्त आवश्यक हो, नहीं बजायेगा।

(2) जिला मजिस्ट्रेट यथास्थित कथित शहर या जिले में एक या अधिक समाचार-पत्रों में अधिसूचना द्वारा और जैसा कि अधिनियम की प्रथम अनुसूची के भाग "क" में दिया गया है आज्ञापक चिन्ह संख्या एम-18 का उचित स्थान पर परिनिर्माण करके ऐसे शहर या जिले के भीतर किसी क्षेत्र में और ऐसे समय के दौरान जैसा कि अधिसूचना में विनिर्दिष्ट हो श्रवण चेतावनी देने के लिए मोटरयानों के ड्राइवरों द्वारा किसी हार्न, गांग या अन्य युक्ति के प्रयोग को प्रतिषिद्ध कर सकता है :

परन्तु जब जिला मजिस्ट्रेट कतिपय विनिर्दिष्ट समय के दौरान श्रवण चेतावनी देने के लिए किसी हार्न, गांग या अन्य युक्ति के प्रयोग को प्रतिषिद्धि करे तो वह उचित सूचना को अंग्रेजी में और उस नगर या जिले की लिपि में, ऐसे समय का उल्लेख करते हुए जिसके भीतर ऐसा प्रयोग इस प्रकार प्रतिषिद्धि है, यातायात चिन्ह के नीचे चिपकवायेगा।

164—खतरनाक प्रक्षेप—(1) किसी सुभंकर या अन्य तत्समान फिटिंग या युक्ति को, जब तक कि ऐसे सुभंकर से उसके ऊपर के किसी प्रक्षेप के कारण किसी व्यक्ति को चोट पहुंचाने की सम्भावना न हो, अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी मोटर यान द्वारा किसी ऐसी स्थिति में जिसमें किसी व्यक्ति को, जिससे यान टकरा सकता है, आघात पहुंचने की सम्भावना हो, नहीं ले जाया जायगा।

(2) किसी मोटर यान को, जो इस प्रकार निर्मित हो कि उसका कोई एक्सिल-हब या हब-कैप पार्श्विक रूप में पहिये के जिसमें वह जुड़ा हो, रिम से 10 सेन्टीमीटर से अधिक बाहर हो, जब तक कि हब या हब-कैप या, तो यान के ढांचे द्वारा या पार्श्व भाग द्वारा या पृथक रक्षक द्वारा भली-भांति रक्षित न हो, प्रयोग करने की अनुज्ञा नहीं दी जायेगी।

165—आटो रिक्शा का निर्माण और उपस्कर—इस नियमावली में किसी बात के होते हुये भी, प्रत्येक आटो रिक्शा निम्नलिखित उपबन्धों के अनुसार निर्मित और सुसज्जित किया जायेगा :—

(क) किसी स्कूटर पर प्रत्येक आटो रिक्शा का ढांचा नवीनतम नमूने के यान पर या ऐसे यान पर जो चार वर्ष से अधिक पहले रजिस्ट्रीकृत न हुआ हो, बनाया जायेगा।

(ख) ढांचे का प्रकार और सामग्री :—

(एक) प्रत्येक आटो रिक्शा का ढांचा या तो किसी स्टेशन बैंगन या बाक्स के प्रकार का या ऐसी हैकनी गाड़ी के प्रकार का होगा जैसा कि राज्य परिवहन प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित हो, रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी की सन्तुष्टि के अनुसार सुदृढ़ बनाया गया हो और उसे यान के फ्रेम से सुरक्षित कसा गया हो। उसके निर्माण में प्रयुक्त सामग्री मजबूत और अच्छी गुणवत्ता की होगी।

(दो) छत का निर्माण इस प्रकार किया जायगा कि वह यात्रियों को धूप और वर्षा से बचा सके और वह या तो धातु की शीट का या केनवास का या किसी अन्य उपयुक्त सामग्री की होगी।

(तीन) प्रत्येक आटो रिक्शा में दायां भाग या तो बैठे हुये यात्रियों की कमर तक स्थित दरवाजा द्वारा निरुद्ध होना चाहिये या दो धातु की छड़ इस प्रकार लगी होनी चाहिये कि एक दूसरे में 15 सेन्टीमीटर की दूरी हो और नीचे वाली छड़ यात्री के नितम्ब के स्तर पर हो और दोनों छड़ों को किनारों पर बेल्ड किया गया हो।

(ग) ओवर हैंग—ढांचे का ओवर हैंग आटो रिक्शा की धुरी के समतल लम्ब जो अगली पहिया के केन्द्र और पिछली धुरी के मध्य बिन्दु से गुजरता हो के बीच की दूरी के इक्तालीस प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

(घ) कुल चौड़ाई—कुल चौड़ाई जो वाह्यतम बिन्दुओं को घेरते हुये तल की धुरी के समकोण पर मापी जाय, 1.42 मीटर से अधिक और 1.36 मीटर से कम न होगी।

(ङ) कुल ऊंचाई—उस सतह से जिस पर आटो रिक्शा खड़ा हो मापी गयी कुल ऊंचाई 1.83 मीटर से अधिक नहीं होगी और छत के बीच 1.22 मीटर का स्पष्ट अन्तर होगा।

(च) सड़क निर्वाधन—प्रत्येक आटो रिक्शा का सड़क निर्वाधन (रोड़ क्लीयरेन्स) 20.5 सेन्टीमीटर से अधिक और 10.2 सेन्टीमीटर से कम नहीं होगी।

(छ) फर्श का निर्वाधन—फर्श उस सतह से जिस पर आटो रिक्शा खड़ा है, 56 सेन्टीमीटर से अधिक ऊंचाई पर नहीं होगा।

(ज) बत्ती—आटो रिक्शा के सामने बाडी पर एक शीर्ष और दोनों ओर बगल में रंगहीन दो शीर्ष बत्तियां होंगी। आटो रिक्शा के सामने की बत्तियों के अतिरिक्त पीछे एक बत्ती लगी होगी जिसके पीछे ऐसी लाल रोशनी होगी जो 152.40 मीटर की दूरी से देखी जा सके और वह यान को प्रदर्शित रजिस्ट्रीकरण चिन्ह को सफेद रोशनी इस प्रकार प्रकाशित करेगी कि उक्त चिन्ह 15.24 मीटर की दूरी से पढ़ा जा सके और साथ ही पिछले मडगार्डों पर अंधेरे में देखे जा सकने योग्य दो परावर्तक भी लगे हों जिससे कि पीछे से आने वाले यातायात की चेतावनी मिल सके कि आगे कोई आटो रिक्शा है। यदि मडगार्ड का उपयोग न किया जाय तो पीछे अंधेरे में देखे जा सकने योग्य परावर्तक लगाने का विकल्प होगा।

(झ) ड्राइवर की सीट—ड्राइवर की सीट का पृष्ठ भाग बाडी के अगले पैनल से कम से कम 10 सेन्टीमीटर के अन्तर पर होना चाहिये। ड्राइवर के लिये वायुरोधक शीशे (विण्ड स्क्रीन) की व्यवस्था की जायगी।

(ञ) सीट—(एक) उसमें एकल सीट की व्यवस्था होगी जिसकी लम्बाई 1.15 मीटर से अधिक और 91.5 सेन्टीमीटर से कम नहीं होंगी। सीट का अन्तर्विस्तार 40.5 सेन्टीमीटर से कम नहीं होगा।

(दो) सीट का पृष्ठ भाग तिरछा होगा और उसकी कुल ऊंचाई सीट में समतल भाग से कम से कम 48 सेन्टीमीटर होगी।

(तीन) सीट में आवद्ध या खिसकाई जा सकने वाली गद्दियाँ बनी होंगी। गद्दियों पर अच्छे किस्म का चर्म वस्त्र (लेदर क्लाथ) या इसी प्रकार की अन्य सामग्री चढ़ी होगी जिससे कि उन्हें स्वच्छ और स्वास्थ्यकर दशा में रखा जा सके।

(चार) फर्श से सीटों की ऊंचाई जिसमें गद्दी भी सम्मिलित है 35.6 सेन्टीमीटर से कम नहीं होगी।

(ट) पाद स्थान तीन यात्रियों वाली आटो रिक्शा इसमें कम से कम 38 सेन्टीमीटर के पाद स्थान की व्यवस्था होगी।

(ठ) हार्न—प्रत्येक आटो रिक्शा में एक बल्व हार्न लगा होगा।

166—गति—कोई व्यक्ति किसी ऐसे आटो रिक्शा को जिसमें ड्राइवर की सीट को छोड़कर तीन सीट हों, किसी सार्वजनिक स्थान पर 40 किलोमीटर प्रति घण्टे से अधिक गति से न तो चलायेगा, न चलाने देगा और न चलाने देने की अनुज्ञा देगा।

167—मोटर यानों का निरीक्षण—(1) परिवहन यान से भिन्न मोटर यानों के रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण के होते हुये भी, यदि रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी को यह विश्वास का कारण हो कि यांत्रिक दोषों के कारण कोई यान ऐसी स्थिति में है कि सार्वजनिक स्थान में उसके प्रयोग से जन साधारण को खतरा है या वह अधिनियम के अध्याय सात या तद्धीन बनाई गई नियमावली की अपेक्षाओं का अनुपालन करने में विफल है तो वह ऐसे यान का अपने द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी से

निरीक्षण करा सकता है और स्वामी को धारा 53 की उपधारा (1) के अधीन यथा अपेक्षित किसी प्रत्यावेदन को देने का अवसर प्रदान करने के पश्चात् उक्त धारा के अधीन यान के रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र को सम्यक् मरम्मत के पश्चात् यान को निरीक्षण के लिये पेश करने की अवधि तक के लिये निलम्बित कर सकता है।

(2) प्रत्येक ऐसे निरीक्षण के लिये केन्द्रीय नियमावली के नियम 81 की क्रम-संख्या "4" पर यथा विहित फीस होगी और वह अधिनियम की धारा 41 की उपधारा 8 अभिदिष्ट आवेदन-पत्र के साथ होगी।

(3) ऐसी फीस अग्रिम रूप में देय होगी और वापस नहीं की जाएगी।

168—दर्पण—परिवहन यान से भिन्न प्रत्येक मोटर यान में या दो से अनधिक पहिये वाली किसी मोटर साइकिल जिसमें साइड कार न लगी हो, में या तो अन्दर या बाहर और प्रत्येक परिवहन यान में बाहर से दर्पण इस प्रकार लगाया जायगा कि ड्राइवर को पीछे से आने वाले यान का स्पष्ट और साफ चित्र दिखाई दे।

169—मोटर साइकिलों और अशक्त गाड़ियों के साथ ट्रेलरों का निषेध—(1) दो पहियों से अनधिक की मोटर साइकिल जिसमें साइड कार हो या न हो, अनुयान को नहीं खींचेगी।

(2) कोई अशक्त गाड़ी ट्रेलर को नहीं खींचेगी।

170—कतिपय यानों के साथ ट्रेलर को जोड़ने का निषेध—(1) तीन से अधिक ट्रेलरों को जोड़कर कोई मोटर यान किसी स्थान पर नहीं चलाया जायेगा।

(2) राज्य परिवहन प्राधिकरण, सामान्य या विशेष संकल्प द्वारा जिसमें उसके कारण समाविष्ट हों और ऐसी शर्तों के अध्यधीन रहते हुये जिन्हें उसमें विनिर्दिष्ट किया जाय, ट्रेलरों को या किसी विशिष्ट प्रकार के ट्रेलर को, सामान्यतः किसी विनिर्दिष्ट मार्ग या क्षेत्र में किसी मोटर यान या मोटर यानों के वर्ग से जोड़ने पर निषेध या रोक लगा सकता है।

(3) कोई मोटर यान जिसकी लम्बाई 7.95 मीटर से अधिक हो, ट्रेलर को नहीं खींचेगा :

परन्तु यह नियम किसी ऐसे अशक्त मोटर यान पर लागू नहीं होगा जो अशक्त होने के फलस्वरूप खींचकर ले जायी जा रही हो।

(4) कोई मोटर यान या एक या अधिक ट्रेलरों को जोड़कर किसी मोटर यान से बनाई गई कोई ट्रेन यदि ऐसा मोटर यान या ऐसी ट्रेन लम्बाई में 22.85 मीटर से अधिक हो, किसी सार्वजनिक स्थान पर नहीं चलाई जायेगी।

(5) किसी ऐसे ट्रेलर को किसी सार्वजनिक स्थान पर किसी मोटर यान से नहीं जोड़ा जायेगा या उसके द्वारा नहीं खींचा जायेगा यदि ट्रेलर का लदान सहित भार नीचे दी गई सीमाओं से अधिक हो:–

(एक) सभी पहियों पर न्यूमैटिक टायर लगे हुये ट्रेलर	8,982 कि०ग्रा०
(दो) सभी पहियों पर न्यूमैटिक टायर से भिन्न लगे हुये टायर से युक्त ट्रेलर	3,982 कि०ग्रा०

171—ट्रैक्टर से जुड़े ट्रेलर—कोई ट्रैक्टर किसी ऐसे ट्रेलर का किसी सार्वजनिक मार्ग पर नहीं खींचेगा जिसका लदान रहित भार आधा टन से अधिक हो और जिसमें साठ सेन्टीमीटर से कम ब्यास की ठोस स्टील की पहिया लगी हो।

172—स्थानीय निर्मित ट्रेलर—विनिर्दिष्टियां और बनावट (डिजाइन)—(1) भारत में निर्मित और परिवहन यान के रूप में प्रयोग करने के लिये आशयित किसी ट्रेलर का रजिस्ट्रीकरण तब तक नहीं किया जायेगा जब तक कि उसकी बनावट निम्नलिखित उप नियमों के उपबन्धों के अनुसार परिवहन आयुक्त द्वारा अनुमोदित न की गई हो :

परन्तु जहां परिवहन आयुक्त ने उप नियम (4) के अधीन ऐसे ट्रेलरों के लिए मानक बनावट विनिर्दिष्ट कर दी हो, वहां ऐसा अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक न होगा, यदि ट्रेलर का निर्माण इन मानक बनावटों में से किसी के अनुसार किया गया हो।

(2) (क) किसी ऐसे ट्रेलर की, जिसका निर्माण उप नियम (4) में निर्धारित मानक बनावटों में से किसी एक के अनुसार न किया गया हो, बनावट के अनुमोदन के लिए आवेदन-पत्र तीन प्रतियों में, परिवहन आयुक्त को दिया जायेगा। आवेदन-पत्र के साथ नकद रूप में 500 रु० की फीस (जो वापस नहीं की जायेगी) और निम्नलिखित दस्तावेजों की तीन प्रतियां भेजी जायेगी :–

[एक] पूर्ण विनिर्दिष्टियां;

[दो] नक्शा (ड्राइंग) जिसमें समस्त आयाम और ब्यौरे दिये जायेंगे, और

[तीन] निम्नलिखित की बनावट की माप-जोख (डिजाइन कल्कुलेशन) का सेट–

धुरी (एक्सेल), स्प्रिंग, लांग वियरर्स, क्रास वियरर्स, प्लेट फार्म टैंक, या जो कुछ भी क्रास वियरर्स पर ले जाया जाय, दो छड़ें, दो धुरी वाले ट्रेलरों की स्थिति में अगली धुरी के लिए टर्न टेबिल या कोई अन्य स्क्राइविंग युक्ति, ब्रेक व्यवस्था, और कोई भी अन्य मद, जैसे शाक आब्जरवर, यदि सम्मिलित हो, चेसिस आदि।

(ख) आवेदन-पत्र प्राप्त होने पर, परिवहन आयुक्त, उससे संलग्न दस्तावेजों की प्रतियां सहित उसे ऐसे प्राधिकारी को अग्रसारित करेगा जिसे वह ट्रेलर के सम्बन्ध में अधिकतम लदान और धुरी भार के जो युक्ति युक्त सुरक्षा के अनुरूप हो, सत्यापन और सिफारिश के लिए उचित समझे।

(ग) तत्पश्चात् खण्ड (ख) में निर्दिष्ट प्राधिकारी बनावट और नाप जोख को देखेगा और यदि बनावट को संतोष जनक पाये तो वह यह प्रमाणित करेगा कि उसकी राय में ट्रेलर की अधिकतम लदान और धुरी भार क्या होगा जो युक्ति-युक्त सुरक्षा के अनुरूप हो।

(घ) जब प्राधिकारी द्वारा कोई बनावट संतोषजनक पाई जाय, तब वह अनुमोदित बनावट, विनिर्दिष्टियों और नाप-जोख की दो प्रतियों को युक्तियुक्त सुरक्षा के अनुरूप अधिकतम लादे गये भार और धुरी भार के सम्बन्ध में अपनी सिफारिशों सहित परिवहन आयुक्त को लौटा देगा। तत्पश्चात् परिवहन आयुक्त बनावट को अनुमोदित करेगा और अपने प्रस्ताव को राज्य सरकार के पास अधिनियम की धारा 58 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना जारी करने के लिए भेजेगा।

(ङ) आवेदक अपनी बनावट का अनुमोदन हो जाने पर, यदि वह ट्रेलर का निर्माण व्यापार के लिए करना चाहता हो, परिवहन आयुक्त को अनुमोदित प्रकार को बनावट, विनिर्दिष्टियों और नाप-जोख की उतनी अतिरिक्त प्रतियां भेजेगा, जितनी उसे विभिन्न रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारियों को उनके अभिलेख के लिए भेजने के लिए अपेक्षित हो।

(3) उप नियम (4) के अधीन प्रकाशित किसी मानक बनावट के अनुसार निर्मित न किये गये किसी ट्रेलर के रजिस्ट्रीकरण के लिए निवेदन-पत्र के साथ परिवहन आयुक्त के उस पत्र को, जिसमें उसने उप नियम (2) के अधीन उसका बनावट का अनुमोदन किया हो, एक सत्यापित प्रति होगी।

(4) परिवहन आयुक्त सरकारी गजट में अधिसूचना प्रकाशित करके सभी या किसी विशिष्ट प्रकार के ट्रेलर या ट्रेलरों के सम्बन्ध में मानक, बनावट विनिर्दिष्टियां और नाप-जोख निर्धारित कर सकता है।

(5) रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी किसी ट्रेलर का रजिस्ट्रीकरण करने से इन्कार कर सकता हैं यदि उसकी बनावट उप नियम (2) के अधीन परिवहन आयुक्त द्वारा अनुमोदित न की गई हो या यदि उसकी राय में ट्रेलर उप नियम (4) में निर्धारित मानक विनिर्दिष्टया, नक्शे और बनावट के अनुसार निर्मित न किया गया हो। यदि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी इस उप नियम के अधीन किसी ट्रेलर का रजिस्ट्रीकरण करने से इन्कार करे तो वह इस प्रकार इन्कार किये जाने के कारण लिखित रूप में आवेदक को सूचित करेगा।

(6) पूर्ववर्ती, उप नियमों की कोई बात किसी ऐसे ट्रेलर पर लागू नहीं होगी जिसकी बनावट किसी अन्य राज्य के किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा पहले ही अनुमोदित कर दी गई हो :

परन्तु सम्बन्धित राज्य उत्तर प्रदेश राज्य के किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित बनावट के निर्माण के लिए उसी प्रकार की सुविधा दे और यह कि निर्माता या उसका प्राधिकृत समायोजक उप नियम (1) में निर्दिष्ट दस्तावेज, दो प्रतियों में, और ऐसे अन्य राज्य में बनावट के अनुमोदन का प्रमाण-पत्र या अन्य साक्ष्य परिवहन आयुक्त को भेजेगा।

173—ट्रेलरों के परिचालक–(1) जब किसी ट्रेलर या ट्रेलरों को मोटर यान द्वारा खींचा जा रहा हो, तो यथास्थिति ट्रेलर या ट्रेलरों में या खींचने वाले मोटर यान पर निम्नलिखित व्यक्तियों को ले जाया जायेगा जो बीस वर्ष की आयु से कम न हो और अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में सक्षम हों, अर्थात् :–

(क) यदि ट्रेलर या ट्रेलरों के ब्रेक को चलने वाले मोटर यान के ड्राइवर द्वारा या उस यान पर चलने वाले किसी अन्य व्यक्ति द्वारा संचालित न किया जा सकता हो, तो–

(एक) प्रत्येक ट्रेलर पर एक व्यक्ति को, जो ब्रेक लगाने में सक्षम हो, और

(दो) आगे निकलने वाले यानों के ड्राइवरों को संकेत देने और खींचने वाले मोटर यान के ड्राइवर को संसूचित करने के लिए किसी ट्रेन के अन्तिम ट्रेलर पर या उसके पिछले हिस्से के निकट एक व्यक्ति को ऐसी स्थिति में रखा जायेगा कि वह ट्रेलर के पीछे की सड़क को स्पष्ट रूप से देख सके।

(ख) यदि ट्रेलर के ब्रेकों का खींचने वाले मोटर यान के चालक के द्वारा या उस यान पर ले जाये जाने वाले किसी अन्य व्यक्ति द्वारा संचालित किया जा सकता हो तो चालक के अतिरिक्त ऐसे अन्य व्यक्ति को उस वाहन पर ले जाया जाएगा और खण्ड (क) उप खण्ड (दो) के उपबन्धों के अनुसार यान के अन्तिम ट्रेलर में एक व्यक्ति को ले जाया जाएगा।

(ग) यदि ट्रेलर या ट्रेलरों को किसी वाष्प इंजन द्वारा खींचा जा रहा हो तो इस बात के होते हुए भी कि ट्रेलर या ट्रेलरों के ब्रेकों को ड्राइवर द्वारा वाष्प इंजन पर उपस्थित किसी अन्य व्यक्ति द्वारा संचालित किया जा सकता है ट्रेन में प्रत्येक ट्रेलर पर कम से कम एक व्यक्ति और अन्तिम ट्रेलर पर कम से कम दो व्यक्ति जिनमें से एक व्यक्ति खण्ड (क) के उप खण्ड (दो) की अपेक्षानुसार होगा।

(2) यह नियम निम्नलिखित पर लागू नहीं होगा :–

(क) किसी ऐसे ट्रेलर पर जिसमें दो से अधिक पहिये न हों और लदान भार 770 किलोग्राम से अधिक न हो जब वह अकेला प्रयोग में लाया जाय और अन्य ट्रेलरों के साथ ट्रेन में न हो;

(ख) किसी संयुक्त यान के पीछे के अर्द्ध भाग पर;

(ग) ऐसे किसी ट्रेलर पर जो खींचने वाले यान के प्रयोजनों के लिये जल ले जाने के लिए अकेला, प्रयुक्त किया जाय और अन्य ट्रेलरों के साथ ट्रेन में न हो;

(घ) किसी मोटर यान द्वारा खींचे जाने वाले किसी कृषि सम्बन्धी या सड़क बनाने वाले या सड़क की मरम्मत करने वाले या सड़क की सफाई करने वाले उपकरण पर; या

(ङ) किसी ऐसे ट्रेलर पर जो किसी प्रयोजन के लिये विशेष रूप निर्मित या अनुकूलित किया गया हो जिस पर किसी परिचारक को सुरक्षा पूर्वक नहीं ले जाया जा सकता हो;

(च) किसी ऐसे बन्द ट्रेलर पर जिसे किसी प्रयोजन के लिए विशेष रूप से निर्मित किया गया हो और जिसे विनिर्दिष्ट रूप से इस नियम के किसी या समस्त उपबन्धों से अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा किसी लिखित आदेश द्वारा छूट दी गयी हो इस प्रकार दी गयी छूट की सीमा तक।

174—ट्रेलरों और उनको खींचने वाले यानों के लिए सुभेदक चिन्ह—(1) कोई व्यक्ति किसी सार्वजनिक स्थान पर ऐसे किसी मोटर यान को जिससे एक ट्रेलर या कई ट्रेलर जुड़े हों तब तक नहीं चलायेगा न चलाने की प्रस्थापना करेगा और न चलवायेगा जब तक कि ट्रेलर या ट्रेलरों की ट्रेन को खींचने वाले यान के अग्र भाग पर और यथास्थिति ट्रेलर के या ट्रेलरों से बनी ट्रेन में अन्तिम ट्रेलर के पीछे भी इस नियमावली के द्वितीय अनुसूची में निहित रेखा चित्र में दिये गये रूप में काली पृष्ठ भूमि पर सफेद रंग में सुभेदक चिन्ह प्रदर्शित न किया गया हो।

(2) चिन्ह स्वच्छ और स्पष्ट रखे जायेंगे और उसे ट्रेलर या खींचने वाली यान पर इस प्रकार लगाया जायेगा कि–

(क) चिन्ह का अक्षर सीधा हो और ट्रेलर के पीछे से और खींचने वाले यान के सामने से आसानी से दृष्टिगोचर हो सके;

(ख) चिन्ह या तो ट्रेलर के पीछे केन्द्र में हो या दाहिनी ओर खींचने वाले यान के अग्रभाग के केन्द्र में या ड्राइवर के कैब के बाहर और वातरोध शीर्ष के ऊपर हो ; और

(ग) ट्रेलर की स्थिति में, उसका कोई भाग भूमि से 1.22 मीटर से अधिक की ऊंचाई पर न हो।

(3) यह नियम, नियम 173 के उप नियम (2) के खण्ड (क), (ख), (घ), और (ङ) में निर्दिष्ट मामलों पर लागू नहीं होगा।

175—माल वाहन द्वारा ट्रेलर या अर्द्ध-ट्रेलर का खींचा जाना—माल वाहन परमिट धारक किसी ट्रेलर या अर्द्ध ट्रेलर को, जो उसका न हो, खींचने के लिए वाहन का प्रयोग ऐसी शर्तों के, ऐसा माल वाहन और ट्रेलर या अर्द्ध ट्रेलर इस नियमावली की अपेक्षाओं को पूरा करता है, अधीन रहते हुये कर सकता है।

अध्याय–8

यातायात का नियंत्रण

176—प्रतियोगिता और प्रदर्शनी—कोई भी व्यक्ति सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण के अध्यक्ष की पूर्व मंजूरी के बिना किसी सार्वजनिक स्थान पर मोटर यानों के प्रदर्शन की किसी प्रतियोगिता में न तो भाग लेगा न उसे प्रोत्साहन देगा न उसका संगठन करेगा न प्रबन्ध करेगा न शर्त लगायेगा।

177—मुख्य सड़कों को अभिहित करना—धारा 116 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) के सन्दर्भ में और राज्य परिवहन प्राधिकरण के सामान्य नियंत्रण के अध्यधीन रहते हुये, सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण को अपनी अधिकारिता के भीतर किसी सड़क को मुख्य सड़क के रूप में अभिहित करने की शक्ति होगी।

178—मोटर यान के प्रयोग और गति पर निबंधन—(1) किसी नगर निगम, नगरपालिका या नगर पंचायत के भीतर पुलिस अधीक्षक और अन्य क्षेत्रों में रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी अपने-अपने अधिकारिता क्षेत्र के भीतर किसी क्षेत्र में या किसी सड़क पर गति पर निबन्धन या सामान्यतया मोटर यानों या किसी विशिष्ट वर्ग या वर्गों के मोटर यानों के प्रयोग पर निबन्धन या प्रतिबेध का ऐसा आदेश जैसा वह उचित समझे दे सकता है। ऐसे आदेश अधिसूचना द्वारा सरकारी गजट में और ऐसे स्थान या मार्ग पर या उसके निकट, जहां से वे लागू होते हैं, सूचना पट्टों के माध्यम से प्रकाशित किये जायेंगे :

परन्तु यह कि पर्वतीय सड़कों के सम्बन्ध में पुलिस अधीक्षक या रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी सम्भागीय परिवहन प्राधिकारी के सामान्य नियंत्रण के अध्यधीन रहते हुए इस नियम द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करेगा।

(2) जहां रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी ने उप नियम (1) के अधीन आदेश द्वारा एक मार्गीय यातायात के आधार पर मोटर यानों के चलाये जाने पर किसी पहाड़ी सड़क पर किसी छोड़ से यानों के गमनागमन के लिए गेट समय (गेट टाइमिंग्स) निर्दिष्ट करके निबन्धन आरोपित कर दिया हो वहां सम्बन्धित जिला मजिस्ट्रेट या ऐसा अन्य व्यक्ति जिसे रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किया जाय का समाधान हो जाने पर कि किसी विशिष्ट मोटर यान या मोटर यानों के उपर्युक्त गेट समय के बाहर चलाया जाना लोक हित में आवश्यक है और उससे सार्वजनिक सुरक्षा को खतरे की सम्भावना नहीं है, वह ऐसे गेट समय के बाहर उसे चलाने की ऐसे निबन्धनों के अध्याधीन जैसे कि वह सार्वजनिक सुरक्षा के जिसमें प्रश्नगत यान को 20 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक गति से किसी भी दशा में न चलाये जाने का निबन्धन भी सम्मिलित है, हित में आरक्षित कर अनुज्ञा दे सकता है।

179—यातायात चिन्हों का विनिर्माण—(1) जिला मजिस्ट्रेट या रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी, मोटर यान यातायात को विनियमित करने के प्रयोजन के लिये किसी सार्वजनिक स्थान पर, साइनबोर्ड या नोटिस बोर्डों को ऐसी लिपि में जो प्रदर्शन के लिए उपयुक्त हो सड़क की सतह पर चिन्ह बनवा सकता है।

(2) उप नियम (1) के अधीन विनिर्मित चिन्ह या नोटिस बोर्ड के अन्तर्गत अधिनियम की अनुसूची में उल्लिखित आकारों के चिन्ह भी सम्मिलित हैं।

(3) कोई भी व्यक्ति इस नियम के उपबन्धों के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा बनाये या विनिर्मित किसी चिन्ह, संकेत या नोटिस को न तो परिवर्तित या विरूपित करेगा, न हटायेगा या न ही अन्यथा हस्तक्षेप करेगा।

180—सड़क पर परित्यक्त यान—यदि किसी मोटर यान को सम्यक् विनिर्दिष्ट पार्किंग स्थान से भिन्न किसी स्थान पर खड़ा रखा जाय कि उससे यातायात में बाधा पड़ती हो या किसी व्यक्ति को खतरा हो तो उप निरीक्षक की श्रेणी से अनिम्न वर्दी में कोई पुलिस अधिकारी या नियम 227 के उप नियम (1) में उल्लिखित परिवहन विभाग का कोई अधिकारी—

(एक) यान को उसकी स्वयं की शक्ति द्वारा तत्काल हटवा सकता है या अन्यथा यान को ऐसे निकटस्थ स्थान पर रखवा सकता है जहां उससे असम्यक् बाधा या खतरा न हो;

(दो) जब तक उसे ऐसी स्थिति में न हटा दिया जाय जहां वह बाधा या खतरा न उत्पन्न करता हो, यान की उपस्थिति को सूचित करने के लिए सभी युक्तियुक्त सावधानियां बरतेगा; और

(तीन) यदि यान एक स्थान पर चौबीस घंटे की अनवरत अवधि के लिए स्थिर खड़ा रहा है और स्वामी या उसके प्रतिनिधि द्वारा उसकी मरम्मत कराने या उसे हटाने के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठाये गये हों सुरक्षित अभिरक्षा के निकटस्थ स्थान पर यान और उसके सामान को हटा देगा।

(2) यदि कोई मोटर यान सम्यक् रूप से विनिर्दिष्ट पार्किंग स्थान पर उस स्थान के सम्बन्ध में सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित अवधि से अधिक के लिए खड़ा हो या यदि ऐसी कोई अवधि निर्धारित नहीं की गई है तो छः घंटे से अधिक की अवधि के लिए खड़ा रहे तो, उप निरीक्षक की श्रेणी से अनिम्न वर्दी में कोई पुलिस अधिकारी या नियम 227 के उप नियम (1) में उल्लिखित परिवहन विभाग का कोई अधिकारी यान को सुरक्षित अभिरक्षा के निकटस्थ स्थान पर हटा सकता है।

(3) किसी अर्थ दण्ड या शास्ति के होते हुए भी, जो किसी व्यक्ति पर धारा 122 के उपबन्धों के या सम्यक् विनिर्दिष्ट पार्किंग स्थान के प्रयोग के सम्बन्ध में सक्षम प्राधिकारी द्वारा बनाये गये किसी विनियम के अतिलंघन पर सिद्ध दोष ठहराये जाने पर किसी व्यक्ति पर आरोपित की जाय, मोटर यान का स्वामी या उसका उत्तराधिकारी या प्रतिनिधि उप निरीक्षक की श्रेणी से अनिम्न किसी पुलिस अधिकारी या नियम 227 के उप नियम (1) में उल्लिखित परिवहन विभाग के किसी अधिकारी द्वारा यान को हटाने, माल उतारने देखभाल करने या हटाने या उपनियम (1) और (2) के अनुसार इसकी सामग्री के सम्बन्ध में उपगत व्यय को पूरा करने का दायी होगा, और कोई पुलिस अधिकारी या कोई व्यक्ति जिसकी अभिरक्षा में वाहन को उप निरीक्षक की श्रेणी से अनिम्न वर्दी में किसी पुलिस अधिकारी ने या नियम 227 के उप नियम (1) में उल्लिखित परिवहन विभाग के किसी अधिकारी ने सौंपा हो, वह यान को तब तक रोके रखने का हकदार होगा जब तक उसे तद्नुसार भुगतान न मिल जाए और ऐसे भुगतान की प्राप्ति पर भुगतान करने वाले व्यक्ति को रसीद देगा।

181—तौलने के यंत्रों का लगाया जाना और उनका उपयोग—(1) धारा 114 के प्रयोजनार्थ तौलने का यंत्र निम्नलिखित हो सकता है:–

(एक) राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी के आदेश से या उसके अधीन किसी भी स्थान पर लगाया गया और अनुरक्षित कांटा (वे–ब्रिज);

(दो) अधिनियम और इस नियमावली के प्रयोजनार्थ किसी व्यक्ति द्वारा लगाये गये और अनुरक्षित और तौल के यंत्र के रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित कांटा; या

(तीन) राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित किसी प्रकार का वहनीय पहियादार तोलक।

(2) किसी माल वाहन का ड्राइवर नियम 227 के उप नियम (1) के नीचे दी गयी सारणी के स्तम्भ 1 के अन्तर्गत उल्लिखित परिवहन विभाग के किसी अधिकारी या रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी द्वारा मांग किये जाने पर वाहन को इस प्रकार चलायेगा और काम में लायेगा कि, यथास्थिति, उसे या उसके पहिये या पहियों को किसी कांटा (वे-ब्रिज) या पहियादार तोलक पर ऐसी रीति से रखा जाय कि वाहन का भार या किसी पहिये या पहियों द्वारा ज्ञातभार कांटा या पहियादार तोलक द्वारा प्रदर्शित किया जा सके।

(3) यदि किसी, मोटर यान का ड्राइवर युक्तियुक्त समय के भीतर उप नियम (2) के अधीन की गयी अध्यपेक्षा का पालन करने में विफल रहे तो धारा 114 के अधीन प्राधिकृत कोई व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति से जो ऐसी चालन अनुज्ञप्ति का धारक हो जो उसे ऐसे यान के चलाने के लिए प्राधिकृत करती हो, चलाने या अभिचालन के लिए कह सकता है।

(4) जब किसी मोटर यान का भार या धुरी-भारयान के किसी पहिये या पहियों द्वारा पृथक-पृथक और स्वतंत्र रूप से ज्ञात भार से अवधारित किया जाय, तब यान का धुरी-भार और लदान-भार को, यथास्थिति, किसी धुरी के पहियों द्वारा या यान के समस्त पहियों द्वारा ज्ञात-भार का योग समझा जायगा।

(5) धारा 144 और इस नियम के अनुसार यान की तौल हो जाने पर, वह व्यक्ति जिसने तौल लेने की अपेक्षा की है या तौल तौलने के यंत्र का प्रभारी व्यक्ति यान के ड्राइवर या अन्य प्रभारी व्यक्ति को यान के और किसी धुरी के जिसका भार पृथक रूप से अवधारित किया गया हो भार का विवरण-पत्र लिखित रूप में देगा।

(6) इस प्रकार तौली गई यान का ड्राइवर, या प्रभारी व्यक्ति या स्वामी तौलने के यंत्र की शुद्धता पर लिखित विवरण देकर आपत्ति कर सकता है, जो–

(एक) उप नियम (5) में निर्दिष्ट विवरण-पत्र प्राप्त होने के एक घण्टे के भीतर ऐसे व्यक्ति को जिसके द्वारा उसे विवरण-पत्र प्राप्त हुआ हो, लिखित विवरण-पत्र देकर तौल लेने के दिनांक के तीन दिन के भीतर सम्भागीय परिवहन अधिकारी या सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी के कार्यालय में बीस रुपये जमा करके दिया गया हो, किन्तु ऐसा न करने पर मशीन की शुद्धता पर आपत्ति करने वाला विवरण ग्राह्य नहीं होगा; या

(दो) ऐसी नोटिस जारी करने वाले प्राधिकारी या न्यायालय को धारा 86 या धारा 113 के अधीन अपने विरुद्ध कार्यवाहियों की नोटिस तामील करने के दिनांक से चौदह दिन के भीतर दिया गया हो।

(7) उप नियम (6) के अधीन तौलने के यंत्र की शुद्धता पर आपत्ति करने वाला विवरण-पत्र प्राप्त होने पर, ऐसा व्यक्ति या प्राधिकारी या न्यायालय जिनके द्वारा विवरण-पत्र प्राप्त हो, यह सुनिश्चित करने के पश्चात् कि बीस रुपया जमा कर दिया गया है, जिला मजिस्ट्रेट को ऐसे व्यक्ति द्वारा जिसे जिला मजिस्ट्रेट नियुक्त करे, तौलने के यंत्र की जांच किये जाने के लिए आवेदन कर सकता है और ऐसे व्यक्ति का जो तौल के साधन की शुद्धता के सम्बन्ध में इस प्रकार नियुक्त किया जाय, प्रमाण-पत्र अन्तिम होगा।

(8) यदि उपर्युक्त के अनुसार तौलने के यंत्र की जांच करने के पश्चात् तौलने के यंत्र को ऐसे किसी भार से अधिक सीमा तक अशुद्ध प्रमाणित किया जाय जितने से उप नियम (5) में निर्दिष्ट विवरण-पत्र में यान का लदान-भार या लदान रहित भार या कोई धुरी-भार यथास्थिति रजिस्ट्रीकृत लदान-भार या रजिस्ट्रीकृत लदान रहित भार या रजिस्ट्रीकृत धुरी-भार से अधिक दर्शाया जाय तो किसी ऐसे लदान-भार या लदान रहित भार या धुरी-भार के सम्बन्ध में कोई अग्रतर कार्यवाही नहीं की जायेगी और यदि उक्त यंत्र वस्तुतः तौले गये प्रत्येक ऐसे लदान-भार, लदान रहित भार या धुरी-भार के सम्बन्ध में उक्त सीमा तक अशुद्ध प्रमाणित किया जाय तो उप नियम (6) में विहित जमा धन वापस कर दिया जायेगा।

(9) कोई व्यक्ति उप नियम (6) के अधीन तौलने के किसी यंत्र की शुद्धता पर आपत्ति करने के कारण धारा 113 के अधीन किसी लिखित आदेश का पालन करने से इन्कार नहीं करेगा।

182—गतिमान यान को पकड़ने या उस पर चढ़ने पर प्रतिषेध—(1) किसी मोटर यान पर जब वह गतिमान हो, कोई व्यक्ति न तो चढ़ेगा, न चढ़ने की चेष्टा करेगा और न उससे उतरेगा।

(2) कोई व्यक्ति किसी गतिमान मोटर यान को नहीं पकड़ेगा और किसी मोटर यान का ड्राइवर किसी गतिमान यान को जो किसी अन्य पहियादार यान या अन्यथा खींचा जा रहा हो या खींचकर ले जाया जा रहा हो किसी व्यक्ति से न तो पकड़वायेगा और न उसे पकड़ने की अनुमति देगा।

183—फुटपाथ, साइकिल पथ और यातायात पृथक्करण—जहां किसी सड़क या पथ में फुटपाथ या साइकिल के लिए आरक्षित या अन्य यातयात के वर्गों के लिए विनिर्दिष्ट पथ की व्यवस्था है, कोई भी व्यक्ति, उप निरीक्षक की श्रेणी से अनिम्न वर्दी में पुलिस अधिकारी या रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी की संस्तुति के सिवाय किसी मोटर यान को न तो चलायेगा या चलवायेगा या किसी ऐसे फुटपाथ या पथ पर किसी मोटर यान को चलाए जाने की अनुमति देगा।

305

184—खतरनाक पदार्थों को ले जाने पर प्रतिबन्ध—(1) यान के प्रयोग के लिए आवश्यक ईंधन और स्नेहक (लुब्रीकेन्ट) के सिवाय जिसे ऐसी रीति से ले जाया जायेगा कि उससे कोई खतरा न हो या वह आकस्मिक रूप से जलने न पाय। कोई विस्फोटक, अत्यधिक ज्वलनशील या अन्यथा खतरनाक पदार्थ किसी सार्वजनिक सेवा यान पर नहीं ले जाया जायेगा जब तक उसे इस प्रकार पैक न किया गया हो कि यान के दुर्घटनाग्रस्त होने की दशा में भी उससे यान को या उस पर सवार व्यक्तियों को क्षति या चोट न पहुंचे।

(2) यदि नियम 227 के उप नियम (1) में उल्लिखित परिवहन विभाग का कोई अधिकारी या उप निरीक्षक की श्रेणी से अनिम्न वर्दी में कोई पुलिस अधिकारी की राय में कोई सार्वजनिक सेवा यान किसी समय इस नियम का अतिलंघन करके लदा हुआ है तो वह ड्राइवर को या यान के प्रभारी अन्य व्यक्ति को ज्वलनशील या खतरनाक पदार्थ को हटाने या पुनः पैक करने का आदेश दे सकता है।

185—ध्वनि संकेतों के प्रयोग पर प्रतिबन्ध—जिला मजिस्ट्रेट यथास्थिति सम्बन्धित शहर या जिले में एक या एकाधिक समाचार पत्रों में अधिसूचना द्वारा और यातायात चिन्ह संख्या एम–18 जैसा कि अधिनियम की प्रथम अनुसूची में दिया गया है उपयुक्त स्थानों पर विनिर्माण कराकर किसी हार्न या श्रवण चेतावनी देने के लिए अन्य युक्ति को शहर या जिले के भीतर किसी क्षेत्र में और ऐसे घन्टों के दौरान जैसा अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाय मोटर यानों के ड्राइवरों द्वारा प्रयोग किया जाना प्रतिषिद्ध कर सकता है :

परन्तु यह कि जब जिला मजिस्ट्रेट किसी हार्न या श्रवण चेतावनी देने के लिए किसी अन्य युक्ति के प्रयोग को कतिपय विनिर्दिष्ट घन्टों के दौरान प्रतिषिद्ध कर दे तो वह यातायात चिन्ह के नीचे हिन्दी में उपयुक्त नोटिस जिसमें ऐसे घन्टों को जिनमें ऐसे प्रयोग को इस प्रकार प्रतिषिद्ध किया गया हो दिया जायेगा।

186—सड़कों पर चिन्हों या विज्ञापनों के विनिर्माण या रखने पर प्रतिषेध—कोई व्यक्ति किसी सड़क पर किसी ऐसे चिन्ह या विज्ञापन को, जो पुलिस अधीक्षक की राय में यातायात चिन्ह के इतना तत्समान दिखायी देता हो कि वह गुमराह करने वाला हो, न तो रखेगा या विनिर्माण करेगा या रखवायेगा या विनिर्माण करवायेगा या न रखने या विनिर्मित करने की अनुमति देगा।

187—यानों का रात्रि में चालन—ऐसी पर्वतीय सड़कों को जिन्हें परिवहन आयुक्त उत्तर प्रदेश ने रात्रि के दौरान प्रयोग के लिए सर्वथा उपयुक्त प्राधिकृत किया हो, छोड़कर कोई व्यक्ति, जब तक कि उसे रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी या जिला मजिस्ट्रेट द्वारा ऐसा करने के लिए प्राधिकृत न कर दिया जाय, किसी पर्वतीय सड़क पर रात्रि में किसी मोटर यान को नहीं चलायेगा :

परन्तु प्रथमतः यह कि दुर्घटना, बीमारी या किसी तत्समान आत्ययिकता के कारण सहायता प्राप्त करने के प्रयोजनार्थ या किसी तत्समान प्रयोजन के लिए किसी पर्वतीय सड़क पर किसी मोटर यान को रात्रि में चलाना आवश्यक हो जाने की दशा में ड्राइवर युक्ति युक्ततः यथासम्भव शीघ्र निकटतम पुलिस स्टेशन को अपना नाम और यान की संख्या और स्वामी का नाम और ऐसी अन्य विशिष्टयां, जैसी कि पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी द्वारा उससे अपेक्षा की जाय, रिपोर्ट करेगा :

परन्तु द्वितीयतः यह कि, यदि कोई मोटर यान पर्वतीय सड़क पर बिगड़ जाय और चालक रात्रि होने से पहले अपनी यात्रा पूरी करने में असमर्थ हो जाय तो वह आवश्यक मरम्मत के लिए मोटर यान को सड़क के बाएं ओर ले जायेगा और किसी मरम्मत के पश्चात् वह अपनी यात्रा सोलह किलोमीटर प्रति घंटा से अनधिक की गति से जारी कर सकता है और ऐसी स्थिति में वह पुलिस थाने पर या पुलिस चौकी पर, जिस पर वह रात्रि होने के पश्चात् पहुंच सके, अपना नाम और यान की संख्या और रात्रि होने के पश्चात् यात्रा करने के अपने कारणों की अग्रतर रिपोर्ट करेगा :

परन्तु तृतीयतः यह कि किसी मामले में जैसा इस नियम के द्वितीय परन्तुक में उल्लिखित है, यदि उस स्थान के जहां पर मोटर यान बिगड़ गया हो और उस स्थान के मध्य जहां यान के मरम्मत के बाद उसकी यात्रा की समाप्ति होती हो, कोई पुलिस थाना या पुलिस चौकी नहीं हो तो ड्राइवर अपने गन्तव्य स्थान पर पहुंचने पर निकटतम पुलिस थाने में अपना नाम और यान की संख्या और रात्रि होने के पश्चात् यात्रा करने के लिए कारणों की रिपोर्ट करेगा :

परन्तु अन्ततः यह कि, रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी, ब्रिगेडियर की श्रेणी से अनिम्न किसी सेना के अधिकारी को किसी कमीशन प्राप्त सेना के अधिकारी को जब वह ड्यूटी पर यात्रा कर रहा हो, आत्ययिकता की दशा में किसी हल्के मोटर यान को पर्वतीय सड़क पर रात्रि में चलाने के लिए विशेष पास जारी करने की शक्ति प्रत्यायोजित कर सकता है।

टिप्पणी—इस नियम के उपबन्ध काठगोदाम, नैनीताल, ब्रेवरी से रानीखेत के पर्वतीय सड़कों पर लागू नहीं होंगे।

188—बिना गियर लगाये यान के चालन पर प्रतिबन्ध—कोई व्यक्ति अधिनियम की प्रथम अनुसूची के यातायात संकेत संख्या सी–9 द्वारा चिन्हित किसी पर्वतीय सड़क पर किसी परिवहन यान को इंजन को अबाध रखकर अर्थात् गियर लीवर को निष्प्रभावी रखकर, क्लच, लीवर को दबाकर या किसी फ्रीह्वील या अन्य युक्ति को चालू रखकर जो इंजन को पहियों से मुक्त रखता हो और जब यान किसी ढाल से उतर रहा हो, इंजन को ब्रेक के रूप में कार्य करने से रोकता हो, नहीं चलायेगा।

189—लकड़ी का चोक—(1) ढाल पर यान को पीछे जाने से रोकने के लिए या अन्यथा इसे अचल बनाने के लिए हल्के मोटर यान से भिन्न प्रत्येक परिवहन यान का स्वामी अपने यान के साथ दो दुधारी ठोस लकड़ी की चोक रखेगा, प्रत्येक चोक की लम्बाई 30–40 सेन्टीमीटर, चौड़ाई 30–50 सेन्टीमीटर और ऊंचाई 25–40 सेन्टीमीटर होगी, उसका एक सिरा अन्त में 45 अंश का कोण बनाता हुआ ढालू होगा। प्रत्येक चोक के ढालू सिरे की सतह अवतल होगी ताकि वह यान के पिछले पहियों में लगाये गये टायरों की बाहरी परिधि को सामान्यतः ठीक रख सके।

(2) उप नियम (1) में किसी बात के होते हुए भी, जहां ऐसे यान में एक पिछला पहिया लगा हो, प्रत्येक ऐसे चोक की चौड़ाई 30–50 सेन्टीमीटर से कम किन्तु 15–25 सेन्टीमीटर से कम नहीं होगी।

(3) ऐसे प्रत्येक चोक में एक कुन्दा लगा होगा और उसे–

(एक) यान के टेल बोर्ड के बाहरी सतह पर लगे हुए ब्रेकेट में रखा जायेगा;

(दो) जहां यान में टेलबोर्ड न हो वहां किसी तरफ के पिछले पहिये के निकटस्थ ढांचे के निचले हिस्से में फ्रेम साइड मेम्बरों के बीच लगे किसी मेटल कैरियर में रखा जायेगा। यान का टेलबोर्ड और जहां यान में कोई टेलबोर्ड न हो तो फ्रेम साइड मेम्बरों के ऊपर लगे लकड़ी के तख्तों के केन्द्र में एक कुन्दा भी लगाया जायेगा।

(4) प्रत्येक ऐसा चोक टेल बोर्ड से लगा रहेगा या जहां यान में कोई टेलबोर्ड न हो वहां फ्रेम साइड मेम्बरों के ऊपर लकड़ी के तख्ते से धातु की जंजीर से या पर्याप्त लम्बी और मजबूत स्टील के तार की रस्सी से चोक में लगे हुक से और यथास्थिति टेलबोर्ड या लकड़ी के तख्तों में लगे हुक से बंधा रहेगा।

(5) इस नियम में किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार, सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा किसी माल वाहन को या ऐसे यानों के वर्ग को, जिसके उसकी राय में ढालों पर पीछे खिसकने की सम्भावना न हो, इस नियम के उपबन्धों से छूट दे सकता है।

190—टायर—केन्द्रीय नियमावली के नियम 94 में किसी बात के होते हुए भी, कोई व्यक्ति किसी मोटर यान को पर्वतीय मार्ग पर तब तक नहीं चलाएगा जब तक इसके सभी पहियों में वायवीय टायर न हों और छह मीटरिक टन भार से अधिक के यानों की, जब वह लदा हो, स्थिति में चालन पहियों पर युग्म टायर न लगे हों।

191—यानों का निरीक्षण—यदि कोई रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी या कोई मजिस्ट्रेट या इस निमित्त रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत उप निरीक्षक की श्रेणी से अनिम्न कोई पुलिस अधिकारी इस राय का हो कि कोई मोटर यान, जो पर्वतीय सड़क पर चलाया जा रहा है इस नियमावली के उपबन्धों के हर प्रकार से अनुरूप नहीं है तो वह यान को रोक सकता है और उसका निरीक्षण कर सकता है और ऐसी स्थिति में ड्राइवर या यान का प्रभारी व्यक्ति ऐसे आदेश का पालन करेगा जैसा कि रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी मजिस्ट्रेट या इस प्रकार का प्राधिकृत पुलिस अधिकारी जनता को होने वाले खतरे और असुविधा को, रोकने के प्रयोजनार्थ चाहे मोटर यान में हुयी किसी खराबी को दूर करके या अन्यथा हो, देना उपयुक्त समझता हो।

192—चढ़ने वाले यानों का अग्रताक्रम—(1) कोई मोटर यान तत्समान दिशा में यात्रा कर रहे दूसरे यान को किसी ऐसे स्थान पर जहां ओवरटेक कर रहे यान के ड्राइवर को कम से कम 185 मीटर आगे तक सड़क स्पष्ट रूप से दिखाई देती हो, को छोड़कर, ओवर टेक नहीं करेगा।

(2) जहां किसी पर्वतीय सड़क पर दो मोटर यान विपरीत दिशाओं से एक दूसरे के पास किसी पुल या पुलिया या संकरे स्थान पर पहुंचते हों वहां नीचे की दिशा में जा रहे मोटर यान का ड्राइवर ऊपर की दिशा में चलने वाले यान को रास्ता देगा। जब ऐसी पहुंच किसी उतार-चढ़ाव वाली या सम-आयाम की सड़क पर होती है तो उस तरफ की सड़क के, जहां से पहाड़ी ऊपर की ओर ढाल लेती है, यान का ड्राइवर रास्ता देगा।

193—कतिपय अनुज्ञप्तियों का पर्वतीय सड़कों के लिए पृष्ठांकन—कोई व्यक्ति किसी सार्वजनिक सेवा यान को या किसी माल वाहन को किसी पर्वतीय सड़क पर नहीं चलायेगा जब तक कि ऐसे सार्वजनिक सेवा यान या माल वाहन के चालन की उसकी अनुज्ञप्ति को किसी रजिस्ट्रीकर्त्ता प्राधिकारी द्वारा ऐसी पर्वतीय सड़कों पर, जो ऐसे रजिस्ट्रीकर्त्ता प्राधिकारी की अधिकारिता के भीतर स्थित हो, या ऐसे सार्वजनिक सेवा यानों के जो पर्यटकों द्वारा किराये पर ली जाती है, मामले में ऐसे राज्य के जिससे इस बिन्दु पर पारस्परिक प्रबन्ध की सहमति हो गयी हो, रजिस्ट्रीकर्त्ता प्राधिकारी द्वारा चलाने की अनुज्ञा के साथ पृष्ठांकित न की गयी हो।

194—कोई व्यक्ति पर्वतीय सड़क पर रजिस्ट्रीकर्त्ता प्राधिकारी की विशेष लिखित अनुज्ञा के बिना ट्रेलर से जुड़े हुए माल वाहन या भारी वाहन को नहीं चलायेगा।

195—स्टैण्ड और विराम स्थल—(1) जिला मजिस्ट्रेट अधिनियम की धारा 117 के अधीन कार्यवाही करने के लिए राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत हैं और वे सम्बन्धित क्षेत्र में अधिकारिता रखने वाले स्थानीय प्राधिकारी से परामर्श करके नोटिसों के यातायात चिन्हों का सृजन कर सकते हैं:–

(क) किसी नगरपालिका या छावनी बोर्ड के प्रादेशिक क्षेत्र के या ऐसी अन्य सीमा के जिसे परिनिश्चित किया जाय, भीतर ऐसे स्थानों को विनिर्दिष्ट करेगा जहां एक मात्र सार्वजनिक सेवायान या किसी विनिर्दिष्ट वर्ग या वर्गों के सार्वजनिक सेवा यानों और/या माल वाहनों को अनिश्चित काल के लिए या ऐसी अवधि के लिए जो विनिर्दिष्ट की जाय, ठहर सकती हो या यात्रियों को चढ़ाने और उतारने के लिए आवश्यक समय से अधिक समय के लिए सार्वजनिक सेवायान रुक सकता हो, या

(ख) किसी विनिर्दिष्ट स्थान या विनिर्दिष्ट प्रकृति या वर्ग के किसी स्थान का सशर्त या बिना शर्त के स्टैण्ड या विराम स्थल के रुप में प्रयोग किये जाने का प्रतिषेध कर सकता है:

परन्तु यह कि कोई ऐसा स्थान जिस पर किसी का निजी स्वामित्व हो, उसके स्वामी की लिखित पूर्व सहमति के बिना स्टैण्ड या जिसमें विराम स्थल के रूप में विनिर्दिष्ट नहीं किया जायेगा।

(2) जब इस नियम के प्रयोजन के लिए कोई स्थान यातायात चिन्ह या नोटिसों द्वारा स्टैण्ड या विराम स्थल के रूप में विनिर्दिष्ट कर दिया गया हो, तब इस बात के होते हुए भी कि भूमि किसी व्यक्ति के कब्जे में है, उस स्थान को इस नियमावली के उपबन्धों के अधीन रहते हुए अधिनियम के अर्थान्तर्गत सार्वजनिक स्थान समझा जायेगा और जिला मजिस्ट्रेट ऐसे स्थान की व्यवस्था या अनुरक्षण करने के लिए जिसमें भवन की व्यवस्था या उसके लिए आवश्यक कार्य का अनुरक्षण करना सम्मिलित है, किसी व्यक्ति के साथ करार कर सकता है या किसी व्यक्ति को अनुज्ञप्ति स्वीकृत कर सकता है। ऐसे स्थान का संचालन करने के लिए करार या अनुज्ञप्ति को उसकी किसी शर्त का उल्लंघन करने पर तत्काल समाप्त करने के अध्यधीन रहते हुए या अन्यथा नियम बना सकता है या निदेश दे सकता है, जिसमें निम्नलिखित नियम या निदेश सम्मिलित होंगे:–

(क) स्थान का प्रयोग करने वाले सार्वजनिक सेवा यान के स्वामियों द्वारा भुगतान की जाने वाली फीस विहित करना और ऐसी फीस की प्राप्ति और उसके निस्तारण की व्यवस्था करना,

(ख) सार्वजनिक सेवा यानों या सार्वजनिक सेवा यानों के वर्ग या वर्गों को जो स्थान का उपयोग करेंगे या जो स्थान का उपयोग नहीं करेंगे, विनिर्दिष्ट करना,

(ग) किसी व्यक्ति को स्थान का प्रबन्धक नियुक्त करना और प्रबन्धक की शक्तियों और कर्तव्यों को विनिर्दिष्ट करना,

(घ) यथास्थिति, भूमि के स्वामी या स्थानीय प्राधिकारी से ऐसे आश्रय (शेल्टर), मूत्रालय और शौचालय का परिनिर्माण करने की और ऐसे अन्य कार्यों का निष्पादन करने की, जो नियम या निदेश में विनिर्दिष्ट किये जायं और उन्हें प्रयोज्य, स्वच्छ और स्वच्छता की दशा में अनुरक्षण करने की अपेक्षा करना,

(ङ) विनिर्दिष्ट व्यक्तियों द्वारा या विनिर्दिष्ट व्यक्तियों से भिन्न व्यक्तियों द्वारा ऐसे स्थान के उपयोग को निषिद्ध करना।

(3) उप नियम (2) की किसी बात से ऐसी भूमि पर, जिसे स्टैण्ड या विराम स्थल के रूप में नियत किया गया है, स्वामित्व रखने वाले किसी व्यक्ति से उसकी सम्पत्ति के बिना कोई कार्य करने या उसके सम्बन्ध में कोई व्यय करने की अपेक्षा नहीं की जायेगी और ऐसे किसी व्यक्ति की दशा में जो ऐसे कार्य का कार्यान्वयन करने या ऐसा व्यय करने से इन्कार करे या इस नियम के अधीन बनाये गये किसी नियम या दिये गये किसी निदेश का अनुपालन करने में विफल रहे, सक्षम प्राधिकारी इस नियम के प्रयोजन के लिए ऐसे स्थान के उपयोग को प्रतिसिद्ध कर सकता है।

196—पीछे की ओर यात्रा पर प्रतिबन्ध—रोड रोलर के मामले को छोड़कर किसी मोटर यान का कोई ड्राइवर पहले स्वयं इस बात से सन्तुष्ट हुए बिना कि उससे वह किसी व्यक्ति को खतरा या असम्यक् असुविधा नहीं कारित करेगा या यान को घुमाने के लिए युक्तियुक्त आवश्यकता से अधिक किसी दूरी या कालावधि के लिए यान को किसी भी परिस्थिति में किसी मोटर यान को पीछे की ओर नहीं जाने देगा।

197—जब यान विश्राम पर हो लैम्प का प्रयोग—(1) किसी नगरपालिका या कन्टोनमेन्ट की सीमा के भीतर कोई मोटर यान ऐसे घन्टों में जिसके दौरान प्रकाश अपेक्षित हो किसी सड़क या पथ या कहीं भी किसी सम्यक् विनिर्दिष्ट पार्किंग स्थान पर बायीं ओर विश्राम पर हो तो जिला मजिस्ट्रेट द्वारा सामान्यतः या विशिष्टतः की गयी अपेक्षा को छोड़कर मोटर यान को किसी प्रकाश के प्रदर्शन की आवश्यकता नहीं होगी।

(2) यदि नगरपालिका या कन्टोनमेन्ट की सीमा के बाहर कोई मोटर यान ऐसे घन्टों में जिसके दौरान प्रकाश अपेक्षित हो ऐसी स्थिति में विश्राम पर हो जिसके कारण सड़क का प्रयोग करने वाले अन्य लोगों को खतरा या असुविधा उत्पन्न न होती हो तो मोटर यान को किसी प्रकाश का प्रदर्शन आवश्यक नहीं होगा।

198—चकाचौंध करने वाले प्रकाश पर प्रतिबन्ध—(1) किसी मोटर यान का ड्राइवर ऐसे सभी समयों पर, जब मोटर यान के प्रकाश का प्रयोग किया जा रहा हो उन्हें इस प्रकार व्यवस्थित करेगा कि किसी व्यक्ति को चकाचौंध करने वाले प्रकाश से खतरा या असम्यक् असुविधा न पहुंचे।

(2) जिला मजिस्ट्रेट अंग्रेजी में और स्थानीय लिपि में यथोचित नोटिसों का विनिर्माण करके ऐसे क्षेत्र के भीतर ऐसे स्थानों में जैसा कि अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाय, ऐसे लैम्पों के प्रयोग को प्रतिषिद्ध कर सकता है जो शक्तिशाली और गहन प्रकाश वाले हों।

(3) विहित प्रकाश से भिन्न किसी सर्चलाइट या स्पाट लाइट या अन्य सचल प्रकाश का किसी मोटर यान पर जब वह किसी कस्बे या गांव से गुजर रही हो या अन्य यानों के यातायात से मिल रही हों, प्रयोग नहीं किया जायेगा।

199—लैम्पों और रजिस्ट्रीकरण चिन्हों की दृश्यमानता—(1) जब तक कि अधिनियम के द्वारा या अधीन चिन्ह या ढके हुये लैम्प या चिन्ह प्रदर्शित करने के लिए अपेक्षित रीति से इस प्रकार ढके हुये या अन्यथा अस्पष्ट किसी दूसरे लैम्प या चिन्ह को प्रदर्शित नहीं कर दिया जाता है तब तक किसी मोटरयान पर कोई भार या अन्य वस्तु इस प्रकार नहीं रखी जायेगी कि उससे किसी लैम्प या रजिस्ट्रीकरण चिन्ह या अधिनियम के उपबन्धों द्वारा या अधीन किसी मोटर यान पर ले जाये जाने या प्रदर्शित किये जाने के लिए अपेक्षित अन्य चिन्ह की दृश्यमानता को ढक लेती हो या अन्यथा बाधा डालती हो।

(2) अधिनियम के उपबन्धों के द्वारा या अधीन किसी मोटर यान पर प्रदर्शित करने के लिए अपेक्षित समस्त रजिस्ट्रीकरण या अन्य चिन्हों को हर समय युक्तियुक्त यथा सम्भव स्वच्छ और सुपाठ्य दशा में द्वारा बनाये रखा जायेगा।

200—ओवर टेक करने वाले यानों आदि के बारे में सावधानी—धारा 118 के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाये गये चालन विनियमों की अपेक्षाओं के अतिरिक्त–

(क) किसी मोटर यान का कोई ड्राइवर पीछे से आने वाले किसी मोटर यान के ड्राइवर को यह संकेत देने के इरादे से कि ऐसा ड्राइवर उसे ओवर टेक कर सकता है तब तक कोई संकेत नहीं देगा जब तक कि उसके सामने की सड़क इस प्रकार बाधा रहित न हो कि ऐसा दूसरा यान बिना खतरे के उसे पार करने में समर्थ हो सके।

(ख) किसी मोटर यान का प्रत्येक ड्राइवर उस स्थिति में यान को सड़क के बिल्कुल बांयी तरफ चलायेगा जब किसी पहाड़ या उक्त सड़क में कोई घुमाव होने के कारण या किसी अन्य कारण से उसके सामने की दृष्टि ऐसे किसी दूरी तक सीमित हो जाय कि उसके विरोधी दिशा में यात्रा करते हुए किसी मोटर यान के सामने आ जाने पर टकरा जाने का खतरा हो,

(ग) किसी मोटर यान का प्रत्येक ड्राइवर यान की गति को धीमा कर देगा और तब तक के लिये धीमी गति से चलायेगा जब तक कि किसी पहुंचने वाले यान से उड़ने वाले गर्द के कारण या किसी अन्य कारण से उसके सामने की दृष्टि अस्पष्ट या सीमित रहे।

201—सुरक्षा टोप का पहनना—(1) प्रत्येक व्यक्ति जब वह मोटर साइकिल, स्कूटर या मोपेड चला रहा हो या उस पर सवार हो नीचे उपनियम (2) में दी गयी विनिर्दिष्टियों के अनुरूप सुरक्षा टोप पहनेगा।

(2) प्रत्येक सुरक्षा टोप–

(एक) भारत मानक ब्यूरो की विनिर्दिष्टियों के अनुरूप होगा,

(दो) पर ऐसी रीति से स्थायी और सुपाठ्य लेबिल लगा हो कि लेबिल या लेबिलों को पैडिंग को या कोई अन्य स्थायी सारवान विवरण को यथा–

(क) निर्माता का नाम और पहचान,

(ख) आकार,

(ग) निर्माण का मास और वर्ष, और

(घ) भारतीय मानक ब्यूरो का चिन्ह, हटाये बिना आसानी से पढ़ा जा सके।

(तीन) कम से कम तीन चिपकाने वाली परावर्ती लाल रंग की पट्टियां जिनका आकार 2 सेन्टीमीटर गुणा 15 सेन्टीमीटर हो और क्षैतिजं स्तर पर सुरक्षा टोप के पीछे चिपकी हो जो रात्रि के दौरान चमकेगी।

परन्तु यह कि इस नियम का उपनियम (1) निम्नलिखित पर लागू नहीं होगा–

(क) किसी मोटर साइकिल, स्कूटर या मोपेड पर पिछली सीट पर बैठने वाली प्रत्येक सवारी,

(ख) सार्वजनिक स्थान पर मोटर साइकिल, स्कूटर या मोपेड को चलाने वाला कोई व्यक्ति जो पगड़ी बांधे हो।

स्पष्टीकरण—इस नियम के प्रयोजन के लिये पगड़ी का तात्पर्य 6 मीटर × 82 सेन्टीमीटर के कपड़े से है जिसे कोई व्यक्ति, जब सार्वजनिक स्थान पर मोटर साइकिल, स्कूटर या मोपेड चला रहा हो, अपने सिर के चारों ओर बांध सकता है।

202—अग्नि शमन यानों, एम्बुलेन्स आदि को छूट—राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस अध्याय के सभी या किन्हीं उपबन्धों से अग्निशमन यानों, अस्पताल गाड़ियों और ऐसे अन्य विशेष वर्गों या विवरणों के यानों को, जिन्हें वह अधिसूचना में विनिर्दिष्ट करे, छूट दे सकती है।

203—किसी दुर्घटनाग्रस्त यान का निरीक्षण—सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, परिवहन विभाग का सम्भागीय निरीक्षक या सहायक सम्भागीय परिवहन निरीक्षक किसी दुर्घटनाग्रस्त मोटर यान का निरीक्षण कर सकता है और उस प्रयोजन के लिये युक्तियुक्त समय पर किसी परिसर में जहां यान हो सकता है, प्रवेश कर सकता है और यान को परीक्षण के लिये हटा सकता है।

अध्याय–नौ

दावा अधिकरण

204—प्रतिकर के लिये आवेदन—

(1) धारा 166 के अधीन दिया गया प्रतिकर के भुगतान के लिये प्रत्येक आवेदन यथा सम्भव यदि प्रतिकर का दावा, धारा 163–क के अधीन अन्यथा किया जाता है तो प्रारूप एस० आर० 48 में और यदि प्रतिकर का दावा धारा–163–क के अधीन दिया जाता है तो प्रारूप एस० आर०–49 में दिया जायेगा और उसके साथ न्यायालय स्टाम्प फीस के रूप में दस रुपये की फीस होगी।

परन्तु यह कि धारा 163–क के अधीन प्रतिकर के दावे का पूर्ण और अन्तिम परिनिर्धारण होगा और दावेदार अधिनियम के अधीन दावे के लिये कोई अन्य आवेदन दाखिल करने का हकदार नहीं होगा।

(2) दावा अधिकरण के समक्ष उपनियम (1) में उल्लिखित सभी आवेदन-पत्रों से भिन्न, सभी आवेदन-पत्रों पर पांच रूपये का न्यायालय स्टाम्प शुल्क लगाया जायेगा। दस रुपये की आदेशिका फीस न्यायालय स्टाम्प शुल्क के रूप में होगी जिसका भुगतान प्रत्येक साक्ष्य या सम्बन्धित पक्ष के लिये किया जायेगा।

(3) इस नियम के अधीन आवेदन-पत्र दावा अधिकरण के समक्ष आवेदक द्वारा स्वयं प्रस्तुत किया जायेगा जब तक कि पर्याप्त कारण से स्वयं उपस्थित होने से उसे निवारित न किया गया हो, ऐसी स्थिति में आवेदन-पत्र को या तो रजिस्टर्ड डाक से दावा अधिकरण को भेजा जा सकता है या इस निमित्त लिखित में प्राधिकृत उसके अभिकर्ता द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है।

205—किसी आवेदक का परीक्षण—नियम 204 के अधीन किसी आवेदन के प्राप्त होने पर दावा अधिकरण, यदि आवेदक स्वयं उपस्थित हो, उससे शपथ दिला कर उसका परीक्षण कर सकता है, और ऐसे परीक्षण का भार, यदि कोई हो, लेखबद्ध किया जायेगा और यह अभिलेख का भाग होगा।

206—आवेदन का सरसरी तौर पर खारिज किया जाना—दावा अधिकरण नियम 205 के अधीन अभिलिखित आवेदन और कथन पर यदि कोई हो, विचार करने के पश्चात् अभिलिखित किये जाने वाले कारणों से आवेदन को सरसरी तौर पर खारिज कर सकता है यदि वह इस विचार का हो कि उस पर कार्यवाही करने के लिये पर्याप्त आधार नहीं है।

207—अन्तर्ग्रस्त पक्षकारों को नोटिस—यदि आवेदन नियम 206 के अधीन खारिज न कर दिया गया हो तो, दावा अधिकरण दुर्घटना में अन्तर्ग्रस्त मोटर यान के स्वामी और उसके बीमाकर्ता को आवेदन की प्रति के साथ ऐसे दिनांक की नोटिस भेजेगा जब वह आवेदन की सुनवाई करेगा और पक्षकारों को किसी ऐसे साक्ष्य को जो वे प्रस्तुत करना चाहें प्रस्तुत करने के लिये कहेगा।

208—पक्षकारों की उपस्थिति और उनका मौखिक परीक्षण—

(1) मोटर यान का स्वामी और बीमाकर्ता, प्रथम सुनवाई पर या उसके पूर्व या ऐसे अग्रतर समय के भीतर जिसे दावा अधिकरण अनुमत करे आवेदन में उठाये गये दावों के सम्बन्ध में लिखित कथन प्रस्तुत कर सकता है, और ऐसा कोई लिखित कथन अभिलेख का, भाग होगा।

(2) जहां दावे का प्रतिवाद किया जाय, वहां दावा अधिकरण पक्षकारों के बीच विवाद में के किसी विषय का विशदीकरण की दृष्टि से ऐसे पक्षकारों का दावे की कार्यवाही में ऐसा मौखिक परीक्षण कर सकता है जैसा वह उचित समझता हो और परीक्षण के सार को यदि कोई हो, लेखबद्ध करेगा।

209—विवाद्यक विषय का तैयार किया जाना—पक्षकारों के आवेदन और लिखित कथन और मौखिक कथनों पर विचार करने के पश्चात् दावा अधिकरण ऐसे विवाद्यकों को तैयार करेगा जिस पर उस दावे का उचित निर्णय निर्भर होना प्रतीत होता हो।

210—साक्षियों को आहूत करना—जहां किसी पक्षकार द्वारा कार्यवाही में साक्षियों को आहूत करने के लिये कोई आवेदन दिया जाये, वहां दावा अधिकरण यदि वह इस विचार का न हो कि उसका उपस्थित होना मामले के न्यायपूर्ण

311

निर्णय के लिये आवश्यक नहीं है, अन्तर्ग्रस्त व्ययों के, यदि कोई हो, भुगतान करने पर ऐसे साक्षियों को उपस्थित होने के लिये सम्मन जारी करेगा।

211—विवाद्यकों का निर्धारण—विवाद्यक विषयों को तैयार करने के पश्चात दावा अधिकरण उस पर ऐसे साक्ष्य अभिलिखित करने की कार्यवाही करेगा जो प्रत्येक पक्षकार प्रस्तुत करना चाहते हों।

212—साक्ष्य अभिलिखित करने की विधि—दावा अधिकरण किसी पक्षकार के परीक्षण या किसी साक्षी से प्राप्त अभिसाक्ष्य के सार का एक संक्षिप्त ज्ञापन बनायेगा और ऐसे ज्ञापन को लेखबद्ध किया जायेगा और उसे दावा अधिकरण द्वारा हस्ताक्षरित किया जायेगा और वह अभिलेख का भाग बनेगा।

परन्तु यह कि किसी चिकित्सा साक्षी के साक्ष्य को यथासम्भव शब्दशः लिखा जायेगा :

परन्तु यह और कि जहां दावा अधिकरण कोई ज्ञापन बनाने में असमर्थ हो तो वह ऐसी असमर्थता के कारणों को अभिलिखित करायेगा और अपने श्रुतिलेख से ज्ञापन बनवायेगा।

213—स्थानीय निरीक्षण—(1) दावा अधिकरण, अपने समक्ष किसी जांच के किसी प्रक्रम पर, और पक्षकारों को सम्यक् नोटिस देने के पश्चात् उस स्थल पर, जहां दुर्घटना घटित हुई या कोई अन्य स्थान या वस्तु जो उसकी राय में वाद के उचित निर्णय के लिये देखना आवश्यक है, जा सकता है और निरीक्षण कर सकता है।

(2) दावा अधिकरण द्वारा स्थानीय निरीक्षण के समय कार्यवाही का कोई पक्षकार या उसका प्रतिनिधि उपस्थित रह सकता है।

(3) स्थानीय निरीक्षण के पश्चात् दावा अधिकरण, यथाशक्य शीघ्र, ऐसे निरीक्षण में पाये गये किसी सुसंगत तथ्य का ज्ञापन अभिलिखित करेगा और ऐसा ज्ञापन जांच का भाग होगा।

214—यान का निरीक्षण—दावा अधिकरण यदि यह उचित समझे, दुर्घटनाग्रस्त मोटर यान को उसके द्वारा उल्लिखित किसी विशिष्ट समय और स्थान पर निरीक्षण के लिये प्रस्तुत किये जाने हेतु मोटर यान के स्वामी से अपेक्षा कर सकता है।

215—परीक्षण करने की शक्ति—दावा अधिकरण यदि वह आवश्यक समझे, किसी ऐसे व्यक्ति का, जो क्षति के सम्बन्ध में सूचना देने के लिये समर्थ हो, इस तथ्य पर विचार किये बिना कि ऐसा व्यक्ति साक्षी के रूप में बुलाया जायेगा या नहीं, परीक्षण कर सकता है।

216—सुनवाई का स्थगन—दावा अधिकरण अभिलिखित किये जाने वाले कारणों से, किसी पक्षकार के आवेदन पर या अन्यथा, समय-समय पर सुनवाई को स्थगित कर सकता है, जब स्थगन आवेदन-पत्र पर स्वीकृत किया जाय तो दावा अधिकरण स्थगन के कारण हुये व्यय के सम्बन्ध में ऐसा आदेश दे सकता है, जिसे उचित समझे।

217—अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित होना—दावा अधिकरण, अपने विवेक से, किसी पक्षकार को अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित होने की अनुमति दे सकता है।

218—जांच के दौरान व्यक्तियों का आमेलन—(1) दावा अधिकरण यदि यह उचित समझे, जांच से सुसंगत विषय का विशेष ज्ञान रखने वाले एक या अधिक व्यक्तियों को जांच करने में उसकी सहायता करने के लिये चुन सकता है।

(2) उपनियम (1) के अधीन आमेलित व्यक्ति या व्यक्तियों को भुगतान किये जाने वाले पारिश्रमिक का अवधारण प्रत्येक मामले में दावा अधिकरण द्वारा किया जायेगा।

219—डायरी—दावा अधिकरण प्रत्येक आवेदन से सम्बन्धित कार्यवाही की संक्षिप्त डायरी रखेगा।

220—निर्णय और प्रतिकर का अधिनिर्णय—(1) दावा अधिकरण आदेश पारित करते समय निर्णय में तैयार किये गये प्रत्येक विवाद्यक के निष्कर्ष और ऐसे निष्कर्ष के कारणों को अभिलिखित करेगा और बीमाकर्ता द्वारा या धारा 146 की उपधारा (2) या (3) के अधीन छूट प्राप्त किसी यान की दशा में उसके स्वामी द्वारा भुगतान किये जाने वाले प्रतिकर की धनराशि को विनिर्दिष्ट करते हुये कोई अधिनिर्णय देगा और वह ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों को भी विनिर्दिष्ट करेगा जिनको प्रतिकर का भुगतान किया जाना हो।

(2) जहां प्रतिकर दो या अधिक व्यक्तियों को दिये जाने का अधिनिर्णय दिया जाय वहां उपनियम (1) के अधीन दावा अधिकरण प्रत्येक व्यक्ति को देय धनराशि को भी विनिर्दिष्ट करेगा।

(3) दावा अधिकरण, प्रतिकर के दावे को निस्तारित करते समय कार्यवाही में उपगत मूल्य और व्ययों के सम्बन्ध में ऐसा आदेश देगा, जैसा वह उचित समझे।

221—कतिपय मामलों में सिविल प्रक्रिया संहिता का लागू होना—सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की प्रथम अनुसूची के निम्नलिखित उपबन्ध, जहां तक हो सके, दावा अधिकरण के समक्ष कार्यवाही पर लागू होंगे, अर्थात्–

आदेश पांच के नियम 9 से 13 और 15 से 30, आदेश नौ, आदेश तेरह के नियम 3 से 10 तक, आदेश सोलह के नियम 2 से 21 तक, आदेश सत्रह और आदेश 23 के नियम 1 से 3 तक।

222—दावा अधिकरण के विनिश्चय के विरुद्ध अपीलों का प्रारूप और उनकी संख्या—(1) दावा अधिकरण के अधिनिर्णय के विरुद्ध कोई अपील प्रस्तुत करने के आधारों को संक्षिप्त में अभिकथित करते हुये ज्ञापन के रूप में प्रस्तुत की जायेगी।

(2) इसके साथ निर्णय और अधिनिर्णय की, जिसके विरुद्ध अपील प्रस्तुत की जाय कि एक-एक प्रतिलिपि लगायी जायेगी।

अध्याय–दस

प्रकीर्ण

223—शास्ति वसूल करने के लिये प्राधिकारी—धारा 201 की उपधारा (1) के अधीन शास्तियां उस क्षेत्र पर जहां निर्योग्य यान रखा गया हो अधिकारिता रखने वाले निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा वसूल की जायेगी:

(1) सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी से अनिम्न श्रेणी का परिवहन विभाग का कोई अधिकारी,

(2) सब डिवीजनल मैजिस्ट्रेट से अनिम्न श्रेणी का कोई कार्यपालक मैजिस्ट्रेट,

(3) पुलिस उप अधीक्षक से अनिम्न श्रेणी का कोई वर्दीधारी पुलिस अधिकारी।

224—अधिनियम के अध्याय दो, तीन, चार, और पांच और नियमों के अधीन कम फीस लेना—(1) यदि किसी व्यक्ति के सम्बन्ध में किसी समय मोटर यान अधिनियम, 1988 और तद्धीन बनाये गये नियमों में उपबन्धित फीस से कम फीस का उद्ग्रहण पाया जाय तो अधिनियम के अध्याय दो, तीन, चार और पांच या तद्धीन बनाये गये नियमों में विहित प्राधिकारी कमी के भुगतान करने के लिये सम्बन्धित व्यक्ति को एक नोटिस जारी करेगा।

(2) ऐसी नोटिस उस व्यक्ति को डाक द्वारा भेजी जा सकती है या उसे या उसके परिवार के किसी वयस्क सदस्य को व्यक्तिगत रूप से तामील की जा सकती है। यदि उपर्युक्त रीति से नोटिस की तामील नहीं की जा सकती हो तो उसके निवास स्थान या कारबार के स्थान के किसी सहजदर्शी भाग पर चिपका कर उसे तामील किया जा सकता है या ऐसी रीति से जैसा कि ऐसी कमी को वसूल करने के लिये सक्षम प्राधिकारी उचित समझे।

(3) यदि ऐसा व्यक्ति उक्त नोटिस के तामील किये जाने के दिनांक से दो सप्ताह के भीतर कमी का भुगतान करने में विफल रहता है तो इस प्रकार विहित प्राधिकारी ऐसे व्यक्ति से वसूल की जाने वाली कमी की धनराशि को विनिर्दिष्ट करते हुये अपने द्वारा हस्ताक्षरित एक प्रमाण-पत्र कलेक्टर को अग्रसारित करेगा और कलेक्टर ऐसे प्रमाण-पत्र के प्राप्त होने पर ऐसी कमी की वसूली की कार्यवाही करेगा मानो वह मालगुजारी की बकाया धनराशि हो।

225—कतिपय दस्तावेजों के स्थान पर अस्थायी प्राधिकार—(1) जहां किसी परमिट का धारक परमिट को राज्य या सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण को परमिट के नवीकरण या प्रतिहस्ताक्षर के लिये या किसी अन्य प्रयोजन के लिये प्रस्तुत करे या कोई पुलिस अधिकारी या न्यायालय या अन्य सक्षम प्राधिकारी, किसी परमिट को या रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र या ठीक हालत में होने के प्रमाण-पत्र या चालान अनुज्ञप्ति या कण्डक्टर अनुज्ञप्ति को जिसे आगे इस नियम में "दस्तावेज" कहा गया है किसी प्रयोजन के लिये उसके धारक से अस्थायी रूप से कब्जे में ले वही यथा स्थिति राज्य या सम्भागीय

परिवहन प्राधिकरण या पुलिस अधिकारी या न्यायालय धारक को तुरन्त दस्तावेज की प्राप्ति की रसीद और प्रपत्र एस० आर०-32 में एक अस्थायी प्राधिकार, ऐसे प्राधिकार में विनिर्दिष्ट अवधि के दौरान यान के प्रचालन के लिये देगा और उक्त अवधि के दौरान मांग कर अस्थायी प्राधिकार का प्रस्तुत करना दस्तावेज का प्रस्तुत करना, समझा जायेगा:

परन्तु यह कि अस्थायी प्राधिकार देने वाला प्राधिकारी अस्थायी प्राधिकार की अवधि को तब तक के लिये बढ़ायेगा जब तक कि दस्तावेज वापस नहीं कर दिया जाता। किन्तु ऐसा विस्तारण दस्तावेज की विधिमान्यता की अवधि से अधिक नहीं होगा।

(2) जब तक कि उपनियम (1) में निर्दिष्ट दस्तावेज उसके धारक को वापस न कर दिया जाय सम्बन्धित यान यथा-स्थिति उपनियम (1) में निर्दिष्ट अस्थायी प्राधिकार में यथा विनिर्दिष्ट या उस उपनियम के परन्तुक के अधीन बढ़ायी गयी अवधि के उपरान्त नहीं चलाया जायेगा।

(3) ऐसे अस्थायी प्राधिकार के सम्बन्ध में कोई फीस देय नहीं होगी।

226—परिवहन विभाग के अधिकारियों के कर्तव्य, शक्तियां और कृत्य–(1) परिवहन विभाग के सभी अधिकारी इस अधिनियम के उपबन्धों और उसके अधीन बनाये गये या जारी किये गये नियमों, विनियमों या अधिसूचनाओं का प्रशासन करने और उन्हें लागू करने के लिये उत्तरदायी होंगे और ऐसे कर्तव्यों का जो उन्हें इस नियमावली के अधीन सौंपे गये हैं या ऐसे अन्य कर्तव्य जो उन्हें सौंपे जाएं, पालन करेंगे।

(2) परिवहन विभाग के अधिकारी जन सामान्य के लिये सुविधाओं की व्यवस्था की पर्याप्तता को सुनिश्चित करने की दृष्टि से अपने-अपने प्रभार के भीतर यातायात और परिवहन के विनियमन और समुचित नियंत्रण के लिये और अड्डों, संग्रहण, अग्रेषण और या वितरण अभिकर्ताओं, ड्राइवर प्रशिक्षण स्कूलों और प्राधिकृत जांच केन्द्रों के निरीक्षण के लिये उत्तरदायी होंगे।

227—परिवहन विभाग के अधिकारियों की शक्तियां—(1) नीचे स्तम्भ एक में विनिर्दिष्ट परिवहन विभाग के अधिकारी स्तम्भ-2 में उनके सामने विनिर्दिष्ट धाराओं के उपबन्धों के अधीन शक्तियों का प्रयोग करेंगे।

क्रम-संख्या	अधिकारी	धाराएं
1	परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश	114 (1), 130 (2), 138 (3), 136, 203,206, 207 और 213 (5)।
2	अपर परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश	तदैव
3	उप परिवहन आयुक्त	तदैव
4	सचिव, राज्य परिवहन प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश	तदैव
5	सहायक परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश	तदैव
6	सम्भागीय परिवहन अधिकारी	तदैव
7	सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी	तदैव
8	यात्री/माल कर अधिकारी	114 (1) और 130
9	यात्री/माल कर अधीक्षक	114 (1) और धारा 206

(2) उपनियम (1) के स्तम्भ एक में विनिर्दिष्ट परिवहन विभाग का कोई अधिकारी अपने साथ प्रपत्र-एस० आर०-50 में परिवहन आयुक्त द्वारा जारी किया गया पहचान पत्र रखेगा।

(3) नीचे स्तम्भ–दो में उल्लिखित परिवहन विभाग के विभिन्न अधिकारियों द्वारा पहने जाने वाली वर्दी ऐसी होगी जो स्तम्भ 3 में उनके सामने उल्लिखित है :–

क्रम संख्या	अधिकारी	वर्दी
1	अपर परिवहन आयुक्त (प्रवर्तन)	(एक) यू० पी० टी० एस० मोनोग्राम के साथ खाकी फोरेज टोपी, (दो) खाकी कोट (खुला कालर) खाकी बुशर्ट या खाकी कमीज और पुलिस पैटर्न का पाजामा, (तीन) टाई और गोल बुनी सीटी की डोरी जो हल्के खाकी रंग की होंगी, (चार) कंधों पर यू० पी० टी० एस० का मोनोग्राम, (पांच) सिल्वर फिटिंग के साथ गहरे भूरे चमड़े की पुलिस पैटर्न की पेटी, (छः) कंधों की पट्टी पर अशोक स्तम्भ चिन्ह दो पांच नुकीले स्टार के साथ, (सात) भारतीय सेना के सदृश्य भूरे जूते, (आठ) नाम और पदनाम सहित नाम का बैज जो वर्दी के सामने के हिस्से पर प्रमुख रूप से प्रदर्शित होगा।
2	सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन)	(एक) यू० पी० टी० एस० मोनोग्राम के साथ खाकी फोरेज टोपी, (दो) खाकी कोट (खुला कालर), खाकी बुशर्ट या खाकी कमीज और पुलिस पैटर्न का पाजामा, (तीन) टाई और गोल बुनी सीटी की डोरी जो हल्के खाकी रँग की होगी, (चार) यू० पी० टी० एस० मोनोग्राम के साथ कंधे का बैज, (पांच) सिलवर फिटिंग के साथ पुलिस पैटर्न की गहरे भूरे रंग की क्रास बेल्ट, (छः) कन्धे की पट्टी पर पांच नोक वाला सिलवर प्लेटेड तीन स्टार, (सात) भरतीय सेना के सदृश्य भूरे रंग के जूते, (आठ) नाम और पदनाम सहित नाम का बैज जो वर्दी के सामने के हिस्से पर प्रमुख रूप से प्रदर्शित होगा।
(3)	यात्री कर अधीक्षक	(एक) यू० पी० टी० डी० मोनोग्राम के साथ खाकी फोरेज टोपी, (दो) कोट (खुला कालर), पुलिस पैटर्न का पैजामा के साथ बुशर्ट या कमीज जो खाकी रंग के होंगे,

315

क्रम संख्या	अधिकारी	वर्दी
		(तीन) हल्के नीले रंग की गोल बुनी सीटी की डोरी,
		(चार) सिलवर फिटिंग सहित गहरे भूरे रंग के चमड़े की पुलिस पैटर्न की क्रास बेल्ट,
		(पांच) सिल्वर प्लेटेड बटन,
		(छः) काले जूते,
		(सात) पांच नोक वले दो स्टार जो माप में 25 मि० मी० व्यास के होंगे। स्टार हल्का क्रास्ट किया हुआ होगा किन्तु केन्द्र में कोई डिजाइन नहीं होगी। कन्धे का बैज मोटे अक्षरों में यू० पी० टी० डी० अक्षर से युक्त होगा और कन्धे की पट्टी के तल पर पहना जायेगा। स्टार और अक्षर सफेद धातु के होंगे,
		(आठ) नाम और पदनाम सहित नाम का बैज जो वर्दी के सामने के हिस्से पर प्रमुख रूप से प्रदर्शित होगा।
4	ज्येष्ठ मोटर यान निरीक्षक	(एक) यू० पी० टी० डी० मोनोग्राम के साथ खाकी फोरेज या बेरेट टोपी,
		(दो) खाकी कोट (खुला कालर), खाकी बुशर्ट या खाकी कमीज और पुलिस पैटर्न का पाजामा,
		(तीन) टाई और गोल बुनी सीटी की डोरी जो हल्के खाकी रंग की होगी,
		(चार) कंधों पर यू० पी० टी० डी० का मोनोग्राम,
		(पांच) सिलवर फिटिंग के साथ गहरे भूरे चमड़े की पुलिस पैटर्न की पेटी,
		(छः) कन्धे की पट्टी पर समान्तर पांच नोक वाले तीन स्टार, पीला प्लेटेड आधा लाल और आधा काला,
		(सात) भूरे जूते (भारतीय सेना के सदृश्य),
		(आठ) नाम और पदनाम सहित नाम का बैज जो वर्दी के सामने के हिस्से पर प्रमुख रूप से प्रदर्शित होगा।
5	मोटर यान निरीक्षक	(एक) यू० पी० टी० डी० मोनोग्राम के साथ खाकी फोरेज या बेरेट टोपी,
		(दो) टाई और गोल बुनी सीटी की डोरी जो हल्के खाकी रंग की होगी,
		(तीन) खाकी कोट (खुला कालर) खाकी बुशर्ट या खाकी कमीज और पुलिस पैटर्न का खाकी पैजामा,

क्रम संख्या	अधिकारी	वर्दी
		(चार) कंधों पर यू० पी० टी० डी० मोनोग्राम का बैज, (पांच) सिलवर फिटिंग के साथ गहरे भूरे चमड़े की पुलिस पैटर्न की पेटी, (छः) आधा लाल आधा काला समान्तर शोल्डर स्ट्रैप पर पांच नोक वाले एलो प्लेटेड दो स्टार, (सात) भूरे जूते (भारतीय सेना के सदृश्य), (आठ) नाम और पदनाम सहित नाम का बैज जो वर्दी के सामने के हिस्से पर प्रमुख रूप से प्रदर्शित होगा।

228—राज्य सरकार की निदेश देने की शक्ति—राज्य सरकार, समय-समय पर, लोकहित में, अधिसूचित आदेश द्वारा, धारा 68 में निर्दिष्ट परिवहन प्राधिकरण को अधिनियम के साथ संगत ऐसे निर्देशों या दिशा निर्देशों को, जैसा वह आवश्यक समझे दे सकती है और अपने कृत्यों के करने में, प्राधिकरण ऐसे निर्देशों या दिशा निर्देशों का अनुपालन करेगा।

आज्ञा से,
एस० पी० आर्य,
प्रमुख सचिव।

प्रथम अनुसूची

[नियम 4 (6) देखिए]

अस्थायी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह दिये जाने में प्रयोग किये जाने वाले रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी को आवंटित अक्षर

जिले का नाम	आवंटित अक्षर
आगरा	यू० बी० ए०
अलीगढ़	यू० बी० बी०
इलाहाबाद	यू० बी० सी०
अल्मोड़ा	यू० बी० डी०
आजमगढ़	यू० बी० ई०
अम्बेडकर नगर	यू० डी० एम०
बहराइच	यू० बी० एफ०
बलिया	यू० बी० जी०
बांदा	यू० बी० एच०
बाराबंकी	यू० बी० आई०
बस्ती	यू० बी० जे०
बरेली	यू० बी० के०
बिजनौर	यू० बी० एल०
बदायूं	यू० बी० एम०
बुलन्दशहर	यू० बी० एन०
चमोली	यू० बी० ओ०
देहरादून	यू० बी० पी०
देवरिया	यू० बी० क्यू०
एटा	यू० बी० आर०
इटावा	यू० बी० एस०
फैजाबाद	यू० डी० के०
फर्रुखाबाद	यू० बी० टी०
फतेहपुर	यू० बी० यू०
फिरोजाबाद	यू० डी० जे०
गढ़वाल	यू० बी० वी०
गाजीपुर	यू० बी० डब्लू०
गोण्डा	यू० बी० एक्स०
गोरखपुर	यू० बी० वाई०
गाजियाबाद	यू० बी० जेड०
हमीरपुर	यू० सी० ए०
हरदोई	यू० सी० बी०
हरिद्वार	यू० सी० सी०
जालौन	यू० सी० डी०
जौनपुर	यू० सी० ई०
झांसी	यू० सी० एफ०
खीरी	यू० सी० जी०
कानपुर नगर	यू० सी० एच०
कानपुर देहात	यू० सी० आई०
लखनऊ	यू० सी० जे०
ललितपुर	यू० सी० के०
मैनपुरी	यू० सी० एल०
मेरठ	यू० सी० एम०
मिर्जापुर	यू० सी० एन०
मुरादाबाद	यू० सी० ओ०
मथुरा	यू० सी० पी०
मुजफ्फरनगर	यू० सी० क्यू०
मऊ	यू० सी० आर०
महराजगंज	यू० डी० आई०
महोबा	यू० डी० के०
नैनीताल	यू० सी० एस०
प्रतापगढ़	यू० सी० टी०
पीलीभीत	यू० सी० यू०
पिथौरागढ़	यू० सी० वी०
रायबरेली	यू० सी० डब्लू०
रामपुर	यू० सी० एक्स०
सहारनपुर	यू० सी० वाई०
शाहजहांपुर	यू० सी० जेड०
सीतापुर	यू० डी० ए०
सुल्तानपुर	यू० डी० बी०
सिद्धार्थनगर	यू० डी० सी०
सोनभद्र	यू० डी० डी०
टेहरी गढ़वाल	यू० डी० ई०
उन्नाव	यू० डी० एफ०
उत्तरकाशी	यू० डी० जी०
उधमसिंह नगर	यू० डी० एल०
वाराणसी	यू० डी० एच०
भदोही	यू० डी० आई०
पडरौना	यू० डी० जे०

द्वितीय अनुसूची

[नियम 174 (1) देखिए]

ट्रेलर और इसे खींचने वाली गाड़ी के लिए विभेद करने वाला चिन्ह

18.2 सेन्टीमीटर

20 सेन्टीमीटर

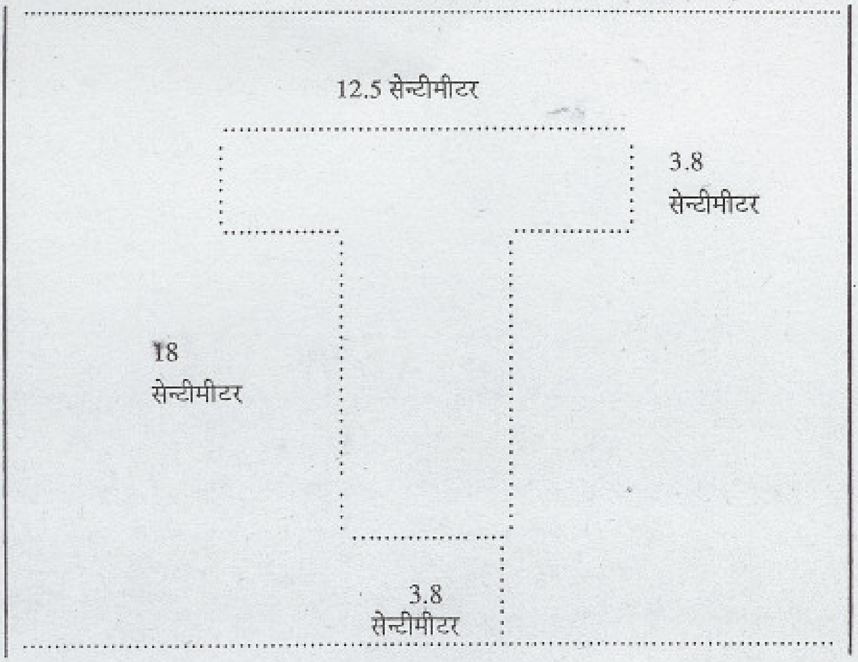

टिप्पणी–आयाम ऊपर दिखाये गये से कम नहीं होगा।

प्रपत्र एस० आर०—1

[नियम 8 (1) देखिये]

अनुज्ञप्ति के खो जाने या नष्ट हो जाने की सूचना, और दूसरी प्रति के लिए आवेदन-पत्र :

सेवा में,

अनुज्ञापन प्राधिकारी,

....

मैं, निवासी..

(स्थायी पता)..

और (वर्तमान पता)..

पुत्र.. (पिता का नाम) एतद्द्वारा रिपोर्ट करता हूं कि अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा दिनांक.................................... को या उसके आस-पास जारी की गयी चालन अनुज्ञप्ति संख्या..

1—निम्नलिखित परिस्थितियों में खो गई है/नष्ट हो गयी है,

2—मैं एतद्द्वारा अनुज्ञप्ति की दूसरी प्रति के लिए आवेदन करता हूं,

3—मैंने विहित फीस...............................रुपये रसीद संख्या...............................दिनांक............ द्वारा भुगतान कर दिया है।

4—मैं अपनी हाल की फोटो की तीन स्पष्ट प्रतियां संलग्न करता हूं।

दिनांक : ....

आवेदक के

हस्ताक्षर या अंगूठा निशान।

·319·

अनुज्ञापन प्राधिकारी के कार्यालय में प्रयोग के लिए

भाग–एक

(1) चालन अनुज्ञप्ति संख्या.............................की, जो प्रथम बार..........................को दी गई थी, दूसरी प्रति मेरे द्वारा आज................................के..........................माह......................... दिन.................. को जारी की गई।

(2) आवेदक को कारण बताते हुए आवेदन पत्र संख्या...............................दिनांक....................... पता...को अस्वीकृत किया गया।

दिनांक ....

अनुज्ञापन प्राधिकारी
के हस्ताक्षर और मुहर।

अनपेक्षित विकल्प को काट दें।

भाग–दो

भाग दो, तीन और चार को भाग-एक से अलग पन्ने पर मुद्रित किया जायेगा और उसका प्रयोग तब किया जायेगा जब आवेदन-पत्र मूल अनुज्ञापन–प्राधिकारी से भिन्न किसी प्राधिकारी को दिया जाय।

भाग–तीन को सत्यापित करने और पूरा करने के लिए अनुज्ञापन प्राधिकारी... को अग्रसारित।

दिनांक.....................

अनुज्ञापन प्राधिकारी,
के हस्ताक्षर और मुहर।

भाग–तीन

अनुज्ञापन प्राधिकारी...................................को वापस।

फोटो और हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान का मेरे अभिलेखों से मिलान किया गया है।

ऐसी कोई अनुज्ञप्ति इस कार्यालय द्वारा जारी की गई नहीं प्रतीत होती।

या

मेरा समाधान नहीं हुआ है कि आवेदक वर्णित अनुज्ञप्ति का धारक था।

या

मेरा समाधान हो गया है कि आवेदक इस कार्यालय द्वारा निम्नलिखित रूप में जारी की गई अनुज्ञप्ति का धारक था–

(1) जन्म-तिथि ....

(2) शैक्षिक अर्हता ....

(3) ब्लड ग्रुप ....

(4) संख्या ....

(5) जारी करने का दिनांक ....

(6) अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा अन्तिम बार नवीकृत ....

(7) समाप्ति का दिनांक ....

(8) यानों का वर्ग ....

(9) अनुज्ञप्ति ....

(क) धारक को किसी परिवहन यान को चलाने के लिए दिनांक..............................से हकदार बनाता है।

या

(ख) निम्नलिखित पृष्ठांकन के साथ है।

दिनांक ....

अनुज्ञापन प्राधिकारी
के हस्ताक्षर और मुहर।

---

* यहाँ (क), (ख), (ग) इत्यादि को भरें। जैसा अधिनियम धारा 10 (2) में विनिर्दिष्ट है।

भाग–चार

अनुज्ञापन प्राधिकारी ....

को अभिलेख के लिए वापस किया गया।

*मेरे द्वारा अनुज्ञप्ति की दूसरी प्रति दिनांक..............................को जारी की गई है और उस पर चिपकाये गये फोटो की एक प्रति संलग्न है।

अपने पत्र संख्या......................................दिनांक..............................में मैंने आवेदित अनुज्ञप्ति की दूसरी प्रति जारी करने से इनकार कर दिया है। उस पत्र की एक प्रति संलग्न है।

दिनांक..............................

अनुज्ञापन प्राधिकारी,
के हस्ताक्षर और मुहर।

---

*अनपेक्षित विकल्प को काट दें।

प्रपत्र एस० आर०—2

[नियम 12 (1) देखिए]

परिवहन यान के ड्राइवर का बैज

बैज का व्यास 7 से० मी० होगा।

जिले का नाम जहां से प्राधिकार जारी किया गया है...

परिवहन यान के ड्राइवर की संख्या....................................

प्रपत्र एस० आर०—3

[नियम 17 (1) (छब्बीस) देखिए]

माल वाहनों में रखा जाने वाला अभिलेख

परमिट धारक का नाम और पता..

....

यान की रजिस्ट्रीकरण संख्या..

परेषक का नाम..

परेषिती का नाम..

प्रारम्भ का दिनांक..

प्रारम्भ का बिन्दु..

गंतव्य बिन्दु..

माल वाहन की प्रकृति और संख्या	भार किलोग्राम में	कुल भाड़ा प्रभार		भुगतान किया गया भाड़ा प्रभार	
		रुपये	पैसे	रुपये	पैसे

ड्राइवर का नाम और पता..

चालन अनुज्ञप्ति की संख्या और उसकी विधिमान्यता..

परेषक के हस्ताक्षर

परेषिती के हस्ताक्षर

वाहक के हस्ताक्षर

प्रपत्र एस० आर०—4

[नियम 21 (2) देखिए]

जब कण्डक्टर अनुज्ञप्ति के बिना कोई कण्डक्टर के रूप में कार्य कर रहा हो अनुज्ञापन प्राधिकारी को सूचना देने का प्रपत्र।

भाग–क

(आवेदक द्वारा भरा जाय)

सेवा में,

अनुज्ञापन प्राधिकारी,

....

मैं.................................... ....पुत्र श्री ....

जो ....का स्थायी निवासी है और वर्तमान में.. पर निवास कर रहा है मंजिली गाड़ी के जिसकी राजस्ट्रीकरण संख्या.. है, जो..मार्ग पर चल रही है.............................. से...तक..दिनों की अवधि के लिए, कण्डक्टर के रूप में कार्य करना चाहता हूँ।

मैं अग्रेतर घोषणा करता हूँ कि......... ....

(क) आज मेरी आयु .... है,

(ख) मुझे पूर्व में कण्डक्टर अनुज्ञप्ति धारण करने से अनर्ह नहीं किया गया है,

*(ग) मैं किसी अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा पहले जारी की गयी कण्डक्टर अनुज्ञप्ति धारण नहीं करता हूँ।

(घ) मैं किसी रोग या अशक्तता से पीड़ित नहीं हूँ, और

(ङ) कण्डक्टर अनुज्ञप्ति कब्जे में न होने के कारण .... है।

(च) मैंने बिना अनुज्ञप्ति के कण्डक्टर के रूप में पूर्व.................................. से ....

तक की अवधि के लिये...द्वारा चलाई गयी सेवा पर...........................

.... मार्ग या क्षेत्र पर पिछले अवसरों पर कार्य किया है और अनुज्ञापन प्राधिकारी को पत्र संख्या ...., दिनांक .... द्वारा सूचित कर दिया है।

(प्रतिलिपि संलग्न)

दिनांक : आवेदक के हस्ताक्षर

*जो लागू न हो काट दें।

भाग–ख

(परमिट धारक द्वारा भरा जाय)

उपर्युक्त आवेदक को अस्थायी रूप से कण्डक्टर रूप में नियोजित किये जाने के कारण,

---

(स्थान)

दिनांक :

परमिट संख्या,
यान संख्या और रजिस्ट्रीकरण
और मार्ग के नाम के साथ
परमिट धारक के हस्ताक्षर।

भाग–ग

(अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा भरा जाय और आवेदक को वापस किया जाय)

श्री ....पुत्र श्री ....

को, जो वर्तमान में .... पर निवास कर रहा है .... से...................................... तक मंजिली गाड़ी संख्या .... के *कण्डक्टर के रूप में अस्थायी रूप से कार्य करने के लिये अनुमति दी जाती है। कण्डक्टर के रूप में अस्थायी रूप से कार्य करने की अनुमति नहीं दी जाती है।

दिनांक :

अनुज्ञापन प्राधिकारी
के हस्ताक्षर और मुहर।

* अनपेक्षित विकल्प को काट दें।

प्रपत्र एस० आर०–5

[नियम 22 (1) देखिये]

उत्तर प्रदेश सरकार

कण्डक्टर अनुज्ञप्ति

संख्या..

नाम श्री.. पुत्र श्री..

.... को, जिसका वर्तमान पता..

.... और स्थायी पता..

.... है, जिनकी जन्म तिथि.. है,

फोटो	प्रपत्र छः से उद्धृत आवेदक के हस्ताक्षर की दूसरी प्रति

कण्डक्टर के रूप में अनुज्ञापित किया जाता है और उन्हें कण्डक्टर बैज संख्या..

.... जारी किया गया है। यह अनुज्ञप्ति........................ से..............................

तक विधिमान्य है।

दिनांक ....

अनुज्ञापन प्राधिकारी
के हस्ताक्षर और मुहर।

नवीकरण

नवीकरण का दिनांक	समाप्ति का दिनांक	अनुज्ञापन प्राधिकारी के हस्ताक्षर और मुहर
1		
2		
3		
4		
5		

परिवहन 11

पृष्ठांकन

दिनांक	अनर्हता के आदेशों का संक्षिप्त विवरण	अनर्हता के आदेश के लिये कारण संक्षेप में	पृष्ठांकन प्राधिकारी के हस्ताक्षर और मुहर
1			
2			
3			
4			
5			

प्रपत्र एस० आर०–6

[नियम 22 (4) देखिये]

कण्डक्टर अनुज्ञप्ति के लिये आवेदन का प्रपत्र

1—आवेदक का नाम ....

2—पिता का नाम ....

3—वर्तमान पता ....

....

4—स्थायी पता ....

....

5—जन्म-तिथि ....
(प्रमाण दिया जायेगा)

6—शैक्षिक अर्हतायें ....
(प्रमाण दिया जायेगा)

7—मैंने पूर्व में कण्डक्टर अनुज्ञप्ति धारण नहीं की है/पूर्व में अनुज्ञापन प्राधिकारी .... द्वारा जारी की गई .... से .... तक विधिमान्य कण्डक्टर अनुज्ञप्ति धारण की है।

8—मैं कण्डक्टर अनुज्ञप्ति धारण करने के लिये यहां नीचे उल्लिखित कारणों से अनर्ह था।

9—मैं कण्डक्टर अनुज्ञप्ति धारण करने के लिये अनर्ह नहीं हूँ।

10—मैं अपनी हाल के फोटो की तीन प्रतियां, जैसी नियमावली द्वारा अपेक्षित है, संलग्न करता हूँ।

11—मैं..द्वारा ....जारी किया गया दिनांक .... का चिकित्सा स्वस्थता प्रमाण-पत्र संलग्न करता हूँ।

12—मैं एतद्‌द्वारा घोषणा करता हूँ कि उपर्युक्त विवरण सही है।

13—मैंने रसीद, दिनांक .... द्वारा विहित फीस जमा कर दी है।

दिनांक : आवेदक के हस्ताक्षर

आवेदक के हस्ताक्षर की दूसरी प्रति

प्रपत्र एस० आर०–7

[नियम 22 (6) देखिये]

कण्डक्टर अनुज्ञप्ति प्राप्त करने के लिये आवेदक के सम्बन्ध में

चिकित्सा प्रमाण-पत्र

भाग–क

(आवेदक द्वारा भरा जाय)

1—आवेदक का नाम ....

2—पिता का नाम ....

3—स्थायी पता ....

4—वर्तमान पता ....

....

5—जन्म तिथि ....

6—पहचान चिन्ह ....

दिनांक आवेदक के हस्ताक्षर

भाग–ख

(नियमों के अधीन प्राधिकृत रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी द्वारा भरा जायगा)

1—परीक्षण किये गये व्यक्ति का नाम ....

2—पिता का नाम ....

3—वर्तमान पता ....

4—आयु ....

5—पहचान चिन्ह :

(क) ....

(ख) ....

6—क्या आवेदक, आपके सर्वोत्तम निर्णय के अनुसार अपस्मार, भ्रमि या किसी ऐसे मानसिक रोग का बीमार है जिससे उसकी कार्य क्षमता पर प्रभाव पड़ने की सम्भावना है? ....

7—क्या आवेदक किसी हृदय या फेफड़े के विकार से पीड़ित है जो कण्डक्टर के रूप में उसके कर्तव्यों के अनुपालन में बाधा डाल सकता है? ....

326

8—क्या उसमें अल्कोहल, तम्बाकू या औषधि के अत्यधिक प्रयोग का आदी होने का कोई संकेत दिखाई पड़ता है? ....

9—क्या वह आपकी राय में:

(एक) शारीरिक स्वास्थ्य,

(दो) नेत्र दृष्टि,

(तीन) मानसिक योग्यता, और

(चार) श्रवण योग्यता, का सम्बन्ध है,

सामान्यत: ठीक है ....

10—उस व्यक्ति के हस्ताक्षर जिसका परीक्षण किया गया है। ....

मैं प्रमाणित करता हूँ कि उस व्यक्ति ने जिसका परीक्षण किया गया है मेरी उपस्थिति में अपना हस्ताक्षर किया है या अंगूठे का निशान लगाया है और यह कि जहां तक मेरी जानकारी और विश्वास है, उक्त विवरण सही है और संलग्न फोटो वर्णित व्यक्ति के युक्तियुक्त रूप में समान है।

फोटो के लिये
स्थान

रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी
का नाम ....
....
....

रजिस्ट्रीकरण संख्या ....

हस्ताक्षर ....

पद नाम ....

(रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसाई)

(रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसाई भी फोटो पर हस्ताक्षर ऐसी रीति से करेगा कि उसके हस्ताक्षर का भाग प्रपत्र पर हो।)

प्रपत्र एस० आर०–8

[नियम 24 (1) देखिये]

कण्डक्टर के अनुज्ञप्ति के नवीकरण के लिये आवेदन का प्रपत्र

मैं एतद्द्वारा उत्तर प्रदेश मोटर यान नियमावली, 1997 के अधीन कण्डक्टर अनुज्ञप्ति संख्या .... के, जो दिनांक .... को समाप्त होने वाली है/समाप्त हो गयी है और जिसे अनुज्ञापन प्राधिकारी .... द्वारा मुझे दिनांक .... को जारी किया गया था, नवीकरण के लिये आवेदन करता हूँ।

मैं एतद्द्वारा घोषणा करता हूँ कि मुझे कोई ऐसा रोग या ऐसी आशक्तता नहीं है जिससे कि मुझे मंजिली गाड़ी के कण्डक्टर के रूप में अपने कर्तव्यों के अनुपालन में बाधा पड़े, मैं .... द्वारा जारी चिकित्सा स्वस्थता प्रमाण-पत्र, दिनांक ....संलग्न करता हूँ।

मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि मोटर यान अधिनियम, 1988 के अधीन पिछले तीन वर्षों के दौरान किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा मेरा चालान नहीं किया है या मुझे दोष सिद्ध नहीं किया है और न तो मेरी अनुज्ञप्ति को निलम्बित या रद्द किया गया है (दोषसिद्ध या चालान की दशा में पूर्ववर्ती तीन वर्षों के सम्बन्ध में उसका उल्लेख किया जायेगा)।

दिनांक आवेदक के हस्ताक्षर

*जो अपेक्षित न हो उसे काट दें।

प्रपत्र एस० आर०–9

[नियम 24 (2) देखिये]

कण्डक्टर अनुज्ञप्ति के नवीकरण की सूचना

प्रेषक,

अनुज्ञापन प्राधिकारी,

सेवा में,

अनुज्ञापन प्राधिकारी,

आप द्वारा..............................नाम..............................पिता का नाम .... स्थायी पता के पक्ष में जारी की गयी कण्डक्टर अनुज्ञप्ति संख्या ....दिनांक .... को दिनांक.............. से तीन वर्ष के लिये मेरे द्वारा नवीकृत कर दिया गया है।

दिनांक ....

अनुज्ञापन प्राधिकारी
के हस्ताक्षर और मुहर।

प्रपत्र एस० आर०–10

[नियम 27 (1) देखिये]

कण्डक्टर अनुज्ञप्ति के खो जाने या नष्ट हो जाने की सूचना और दूसरी प्रति के लिये आवेदन-पत्र

भाग–क

(आवेदक द्वारा भरा जाय)

सेवा में,

अनुज्ञापन प्राधिकारी,

मैं,...पुत्र श्री......................................, जो.............................. का स्थायी निवासी हूँ और जो वर्तमान में.. पर निवास कर रहा हूँ, एतद्द्वारा रिपोर्ट करता हूँ कि अनुज्ञापन प्राधिकारी .... द्वारा मुझे जारी की गयी कण्डक्टर अनुज्ञप्ति संख्या................ दिनांक .... निम्नलिखित परिस्थितियों में खो गयी है/नष्ट हो गयी है–

(इन्हें भरा जायगा)

328

2—मैं अनुज्ञापन प्राधिकारी ....द्वारा जारी किया गया कण्डक्टर बैज संख्या .... धारण करता हूँ।

3—मैं एतद्द्वारा कण्डक्टर अनुज्ञप्ति को दूसरी प्रति के लिये आवेदन करता हूँ और .... रुपया नकद/कोषागार के चालान संख्या .... के द्वारा देता हूँ।

4—मैं स्वयं के हाल के फोटो की तीन स्पष्ट प्रतियां संलग्न करता हूँ।

5—मैं अग्रतर घोषणा करता हूँ कि मेरी कण्डक्टर अनुज्ञप्ति किसी प्राधिकारी द्वारा जब्त नहीं की गयी है, अनुज्ञप्ति को किसी प्राधिकारी द्वारा निलम्बित या प्रतिसंहृत नहीं किया गया है और यह कि अनुज्ञप्ति की विधि-मान्यता समय बीत जाने के कारण समाप्त नहीं हुई है।

6—मैं एतद्द्वारा घोषणा करता हूँ कि अंतिम* नवीकरण/स्वीकृति के दिनांक से निम्नलिखित पृष्ठांकन हुये हैं/कोई पृष्ठांकन * नहीं हुआ है :

क्रम-सं०	पृष्ठांकन का दिनांक	पृष्ठांकन के आदेशों का विवरण	पृष्ठांकन के आदेशों के कारण	पृष्ठांकन करने वाले प्राधिकारी का नाम
क	ख	ग	घ	ङ
1				
2				

दिनांक .... आवेदक के हस्ताक्षर

*जो अपेक्षित न हो उसे काट दें।

(अनुज्ञापन प्राधिकारी के कार्यालय में प्रयोग के लिये)

भाग 'ख'

*कण्डक्टर अनुज्ञप्ति संख्या ....की, जो प्रथमतः ....को दिया गया था, दूसरी प्रति आज दिनांक .... को मेरे द्वारा जारी की गयी।

*आवेदक को कारण बताकर पत्र-संख्या.....................दिनांक.......................... में आवेदन-पत्र अस्वीकार किया गया।

दिनांक..................

अनुज्ञापन प्राधिकारी
के हस्ताक्षर और मुहर।

*जो अपेक्षित न हो उसे काट दें।

भाग 'ग'

(भाग ग, घ, और ङ भाग क और ख से अलग पन्ने पर मुद्रित किये जायेंगे और यदि मूल अनुज्ञापन प्राधिकारी से भिन्न प्राधिकारी को आवेदन किया जाय तो उनका प्रयोग किया जायेगा)

भाग 'घ' को सत्यापित और पूरा करने के लिये अनुज्ञापन प्राधिकारी......................... को अग्रसारित।

अनुज्ञापन प्राधिकारी
दिनांक .... के हस्ताक्षर और मुहर।

भाग–घ

अनुज्ञापन प्राधिकारी, ...को वापस।

मैंने फोटोग्राफ और हस्ताक्षर को अपने अभिलेखों से मिला लिया इस कार्यालय द्वारा कोई ऐसी कण्डक्टर अनुज्ञप्ति जारी की गयी प्रतीत नहीं होती है।

*मैं इससे सन्तुष्ट नहीं हूँ कि आवेदक वर्णित कण्डक्टर अनुज्ञप्ति का धारक था।

*मेरा समाधान हो गया है कि आवेदक इस कार्यालय द्वारा जारी किया गया, निम्नानुसार बैज और कण्डक्टर अनुज्ञप्ति का धारक था–

1—बैज संख्या ....

2—कण्डक्टर अनुज्ञप्ति संख्या ....

3—जारी करने का दिनांक ....

4—अनुज्ञापन प्राधिकारी..........................द्वारा........................तक...................... अन्तिम बार नवीकृत किया गया।

दिनांक ....

अनुज्ञापन प्राधिकारी
के हस्ताक्षर और मुहर।

---

*जो अपेक्षित न हो उसे काट दें।

भाग–ङ

अभिलेख के लिये अनुज्ञापन प्राधिकारी... को वापस।

दूसरी प्रति आज दिनांक ...., को मेरे द्वारा जारी कर दी गयी है और उस पर चिपकाई गई फोटो की प्रति संलग्न है।

*अपने पत्र संख्या ...., दिनांक .... में मैंने आवेदित कण्डक्टर अनुज्ञप्ति की दूसरी प्रति को जारी करने से इनकार कर दिया है और मैं उस पत्र की प्रति संलग्न करता हूँ।

दिनांक ....

अनुज्ञापन प्राधिकारी
के हस्ताक्षर और मुहर।

---

*ऐसे विकल्प को काट दें, जो अनपेक्षित हो।

प्रपत्र एस० आर०–11

[नियम 31 (1) देखिये]

मंजिली गाड़ी के कण्डक्टर का बैज

अनुज्ञापन प्राधिकारी का जिला मंजिली गाड़ी कण्डक्टर संख्या ....

बैज 5 × 4 सेन्टीमीटर के आयताकार आकार में होगा।

—

प्रपत्र एस० आर०–12

[नियम 39 (1) देखिये]

ठीक हालत में होने का प्रमाण पत्र देने / नवीकरण करने के लिये

आवेदन-पत्र

भाग–क

(आवेदक द्वारा भरा जायेगा)

सेवा में,

रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी /

प्राधिकृत परीक्षण केन्द्र...

मैं मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 56 द्वारा यथा अपेक्षित एतद्द्वारा नीचे वर्णित यान के ठीक हालत में होने का प्रमाण पत्र को जारी / नवीकरण करने के लिये आवेदन करता हूँ:

यान का रजिस्ट्रीकरण चिन्ह ....

स्वामी का नाम ....

स्थान जहां गाड़ी साधारणतया रखी जाती है ....

यान के विनिर्माता का नाम ....

विनिर्माता का माडल या यदि ज्ञात नहीं है तो व्हील बेस ....

यान का प्रकार ....

चेसिस संख्या ....

इंजन संख्या ....

यान के संबंध में दिये गये किसी पूर्ववर्ती ठीक हालत में होने का प्रमाण पत्र का विवरण.............................

प्राधिकारी जिसके द्वारा दिया गया / नवीकृत किया गया ....

दिनांक, जब ठीक हालत में होने का प्रमाण पत्र की विधिमान्यता समाप्त होगी ....

विधिमान्यता की समाप्ति के कारण ....

मैं केन्द्रीय नियमावली के नियम 73 के अधीन अपेक्षित कर शोधन प्रमाण पत्र इसके साथ संलग्न करता हूँ।

दिनांक .... आवेदक के हस्ताक्षर

या अंगूठे का निशान।

भाग–ख

(निरीक्षण अधिकारी द्वारा भरा जायेगा)

परिवहन यान संख्या .... की निरीक्षण रिपोर्ट संभागीय /

उप-संभागीय कार्यालय ....

निरीक्षण का स्थान...दिनांक..................क्रम-संख्या......................

रजिस्ट्रीकृत स्वामी का नाम और पता ....

....

·331·

यान की रजिस्ट्रीकरण संख्या..

ढांचे का प्रकार..

यान के विनिर्माता का नाम..

विनिर्माण का वर्ष..

व्हील बेस..

चेसिस संख्या..

इंजन संख्या ....

अश्व शक्ति..

यान का लदान रहित भार..

सकल यान भार ....

टायरों की संख्या और आकार..........................अगली धुरी........................अगली धुरी.................

पिछली धुरी ....

पिछली धुरी .... कोई अन्य धुरी ....

टैडम धुरी ....

—यान का ढांचा—

(क) ढांचे की सामान्य दशा ....

(ख) रंगाई कार्य..

(ग) पोशिशसाजी..

(घ) यान की लम्बाई..

(ङ) यान की चौड़ाई.. सेन्टीमीटर

(च) यान की ऊंचाई.. सेन्टीमीटर

(भूमि से मापी गयी)

(छ) खड़े होने का स्थान..सेन्टीमीटर

(ज) गैंगवे..सेन्टीमीटर

(झ) दो सीटों के पीछे के मध्य की दूरी.. सेन्टीमीटर

(ञ) सीट की चौड़ाई..सेन्टीमीटर

(ट) सीट की गहराई .... सेन्टीमीटर

(ठ) ओवर हैग .... सेन्टीमीटर

(ड) ड्राइवर की सीट और स्टियरिंग के बीच की दूरी..सेन्टीमीटर

(ढ) सीढ़ियों की दूरी भूमि से सबसे निचली सीढ़ी के सिरे तक .... सेन्टीमीटर

(ण) दरवाजा..चौड़ाई .... सेन्टीमीटर

(त) ग्रैव रेल..

—अगली धुरी और स्टीयरिंग—

(क) स्टीयरिंग लाक..

(ख) पहियों का स्वतन्त्र संचलन..

(ग) स्टीयरिंग कनेक्शन..

(घ) स्टीयरिंग टर्निंग सर्किल और बैकलैश..

(ङ) किंग पिन और बुश्ड..........

(च) सामने की पहिया की बियरिंग..........

(छ) सामने की पहिया का एलाइनमेंट..........

3—संप्रेषण

(क) क्लच..........

(ख) गियर बाक्स..........

(ग) यूनिवर्सल ज्वाइन्ट..........

(घ) प्रोपेलर शैफ्ट..........

(ङ) डिफरिन्शियल..........

4—इन्जन–

(क) ईंधन प्रणाली..........

(ख) निष्कासक प्रणाली..........

(ग) ज्वलन प्रणाली..........

(घ) धुआं उत्सर्जन का घनत्व..........

5—लैम्प और बिजली प्रणाली––

(क) हैड लाइट..........

(ख) साइड लाइट..........

(ग) बैक लाइट..........

(घ) स्टाप लाइट..........

(ङ) सिग्नल इन्डीकेटर..........

(च) डिपर..........

(छ) आन्तरिक प्रकाश प्रणाली..........

(ज) हार्न..........

6—साइलेन्सर–

7—ब्रेक्स–

(क) पैर का..........

(ख) हाथ का..........

(ग) बूस्टर प्रणाली..........

8—स्प्रिंगिंग प्रणाली की दशा–

9—आवशयक उपस्कर–

(क) बल्व हार्न..........

(ख) विण्ड शील्ड वाइपर..........

(ग) पृष्ठ भाग देखने वाला शीशा..........

(घ) स्पीडोमीटर..........

(ङ) औजार..........

(च) अतिरिक्त पहिया..........

(छ) प्राथमिक चिकित्सा बाक्श..

(ज) तिरपाल..

(झ) परावर्तक..

10—टायरों की दशा..

11—चेसिस फ्रेम की दशा..

12—सफाई..

13—कोई अन्य संप्रेक्षण या खराबी..

....

....

....

उपरिलिखित खराबी के कारण ठीक हालत में होने से इनकार करने की संस्तुति की जाती है।

.... अवधि के लिए ठीक हालत में होने की सस्तुति की जाती है।

निरीक्षक का नाम और उसका
हस्ताक्षर,

प्राधिकृत परीक्षण केन्द्र।

भाग-ग

(कार्यालय द्वारा भरा जायेगा)

यान संख्या..

परमिट संख्या.. तक के लिए विधिमान्य

बीमा पालिसी..

बीमा कम्पनी का नाम..

.... तक के लिए बीमा विधिमान्य

.... तक मार्ग-कर जमा किया गया

.... तक माल-कर/यात्री-कर जमा किया गया

रसीद संख्या... , दिनांक .... द्वारा

.... रु० निरीक्षण फीस वसूल की गई।

*यान के सम्बन्ध में ठीक हालत में होने का प्रमाण-पत्र से इनकार किया जाता है ....

.... से .... तक के लिए जारी किया जाता है।

यान के अगले निरीक्षण के लिए दिनांक..

रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी
का नाम और उसका
हस्ताक्षर,

....

प्राधिकृत परीक्षा केन्द्र।

*जो लागू न हो उसे काट दें।

भाग–घ

(निरीक्षण अधिकारी द्वारा भरा जायेगा और स्वामी को हस्तान्तरित किया जायेगा)

यान का रजिस्ट्रीकरण चिन्ह ....

मेक और माडल ....

यान का प्रकार..

ठीक हालत में होने का प्रमाण-पत्र.................................द्वारा जारी किया गया,................ द्वारा.................को अन्तिम बार नवीकरण किया गया।

निरीक्षण का दिनांक.. ....

स्वामी का नाम और पता.. ....

उपर्युक्त वर्णित यान मेरी राय में मोटर यान अधिनियम, 1988 और तद्धीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों का निम्नलिखित खराबियों के कारण अनुपालन करने में विफल है:–

....

....

अतएव मैंने ठीक हालत में होने का प्रमाण-पत्र जब्त कर लिया है। गाड़ी को निरीक्षण के लिए प्रस्तुत किया जा सकता है

(1).. ....पर

(2).. ....

यान को दिनांक.....................................को या उसके पूर्व मरम्मत के लिए .... को उसके पश्चात् .... को चलाकर ले जाया जा सकता है।

यह.. किलोमीटर प्रति घंटे की गति से अधिक पर नहीं चलायी जायेगी और उसमें कोई यात्री या माल नहीं ले जाया जायेगा। ठीक हालत में होने की स्वीकृति दी जाती है।

दिनांक............................

प्राधिकारी के हस्ताक्षर
और मुहर।

1—यहां स्थान दर्ज करें।
2—यहां दिनांक दर्ज करें।

प्रपत्र एस० आर०—13

[नियम 39 (3) देखिए]

निरीक्षण के दिनांक के लिए आवेदन-पत्र जब प्रपत्र एस० आर०–12 में उसे पृष्ठांकित न किया गया हो

भाग—क

(आवेदक द्वारा भरा जायेगा)

सेवा में,

रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी

....

मैं, एतद्द्वारा नीचे वर्णित यान के मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 56 के अधीन अपेक्षित निरीक्षण के दिनांक के लिए आवेदन करता हूं:—

1—यान का रजिस्ट्रीकरण चिन्ह ....

2—दिनांक जब ठीक हालत में होने का प्रमाण-पत्र विधिमान्य नहीं रह जायेगा ....

3—ठीक हालत में होने का प्रमाण-पत्र जारी करने वाले प्राधिकारी का नाम ....

दिनांक.................... आवेदक का नाम और उसका हस्ताक्षर

भाग—ख

[रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी द्वारा भरा जायेगा और स्वामी को हस्तान्तरित किया जायेगा]

यान का रजिस्ट्रीकरण चिन्ह ....

स्वामी का नाम और पता ....

चूंकि उपरिलिखित यान का ठीक हालत में होने का प्रमाण-पत्र दिनांक .... को समाप्त होने वाला है अतएव उसे .... (दिनांक, समय और स्थान का उल्लेख किया जायेगा) पर निरीक्षण के लिए प्रस्तुत किया जा सकता है।

दिनांक............................ रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी का हस्ताक्षर और उसका पदनाम।

प्रपत्र एस० आर०—14

[नियम 39 (6) देखिए]

यान के प्रयोग के लिए अस्थायी प्राधिकार देना जब ठीक हालत में होने का प्रमाण-पत्र समाप्त हो गया हो।

**....................................... का जिसका रजिस्ट्रीकरण चिन्ह .... है, ठीक हालत में होने का प्रमाण-पत्र जो .... द्वारा अन्तिम बार .... को नवीकृत किया गया था .... को समाप्त हो गया है।

मैं, एतद्द्वारा दिनांक .... तक यान के प्रयोग का प्राधिकार देता हूं परन्तु यह तत्काल ऐसे प्राधिकारी के क्षेत्र में जिसके द्वारा ठीक हालत में होने का प्रमाण-पत्र नवीकृत किया जाना है युक्तियुक्त शीघ्रता से हटा लिया जाय :

परन्तु यह और कि इस प्राधिकार के अधीन प्रयोग किया जा रहा यान—

*(क) में ड्राइवर को छोड़कर .... यात्रियों से अधिक नहीं ले जाया जाएगा,

*(ख) में कोई माल नहीं ले जाया जायेगा,

*(ग) को .... किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक की गति पर नहीं चलाया जायेगा।

स्थान.........................

दिनांक....................... रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी के हस्ताक्षर, मुहर और पदनाम।

** यहां यान का संक्षिप्त विवरण दें।

* जो अपेक्षित न हो उसे काट दें।

सेवा में,

रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी,

....

मैंने आज दिनांक .... को मोटर यान संख्या .... के अस्थायी रूप से प्रयोग को .... तक इसको हटाने के लिए प्राधिकृत किया/जारी किया गया प्राधिकार .... तक वैध है।

स्थान ....

दिनांक ....

रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी के
हस्ताक्षर और मुहर।

प्रपत्र एस० आर०—15

[नियम 39 (7) देखिए]

किसी क्षतिग्रस्त यान को हटाये जाने के लिए अस्थायी प्राधिकार

यान का रजिस्ट्रीकरण चिन्ह ....

मेक और माडल ....

यान का प्रकार ....

ठीक हालत में होने का प्रमाण-पत्र .... संख्या .... द्वारा जारी किया गया।

अन्तिम बार दिनांक .... को .... द्वारा नवीकृत।

निरीक्षण का दिनांक ....

स्वामी का नाम और पता ....

उपर्युक्त वर्णित यान मेरी राय में मोटर यान अधिनियम, 1988 के अध्याय सात और तद्धीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों के अनुपालन में निम्नलिखित खराबियों के कारण विफल है—

....

....

अतएव, मैंने ठीक हालत में होने का प्रमाण-पत्र जब्त कर लिया है। गाड़ी को—

(1) .... स्थान पर .... बजे

(2) दिनांक .... को, या (I) .... स्थान पर .... बजे

(II) दिनांक .... को परीक्षण के लिये प्रस्तुत किया जा सकता है।

दिनांक .... को या उसके पूर्व यान को मरम्मत के लिए .... को और .... को चलाकर ले जाया जा सकता है।

यह .... किलोमीटर प्रति घंटे की गति से अधिक पर नहीं चलाया जायेगा और (III) .... यात्री और .... माल ले जाया जा सकता है।

प्राधिकारी का नाम

दिनांक ....

हस्ताक्षर और मुहर।

(I) यहां समय और स्थान दर्ज करें।

(II) यहां दिनांक दर्ज करें।

(III) यहां शब्द ''नहीं'' दर्ज करें जब तक किसी बहुत विशेष कारण से कुछ भार की अनुमति न दी जाय।

प्रपत्र एस० आर०—16

[नियम 39 (8) देखिए]

मोटर यान के हटाये जाने के लिए अस्थायी प्राधिकार जब ठीक हालत में होने का प्रमाण-पत्र रद्द कर दिया गया हो।

1—यान का रजिस्ट्रीकरण चिन्ह..

2—मेक और माडल..

3—यान का प्रकार..

4—ठीक हालत में होने का प्रमाण-पत्र..

(क) संख्या..........................

(ख) .... द्वारा जारी किया गया।

(ग) अन्तिम नवीकरण (एक) .... को

(दो) .... द्वारा किया गया।

5—निरीक्षण का दिनांक..

6—स्वामी का नाम और पता (दोनों स्थायी और वर्तमान) ....

मेरा समाधान हो गया है कि उपरिलिखित यान ने निम्नलिखित की अपेक्षाओं की पूर्ति करना बन्द कर दिया है —

(क) मोटर यान अधिनियम, 1988 और तद्धीन बनाये गये नियम

....

....

....

(यहां तथ्यों का उल्लेख किया जाय।)

अतएव, मैंने ठीक हालत में होने के प्रमाण-पत्र को जब्त कर लिया है। यान को—

(1) .... स्थान पर

(2) दिनांक.......................... को या (I) .... स्थान पर

(II) दिनांक........... को पुनरीक्षण के लिए प्रस्तुत किया जा सकता है।

दिनांक .... को या इसके पूर्व यान को.................. को मरम्मत के लिए .... और तत्पश्चात्..................... को चलाकर ले जाया जा सकता है।

यह .... किलोमीटर प्रति घंटे की गति से अधिक पर नहीं चलाया जायगा और (III) .... यात्री और .... माल ले जाया जा सकता है।

इस यान के सम्बन्ध में दिये गये रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र और किसी परमिट को भी तब तक निलम्बित समझा जायेगा जब तक कि ठीक हालत में होने का नया प्रमाण-पत्र नहीं कर लिया जाय।

स्थान..........................

दिनांक........................ प्राधिकारी के हस्ताक्षर और मुहर।

(I) यहां समय और स्थान दर्ज करें।

(II) यहां दिनांक दर्ज करें।

(III) यहां शब्द "नहीं" दर्ज करें जब तक किसी विशेष कारण से कुछ भार की अनुमति न दी जाय।

प्रपत्र एस० आर०—17

[नियम 41 (2) देखिए]

मोटर यान के अस्थायी रजिस्ट्रीकरण के लिये आवेदन का प्रपत्र

सेवा में,

रजिस्ट्रीकर्ता/विहित प्राधिकारी, ...

1—रजिस्ट्रीकृत स्वामी के रूप में राष्ट्रीयकृत
किए जाने वाले व्यक्ति का पूरा नाम ....
पुत्र/पत्नी/पुत्री ....

2—आवेदक का स्थायी पता ....
(साक्ष्य प्रस्तुत किया जाय) ....

3—स्थान जहां यान स्थायी
रूप से रजिस्ट्रीकृत होगा ....

4—व्यवसायी या विनिर्माता का नाम
और पता जिससे यान को क्रय किया
गया था ....
(विक्रय प्रमाण-पत्र और विनिर्माता द्वारा जारी
किया गया सड़क पर चलने योग्य प्रमाण-पत्र
संलग्न किया जाय)

5—यान का वर्ग ....
(यदि मोटर साईकिल है तो गियर वाली
है या बिना गियर की है)

6—मोटर यान—
(क) नया यान है ....
(ख) भूतपूर्व सेना यान है ....
(ग) आयातित यान है ....

7—यान का प्रकार ....

8—ढांचें का प्रकार ....

9—बनाने वाले का नाम...

10—विनिर्माण का माह और वर्ष ....

11—अश्व शक्ति ....

12—घन क्षमता ....

13—बनाने वाले द्वारा किया गया वर्गीकरण या
यदि ज्ञात नहीं है तो व्हील बेस ....

14—चेसिस संख्या ....
(पेन्सिल का चिन्ह लगायें)

15—इन्जन संख्या ....

16—सीटों की क्षमता (ड्राइवर सहित) ....

17—इन्जन में उपयोग किया गया ईंधन ....

18—लदान रहित भार ....

19—सकल यान भार जैसा –

(क) विनिर्माता द्वारा प्रमाणित किया गया ....

(ख) रजिस्ट्रीकृत किया जाने वाला ....

20—ढांचा का रंग, यदि कोई हो ....

21—अस्थायी रजिस्ट्रीकरण का प्रयोज्य ....

22—मैंने .... रुपये की विहित फीस जमा कर दी है ।

(फीस वही होगी जैसा केन्द्रीय नियमावली के नियम 81 में आवेदित यान के रजिस्ट्रीकरण के सम्बन्ध में विहित हो)

मैं एतद्द्वारा घोषणा करता हूँ कि भारत में किसी भी राज्य में यान को रजिस्ट्रीकृत नहीं किया गया है ।

स्वामी के हस्ताक्षर

प्रपत्र एस० आर०–18

[नियम 41 (3) देखिये]

अस्थायी रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र

अस्थायी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह ....

पिता/पति के नाम के साथ ....

स्वामी का नाम और पता ....

1—यान की चेसिस संख्या ....

2—बनाने वाले का नाम ....

3—इन्जन संख्या .... अश्व शक्ति ....

4—ढांचे का प्रकार ....

5—सीट की क्षमता ....

6—रंग ....

7—अस्थायी रजिस्ट्रीकरण का प्रयोजन ....

8—यह यान स्वामी द्वारा अवक्रय करार/पट्टे/आडमान के अधीन धारित है

(उस व्यक्ति का पूरा नाम और पता ....

....

जिसके साथ स्वामी द्वारा ऐसा..........करार किया गया है ।)

मोटर यान अधिनियम, 1988 के उपबन्धों के अधीन ऊपर वर्णित यान का मेरे द्वारा अस्थायी रूप से रजिस्ट्रीकरण किया गया है और रजिस्ट्रीकरण दिनांक .... तक विधिमान्य है ।

स्वामी के हस्ताक्षर या
अंगूठे का निशान

दिनांक ....

रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी के
हस्ताक्षर और मुहर ।

प्रपत्र एस० आर०–19

[नियम 53 (2) देखिये]

समग्र उत्तर प्रदेश में कलेण्डर वर्ष मास .... के दौरान चोरी हुए मोटर यानों और

बरामद किये गए मोटर यानों का मासिक विवरण

क्रम-सं०	जिले का नाम, पुलिस थाना		चोरी हुए/बरामद किये गए यानों का विवरण						चोरी के बारे में प्रथम सूचना रिपोर्ट का दिनांक	यदि बरामद हुई तो बरामद का दिनांक और स्थान	की गयी अनुवर्ती कार्यवाही (संक्षेप में)
	जिला	पुलिस थाना	रजि० संख्या	चेसिस संख्या	इंजन संख्या	वर्ग/श्रेणी	बनाने वाले का नाम	स्वामी का नाम और पता			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

सक्षम प्राधिकारी के हस्ताक्षर और मुहर।

टिप्पणी–(क) यदि स्तम्भ 4 और 10 में बताए गए यान विवरणाधीन मास के दौरान बरामद नहीं की गई हो तो स्तम्भ 11 में इसके विरुद्ध (×) बनाया जा सकता है।

(ख) यदि स्तम्भ 4 और 11 में बताये गये बरामद यान विवरणाधीन मास के दौरान चोरी नहीं की गयी थी, तो स्तम्भ 10 में इसके विरुद्ध (×) बनाया जा सकता है।

प्रपत्र एस० आर०–20

[नियम 64 (1) देखिये]

मंजिली गाड़ी के सम्बन्ध में परिमिट के लिए आवेदन-पत्र

सेवा में,

राज्य/सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण, ...

मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 69, 70 और 80 के उपबन्धों के अनुसार मैं/हम एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 66 के अधीन मंजिली गाड़ी/मंजिली गाड़ी की सेवा के सम्बन्ध में परिमिट दिए जाने के लिए आवेदन करता हूँ / करते हैं जैसा नीचे दिया गया है—

1—पूरा नाम..

2—आवेदक की प्रास्थिति ....

(क्या व्यष्टि कम्पनी या भागीदारी फर्म, सहकारी समिति आदि है।)

3—व्यष्टि के मामले में पिता/पति का नाम और किसी फर्म या कम्पनी के मामले में यथास्थिति, प्रबन्ध साझेदार या प्रबन्ध निदेशक का नाम ....

पूरा पता ....

(एक) स्थायी ....

....

(दो) वर्तमान ....

(जो किसी व्यष्टि की दशा में राशन कार्ड, बिजली बिल आदि की प्रमाणित प्रतिलिपि से या किसी अन्य विधिमान्य दस्तावेजी प्रमाण जो परिवहन प्राधिकरण का समाधान करता हो से, और कम्पनी या फर्म के मामले में संगण ज्ञापन की प्रमाणित प्रतिलिपि से, या भागीदारी दस्तावेज की प्रतिलिपि से, समर्थित होगा।

5—मार्ग/क्षेत्र जिसके लिए परमिट .... वांछित है।

6—(क) यान का प्रकार और रजिस्ट्रीकरण संख्या, यदि कोई हो ....

(ख) प्रस्तावित फेरों की न्यूनतम और अधिकतम संख्या ....

या

मंजिली गाड़ी की सेवा के मामले में—..

(एक) यानों की अधिकतम संख्या जो परमिट के निबन्धनों के अधीन क्षेत्र में या किसी मार्ग पर किसी एक समय पर चलाये जायेंगे और दैनिक फेरों की अधिकतम संख्या.................................

(दो) यानों की न्यूनतम संख्या जो परमिट के निबन्धनों के अधीन किसी एक समय पर चलाये जायेंगे और दैनिक फेरों की न्यूनतम संख्या ....

(तीन) सेवा पर प्रयोग होने वाले यानों के प्रकार और सीटों की लगभग क्षमता ....

.... यान .... सीटों से कम नहीं

और .... सीटों से अधिक नहीं और .... यान..............

सीटों से कम नहीं और .... सीटों से अधिक नहीं है।

.... यान...

सीटों से कम नहीं और .... सीटों से अधिक नहीं।

7—प्रस्तावित समय-सारणी का व्यौरा संलग्न है.................

8—लिए जाने के लिए प्रस्तावित किराये की मानक दर प्रति यात्री प्रति किलोमीटर.....................................

....

9—नियमित रूप से सेवा बनाए रखने के लिए और विशेष अवसरों के लिए भी आरक्षित रखे जाने वाले यानों की संख्या ....

10—यानों के रखे जाने, मरम्मत और अनुरक्षण के प्रबन्ध का ब्यौरा..

11—यात्रियों के आराम और सुविधा देने के लिए और सामान के सुरक्षित अभिरक्षा के लिए किए गये प्रबन्धों का ब्यौरा..

12—निम्नलिखित के सम्बन्ध में आवेदक द्वारा धृत मंजिली गाड़ी या ठेका गाड़ी की विधिमान्य परमिट का ब्यौरा—

(क) यह यान ....

(ख) कोई अन्य यान ....

13—क्या ऊपर कथित परमिटों में से कोई परमिट पिछले चार वर्षों में निलम्बित या रद्दकरण आदेश के अधीन है, यदि हां, तो ब्यौरा दें।

14—क्या ऊपर कथित परमिटों से आच्छादित यानों के सम्बन्ध में समस्त कर अद्यतन जमा कर दिए गए हैं। यदि हां, तो सम्बन्धित कराधान अधिकारी का अदेयता प्रमाण-पत्र संलग्न करें। यदि नहीं, तो बकाया का ब्यौरा दें (जो सम्बन्धित कराधान अधिकारी के प्रमाण-पत्रों से समर्थित हो)।

15—मैंने/हमने .... रुपये की विहित आवेदन फीस न्यायिकेतर स्टाम्प के रूप में भुगतान कर दिया है।

16—यान मेरे/हमारे कब्जे में है/हैं इसका/इनके रजिस्ट्रीकरण और बीमा प्रमाण-पत्र संलग्न हैं।

17—मैंने/हमने अभी तक यान का कब्जा नहीं पाया है और मैं/हम समझते हैं कि परमिट जब तक जारी नहीं की जायेगी तब तक मैं/हम रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र प्रस्तुत न कर दूं/दें।

18—मैं/हम एतद्द्वारा घोषणा करता हूं/करते हैं कि उक्त विवरण सही है और सहमत हूँ/हैं कि अन्य बातों के साथ के मुझे/हमें जारी की गई परमिट की शर्तें होंगी।

दिनांक ....

आवेदक (कों) के
हस्ताक्षर या
अंगूठे का निशान।

टिप्पणी—जो लागू न हो उसे काट दें।

परिवहन प्राधिकरण के कार्यालय में भरा जायगा।

1—प्राप्ति का दिनांक ....

2—आवेदन का दिनांक ....

3—... को स्वीकृत/उपान्तरित रूप में स्वीकृत/अस्वीकृत किया गया।

4—जारी किये गये परमिट की संख्या.............................

5—जारी की गई परमिट/परमिटों की संख्या.................................

(नाम)
सचिव,
.................परिवहन प्राधिकरण।

कार्यालय द्वारा भरा जायगा और आवेदक को वापस किया जायगा।

श्री ....

पुत्र श्री ....

.... के निवासी से..

मार्ग/क्षेत्र के लिए मंजिली गाड़ी की सेवा के सम्बन्ध में परमिट के लिए आवेदन पत्र दिनांक..

को प्राप्त किया और उसे उत्तर प्रदेश मोटर यान नियमावली, 1998 के नियम 62 के अधीन रखे गये रजिस्टर के क्रमांक...........................पर दर्ज किया।

सचिव,
..............परिवहन प्राधिकरण।

प्रपत्र एस० आर०—21

[नियम 64 (दो) देखिए]

किसी ठेका गाड़ी के सम्बन्ध में परमिट के लिए आवेदन-पत्र

सेवा में,

राज्य/संभागीय परिवहन प्राधिकरण,

....

मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 69, 73 और 80 के उपबंधों के अनुसार मैं/हम अधोहस्ताक्षरी एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 66 के अधीन ठेका गाड़ी के सम्बन्ध में परमिट के लिए आवेदन करता हूं/करते हैं, जैसा नीचे दिया गया है–

1—पूरा नाम...

2—व्यष्टि की दशा में पिता/पति का नाम और किसी फर्म या कम्पनी की दशा में यथास्थिति प्रबन्ध साझेदार या प्रबन्ध निदेशक का नाम

3—आवेदक की प्रास्थिति,

क्या व्यष्टि, कम्पनी या साझेदारी फर्म सहकारी समिति आदि हैं...

4—पूरा पता—

(क) स्थायी ....

(ख) वर्तमान...

जो किसी व्यष्टि की दशा में राशन कार्ड, बिजली बिल आदि की प्रमाणित प्रतिलिपि से या किसी अन्य विधिमान्य दस्तावेजों प्रमाण-पत्र से, जो परिवहन प्राधिकरण का समाधान करते हों, और कम्पनी या फर्म की दशा में संगम ज्ञापन की प्रमाणित प्रतिलिपि से या भागेदारी दस्तावेज की प्रतिलिपि से, समर्थित होगा।

5—क्षेत्र या मार्ग जिसके लिए परमिट वांछित है...

6—यान का प्रकार, इसकी बनावट और रजिस्ट्रीकरण चिन्ह...

....

7—रजिस्ट्रीकृत सीटों की क्षमता...

8—ठेका गाड़ी द्वारा की जाने वाली सेवा का ब्यौरा (मोटर टैक्सी की दशा में आवश्यक नहीं) और वह रीति जिसमें यह दावा किया जाय कि उससे लोक सुविधा दी जायेगी ....

9—क्या उसमें टैक्सी मीटर लगा है (केवल मोटर टैक्सी की दशा में) ....

10—आवेदक द्वारा धृत किसी विधिमान्य मंजिली गाड़ी या ठेका गाड़ी परमिट (या किसी तत्समान प्राधिकार) का ब्यौरा–

(क) इस यान के सम्बन्ध में—

परमिट संख्या	द्वारा जारी किया गया	क्षेत्र विधिमान्यता की अवधि

(ख) किसी अन्य यान के सम्बन्ध में–

(यथोक्त)

11— आवेदक द्वारा धृत किसी परिवहन यान के प्रयोग के संबंध में किसी राज्य में पिछले चार वर्षों के दौरान परमिट के ब्यौरे, जो किसी आदेश के अधीन निलम्बित या रद्द किये गये हों, यदि ऐसा हो, ब्यौरा दे........

....

....

....

12—क्या ऊपर कथित परमिटों से आच्छादित यानों के संबंध में समस्त कर को अद्यतन जमा कर दिया गया है। यदि हां, तो सम्बन्धित कराधान अधिकारी का अदेयता प्रमाण-पत्र संलग्न करें, यदि नहीं, तो बकाया का ब्यौरा दें (सम्बन्धित कराधान अधिकारी के प्रमाण-पत्र से समर्थित होगा)..

13—भाड़ेदारों के आराम और सुविधा के लिए और सामान रखने और उसकी सुरक्षित अभिरक्षा के लिए किये गये प्रबन्धों का ब्यौरा ....

....

....

....

14—यान मेरे/हमारे कब्जे में है और यान के सम्बन्ध में रजिस्ट्रीकरण और बीमा प्रमाण-पत्र एतद्द्वारा संलग्न है

....

....

15—मैंने/हमने .... रुपये की विहित आवेदन-पत्र फीस न्यायिकेतर स्टाम्प के रूप में जमा कर दिया है.............................. ....

16—मैंने/हमने अभी तक यान का कब्जा प्राप्त नहीं किया है और मैं/हम समझता हूँ/ समझते हैं कि परमिट ....

.... तब तक जारी नहीं होगी जब तक मैं/हम....................................

रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं कर देता हूँ/ कर देते हैं।

17—मैं/हम एतद्द्वारा घोषित करता हूँ/ करते हैं कि उक्त कथन सत्य हैं और सहमत हूँ/ हैं कि वे अन्य बातों के साथ मुझे/हमें जारी की गई परमिट की शर्तें होंगी।

दिनांक........................

आवेदक/आवेदकों के
हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान।

जो लागू न हो उसे काट दें।

परिवहन प्राधिकरण के कार्यालय द्वारा भरा जाय

1—प्राप्ति का दिनांक ....

2—आवेदन का दिनांक ....

3—सदस्यों को परिचालन ....

बैठक में विचार का दिनांक................................

अध्यक्ष द्वारा निर्णय ....

·365·

4—स्वीकृत ....

उपान्तरिक रूप में स्वीकृति ....

अस्वीकृत...

5—परमिट की संख्या...

सचिव,

................परिवहन प्राधिकरण।

प्रपत्र एस० आर०—22

[नियम 64 (तीन) देखिए]

माल वाहन के सम्बन्ध में परमिट के लिए आवेदन-पत्र

सेवा में,

राज्य/संभागीय परिवहन प्राधिकरण,

....

....

मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 69, 77 और 80 के उपबन्धों के अनुसार मैं/हम, अधोहस्ताक्षरी, एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 66 के अधीन माल वाहन के सम्बन्ध में परमिट के लिए जैसा नीचे दिया गया है, आवेदन करता हूँ/करते हैं–

1—पूरा नाम...

2—आवेदक की प्रास्थिति ....

(क्या व्यष्टि, कम्पनी या साझेदारी फर्म सहकारी समिति आदि है?)

3—पिता या पति का नाम ....

(व्यष्टि की दशा में और फर्म या कम्पनी की दशा में यथास्थिति, प्रबन्ध साझेदार या प्रबन्ध निदेशक का नाम)

4—पूरा पता—

(क) स्थायी ....

....

(ख) वर्तमान...

(जो किसी व्यष्टि की दशा में राशन कार्ड, विजली बिल आदि की प्रमाणित प्रतिलिपि से या किसी अन्य दस्तावेजी प्रमाण-पत्र से जो परिवहन प्राधिकरण का समाधान करते हों और कम्पनी या फर्म की दशा में संगम ज्ञापन की प्रमाणित प्रतिलिपि से या भागीदारी दस्तावेज की प्रतिलिपि से समर्थित होगा।)

5—क्षेत्र या मार्ग, जिसके लिए परमिट वांछित है ....

6—ले जाने वाले माल की प्रकृति ....

(इस बात का विशेष उल्लेख किया जायगा कि क्या आवेदक का खतरनाक और जोखिम वाले माल को ले जाने का अभिप्राय है..)

7—यान का प्रकार और उसकी क्षमता जिसके अन्तर्गत ट्रेलर और अनुकल्पी ट्रेलर भी है..............................

यानों की संख्या	प्रकार	सकल यान भार	लदान रहित भार	रजिस्ट्रीकरण चिन्ह	समग्र लम्बाई	समग्र भार
1	2	3	4	5	6	7

8—अग्रेषण और संग्रेहण अभिकर्ता, का, जिससे यान को सम्बद्ध किया जाने वाला हो

नाम, पता और अनुज्ञापन संख्या ....

9—आवेदक द्वारा धृत किसी विधिमान्य माल वाहन की परमिट (या तत्समान प्राधिकार) का ब्यौरा..................

....

10—आवेदक द्वारा धृत किसी ऐसी परमिट का विवरण जो पूर्ववर्ती चार वर्ष के दौरान निलम्बन या रद्दकरण के किसी आदेश के अधीन रहा हो...

11—माल के ले जाने के लिए, लिये जाने के लिए प्रस्तावित भाड़े की मानक दर ....

पैसा प्रति कुन्तल, प्रति किलोमीटर

12—मैंने/हमने .... रुपये की विहित आवेदन-पत्र की फीस न्याधिकेतर स्टाम्प के रूप में जमा कर दिया है।

13—मैं/हम यान/यानों का रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र/प्रमाण-पत्रों को संलग्न करता हूँ/ करते हैं।

14—मैं/हम एतद्द्वारा घोषित करता हूँ/ करते हैं कि उक्त कथन सही है और सहमत हूँ/ कि वे अन्य बातों के साथ-साथ मुझे/हमें जारी किये गये किसी परमिट की शर्तें होंगी।

दिनांक

आवेदक (आवेदकों) के
हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान।

परिवहन प्राधिकरण के कार्यालय द्वारा भरा जायगा

1—प्राप्ति का दिनांक ....

2—आवेदन का दिनांक..

3—स्वीकृत ....

उपान्तरित रूप में स्वीकृत

....

इन्कार किया गया

4—जारी की गई परमिट की संख्या ....

सचिव,
परिवहन प्राधिकरण।

प्रपत्र एस० आर०—23

(1)

[नियम 64 (चार) देखिये]

प्राइवेट सेवा यान की परमिट के लिये आवेदन-पत्र

सेवा में,

सम्भागीय/राज्य परिवहन प्राधिकरण

मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 69, 76 के उपबन्धों के अनुसार मैं/हम अधोहस्ताक्षरी एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 66 के उपबन्धों के अधीन प्राइवेट सेवा यान परमिट के लिये आवेदन करता हूँ/करते हैं जैसा कि यहाँ नीचे दिया गया है :

1—पूरा नाम..

2—पिता/पति का नाम (व्यष्टि की स्थिति में)..

3—पता—

(1) स्थायी..

(2) वर्तमान...

4—क्षेत्र या मार्ग जिसके लिये परमिट वांछित है...

5—प्रयोजन जिसके लिये परमिट वांछित है..

6—वह रीति जिसमें किराये या पारिश्रमिक के लिये या आवेदक द्वारा चलाये जाने वाले व्यापार या कारबार के सम्बन्ध से भिन्न व्यक्तियों को ले जाने के प्रयोजन की पूर्ति यान द्वारा की जायगी..................................

7—यान का प्रकार और सीटों की क्षमता—

यान का रजिस्ट्रीकरण चिन्ह	प्रकार	सीटों की क्षमता	सकल यान भार
1	2	3	4

टिप्पणी—यदि यान आवेदक के कब्जे में नहीं है तो यह पर्याप्त होगा यदि स्तम्भ (3) और (4) के अंक भार के किसी प्रवृत्त परिसीमा के अधीन रहते हुये दस प्रतिशत से अधिक या कम हो ठीक हो रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण-पत्र परिवहन प्राधिकरण को अवश्य प्रस्तुत किया जाना चाहिये ताकि रजिस्ट्रीकरण चिन्ह की प्रविष्टि परमिट जारी करने के पूर्व उसमें की जा सके।

8—आवेदक के व्यापार या कारबार की प्रकृति...

9—कारबार का स्थान (डाक के पते सहित)...

10—कारबार के स्थान को लाये जाने वाले/और वहां ले जाये जाने वाले व्यक्तियों की विनिर्दिष्टियां.................

11—आवेदक के वित्तीय स्थायित्व का साक्ष्य अर्थात् ठीक पूर्ववर्ती वर्ष के लिये आय-कर और व्यापार-कर की विवरणी जो समुचित प्राधिकारियों को प्रस्तुत की गयी हो...

12—मैं/हम एक परमिट जो .... वर्ष/माह के लिये विधिमान्य हो चाहता हूँ/चाहते हैं और मैंने/हमने .... रुपये न्यायिकेतर स्टाम्प के रूप में विहित आवेदन-पत्र फीस जमा कर दिया है।

13—मैं/हम एतद्द्वारा घोषणा करता हूँ/करते हैं कि उपर्युक्त कथन सही है और इस बात से सहमत हूँ/ हैं कि वे अन्य बातों के साथ-साथ मुझे/हमें जारी किये गये अनुज्ञा-पत्र की शर्तें होंगी।

(स्थान)

दिनांक ....

आवेदक/आवेदकों का/के

हस्ताक्षर या अंगूठे का/के निशान।

परिवहन प्राधिकरण के कार्यालय में भरा जायगा

1—प्राप्ति का दिनांक..................................

2—सदस्यों को परिचालित किये जाने/बैठक में विचार किये जाने/ सभापति द्वारा विनिश्चय का दिनांक.............

3—दिनांक...................... को स्वीकृत/अस्वीकृत किया गया...

....

4—परमिट की संख्या.......... ....

दिनांक

सचिव,

परिवहन प्राधिकरण का हस्ताक्षर

और मुहर।

प्रपत्र एस० आर०—24

[नियम 64 (पांच) देखिए]

अस्थायी परमिट के सम्बन्ध में आवेदन-पत्र

सेवा में,

राज्य/सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण

मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 69 और 87 के उपबन्धों के अनुसार मैं/हम, अधोहस्ताक्षरी एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 66 के अधीन अस्थायी परमिट के लिये आवेदन करते हैं, जैसा नीचे दिया गया है :

1—पूरा नाम...

2—पिता/पति का नाम (व्यष्टि की दशा में)...

3—पता—

(1) स्थायी..

(2) वर्तमान..

4—परमिट की प्रकृति................ मंजिली गाड़ी/ठेका गाड़ी/माल वाहन

5—प्रयोजन जिसके लिये परमिट अपेक्षित है..

6—मार्ग/क्षेत्र...

7—परमिट के अस्तित्वाधीन रहने की अवधि .... से .... तक (दोनों दिन सम्मिलित करते हुये)

8—अस्थायी आवश्यकता का औचित्य...

9—यान का रजिस्ट्रीकरण चिन्ह ....

10—यान का प्रकार और लदान भार/सीटों की क्षमता जिसके लिये परमिट अपेक्षित है.............................

11—मैंने/हमने............. रुपये की विहित आवेदन-पत्र फीस न्यायिकेतर स्टाम्प के रूप में जमा कर दी है।

12—मैं यान के सम्बन्ध में जिसके लिये परमिट अपेक्षित है सम्बन्धित कराधान अधिकारी का अदेयता प्रमाण-पत्र संलग्न करता हूँ।

13—मैं/हम एतद्द्वारा घोषणा करता हूँ/करते हैं कि उक्त कथन सत्य है और सहमत हूँ/हैं कि वे अन्य बातों के साथ-साथ मुझे/हमें जारी की गई परमिट की शर्तें होंगी।

दिनांक..................

आवेदक का हस्ताक्षर/

अंगूठे का निशान।

परिवहन प्राधिकरण के कार्यालय द्वारा भरा जाएगा

1—प्राप्ति का दिनांक ....

2—दिनांक .... को स्वीकृत/उपान्तरित रूप में स्वीकृत/इन्कार किया गया।

3—जारी की गई परमिट की संख्या...

दिनांक.............................

सचिव,

परिवहन प्राधिकरण।

प्रपत्र एस० आर०—25

(1)

[नियम 64 (छः) देखिए]

विशेष परमिट के लिये आवेदन-पत्र

सेवा में,

परिवहन प्राधिकरण

चूंकि मेरा/हमारा यान ऐसे व्यक्तियों द्वारा जिनका ब्यौरा नीचे दिया गया है, नीचे उल्लिखित स्थानों का परिदर्शन करने के लिये लगा है, अतः मैं/हम, एतद्द्वारा मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 88 की उपधारा (8) के उपबन्धों के अनुसार उक्त अधिनियम की धारा 66 के अधीन परमिट दिये जाने के लिये आवेदन करता हूँ/करते हैं :–

1—रजिस्ट्रीकृत स्वामी का नाम...

2—पिता/पति का नाम (व्यष्टि की दशा में)...

3—पूरा पता–

(क) स्थायी ....

(ख) वर्तमान...

4—यान का रजिस्ट्रीकरण चिन्ह

5—प्रयोजन जिसके लिये परमिट अपेक्षित है...

6—परमिट के अस्तित्वाधीन रहने की अवधि............. से तक

7—यान/यानों का प्रकार और सीट की क्षमता जिसके/जिनके लिये परमिट अपेक्षित है..................................

8—मार्ग जिससे होकर यात्रा की जायगी...

9—लगाये जाने वाले प्रस्तावित यान की साधारण परमिट का ब्यौरा संख्या............ मार्ग............ विधिमान्यता

10—मैंने/हमने.............. रुपये की विहित आवेदन-पत्र फीस न्यायिकेतर स्टाम्प के रूप में जमा कर दी है।

11—मैंने/हमने भारतीय स्टेट बैंक के माध्यम से तैयार किया गया सम्बन्धित राज्यों के करों के बैंक ड्राफ्ट/ड्राफ्ट्स संलग्न कर दिये हैं :–

क्रम-संख्या	राज्य का नाम	धनराशि	कर की प्रकृति	बैंक ड्राफ्ट संख्या और दिनांक	प्राधिकारी जिसे भुगतान किया गया
1	2	3	4	5	6

·350·

12—मैं/हम घोषणा करता हूँ/करते हैं कि यान में दो ड्राइवर होंगे।

13—मैं/हम घोषणा करता हूँ/करते हैं कि उक्त कथन सत्य है और यह कि वे अन्य बातों के साथ-साथ मुझे/हमें स्वीकृत की गयी परमिट की शर्तें होंगी।

14—व्यक्तियों के विवरण—

क्रम-संख्या	पूरा नाम	पिता/पति का नाम	आयु	निवास का स्थान
1	2	3	4	5

दिनांक............

आवेदक/आवेदकों के हस्ताक्षर/
अंगूठे का निशान।

प्रपत्र एस० आर०—26

[नियम 65 (1) (एक) देखिए]

मंजिली गाड़ी के सम्बन्ध में परमिट

................परिवहन प्राधिकरण

परमिट संख्या......................

1—धारक का नाम ....

2—पिता/पति का नाम (किसी व्यष्टि के मामले में) ....

3—पता—

(क) स्थायी ....

(ख) वर्तमान..

4— (एक) यान का रजिस्ट्रीकरण चिन्ह..

(दो) माडल ....

(तीन) चेसिस संख्या ....

(चार) इंजन संख्या..

(पांच) फाइनेन्सर का नाम, यदि कोई हो, जिसके साथ यान का अवक्रय करार है.............................

5—यात्री सीट की संख्या, खड़े होने की अनुमति के साथ यदि कोई हो..

6—मार्ग/क्षेत्र जिसके लिये परमिट विधिमान्य है..

7—विधिमान्यता की अवधि .... से .... तक

8—अनुमोदित किराये की दर.............. पैसा प्रति यात्री प्रति किलोमीटर..

9—अनुमोदित समय सारणी की विशिष्टियां..

10—प्रतिदिन अनुमत एकल फेरों की संख्या..

11—यात्रियों और उनके व्यक्तिगत सामान के अतिरिक्त माल निम्नलिखित शर्तों के अधीन ले जाया जा सकता है :–

....

....

....

....

12—यान में किराया सारणी को प्रदर्शित किया जायेगा।

13—समय-सारणी को यान पर और बस अड्डे पर प्रदर्शित किया जायेगा।

14—यात्रियों को टिकट उत्तर प्रदेश यात्री कर नियमावली, 1962 के प्रपत्र (चौदह) में जारी किया जायेगा।

15—राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर विहित रीति से मासिक विवरणी परिवहन प्राधिकरण को प्रस्तुत की जायेगी।

16—यह परमिट मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 84 के अधीन यथा उपबन्धित शर्तों के अध्यधीन रहते हुये होगी।

17—अन्य शर्तें—यथा स्थिति, संयुक्त प्रान्त मोटर गाड़ी कराधान अधिनियम, 1935, उ० प्र० मोटर गाड़ी (यात्रीकर) अधिनियम, 1962 या उ० प्र० मोटर गाड़ी (मालकर) अधिनियम, 1964 विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर ऐसे कर का सम्यक् भुगतान नहीं किया जाता है, तो यह उप धारणा की जायेगी कि परमिट के धारक ने साशय ऐसे कर के भुगतान का अपवंचन किया है।

(1) ऐसे परमिट से आच्छादित यान का प्रयोग किसी भी दशा में किसी सार्वजनिक स्थान में उस अवधि के दौरान नहीं किया जायेगा, जिसमें उससे सम्बन्धित रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र, टोकन संयुक्त प्रान्त मोटर गाड़ी कराधान अधिनियम, 1935 और तद्धीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों के अनुसार अभ्यर्पित किया जाय या अभ्यर्पित कर दिया गया हो या निलम्बित या रद्द कर दिया गया हो।

(2) ऐसे परमिट से आच्छादित यान का प्रयोग किसी भी दशा में किसी सार्वजनिक स्थान में नहीं किया जायगा जब तक कि राज्य सरकार द्वारा उद्ग्रहीत और उसके सम्बन्ध में देय करों का सम्यक् भुगतान न कर दिया गया हो, और यदि यथास्थिति, संयुक्त प्रान्त मोटर गाड़ी कराधान अधिनियम, 1935, उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (यात्रीकर) अधिनियम, 1962 या उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (मालकर) अधिनियम, 1964 में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर ऐसे कर का सम्यक् भुगतान नहीं किया जाता है, तो यह उपधारणा की जायगी कि परमिट के धारक ने साशय ऐसे कर के भुगतान का अपवंचन किया है।

(3) धारा 82 की उपधारा (2) में किये गये उपबन्धों को छोड़कर परिवहन प्राधिकरण, जिसने परमिट दी हो, की अनुज्ञा के सिवाय परमिट किसी अन्य व्यक्ति को अन्तरित नहीं की जायेगी।

(4) यान का प्रयोग परमिट में विनिर्दिष्ट क्षेत्र में या मार्ग पर या मार्गों पर किया जायगा।

(5) व्यक्तियों की अधिकतम संख्या या सामान का अधिकतम भार जो परमिट से आच्छादित यान में ले जाया जायेगा रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र में दी गयी संख्या या भार से अधिक नहीं होगा।

(6) केवल ऐसे विज्ञापन विषय, जो सीधे परमिट धारक के कारबार से सम्बन्धित हो, जिसके अग्रसर करने में परमिट प्राप्त किया जाय और जो किसी भी प्रकार यान की पहचान को परिवर्तित नहीं करता, गाड़ी पर बोनट, फ्रन्ट स्क्रीन, विण्ड स्क्रीन और डैश बोर्ड के किसी भाग के सिवाय प्रदर्शित किया जा सकता है :

परन्तु यह कि विज्ञापन का कोई विषय यान के ऊपर रंगे हुए, खुदे हुये या जुड़े हुए किसी सारवान विवरण को न तो आच्छादित करेगा और न उसके 20 सेन्टीमीटर के कम की दूरी पर होगा।

(7) परमिट को परमिट धारक द्वारा ऐसी रीति से ले जाया जायेगा कि वह किसी भी समय प्राधिकृत व्यक्ति के निरीक्षण के लिये तुरन्त उपलब्ध हो सके।

18—अन्य कोई शर्त ....

....

....

....

72 की शर्तें
84 की शर्तें
67 " "
68 " "

19— उत्तर प्रदेश मोटर यान नियमावली, 1998 के नियम 75 के अधीन परमिट नीचे दिये गये सम्भागों में और नीचे दी गई शर्तों के अध्यधीन रहते हुये विधिमान्य होगी –

सम्भाग	मार्ग / मार्गों / क्षेत्र	शर्तें
1	2	3

दिनांक .... सचिव,

परिवहन प्राधिकरण।

नवीकरण

यह परमिट एतद्द्वारा............... से .... तक निम्नलिखित अग्रेतर शर्तों के अध्यधीन नवीकृत किया जाता है।

(1)

(2)

(3)

(4)

किसी पूर्ववर्ती प्रति हस्ताक्षर के साथ सशक्त शर्तों के अध्यधीन रहते हुये यह निम्नलिखित राज्य/सम्भागों में भी प्रभावी होगी–

(1)

(2)

(3)

(4)

सचिव,

दिनांक .... परिवहन प्राधिकरण।

प्रतिहस्ताक्षर

संख्या.........................

....................परिवहन प्राधिकरण,

शर्तों को निम्नलिखित फेरफार के अध्यधीन रहते हुये ....

..................................मार्ग/क्षेत्र के लिये प्रतिहस्ताक्षरित :–

(1)

(2)

(3)

(4)

दिनांक.................. सचिव,

परिवहन प्राधिकरण।

प्रतिहस्ताक्षर का नवीकरण

प्रतिहस्ताक्षर एतद्द्वारा.. तक नवीकृत किया जाता है।

दिनांक...............

सचिव,

परिवहन प्राधिकरण।

प्रपत्र एस० आर०—27

[नियम 65-(1) (दो) देखिए]

(ठेका गाड़ी के सम्बन्ध में परमिट)

सेवा में,

परिवहन प्राधिकरण,

....

परमिट संख्या..................

1—धारक का नाम ....

2—पिता/पति का नाम (व्यष्टि के मामले में)..

3—पता—

(क) स्थायी ....

(ख) वर्तमान..

4—(एक) यान का रजिस्ट्रीकरण चिन्ह ....

(दो) माडल ....

(तीन) चेसिस संख्या..

(चार) इन्जन संख्या..

(पांच) यान का वर्ग..

मोटर टैक्सी	बड़ी टैक्सी	बस

(छः) यान.............................. के साथ अवक्रम करार के अधीन है।

5—मार्ग/क्षेत्र जिसके लिये परमिट विधिमान्य है..

6—परमिट के अवसान का दिनांक..

7—किराये की प्रति किलोमीटर दर..

8—यह परमिट मोटर यान अधिनियम 1988 की धारा 84 में उपबन्धित शर्तों के अध्यधीन रहते हुये होगी।

9—रखे जाने वाले अभिलेख और दिनांक जब विवरणी परिवहन प्राधिकरण को प्रस्तुत की जायेगी..................

10—अन्य शर्तें–यथास्थिति, संयुक्त प्रान्त मोटर गाड़ी कराधान अधिनियम, 1935, उ० प्र० मोटर गाड़ी (यात्रीकर) अधिनियम, 1962 या उ० प्र० मोटर गाड़ी (मालकर), अधिनियम, 1964 विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर ऐसे कर का सम्यक् भुगतान नहीं किया जाता है, तो यह उपधारणा की जायेगी कि परमिट के धारक ने साशय ऐसे कर के भुगतान का अपवंचन किया है।

(1) ऐसे परमिट से आच्छादित यान का प्रयोग किसी भी दशा में किसी सार्वजनिक स्थान में उस अवधि के दौरान नहीं किया जायेगा, जिसमें उससे सम्बन्धित रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र, टोकन संयुक्त प्रान्त मोटर

गाड़ी कराधान अधिनियम, 1935 और तद्धीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों के अनुसार अभ्यर्पित किया जाय या अभ्यर्पित कर दिया गया हो या निलम्बित या रद्द कर दिया गया हो।

(2) ऐसी परमिट से आच्छादित यान का प्रयोग किसी भी दशा में किसी सार्वजनिक स्थान में नहीं किया जायगा जब तक कि राज्य सरकार द्वारा उद्ग्रहीत और उसके सम्बन्ध में देय करों का सम्यक भुगतान न कर दिया गया हो, और यदि यथास्थिति, संयुक्त प्रान्त मोटर गाड़ी कराधान अधिनियम, 1935, उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (यात्री कर) अधिनियम, 1962 या उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (मालकर) अधिनियम, 1964 में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर ऐसे कर का सम्यक् भुगतान नहीं किया जाता है, तो यह उपधारणा की जायगी कि परमिट के धारक ने साशय ऐसे कर के भुगतान का अपवंचन किया है।

(3) धारा 82 की उपधारा (2) में किये गये उपबन्धों को छोड़कर परिवहन प्राधिकरण, जिसने परमिट दी हो की अनुज्ञा के सिवाय परमिट किसी अन्य व्यक्ति को अन्तरित नहीं की जायेगी।

(4) यान का प्रयोग परमिट में विनिर्दिष्ट क्षेत्र में या मार्ग पर या मार्गों पर किया जायगा।

(5) व्यक्तियों की अधिकतम संख्या या सामान का अधिकतम भार जो परमिट से आच्छादित यान में ले जाया जायेगा रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र में दी गयी संख्या या भार से अधिक नहीं होगा।

(6) केवल ऐसे विज्ञापन विषय, जो सीधे परमिट धारक के कारबार से सम्बन्धित हो, जिसके अग्रसर करने में परमिट प्राप्त किया जाय और जो किसी भी प्रकार यान की पहचान को परिवर्तित नहीं करता, गाड़ी पर बोनट, फ्रन्ट स्क्रीन, विण्ड स्क्रीन और डैश बोर्ड के किसी भाग के सिवाय प्रदर्शित किया जा सकता है :

परन्तु यह कि विज्ञापन का कोई विषय यान के ऊपर रंगे हुए, खुदे हुये या जुड़े हुए किसी सारवान विवरण को न तो आच्छादित करेगा और न उसके 20 सेन्टीमीटर के कम की दूरी पर होगा

(7) परमिट को परमिट धारक द्वारा ऐसी रीति से ले जाया जायेगा कि वह किसी भी समय प्राधिकृत व्यक्ति के निरीक्षण के लिये तुरन्त उपलब्ध हो सके।

11—अन्य कोई शर्त ....

....

....

....

....

....

....

दिनांक................ सचिव,

................परिवहन प्राधिकरण।

12—परमिट नीचे दिये गये सम्भागों में और नीचे दी गई शर्त के अध्यधीन रहते हुये भी विधिमान्य है :

सम्भाग	मार्ग/क्षेत्र	शर्तें
1	2	3

दिनांक................ **सचिव,**

परिवहन प्राधिकरण।

355.

नवीकरण

यह परमिट एतद्द्वारा दिनांक.. तक निम्नलिखित अग्रतर शर्तों के अध्यधीन रहते हुये नवीकृत की जाती है :–

(1)

(2)

(3)

किसी पूर्ववर्ती प्रतिहस्ताक्षर के साथ संसक्त शर्तों के अध्यधीन रहते हुये यह निम्नलिखित राज्य/सम्भागों में भी प्रभावी होगी।

दिनांक................

सचिव,

परिवहन प्राधिकरण।

प्रतिहस्ताक्षर

................परिवहन प्राधिकरण

....

संख्या..

शर्तों में निम्नलिखित फेरफार के अध्यधीन रहते हुये मार्ग/क्षेत्र............................ के लिये प्रतिहस्ताक्षरित :–

(1)

(2)

(3)

दिनांक....................

सचिव,

परिवहन प्राधिकरण।

प्रतिहस्ताक्षर का नवीकरण

ऊपर दिया गया प्रतिहस्ताक्षर एतद्द्वारा.................................. तक नवीकृत किया जाता है।

दिनांक ....

सचिव,

परिवहन प्राधिकरण।

प्रपत्र एस० आर०—28

[नियम 65 (1) (तीन) देखिए]

(माल वाहन परमिट)

..........परिवहन प्राधिकरण

....

परमिट संख्या..................

1—धारक का नाम ....

2—पिता/पति का नाम (व्यष्टि के मामले)..

3—पता—

(क) स्थायी..

(ख) अस्थायी..

4—(एक) गाड़ी का रजिस्ट्रीकरण चिन्ह..

(दो) माडल

(तीन) चेसिस संख्या..

(चार) इन्जन संख्या..

5—मार्ग/क्षेत्र जिसके लिये परमिट विधिमान्य है..

6—परमिट के अवसान का दिनांक..

7—यान की भार क्षमता..

(एक) सकल यान भार..

(दो) लदान रहित भार..

(तीन) संदत्त भार (पेलोड)..

8—ले जाये जाने वाले माल की प्रकृति..

9—रखे जाने वाले अभिलेख और दिनांक जब विवरणी परिवहन प्राधिकरण को प्रस्तुत की जानी हो..............................

10—परिमिट मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 84 में उपबन्धित शर्तो के अध्यधीन रहते हुये होगी।

11—ऐसे संग्रहण, अग्रेषण और वितरण करने वाले अभिकर्ता से जो बिना विधिमान्य अनुज्ञप्ति प्राप्त किये हुये इस कारबार में लगा हुआ हो, न तो कोई माल संग्रह किया जायेगा और न उसको दिया जायगा।

12—यथास्थिति, संयुक्त प्रान्त मोटर गाड़ी कराधान अधिनियम, 1935, उ० प्र० मोटर गाड़ी (यात्री कर) अधिनियम, 1962 या उ० प्र० मोटर गाड़ी (मालकर) अधिनियम, 1964 विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर ऐसे कर का सम्यक् भुगतान नहीं किया जाता है, तो यह उपधारणा की जायेगी कि परमिट के धारक ने साशय ऐसे कर के भुगतान का अपवंचन किया है।

12—(1) ऐसे परमिट से आच्छादित यान का प्रयोग किसी भी दशा में किसी सार्वजनिक स्थान में उस अवधि के दौरान नहीं किया जायेगा, जिसमें उससे सम्बन्धित रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र, टोकन संयुक्त प्रान्त मोटर गाड़ी कराधान अधिनियम, 1935 और तद्धीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों के अनुसार अभ्यर्पित किया जाय या अभ्यर्पित कर दिया गया हो या निलम्बित या रद्द कर दिया गया हो,

(2) ऐसी परमिट से आच्छादित यान का प्रयोग किसी भी दशा में किसी सार्वजनिक स्थान में नहीं किया जायगा जब तक कि राज्य सरकार द्वारा उदग्रहीत और उसके सम्बन्ध में देय करों का सम्यक भुगतान न कर दिया गया हो, और यदि यथास्थिति, संयुक्त प्रान्त मोटर गाड़ी कराधान अधिनियम, 1935 उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (यात्रीकर) अधिनियम, 1962 या उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (मालकर) अधिनियम, 1964 में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर ऐसे कर का सम्यक् भुगतान नहीं किया जाता है, तो यह उपधारणा की जायगी कि परमिट के धारक ने साशय ऐसे कर के भुगतान का अपवंचन किया है।

(3) धारा 82 की उपधारा (2) में किये गये उपबन्धों को छोड़कर परिवहन प्राधिकरण, जिसने परमिट दी हो, की अनुज्ञा को सिवाय परमिट किसी अन्य व्यक्ति को अन्तरित नहीं की जायेगी।

(4) यान का प्रयोग परमिट में विनिर्दिष्ट क्षेत्र में या मार्ग पर या मार्गों पर किया जायगा।

(5) व्यक्तियों की अधिकतम संख्या या सामान का अधिकतम भार जो परमिट से आच्छादित यान में ले जाया जायेगा, रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र में दी गयी संख्या या भार से अधिक नहीं होगा।

(6) केवल ऐसे विज्ञापन विषय, जो सीधे परमिट धारक के कारभार से सम्बन्धित हो, जिसके अग्रसर करने में परिमिट प्राप्त किया जाय और जो किसी भी प्रकार यान की पहचान को परिवर्तित नहीं करता, गाड़ी पर बोनट, फ्रन्ट स्क्रीन, विण्ड स्क्रीन और डैश बोर्ड के किसी भाग के सिवाय प्रदर्शित किया जा सकता है:

परन्तु यह कि विज्ञापन का कोई विषय यान के ऊपर रंगे हुए, खुदे हुये या जुड़े हुये किसी सारवान विवरण को न तो आच्छादित करेगा और न उसके 20 सेन्टीमीटर कम की दूरी पर होगा।

357

(7) परमिट को परमिट धारक द्वारा ऐसी रीति से ले जाया जायेगा कि वह किसी भी समय प्राधिकृत व्यक्ति के निरीक्षण के लिये तुरन्त उपलब्ध हो सके।

13—अन्य कोई शर्तें–

(एक)...

(दो)...

(तीन)...

(चार)...

(पांच)...

दिनांक..............................

सचिव,

........................परिवहन प्राधिकरण।

नवीकरण

यह परमिट/परमिट एतद्द्वारा...तक अग्रेतर शर्तों के अधीन रहते हुए नवीकृत किया जाता है।

....

सचिव,

........................परिवहन प्राधिकरण।

प्रतिहस्ताक्षर

....................................के अध्यधीन रहते हुये मार्ग/क्षेत्र के लिये प्रतिहस्ताक्षरित...........................

दिनांक..

सचिव,

परिवहन प्राधिकरण।

....

प्रपत्र एस० आर०—29

[नियम 65 (1) (चार) देखिए]

प्राइवेट सेवा यान परमिट

........................परिवहन प्राधिकरण

....

परिमिट संख्या.......................................

1—धारक का नाम ....

2—पिता/पति का नाम (व्यष्टि के मामले में)...

3—पता–

(एक) स्थायी..

(दो) वर्तमान..

4—कारबार का स्थान और प्रकृति (डाक पते के साथ)..

5—क्षेत्र या मार्ग (मार्गों) ....

जिसके लिए परमिट विधिमान्य है।

6—यान का प्रकार और उसमें बैठने की क्षमता..

यान का रजिस्ट्रीकरण चिन्ह	प्रकार	बैठने की क्षमता	सकल यान भार	यान की चेसिस संख्या
1	2	3	4	5

7—कारबार की प्रकृति और कारबार के स्थान को लाये जाने वाले और वहां से ले जाये जाने वाले व्यक्तियों की अधिकतम संख्या ....

8—परिमिट के अवसान का दिनांक..

9—शर्तें:–

(क) यान का उपयोग केवल परमिट निर्दिष्ट क्षेत्र में यान मार्ग या मार्गों पर किया जायगा।

(ख) यान में ले जाये जा रहे किसी व्यक्ति से कोई किराया वसूल नहीं किया जायेगा और न यान के प्रचालन और अनुरक्षण पर उपगत या उपगत किये जाने के लिये सम्भाव्य व्यय या उसके किसी भाग को ऐसे व्यक्ति से किसी भी रीति से वसूल किया जायगा।

(ग) परमिट धारक यान के सामने छत के स्तर पर लगाये गये पट्टे या प्लेट पर सफेद आधार पर काले अक्षरों में कम से कम 10 सेन्टीमीटर की ऊंचाई के शब्द "प्राइवेट सेवायान" सुपाठ्य रूप में संप्रदर्शित करेगा।

(घ) परमिट से आच्छादित यान में ऐसे व्यक्तियों की जिन्हें यान में ले जाया जा सका है अधिकतम संख्या....... से अधिक नहीं होगी और सामान जो ले जाया जा सकता है अधिकतम भार..................कुन्तल से अधिक नहीं होगा।

(ङ) यान की सुख सुविधा, स्वच्छता और अनुरक्षण का मानक जैसा कि मोटर यान अधिनियम,1988 या तद्धीन बनाये गये नियमों में सार्वजनिक सेवा यान के लिये विनिर्दिष्ट है, यान में बनाये रखा जायगा।

(च) यान में कोई विज्ञापन सम्बन्धी विषय साधारणतया संप्रदर्शित नहीं किया जायगा। फिर भी परमिटधारक उप परिवहन प्राधिकरण की जिसके द्वारा अनुज्ञा पत्र जारी किया गया हो लिखित अनुज्ञा से और उसके द्वारा विनिर्दिष्ट रीति से यान पर ऐसे विज्ञापन सम्बन्धी विषयों को संप्रदर्शित कर सकता है जो उसके कारबार से, जिसके लिये परमिट प्राप्त की जाय, सीधे सम्बन्धित हो।

(छ) परमिट धारक परमिट को किसी कांचित फ्रेम में ले जायेगा या यान के मध्य में ले जाये जा रहे या लगाये गये अन्य उपयुक्त आधार (कन्टेनर) ऐसे ढंग से ले जायेगा जिससे कि वह स्वच्छ और पठनीय दशा में बना रहे और किसी प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा किसी भी समय निरीक्षण के लिये शीघ्र उपलब्ध हो सके।

(ज) परमिटधारक उस परिवहन प्राधिकरण को जिसके द्वारा परमिट जारी की गई है ऐसी कालिक विवरणी, सांख्यकीय और अन्य सूचना जैसे राज्य सरकार समय-समय पर विनिर्दिष्ट करे, प्रस्तुत करेगा।

(झ) परमिट धारक निम्नलिखित का भी अनुपालन करेगा–

(एक) मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 84 के अधीन विहित शर्तें और अधिनियम के अन्य उपबन्ध, जहां तक ये परमिट धारक पर लागू होते हों।

(दो) ऐसी अन्य कोई शर्त या शर्तें जिसे या जिन्हें राज्य परिवहन प्राधिकरण या सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाय।

(ञ) ऐसा परिवहन प्राधिकरण जिसके द्वारा परमिट जारी की गई है, कम से कम एक मास की सूचना देने के पश्चात् परमिट की शर्तों में परिवर्तन कर सकता है या उसमें कोई अग्रतर शर्तें बढ़ा सकता है।

10—अन्य कोई शर्तें–यथास्थिति, संयुक्त प्रान्त मोटर गाड़ी कराधान अधिनियम, 1935, उ० प्र० मोटर गाड़ी (यात्रीकर) अधिनियम, 1962 या उ० प्र० मोटर गाड़ी (मालकर) अधिनियम, 1964 विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर ऐसे कर का सम्यक् भुगतान नहीं किया जाता है तो यह उपधारणा की जायेगी कि परमिट के धारक ने साशय ऐसे कर के भुगतान का अपवंचन किया है।

(1) ऐसे परमिट से आच्छादित यान का प्रयोग किसी भी दशा में किसी सार्वजनिक स्थान में उस अवधि के दौरान नहीं किया जायेगा, जिसमें उससे सम्बन्धित रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र, टोकन संयुक्त प्रान्त मोटर गाड़ी कराधान अधिनियम, 1935 और तद्धीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों के अनुसार अभ्यर्पित किया जाय या अभ्यर्पित कर दिया गया हो या निलम्बित या रद्द कर दिया गया हो,

(2) ऐसी परमिट से आच्छादित यान का प्रयोग किसी भी दशा में किसी सार्वजनिक स्थान में नहीं किया जायगा जब तक कि राज्य सरकार द्वारा उदग्रहीत और उसके सम्बन्ध में देय करों का सम्यक भुगतान न कर दिया गया हो, और यदि यथास्थिति, संयुक्त प्रान्त मोटर गाड़ी कराधान अधिनियम, 1935 उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (यात्रीकर) अधिनियम, 1962 या उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (मालकर) अधिनियम, 1964 में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर ऐसे कर का सम्यक् भुगतान नहीं किया जाता है, तो यह उपधारणा की जायगी कि परमिट के धारक ने साशय ऐसे कर के भुगतान का अपवंचन किया है।

(3) धारा 82 की उपधारा (2) में किये गये उपबन्धों को छोड़कर परिवहन प्राधिकरण, जिसने परमिट दी हो, की अनुज्ञा के सिवाय परमिट किसी अन्य व्यक्ति को अन्तरित नहीं की जायेगी।

(4) यान का प्रयोग परमिट में विनिर्दिष्ट क्षेत्र में या मार्ग पर या मार्गों पर किया जायगा।

(5) व्यक्तियों की अधितम संख्या या सामान का अधिकतम भार जो परमिट से आच्छादित यान में ले जाया जायेगा, रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र में दी गयी संख्या या भार से अधिक नहीं होगा।

(6) केवल ऐसे विज्ञापन विषय, जो सीधे परमिट धारक के कारबार से सम्बन्धित हो, जिसके अग्रसर करने में परमिट प्राप्त किया जाय और जो किसी भी प्रकार यान की पहचान को परिवर्तित नहीं करता, गाड़ी पर बोनट, फ्रन्ट स्क्रीन, विण्ड स्क्रीन और डैश बोर्ड के किसी भाग के सिवाय प्रदर्शित किया जा सकता है:

परन्तु यह कि विज्ञापन का कोई विषय यान के ऊपर रंगे हुए, खुदे हुये या जुड़े हुये किसी सारवान विवरण को न तो आच्छादित करेगा और न उसके 20 सेन्टीमीटर के कम की दूरी पर होगा।

(7) परमिट को परमिट धारक द्वारा ऐसी रीति से ले जाया जायेगा कि वह किसी भी समय प्राधिकृत व्यक्ति के निरीक्षण के लिये तुरन्त उपलब्ध हो सके।

11—परमिट सम्भाग में भी और नीचे दी गई शर्तों के अध्यंधीन रहते हुये, विधिमान्य है:–

सम्भाग	क्षेत्र/मार्ग	शर्त
1	2	3

दिनांक..............................

परिवहन प्राधिकरण,

सचिव।

नवीकरण

....के अधीन रहते हुये..तक नवीकृत किया गया।

सचिव,

दिनांक ....परिवहन प्राधिकरण।

प्रतिहस्ताक्षर

परमिट संख्या ....

निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन रहते हुये ....**क्षेत्र के लिये प्रतिहस्ताक्षरित**......

....

दिनांक ....   **सचिव,**

..............**परिवहन** प्राधिकरण।

प्रतिहस्ताक्षर का नवीकरण

उपर्युक्त प्रतिहस्ताक्षर को..**तक के लिये एतद्द्वारा** नवीकृत किया जाता है :–

दिनांक.........................   **सचिव,**

........................परिवहन प्राधिकरण।

प्रपत्र एस० आर०—30

[नियम 65 (1) (पांच) देखिए]

अस्थायी परमिट

........................परिवहन प्राधिकरण

....

परमिट **संख्या**....................................

1—धारक का नाम ....

2—पिता/पति का नाम (व्यष्टि के मामले में) ....

3—पता–

(एक) स्थायी ....

....

(दो) वर्तमान ....

....

4—यान का प्रकार–मंजिली गाड़ी/माल वाहन/ठेका गाड़ी

5—(एक) रजिस्ट्रीकरण चिन्ह

(दो) चेसिस संख्या

(तीन) सीटों की संख्या

(चार) लदान भार

6—मार्ग/क्षेत्र जिसके लिए परमिट विधिमान्य है..

7—यात्रा का प्रयोजन..

8—माल का प्रकार यदि ले जाये जाने वाला हो..

9—अवसान का दिनांक...

10—पहले से धृत परमिट की संख्या और ब्यौरा ....

11—मार्ग/क्षेत्र जिसके लिए पहले से धृत परमिट विधिमान्य है...

12—संयुक्त प्रान्त मोटर गाड़ी कराधान अधिनियम, 1935 की प्रथम अनुसूची के अनुच्छेद आठ के अधीन रसीद..............................द्वारा भुगतान किए गए अतिरिक्त कर की धनराशि..........................

13—यह परमिट इस शर्त के अध्यधीन रहते हुए स्वीकृत की जाती है कि अवसान के चौबीस घंटे के भीतर इसे स्वीकृत करने वाले प्राधिकरण को अभ्यर्पित कर दिया जायेगा।

14—अन्य कोई शर्तें–यथास्थिति, संयुक्त प्रान्त मोटर गाड़ी कराधान अधिनियम, 1935, उ०प्र० मोटर गाड़ी (यात्रीकर) अधिनियम, 1962 या उ०प्र० मोटर गाड़ी (मालकर) अधिनियम, 1964 विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर ऐसे कर का सम्यक् भुगतान नहीं किया जाता है तो यह उपधारणा की जायेगी कि परमिट के धारक ने साशय ऐसे कर के भुगतान का अपवंचन किया है।

(1) ऐसे परमिट से आच्छादित यान का प्रयोग किसी भी दशा में किसी सार्वजनिक स्थान में उस अवधि के दौरान नहीं किया जायेगा, जिसमें उससे सम्बन्धित रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र, टोकन, संयुक्त प्रान्त मोटर गाड़ी कराधान अधिनियम, 1935 और तद्धीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों के अनुसार अभ्यर्पित किया जाय या अभ्यर्पित कर दिया गया हो या निलम्बित या रद्द कर दिया गया हो।

(2) ऐसी परमिट से आच्छादित यान का प्रयोग किसी भी दशा में किसी सार्वजनिक स्थान में नहीं किया जायगा जब तक कि राज्य सरकार द्वारा उद्ग्रहीत और उसके सम्बन्ध में देय करों का सम्यक् भुगतान न कर दिया गया हो, और यदि यथास्थिति, संयुक्त प्रान्त मोटर गाड़ी कराधान अधिनियम, 1935, उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (यात्रीकर) अधिनियम, 1962 या उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (मालकर) अधिनियम, 1964 में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर ऐसे कर का सम्यक् भुगतान नहीं किया जाता है, तो यह उपधारणा की जायगी कि परमिट के धारक ने साशय ऐसे कर के भुगतान का अपवंचन किया है।

(3) धारा 82 की उपधारा (2) में किये गये उपबन्धों को छोड़कर परिवहन प्राधिकरण, जिसने परमिट दी हो, की अनुज्ञा के सिवाय परमिट किसी अन्य व्यक्ति को अन्तरित नहीं की जायेगी।

(4) यान का प्रयोग परमिट में विनिर्दिष्ट क्षेत्र में या मार्ग पर या मार्गों पर किया जायगा।

(5) व्यक्तियों की अधिकतम संख्या या सामान का अधिकतम भार जो परमिट से आच्छादित यान में ले जाया जायेगा, रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र में दी गयी संख्या या भार से अधिक नहीं होगा।

(6) केवल ऐसे विज्ञापन विषय, जो सीधे परमिट धारक के कारबार से सम्बन्धित हो, जिसके अग्रसर करने में परमिट प्राप्त किया जाय और जो किसी भी प्रकार यान की पहचान को परिवर्तित नहीं करता, गाड़ी पर बोनट, फ्रन्ट स्क्रीन, विण्ड स्क्रीन और डैश बोर्ड के किसी भाग के सिवाय प्रदर्शित किया जा सकता है :

परन्तु यह कि विज्ञापन का कोई विषय यान के ऊपर रंगे हुए, खुदे हुये या जुड़े हुये किसी सारवान विवरण को न तो आच्छादित करेगा और न उसके 20 सेन्टीमीटर के कम की दूरी पर होगा।

(7) परमिट को परमिट धारक द्वारा ऐसी रीति से ले जाया जायेगा कि वह किसी भी समय प्राधिकृत व्यक्ति के निरीक्षण के लिये तुरन्त उपलब्ध हो सके।

दिनांक :

सचिव,

परिवहन प्राधिकरण।

प्रपत्र एस० आर०—31

[नियम 65 (1) (छः) देखिए]

धारा 88 (8) के अधीन विशेष परमिट

........................परिवहन प्राधिकरण,

........................विशेष परमिट

संख्या........................

प्रमाणित किया जाता है कि यान को......................जिसका......................

(एक) रजिस्ट्रेशन चिन्ह ....

(दो) चेसिस संख्या ....

(तीन) इन्जन संख्या ....

है और जिसके स्वामी श्री..पुत्र श्री .... निवासी..हैं और जो राज्य/सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण............................ द्वारा जारी की गयी नियमित परमिट संख्या..से आच्छादित है। ठेका गाड़ी के रूप में उन व्यक्तियों द्वारा जिनके विवरण नीचे दिये गये हैं, लगाया गया है :–

क्रम-संख्या	पूरा नाम	पिता/पति का नाम	आयु	निवास का सथान
1	2	3	4	5

उक्त नाम के व्यक्ति निम्नलिखित स्थानों को उनके विरुद्ध अंकित मार्गों से होकर निरीक्षण करेंगे :–

....

....

....

यह परमिट..................................तक विधिमान्य है।

प्रमाणित किया जाता है कि उपरिलिखित यान के सम्बन्ध में इस राज्य में इस परमिट के अवसान होने के दिनांक तक देय समस्त करों और फीसों का भुगतान कर दिया गया है।

यह परमिट उपरिलिखित स्थानों के लिए बिना किसी अन्य राज्य/सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण के प्रति हस्ताक्षर के विधिमान्य है।

दिनांक............................

सचिव,

परिवहन प्राधिकरण।

363

प्रपत्र एस० आर०—32

[नियम 84 (1) देखिए]

परमिट के अन्तर्गत आने वाले यान के प्रतिस्थापन के लिए आवेदन-पत्र

सेवा में,

.................................परिवहन प्राधिकरण

....

मैं/हम अधोहस्ताक्षरी नीचे स्तम्भ-1 में वर्णित यान संख्या ....जो मार्ग/क्षेत्र........................ के लिए परमिट संख्या.......................................से आच्छादित है, को स्तम्भ-2 में वर्णित यान से प्रतिस्थापित करने के लिए मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 83 के अनुसार आवेदन करता हूँ/करते हैं।

पुराना यान	प्रतिस्थापित किया जाने वाला यान
1—रजिस्ट्रीकरण चिन्ह	1—रजिस्ट्रीकरण चिन्ह..............................
2—माडल	2—माडल.. से पहले का नहीं है।
3—सीटों की क्षमता	3—सीटों की क्षमता..............................

2—मैं/हम एतद्द्वारा प्रतिस्थापित किए जाने के लिए प्रस्तावित यान का रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र और बीमा प्रमाण-पत्र संलग्न करता हूँ/करते हैं।

*यान अभी तक हमारे कब्जे में नहीं है लेकिन हम समझते हैं कि हमें प्रतिस्थापन के लिये अनुमत समय के भीतर प्रतिस्थापित किये जाने के लिये प्रस्तावित यान का रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा अन्यथा जब तक कि अग्रतर समय नहीं दिया जाता परमिट रद्द समझी जायेगी।

3—प्रतिस्थापन के चाहे जाने के कारण..

....

....

4—प्रतिस्थापित हुये यान के उपयोग का ब्यौरा...

....

5—यान के, जिसे प्रतिस्थापित किया जाना वांछित है, सम्बन्ध में देय समस्त करों का अद्यतन भुगतान कर दिया गया है। (प्रमाण-पत्र संलग्न है)

6—मैंने/हमने रसीद संख्या............................दिनांक.........................द्वारा विहित फीस.................. का भुगतान कर दिया है।

7—मैं/हम घोषणा करता हूँ/करते हैं कि ऊपर दिये गये विवरण सही हैं।

दिनांक.............................

आवेदक/आवेदकों के
हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान।

*जो विकल्प लागू न हो उसे काट दें।

19—क्या स्वामी/बीमाकर्ता को कोई दावा प्रस्तुत किया गया है? यदि ऐसा है तो उसका क्या परिणाम हुआ?................

20—मृतक से सम्बन्ध ....

21—मृतक की सम्पत्ति पर हक...

22—दावा किये गये प्रतिकर की धनराशि..

23—कोई अन्य सूचना जो दावे के निस्तारण में आवश्यक या सहायक हो...

मैंने प्रतिकर के लिये कोई अन्य आवेदन-पत्र दाखिल नहीं किया है।

अतएव मैं.................................... प्रार्थना करता हूँ कि उपर्युक्त दुर्घटना के सम्बन्ध में प्रतिकर की धनराशि मोटर यान अधिनियम, 1988 की द्वितीय अनुसूची के अनुसार अवधारित की जा सकती है और स्वामी/बीमाकर्ता को निदेशित किया जाय कि वे इस प्रकार अवधारित की गयी धनराशि का, जो उपर्युक्त दुर्घटना के सम्बन्ध में पूर्ण अन्तिम प्रतिकर होगा, भुगतान मुझे कर दें।

मैं मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 163-क के अधीन और धारा 140 के अधीन इसके सम्बन्ध में कोई अन्य दावा दाखिल नहीं करूंगा।

मैं...सत्यनिष्ठा से घोषणा करता हूँ कि ऊपर दी गयी विशिष्टियां मेरे सर्वोत्तम ज्ञान के अनुसार सत्य और सही है।

आवेदक के हस्ताक्षर
या अंगूठे का निशान।

प्रपत्र एस० आर०—50

[नियम 227 (2) देखिये]

परिवहन विभाग

पहचान-पत्र

क्रम संख्या-------------------------

फोटो

नाम..

पदनाम..

इस कार्ड के जारी करने
के समय आयु..

धारक का नमूना-हस्ताक्षर..

जारी करने वाले अधिकारी का हस्ताक्षर

नाम, पदनाम..............................

मोटर यान दुर्घटना में क्षतिग्रस्त होने और/या सम्पत्ति का नुकसान उठाये जाने पर मैं क्षतिग्रस्त होने और/या नुकसान उठाने के लिये प्रतिकर दिये जाने के लिये एतद्द्वारा आवेदन करता हूँ/करती हूँ। क्षति, सम्पत्ति, यान इत्यादि के नुकसान का आवश्यक व्यौरा नीचे दिये जाते हैं।

मैं... पुत्र/पुत्री/पत्नी/विधवा ....

निवासी .... एतद्द्वारा विधिक प्रतिनिधि/

अभिकर्ता के रूप में श्री/कुमारी/श्रीमती...

पुत्र/पुत्री/पत्नी/विधवा...

श्री/श्रीमती...............................जो मोटर यान दुर्घटना में दिवंगत हुये थे, शारीरिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए थे और/या नुकसान उठाये थे, की मृत्यु/को हुई शारीरिक क्षति और या के द्वारा उठाये गये नुकसान के कारण प्रतिकर दिये जाने के लिये आवेदन करता हूँ/करती हूँ। मृत/क्षतिग्रस्त और/या सम्पत्ति को नुकसान उठाने वाले व्यक्ति और दुर्घटना इत्यादि में अन्तर्वलित यानों का व्यौरा निम्न प्रकार है :–

1—मृत/शारीरिक रूप से क्षतिग्रस्त/और/या सम्पत्ति का नुकसान उठाने वाले व्यक्ति का नाम पिता/पति के नाम सहित......

2—मृत/शारीरिक रूप से क्षतिग्रस्त और/या सम्पत्ति का नुकसान उठाने वाले व्यक्ति का पूरा पता..............................

3—मृत/शारीरिक रूप से क्षतिग्रस्त व्यक्ति की आयु...

4—मृत/शारीरिक रूप से क्षतिग्रस्त व्यक्ति का व्यवसाय...

5—मृतक के सेवायोजक का नाम और पता, यदि कोई हो...

....

6—मृत/शारीरिक रूप से क्षतिग्रस्त व्यक्ति की मासिक आय...

7—मृत/शारीरिक रूप से क्षतिग्रस्त व्यक्ति के प्रत्येक आश्रित का नाम और आयु और उससे सम्बन्ध और मृत/शारीरिक रूप से क्षतिग्रस्त व्यक्ति की मासिक औसत आय और ऐसी आय का स्रोत उपदर्शित करते हुए..............................

....

8—नुकसान हुई सम्पत्ति का व्यौरा और हुए नुकसान की परिमाण...

9—क्या वह व्यक्ति जिसके सम्बन्ध में प्रतिकर का दावा किया गया है, आय कर देता है (दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा समर्थित होगा) ....

10—दुर्घटना का स्थान, दिनांक और समय...

11—पुलिस थाने का नाम और पता जिसकी अधिकारिता में दुर्घटना हुई या प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी थी........

12—क्या वह व्यक्ति जिसके सम्बन्ध में प्रतिकर का दावा किया गया है दुर्घटना में अन्तर्वलित यान द्वारा यात्रा कर रहा था, यदि ऐसा है तो यात्रा प्रारम्भ करने के स्थान का नाम और उसके गन्तव्य स्थान का नाम दिया जाय ....

....

13—हुई शारीरिक क्षति की प्रकृति...

14—चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी, यदि कोई हो, का नाम और पता जिसने शारीरिक रूप से क्षतिग्रस्त व्यक्ति/मृत व्यक्ति की परिचर्या की थी ....

15—उपचार की अवधि और उस पर किया गया व्यय, यदि कोई हो (दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा समर्थित हो) ....

16—दुर्घटना में अन्तर्वलित यान की रजिस्ट्रीकरण संख्या और प्रकार...

17—यान के स्वामी का नाम और पता...

18—यान के बीमाकर्ता का नाम और पता...

प्रपत्र एस० आर०—33

[नियम 87 (1) देखिए]

परमिट के अन्तरण के लिये आवेदन-पत्र

सेवा में,

....................................परिवहन प्राधिकरण

....

उत्तर प्रदेश मोटर यान नियमावली, 1998 के नियम 87 के उपनियम (1) के अनुसार मैं/हम परमिट के जिसका ब्यौरा नीचे दिया गया है अन्तरण के लिये आवेदन करता हूँ/करते हैं:

1—परमिट की संख्या..

2—मार्ग/क्षेत्र..

3—विधिमान्यता की अवधि..

4—परमिट धारक का नाम..

5—अन्तरिती का नाम..

6—अन्तरिती का पता..

(क) स्थायी..

(ख) वर्तमान..

7—अन्तरण का कारण..

8—मैं घोषणा करता हूँ कि उपरिलिखित परमिट के अन्तरण के लिये कोई प्रतिफल नहीं प्राप्त हुआ है।

दिनांक..............................

अन्तरिती के हस्ताक्षर/

अंगूठे का निशान।

(दो)

अन्तरिती द्वारा घोषणा

मैं/हम एतद्द्वारा घोषणा करता हूँ/करते हैं कि–

(1) परमिट के अन्तरण के लिये मेरे/हमारे द्वारा किसी प्रतिफल का भुगतान नहीं किया गया है।

(2) मैं/हम अन्तरण के अधीन परमिट के संलग्न शर्तों का पालन करूंगा/करेंगे।

(3) मैं/हम जब भी..................................परिवहन प्राधिकरण द्वारा निदेशित किया जायगा यान का रजिस्ट्रीकरण और बीमा प्रमाण-पत्रों को पेश करूंगा/करेंगे।

दिनांक........................

अन्तरिती का नाम और

हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान।

(परिवहन प्राधिकरण कार्यालय द्वारा भरा जायेगा)

1—प्राप्ति का दिनांक..

2—सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण/राज्य परिवहन प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत करने का दिनांक........................

3—दिनांक........................को अन्तरण से इन्कार किया गया/..........................को अनुमति दी गयी।

4—.........................को अन्तरण अभिलिखित किया गया।

दिनांक.............................

सचिव,

परिवहन प्राधिकरण।

....

प्रपत्र एस० आर०—34

[नियम 98 (1) देखिए]

परिवाद पुस्तिका

(तीन प्रतियों में मंजिली गाड़ी में रखी जाय)

सेवा में,

प्रबन्धक, मंजिली गाड़ी सेवा

....

परिवादी का नाम..

पिता का नाम...

पता...

....

....

टिकट संख्या ....

यान संख्या ....

परिवाद ....

....

दिनांक.............................

परिवादी के हस्ताक्षर/

अंगूठे का निशान।

प्रपत्र एस० आर०—35

[नियम 109 (1) देखिए]

(परमिट के बदले में अस्थायी प्राधिकार)

निम्नलिखित के लिए रसीद :—

1—रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र ....

2—सड़क परमिट ....

3—बीमा प्रमाण-पत्र ....

4—कण्डक्टर अनुज्ञप्ति ....

यान का रजिस्ट्रीकरण चिन्ह ....

मंजिली गाड़ी/माल वाहन की इंजन संख्या ....

चेसिस संख्या................................. आर० एल० डब्लू०

सीटों की क्षमता ....

स्वामी का नाम ....

परमिट संख्या ....

अवसान का दिनांक ....

मार्ग ....

.... तक ठीक हालत में होने का प्रमाण-पत्र

.... तक कर का भुगतान किया गया

.... तक बीमा प्रमाण-पत्र

ड्राइवर/कण्डक्टर का नाम ....

चालन अनुज्ञप्ति/कण्डक्टर अनुज्ञप्ति संख्या .... तक विधिमान्य ।

परमिट की शर्तें ....

अन्य शर्तें, यदि कोई हों ....

दिनांक ....

अधिकारी के हस्ताक्षर
उसकी मुहर के साथ ।

उपर्युक्त प्राधिकार .... तक विधिमान्य है ।

अधिकारी के हस्ताक्षर

उपर्युक्त प्राधिकार .... तक बढ़ाया जाता है ।

अधिकारी के हस्ताक्षर

प्रपत्र एस० आर०—36

[नियम 113 (1) देखिए]

माल वाहनों द्वारा ले जाये जाने वाले माल के संग्रह, अन्वेषण और वितरण के कार्य में अभिकर्ता के रूप में काम करने के लिए अनुज्ञप्ति हेतु आवेदन-पत्र ।

सेवा में,

सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण,

.... सम्भाग ।

1—पूरा नाम ....

2—पिता/पति का नाम (व्यष्टि के मामले में)...

3—पता –

(क) स्थायी ....

(ख) वर्तमान ....

4—शैक्षिक अर्हता या परिवहन के कारबार के प्रबन्ध में अनुभव ....

5—(क) स्थान जहां आवेदक प्रमुख स्थापन के लिए अभिकर्ता के रूप में कार्य करने का प्रस्ताव करता है ....

(ख) स्थान/स्थानों जहां वह अपना उप-अभिकरण शाखा कार्यालय स्थापित करने का प्रस्ताव करता है ....

6—आवेदक के वित्तीय स्रोतों का प्रकार और सीमा ....

7—माल वाहनों की विशिष्टियां या तो आवेदक की स्वयं की हो या उसके नियंत्रण में हो—

(क) कुल-संख्या ....

(ख) मेक ....

(ग) माडल या विनिर्माण का वर्ष ....

(घ) रजिस्ट्रीकृत लदान भार ....

(ङ) रजिस्ट्रीकरण चिन्ह ....

8—अतिरिक्त विशिष्टियों को दिया जाय जहां आवेदन-पत्र अग्रेषण अभिकर्ता या संग्रह और अग्रेषण अभिकर्ता की अनुज्ञप्ति के लिए हों :—

(क) स्थल और उसकी स्थिति की विशिष्टियां ....

(ख) परिसर का व्यौरा (भवनों की प्रकृति, स्थल की सीमा आदि)...

(ग) माल वाहनों को खड़ा करने के लिये आवेदक द्वारा दी गई सुविधायें आदि कोई हों ....

(घ) माल को चढ़ाने और उतारने के लिये उसके द्वारा दी गयी सुविधाएं ....

(ङ) उपरिलिखित स्थानों पर उपबन्धित तोलन यंत्र की विशिष्टियां ....

9—मैं/हम माल वाहन परमिटों की शर्तों और मोटर यान अधिनियम, 1988 के उपबन्धों और तद्धीन बनाये गये नियमों से जहां तक वे मार्गों, भारों, माल को चढ़ाने और उतारने के निबन्धनों और अभिकर्ता के कर्त्तव्यों और कृत्यों से सम्बन्धित है पूरी तरह परिचित हूँ/हैं।

10—मैं/हम एतद्द्वारा घोषणा करता हूँ/हैं कि जहां तक मेरी जानकारी और विश्वास है उपर्युक्त विशिष्टियां सही हैं।

स्थान ....

दिनांक .... आवेदक का हस्ताक्षर।

प्रपत्र एस० आर०—37

[नियम 113 (4) देखिए]

अभिकर्ता अनुज्ञप्ति

दिनांक .... को जारी की गयी।

अनुज्ञप्ति संख्या .... के द्वारा नाम .... पुत्र/पुत्री/पत्नी

.... पता..

.... को भाड़े पर चलाये जा रहे माल वाहनों द्वारा संग्रह, अग्रेषण या वितरण के लिये ले जाये जाने वाले माल के अभिकर्ता के रूप में कार्य करने के लिए अनुज्ञापित किया जाता है।

स्थान ....

.... (प्रमुख स्थान)

निम्नलिखित स्थानों पर अभिकर्ता के रूप में कार्य करने के लिए भी उसे अनुज्ञापित किया जाता है :–

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(यदि अधिक स्थान हों तो पृथक पन्ना संलग्न किया जायेगा) अनुज्ञप्ति .... से.................... .... तक विधिमान्य है ।

जब तक यह अभिकर्ता अनुज्ञप्ति अनुमोदित भू-गृहादि के लिए विधिमान्य है और समय-समय पर नवीकृत किया जाता है और जिनको नियम 119 के उपनियम (1) के उपबन्धों के अनुसार अनुरक्षित किया जाता है, तब तक धारक भाड़े पर चलने वाली माल वाहनों द्वारा माल के संग्रह, अग्रेषण या वितरण करने के लिए अभिकर्ता के रूप में स्वयं कार्य करने के लिए प्राधिकृत है ।

यह अनुज्ञप्ति निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन होगी—

(एक) अनुज्ञप्तिधारी नियम 119 के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए माल को चढ़ाने और उतारने के प्रयोजन हेतु यान को खड़ा करने के लिए पर्याप्त स्थान की व्यवस्था करेगा ।

(दो) अनुज्ञप्तिधारी परिदान या संप्रेषण या दोनों के लिए प्रतीक्षारत माल के संग्रहण के लिए समुचित प्रबन्ध करने के लिए उत्तरदायी होगा ।

(तीन) अनुज्ञप्तिधारी—

(क) पारेषिती को माल के यथोचित परिदान के लिए आवश्यक कार्यवाही करेगा;

(ख) माल को जब वह उसके कब्जे में हो, हुई किसी हानि या क्षति के लिए पारेषक या पारेषिती के खर्च पर पर्याप्त बीमा करके, जहां उपलब्ध हो, क्षतिपूर्ति के लिए दायी होगा;

(ग) पारेषक/पारेषिती को संप्रेषण के लिए माल की प्राप्ति के पश्चात् ही कोई टिप्पणी जारी करेगा जिसमें माल का वजन, माल की प्रकृति, गन्तव्य स्थान, लगभग दूरी जिस पर से माल ले जाया जायगा, भाड़ा प्रभार, सेवा प्रभार, यदि कोई हो, जैसे स्थानीय परिवहन बीमा के लिए जब उसकी अभिरक्षा में हो, चढ़ाने और उतारने के लिए मजदूरी उल्लिखित किया जायेगा, परन्तु सेवा प्रभार युक्तियुक्त होगा और उसकी अधिष्ठापित युक्तियुक्तता का प्रमाण होगा, यदि अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा अपेक्षित हो;

(घ) पारेषिती की टिप्पणी या उस कार्यालय द्वारा जिसने माल संप्रेषण के लिए प्राप्त किया हो, जारी की गयी कोई ऐसी टिप्पणी प्राप्त किये बिना या यदि टिप्पणी खो जाय या गलत जगह रख दी जाय और माल के मूल्य को आच्छादित करने वाला क्षतिपूर्ति बन्ध-पत्र प्राप्त किये बिना माल पारेषिती को नहीं देगा;

(ङ) पारेषक या पारेषिती को जारी की गयी प्रत्येक टिप्पणी की एक प्रति माल का परिवहन करने वाले माल वाहन के ड्राइवर को देगा और किसी पारेषण को उसके सम्बन्ध में टिप्पणी की प्रति ड्राइवर को दिये बिना लादे जाने की अनुमति नहीं देगा;

(च) माल के यथास्थिति, संग्रह संप्रेषण या परिदान का और उस यान के जिसमें माल परिवहन के लिए ले जाया जाय, रजिस्ट्रीकरण चिन्ह का यथोचित अभिलेख रखेगा और उसे अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा या उसके द्वारा इस निमित्त सम्यक् रूप से प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा निरीक्षण के लिए उपलब्ध करेगा;

(छ) अपने द्वारा लगाये गये माल वाहन के प्रत्येक परिचालक को अपने द्वारा लिए गये कमीशन का समुचित लेखा रखेगा;

(ज) तोलन यंत्र को अच्छी दशा में रखेगा और वह एक समय में कम से कम 250 किलोग्राम तक तौलने में समर्थ होगा;

(झ) बिना विधिमान्य कारणों के परिवहन के लिए माल को स्वीकार करने से इंकार नहीं करेगा;

(ञ) नियम 117 के उपबन्धों का अनुपालन करेगा।

(चार) अनुज्ञापन प्राधिकारी नियम 114 के उपनियम (1) के अधीन अनुज्ञप्तिधारी द्वारा दी गयी सम्पूर्ण प्रतिभूति या उसके भाग को समपहृत करने का आदेश दे सकता है :

परन्तु कोई ऐसा समपहरण नहीं किया जायगा जब तक कि अनुज्ञप्तिधारी को सुनवाई का अवसर न दिया जाय।

(पांच) अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा जमा प्रतिभूति या उसके भाग को समपहृत करने की दशा में यदि अनुज्ञप्तिधारी समपहृत किये जाने के आदेश की प्राप्ति के पन्द्रह दिन के भीतर उसके द्वारा दी गयी प्रतिभूति को उसके मूल मूल्य में लाने के लिए भुगतान करने में विफल रहता है तो अनुज्ञप्ति विधिमान्य नहीं रह जायगी।

दिनांक ....

अनुज्ञापन प्राधिकारी का हस्ताक्षर।

नवीकरण

1—दिनांक ....को .... से...................... तक के लिए नवीकृत किया गया।

अनुज्ञापन प्राधिकारी का हस्ताक्षर।

2—दिनांक ....को .... से...................... तक के लिए नवीकृत किया गया।

अनुज्ञापन प्राधिकारी का हस्ताक्षर।

* जो प्रयोज्य न हो, उसे काट दीजिए।

प्रपत्र एस० आर०—38

[नियम 113 (4) देखिए]

अभिकर्ता की अनुपूरक अनुज्ञप्ति

प्रमुख अनुज्ञप्ति संख्या..

दिनांक .... को जारी की गयी।

अनुपूरक अनुज्ञप्ति संख्या .... के द्वारा नाम ....

पुत्र/पुत्री/पत्नी .... पता...

को .... (पूरा पता) और उन स्थानों पर जिनका अनुरक्षण नियम 119 के उपनियम (1) के उपबन्धों के अनुसार किया जाता है, भाड़े पर चलाये जा रहे माल वाहनों द्वारा संग्रह, अग्रेषण या वितरण करने के लिए ले जाये जाने वाले माल के अभिकर्ता के रूप में कार्य करने के लिए अनुज्ञापित किया जाता है—

अनुज्ञप्ति .... से .... तक विधिमान्य है।

यह अनुज्ञप्ति निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन होगी—

(एक) अनुज्ञप्तिधारी नियम 119 के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए माल को चढ़ाने और उतारने के प्रयोजन हेतु यानों को खड़ा करने के लिए पर्याप्त स्थान की व्यवस्था करेगा।

(दो) अनुज्ञप्तिधारी परिदान या संप्रेषण के लिए प्रतीक्षारत माल के संग्रहण के लिए यथोचित प्रबन्ध के लिए उत्तरदायी होगा।

(तीन) अनुज्ञप्तिधारी—

(क) पारेषिती को माल के यथोचित परिदान के लिए सभी आवश्यक कार्यवाही करेगा;

(ख) माल को, जब उसके कब्जे में हो, हुई किसी हानि या क्षति के लिए पारेषक या पारेषिती के खर्च पर्याप्त बीमा आच्छादन लेकर, जहां उपलब्ध हो, पारेषिती को क्षतिपूर्ति के लिए दायी होगा;

(ग) पारेषक/पारेषिती को संप्रेषण के लिए माल की प्राप्ति के पश्चात् ही कोई टिप्पणी जारी करेगा जिसमें माल का भार, माल की प्रकृति, गन्तव्य स्थान, लगभग दूरी जिस पर से माल ले जाया जायगा, भाड़ा प्रभार, सेवा प्रभार, यदि कोई हो, जैसे स्थानीय परिवहन बीमा के लिए जब उसकी अभिरक्षा में हो, चढ़ाने और उतारने के लिए मजदूरी उल्लिखित किया जायेगा, परन्तु सेवा प्रभार युक्तियुक्त होगा और उसकी युक्तियुक्तता का प्रमाण अधिष्ठापित किया जायेगा, यदि अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा अपेक्षित हो;

(घ) पारेषिती की टिप्पणी या उस कार्यालय द्वारा जिसने माल संप्रेषण के लिए प्राप्त किया हो, जारी की गयी ऐसी टिप्पणी या यदि यह टिप्पणी खो जाय या गलत जगह रख दी जाय या माल के मूल्य को आच्छादित करने वाला क्षतिपूर्ति बन्ध-पत्र प्राप्त किये बिना पारेषिती को नहीं देगा;

(ङ) पारेषक या पारेषिती को जारी की गयी प्रत्येक टिप्पणी की एक प्रति माल का परिवहन करने वाले माल वाहन के ड्राइवर को देगा और किसी पारेषण को उसके सम्बन्ध में टिप्पणी की प्रति ड्राइवर को दिये बिना लादे जाने की अनुमति नहीं देगा।

(च) माल के यथास्थिति, संग्रह, संप्रेषण या परिदान का और उस यान के, जिसमें माल परिवहन के लिए ले जाया जाय, रजिस्ट्रीकरण चिन्ह का यथोचित अभिलेख रखेगा और उसे अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा या उसके द्वारा इस निमित्त सम्यक् रूप से प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा निरीक्षण के लिए उपलब्ध करायेगा;

(छ) अपने द्वारा लगाये गये माल वाहन के प्रत्येक परिचालक को अपने द्वारा प्रभारित कमीशन का समुचित लेखा रखेगा;

(ज) एक तोलन यंत्र को, जो एक बार में कम से कम 250 किलोग्राम तौलने में समर्थ हो, अच्छी हालत में रखेगा;

(झ) बिना किसी विधिमान्य कारण के परिवहन के लिए माल को स्वीकार करने से इंकार नहीं करेगा;

(ञ) नियम 117 के उपबन्धों का अनुपालन करेगा।

(चार) अनुज्ञापन प्राधिकारी नियम 114 के उपनियम (1) के अधीन अनुज्ञप्तिधारी द्वारा दी गयी सम्पूर्ण प्रतिभूति या उसके भाग को समपहृत करने का आदेश दे सकता है :

परन्तु कोई ऐसा समपहरण नहीं किया जायगा, जब तक कि अनुज्ञप्तिधारी को सुनवाई का अवसर न दिया जाय,

(पांच) अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा जमा प्रतिभूति या उसके भाग को समपहृत करने की दशा में यदि अनुज्ञापन प्राधिकारी समपहृत किये जाने के आदेश की प्राप्ति के पन्द्रह दिन के भीतर अपने द्वारा प्रस्तुत प्रतिभूति को उसके मूल मूल्य में लाने के लिए भुगतान करने में विफल रहता है तो अनुज्ञप्ति विधिमान्य नहीं रह जायेगा।

दिनांक ....

अनुज्ञापन प्राधिकारी का

हस्ताक्षर।

नवीकरण

1—दिनांक ....को .... से...................... तक नवीकृत किया गया ।

अनुज्ञापन प्राधिकारी का
हस्ताक्षर।

2—दिनांक ....को .... से...................... तक नवीकृत किया गया ।

अनुज्ञापन प्राधिकारी का
हस्ताक्षर।

प्रपत्र एस० आर०—39

[नियम 115 (1) देखिए]

माल वाहनों द्वारा लाये गये माल का संग्रह, अन्वेषण और वितरण करने के कारबार में लगे हुए अभिकर्ता की अनुज्ञप्ति के नवीकरण के लिए आवेदन-पत्र

सेवा में,

सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण,

....

महोदय,

मैं/हम अपनी अनुज्ञप्ति की, जो संलग्न है और जिसकी विशिष्टियां निम्नप्रकार हैं, नवीकृत किये जाने के लिए आवेदन करता हूं/करते हैं :—

(क) अनुज्ञप्ति संख्या ....

(ख) जारी करने का दिनांक ....

(ग) अनुज्ञप्ति का प्रकार ....

(घ) अनुज्ञप्तिधारी का नाम .... (बड़े अक्षरों में)

(ङ) पता —

(क) स्थायी ....

....

(ख) वर्तमान ....

....

यदि अनुज्ञप्ति आवेदन-पत्र के साथ संलग्न नहीं है तो उसे संलग्न न करने के कारण ....

....

यदि नवीकरण के लिए आवेदन-पत्र अनुज्ञप्ति की समाप्ति के दिनांक के 30 दिन के पूर्व नहीं दिया जाता है तो विलम्ब के कारण .... रुपये की विहित फीस रसीद संख्या .... दिनांक .... द्वारा जमा कर दी गई है ।

मैं, एतद्द्वारा घोषणा करता हूं कि उन परिस्थितियों में जिनसे अनुज्ञप्ति मुझे/हमें जारी की गई थी, ऐसा कोई परिवर्तन नहीं हुआ है जो इस अनुज्ञप्ति को धारण करते रहने से मुझे/हमें अनर्ह करना हो ।

स्थान और दिनांक............................

आवेदक / आवेदकों
का हस्ताक्षर ।

प्रपत्र एस० आर०—40

[नियम 117 (पांच) देखिए]

1 अप्रैल ....से 31 मार्च .... तक की अवधि के लिए वार्षिक विवरणी

सेवा में,

सचिव,

सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण,

....

1—अनुज्ञप्ति संख्या ....

2—उसको दिये जाने या उसके अन्तिम नवीकरण का दिनांक..

3—अभिकर्ता के स्वामित्व में माल वाहनों की कुल संख्या ....

4—अभिकर्ता के नियंत्रण में माल वाहनों की कुल संख्या ....

5—माल वाहनों की कुल संख्या जिनका वर्ष के दौरान वास्तविक प्रयोग किया गया है..............................

(क) वर्ष में 6 मास से अधिक के लिए ....

(ख) वर्ष में 9 मास से अधिक के लिए..

(ग) वर्ष में 10 मास से अधिक के लिए ....

6—संग्रहीत, परिदत्त और अग्रसारित माल का टन भार ....

टिप्पणी—यदि मद 6 के अधीन दिया गया स्थान पर्याप्त नहीं है तो एक पृथक पन्ना संलग्न करें ।

7—अभिकर्ता द्वारा संग्रहीत, परिदत्त, अग्रसारित माल का कुल टन भार ....

8—न्यूनतम और अधिकतम दूरी जिसके लिए माल अग्रसारण बिन्दु से परिदान बिन्दु तक अग्रसारित किया गया ....

दूरी	कुल टन भार
(क) 80 किलोमीटर से अनधिक दूरी	...
(ख) 80 किलोमीटर से अधिक किन्तु 160 किलोमीटर से अनधिक दूरी	...
(ग) 160 किलोमीटर से अधिक किन्तु 240 किलोमीटर से अनधिक दूरी	...
(घ) 240 किलोमीटर से अधिक किन्तु 320 किलोमीटर से अनधिक दूरी	...
(ङ) 320 किलोमीटर से अधिक किन्तु 400 किलोमीटर से अनधिक दूरी	...
(च) 400 किलोमीटर से अधिक किन्तु 480 किलोमीटर से अनधिक दूरी	...
(छ) 480 किलोमीटर से अधिक दूरी	...

9— उपर्युक्त मद संख्या 8 (छ) में की गयी प्रविष्टि के सम्बन्ध में, माल की प्रकृति विनिर्दिष्ट करें। (जैसे फल, सीसा, घरेलू सामान, अनाज, कोयला आदि ।)

10— उपर्युक्त मद संख्या (3) और (4) में उल्लिखित माल वाहनों द्वारा की गई यात्रा की कुल लम्बाई किलोमीटर में ।

11—परेषण की बुकिंग के दिनांक से परेषण के परिदान में लिया गया अधिकतम समय ....

समय	परेषण (टनों में)	अग्रसारण बिन्दु से परिदान बिन्दु तक दूरी
1	2	3

12—प्राप्त और निपटाये गये दावे—

पूर्ववर्ती वर्ष से लम्बित दावों की संख्या	वर्ष के दौरान प्राप्त दावों की संख्या	वर्ष के दौरान दावा किया गया प्रतिकर	वर्ष के दौरान निपटाये गये दावों की संख्या	वर्ष के दौरान भुगतान किया गया प्रतिकर	वर्ष के दौरान अन्त में लम्बित दावों की संख्या
1	2	3	4	5	6

13—भाड़ा और कमीशन—

उपर्युक्त मद संख्या (3) में उल्लिखित यानों के सम्बन्ध में वसूल किया गया कुल भाड़ा	उपर्युक्त मद संख्या (4) में उल्लिखित यानों के सम्बन्ध में वसूल किया गया कुल भाड़ा	वसूल किया गया और परिचालकों को भुगतान किया गया कुल भाड़ा	वसूल किये गये कमीशन का योग
1	2	3	4

14—माल के बीमा के लिए बीमा कम्पनियों को भुगतान किये गये प्रीमियम की कुल धनराशि ....

15—माल की हानि या क्षति के लिए दावों के सम्बन्ध में बीमा कम्पनियों से वसूल की गयी कुल धनराशि ....

....

दिनांक ....

अभिकर्ता का हस्ताक्षर।

·374·

प्रपत्र एस० आर०—41

[नियम 124 (2) देखिए]

सार्वजनिक सेवा यानों द्वारा यात्रा के लिए टिकटों की बिक्री के लिए अभिकर्ता अनुज्ञप्ति

अभिकर्ता अनुज्ञप्ति संख्या.................

1—नाम..

2—पिता का नाम...

3—वर्तमान पता...

4—स्थायी पता...

फोटो के लिए स्थान

5—..(स्थान और मार्ग पर)..............................(सेवा का नाम) लिए अभिकर्ता के रूप में अनुज्ञापित किया गया और उसे अभिकर्ता बैज संख्या......................दिया गया।

यह अनुज्ञप्ति दिनांक..................................को जारी की गयी और .... विधिमान्य है।

सचिव,

सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण।

....

नवीकरण

..........................सें तक नवीकृत।

सचिव,

सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण।

....

प्रपत्र एस० आर०—42

[नियम 124 (पांच) देखिए]

सार्वजनिक सेवा यानों द्वारा यात्रा के लिए टिकटों की बिक्री के लिए अभिकर्ता अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन-पत्र

सेवा में,

सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण,

......................सम्भाग।

मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 93 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार मैं, अधोहस्ताक्षरी, एतद्द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य में सार्वजनिक सेवा यानों के यात्रियों को टिकटों की बिक्री करने के लिए अभिकर्ता के रूप में कार्य करने हेतु अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन करता हूं।

1—नाम (पूरा) ....

2—पिता/पति का नाम ....

.3>5.

3—आयु ....

4—वर्तमान पता ....

5—स्थायी पता ....

6—शैक्षिक अर्हताएं ....

7—मैंने पूर्व में अभिकर्ता अनुज्ञप्ति को धृत नहीं किया है

....

मैंने पूर्व में अभिकर्ता अनुज्ञप्ति संख्या.........................के द्वारा जारी और यह कि वह निलम्बित/रद्द/नवीकृत नहीं की गई थी, को धृत किया है।

8—मैं, एतद्द्वारा घोषणा करता हूँ कि मैं, 18 वर्ष से कम आयु का नहीं हूं और यह कि उपर्युक्त विवरण सही है। मैं स्वयं का हाल के फोटो की तीन प्रतियां संलग्न करता हूं।

दिनांक ....

आवेदक का हस्ताक्षर

प्रपत्र एस० आर०—43

[नियम 124 (13) देखिए]

अभिकर्ता का बैज

नाम..
अनुज्ञप्ति संख्या ....
टिकट की बिक्री के लिए अभिकर्ता ....
स्थान ....

बैज आकार में (6.5 से०मी०×4.0 से०मी०) आयताकार हो।

प्रपत्र एस०आर०—44

[नियम 126 देखिए]

चूंकि राज्य सरकार की राय है कि दक्ष, यथोचित, मितव्ययी और समुचित रूप से समन्वित सड़क परिवहन सेवा उपलब्ध कराने के प्रयोजन से लोक हित में यह आवश्यक है कि संलग्न प्रस्ताव के खंड (ख) में उल्लिखित क्षेत्र या मार्ग या उसके भाग के सम्बन्ध में सड़क परिवहन सेवा अन्य व्यक्तियों का पूर्णतया या आंशिक रूप से अपवर्जन करके या अन्यथा चलायी जानी चाहिए,

अतएव, अब, मोटर यान अधिनियम, 1988 (अधिनियम संख्या 59 सन् 1988) की धारा 99 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्य सरकार ने सड़क परिवहन सेवा के सम्बन्ध में एक स्कीम तैयार की है जो इससे संलग्न है और वह उसे उसके सम्बन्ध में आपत्तियां आमंत्रित करने की दृष्टि से प्रकाशित करती है,

कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के सरकारी गजट या प्रकाशन के, दिनांक से तीस दिन के भीतर उत्तर प्रदेश मोटर यान नियमावली, 1998 के नियम 127 में उपबन्धित प्रक्रिया के अनुसार सुनवायी करने वाले प्राधिकारी के समक्ष आपत्तियां, यदि कोई हों, दाखिल कर सकता है।

सड़क परिवहन सेवा के लिए स्कीम से सम्बन्धित प्रस्थापना---

(क) उत्तर प्रदेश सड़क परिवहन निगम सड़क परिवहन सेवा को..............................से और उसके चलाना प्रारम्भ करेगा।

(ख) उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा सड़क परिवहन सेवा को........................सम्भाग ....(मार्ग/क्षेत्र/मार्ग के भाग) पर उपलब्ध कराई जायेगी।

(ग) उपर्युक्त खण्ड (ख) में उल्लिखित क्षेत्र/मार्ग या उसके भाग पर उपलब्ध कराई जाने वाली परिवहन सेवा की प्रकृति और सीमा निम्नलिखित होगी ....

....

(घ) स्कीम के अधीन से भिन्न अन्यथा परिवहन सेवा की व्यवस्था प्रतिषिद्ध/प्रतिबन्धित है।

(ङ) उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम से भिन्न किसी व्यक्ति को उपर्युक्त खण्ड (ख) में उल्लि मार्ग या उसके भाग पर सड़क परिवहन सेवा उपलब्ध कराने के लिए अनुज्ञा नहीं दी जायगी।

(च) पश्चात्वर्ती खण्डों में किये गये उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन नि द्वारा सड़क परिवहन सेवाओं को अनन्यतः या संयुक्त रूप से उपलब्ध कराया जायेगा।

(छ) परिवहन यान जिनका उपर्युक्त खण्ड (ख) में उल्लिखित क्षेत्र/मार्ग/उसके भाग में प्रयोग किया जाये ....प्रकार के होंगे और उनकी ले जाने की क्षमता.......................होगी।

(ज) परमिट संख्या/संख्याएं ....जो अधिनियम के अध्याय पांच के अधीन...................को गई है/हैं,.........................सीमा तक रद्द उपान्तरित कर दी जायगी/जायेंगी कि अनुज्ञप्ति विनिर्दिष्ट करने से रह गयी है, इस खण्ड में रद्द होगी।

(झ) उपर्युक्त खण्ड (ख) में उल्लिखित क्षेत्र/मार्ग/उसके भाग पर वर्तमान में चलने वाली प्राइवेट परिचालक के परिवहन यानों की संख्या घटाकर....... कर दी जायगी।

(ञ) यात्रियों को निम्नलिखित सुविधा और सुख सुविधाओं की व्यवस्था की जायेगी/........................... ....(यहां पर स्कीम के प्रयोजन के लिये आवश्यक या समीचीन परिणामिक अनुषांगिक सामग्री दें)।

सचिव,

उत्तर प्रदेश सरकार, परिवहन विभाग।

प्रपत्र एस०आर०-45

[नियम 129 देखिये]

अधिसूचना

चूंकि राज्य सरकार ने मोटर यान अधिनियम, 1988 (अधिनियम संख्या 59 सन् 1988) की धारा 99 के अनुसार में अधिसूचना संख्या..........................दिनांक......................के अधीन सरकारी गजट में उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन उपक्रम का सड़क परिवहन सेवा के सम्बन्ध में एक प्रस्ताव प्रकाशित किया था,

और चूंकि उसके सम्बन्ध में प्राप्त आपत्तियों पर सम्यक् रूप से विचार कर लिया गया है और पक्षकारों को लिया गया है।

और चूंकि आपत्तियां दाखिल करने के लिए अनुमति अवधि समाप्त हो गयी है और कोई आपत्ति दाखिल नहीं गयी है,

अतएव, अब उपर्युक्त अधिनियम की धारा 100 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके राज्य सरकार एतद्द्वारा निम्नलिखित रूप में सम्यक रूप से अनुमोदित/उपान्तरित योजना को प्रकाशित करती है--

उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन उपक्रम की परिवहन सेवा के लिए स्कीम

आज्ञा से,
सचिव,
उ० प्र० सरकार
परिवहन विभाग।

प्रपत्र एस०आर०-46

[नियम 130 (1) देखिए]

धारा 103 की उपधारा (1) के अधीन मंजिली गाड़ी परमिट या माल वाहन परमिट या ठेका गाड़ी परमिट के लिए आवेदन-पत्र

सेवा में,

सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण,
...............सम्भाग/राज्य परिवहन प्राधिकरण।

1—क्षेत्र/मार्ग या उसके भाग जिससे सम्बन्ध में परमिट चाही गयी है/हैं ....

2—स्कीम जिसके अनुसरण में परमिट मांगी गयी है/हैं ....

(अधिसूचना संख्या और दिनांक के साथ सरकारी गजट में स्कीम के प्रकाशन का दिनांक उल्लिखित करें)।

3—चाही गयी परमिट का प्रकार अर्थात् मंजिली गाड़ी परमिट/माल वाहन परमिट या ठेका गाड़ी परमिट..........

4—प्रयोग किये जाने के लिये प्रस्तावित यानों का ब्यौरा..

5—उक्त यान, की सीटों की क्षमता और प्राधिकृत भार..

एतद्द्वारा यह घोषणा की जाती है कि ऊपर उल्लिखित विशिष्टियां सही हैं।

दिनांक ....

हस्ताक्षर और पदनाम।

प्रपत्र एस० आर०—47

[नियम 130 (3) देखिए]

राज्य परिवहन उपक्रम के यानों के सम्बन्ध में परमिट

भाग "क"

परमिट संख्या ....

1—उस प्राधिकारी का नाम और पदनाम जिसको परमिट जारी की गयी है..

2—जारी करने का दिनांक ....

3—यानों की संख्या ....

व्यष्टि यान की रजिस्ट्रीकरण संख्या	सीटों की क्षमता प्राधिकृत भार	इस परमिट से आच्छादित अधिसूचित मार्ग या क्षेत्र की विशिष्टियां और अनुज्ञप्ति का ब्यौरा और रजिस्ट्रीकरण संख्या
1	2	3

जारी करने वाले प्राधिकारी का
पदनाम और सरकारी मोहर।

भाग "ख"

(यान के साथ रखा जायगा)

परमिट संख्या ....

1—उस प्राधिकारी का नाम और पदनाम जिसको परमिट जारी की गयी है ....

....

2—जारी करने का दिनांक ....

3—इस परमिट से आच्छादित मार्ग या क्षेत्र ....

जारी करने वाले प्राधिकारी का

पदनाम और सरकारी मोहर।

प्रपत्र एस०आर०—48

[नियम 204 (1) देखिए]

प्रतिकर के लिये आवेदन-पत्र

(धारा 163–क के अधीन से अन्यथा)

सेवा में,

मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण ....

महोदय,

मैं..पुत्र/पुत्री/पत्नी/विधवा..

....निवासी...

....

एक मोटर यान दुर्घटना में क्षति और/या सम्पत्ति का नुकसान उठाये जाने के बाबत क्षतिग्रस्त होने और/या नुकसान उठाने के लिए प्रतिकर दिए जाने के लिए एतद्द्वारा आवेदन करता हूं/करती हूं। क्षति, सम्पत्ति, यान इत्यादि के नुकसान का आवश्यक ब्यौरा नीचे दिये जाते हैं।

मैं ....पुत्र/पुत्री/पत्नी/विधवा..

....निवासी..

....एतद्द्वारा विधिक प्रतिनिधि/अभिकर्त्ता के रूप में श्री/कुमारी/श्रीमती..पुत्र/पुत्री/पत्नी/विधवा.................................. श्री/श्रीमती..जो एक मोटर यान दुर्घटना में दिवंगत हुए थे। शारीरिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए थे और/या नुकसान उठाये थे, की मृत्यु/को हुई शारीरिक क्षति और या द्वारा उठाये गये नुकसान के कारण प्रतिकर दिए जाने के लिए आवेदन करता हूं/करती हूं। मृत/क्षतिग्रस्त और/ या सम्पत्ति को नुकसान उठाने वाले व्यक्ति और दुर्घटना इत्यादि में अन्तर्वलियानों का ब्यौरा निम्न प्रकार है:–

1—मृत/शारीरिक रूप से क्षतिग्रस्त/और या सम्पत्ति का नुकसान उठाने वाले व्यक्ति का नाम पिता/पति के नाम सहित..

2—मृत/शारीरिक रूप से क्षतिग्रस्त और/या सम्पत्ति का नुकसान उठाने वाले व्यक्ति का पूरा पता.....................

....

3—मृत/शारीरिक रूप से क्षतिग्रस्त व्यक्ति की आयु...

4—मृत/शारीरिक रूप से क्षतिग्रस्त व्यक्ति का व्यवसाय...

5—मृतक के सेवायोजक का नाम और पता, यदि कोई हो...

....

6—मृत/शारीरिक रूप से क्षतिग्रस्त व्यक्ति की मासिक आय..

7—मृत/शारीरिक रूप से क्षतिग्रस्त व्यक्ति के प्रत्येक आश्रित का उसका नाम और आयु और उससे सम्बन्ध और मृत/शारीरिक रूप से क्षतिग्रस्त व्यक्ति का मासिक औसत आय और ऐसी आय का स्रोत उपदर्शित करते हुए..

....

....

8—नुकसान हुई सम्पत्ति का व्यौरा और हुए नुकसान की सीमा..

9—क्या वह व्यक्ति जिसके सम्बन्ध में प्रतिकर का दावा किया गया है, आय कर देता है (दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा समर्थित होगा)..

10—दुर्घटना का स्थान, दिनांक और समय..

11—पुलिस थाने का नाम और पता जिसकी अधिकारिता में हुई दुर्घटना या प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी थी।

12—क्या वह व्यक्ति जिसके सम्बन्ध में प्रतिकर का दावा किया गया है दुर्घटना में अन्तर्वलित यान द्वारा यात्रा कर रहा था, यदि ऐसा है तो यात्रा प्रारम्भ करने के स्थान का नाम और उसके गन्तव्य स्थान का नाम दिया जाय..

....

13—हुई शारीरिक क्षति की प्रकृति..

14—चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी, यदि कोई हो, का नाम और पता जिसने शारीरिक रूप से क्षतिग्रस्त व्यक्ति/मृत व्यक्ति की परिचर्या की थी ....

15—उपचार की अवधि और उस पर किया गया व्यय, यदि कोई हो (दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा समर्थित हो)..........

16—दुर्घटना में अन्तर्वलित यान की रजिस्ट्रीकरण संख्या और प्रकार...

17—यान के स्वामी का नाम और पता...

18—यान के बीमाकर्ता का नाम और पता...

19—क्या स्वामी/बीमाकर्ता को कोई दावा प्रस्तुत किया गया है? यदि ऐसा है तो उसका क्या परिणाम हुआ?.....

....

20—मृतक से सम्बन्ध...

21—मृतक की सम्पत्ति पर हक...

22—दावा किये गये प्रतिकर की धनराशि..

23—कोई अन्य सूचना जो दावे के निस्तारण में आवश्यक या सहायक हो..

मैं ....निष्ठापूर्वक घोषणा करता हूं/करती हूं कि ऊपर दिया गया ब्यौरा मेरी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार सही और ठीक है।

आवेदक का हस्ताक्षर या अंगूठा निशान।

प्रपत्र एस० आर०—49

[नियम 204 (1) देखिए]

धारा 163-क के अधीन प्रतिकर के लिये आवेदन-पत्र

सेवा में,

मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण..

महोदय,

मैं.. पुत्र/पुत्री/पत्नी/विधवा ....

निवासी..

मोटर यान दुर्घटना में क्षतिग्रस्त होने और/या सम्पत्ति का नुकसान उठाये जाने पर मैं क्षतिग्रस्त होने और/या नुकसान उठाने के लिये प्रतिकर दिये जाने के लिये एतद्द्वारा आवेदन करता हूँ/करती हूँ। क्षति, सम्पत्ति, यान इत्यादि के नुकसान का आवश्यक व्यौरा नीचे दिये जाते हैं।

मैं.. पुत्र/पुत्री/पत्नी/विधवा ....

निवासी .... एतद्द्वारा विधिक प्रतिनिधि/

अभिकर्ता के रूप में श्री/कुमारी/श्रीमती...

पुत्र/पुत्री/पत्नी/विधवा...

श्री/श्रीमती................................जो मोटर यान दुर्घटना में दिवंगत हुये थे, शारीरिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए थे

और/या नुकसान उठाये थे, की मृत्यु/को हुई शारीरिक क्षति और या के द्वारा उठाये गये नुकसान के कारण प्रतिकर दिये जाने के लिये आवेदन करता हूँ/करती हूँ। मृत/क्षतिग्रस्त और/या सम्पत्ति को नुकसान उठाने वाले व्यक्ति और दुर्घटना इत्यादि में अन्तर्वलित यानों का व्यौरा निम्न प्रकार है:–

1—मृत/शारीरिक रूप से क्षतिग्रस्त/और/या सम्पत्ति का नुकसान उठाने वाले व्यक्ति का नाम पिता/पति के नाम सहित......

2—मृत/शारीरिक रूप से क्षतिग्रस्त और/या सम्पत्ति का नुकसान उठाने वाले व्यक्ति का पूरा पता.............................

3—मृत/शारीरिक रूप से क्षतिग्रस्त व्यक्ति की आयु...

4—मृत/शारीरिक रूप से क्षतिग्रस्त व्यक्ति का व्यवसाय..

5—मृतक के सेवायोजक का नाम और पता, यदि कोई हो...

....

6—मृत/शारीरिक रूप से क्षतिग्रस्त व्यक्ति की मासिक आय...

7—मृत/शारीरिक रूप से क्षतिग्रस्त व्यक्ति के प्रत्येक आश्रित का नाम और आयु और उससे सम्बन्ध और मृत/शारीरिक रूप से क्षतिग्रस्त व्यक्ति की मासिक औसत आय और ऐसी आय का स्रोत उपदर्शित करते हुए...............................

....

8—नुकसान हुई सम्पत्ति का व्यौरा और हुए नुकसान की परिमाण...

9—क्या वह व्यक्ति जिसके सम्बन्ध में प्रतिकर का दावा किया गया है, आय कर देता है (दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा समर्थित होगा) ....

10—दुर्घटना का स्थान, दिनांक और समय ....

11—पुलिस थाने का नाम और पता जिसकी अधिकारिता में दुर्घटना हुई या प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी थी ....

12—क्या वह व्यक्ति जिसके सम्बन्ध में प्रतिकर का दावा किया गया है दुर्घटना में अन्तर्वलित यान द्वारा यात्रा कर रहा था, यदि ऐसा है तो यात्रा प्रारम्भ करने के स्थान का नाम और उसके गन्तव्य स्थान का नाम दिया जाय ....

....

13—हुई शारीरिक क्षति की प्रकृति...

14—चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी, यदि कोई हो, का नाम और पता जिसने शारीरिक रूप से क्षतिग्रस्त व्यक्ति/मृत व्यक्ति की परिचर्या की थी ....

15—उपचार की अवधि और उस पर किया गया व्यय, यदि कोई हो (दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा समर्थित हो) ....

16—दुर्घटना में अन्तार्वलित यान की रजिस्ट्रीकरण संख्या और प्रकार..

17—यान के स्वामी का नाम और पता...

18—यान के बीमाकर्ता का नाम और पता...

19—क्या स्वामी/बीमाकर्ता को कोई दावा प्रस्तुत किया गया है? यदि ऐसा है तो उसका क्या परिणाम हुआ?................

20—मृतक से सम्बन्ध ....

21—मृतक की सम्पत्ति पर हक..

22—दावा किये गये प्रतिकर की धनराशि..

23—कोई अन्य सूचना जो दावे के निस्तारण में आवश्यक या सहायक हो ....

मैंने प्रतिकर के लिये कोई अन्य आवेदन-पत्र दाखिल नहीं किया है।

अतएव मैं.................................... प्रार्थना करता हूँ कि उपर्युक्त दुर्घटना के सम्बन्ध में प्रतिकर की धनराशि

मोटर यान अधिनियम, 1988 की द्वितीय अनुसूची के अनुसार अवधारित की जा सकती है और स्वामी/बीमाकर्ता को निदेशित किया जाय कि वे इस प्रकार अवधारित की गयी धनराशि का, जो उपर्युक्त दुर्घटना के सम्बन्ध में पूर्ण अन्तिम प्रतिकर होगा, भुगतान मुझे कर दें।

मैं मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 163-क के अधीन और धारा 140 के अधीन इसके सम्बन्ध में कोई अन्य दावा दाखिल नहीं करूंगा।

मैं...सत्यनिष्ठा से घोषणा करता हूँ कि ऊपर दी गयी विशिष्टियां मेरे सर्वोत्तम ज्ञान के अनुसार सत्य और सही है।

आवेदक के हस्ताक्षर

या अंगूठे का निशान।

प्रपत्र एस० आर०—50

[नियम 227 (2) देखिये]

परिवहन विभाग

पहचान-पत्र

क्रमसंख्या--------------------------

फोटो

नाम..

पदनाम...

इस कार्ड के जारी करने

के समय आयु...

धारक का नमूना-हस्ताक्षर...

जारी करने वाले अधिकारी का हस्ताक्षर

नाम, पदनाम..............................

382